




सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक एवं
आर्थिक प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-1 प्रस्तावना		
बजट की रूपरेखा	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग	1.1.2	1
सतत बचतें	1.1.3	2
भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान	1.1.4	3
लेखापरीक्षा का योजना एवं संचालन	1.1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	1.1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण	1.1.7	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.8	6
राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.1.9	7
अध्याय-2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	9
उद्योग और खान एवं भूतत्व विभाग		
झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलापों/सूत्रपात पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	57
अध्याय-3 अनुपालन लेखापरीक्षा		
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
गोदाम का निर्माण एवं क्रियाशीलता का लेखापरीक्षा	3.1	87
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग		
धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिल्ड चावल में रूपांतरण की लेखापरीक्षा	3.2	117
गृह विभाग		
सुरक्षा संबंधित व्यय की लेखापरीक्षा	3.3	142
कल्याण विभाग		
मेसो क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.4	163

लेखापरीक्षा कंडिकायें	3.5	
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग		
कृषि महाविद्यालय भवन पर अनुत्पादक व्यय	3.5.1	173
भवन एवं सड़क निर्माण विभाग		
सरकार को हानि	3.5.2	174
सड़क कार्य पर परिहार्य व्यय	3.5.3	176
पुल कार्य पर निष्फल व्यय	3.5.4	177
कल्याण विभाग		
महिला पॉलिटेकनिक महाविद्यालय पर निष्फल व्यय	3.5.5	179
ग्रामीण विकास विभाग		
परित्यक्त पुल पर निरर्थक व्यय	3.5.6	181
पुल पर निष्फल व्यय	3.5.7	183
सड़क कार्य पर परिहार्य व्यय	3.5.8	184
अपूर्ण पुल पर निष्फल व्यय	3.5.9	185
सड़क पर निष्फल व्यय	3.5.10	187
बिना पुल के सड़क पर निष्फल व्यय	3.5.11	188
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
व्यर्थ पड़े भवन पर निष्फल व्यय	3.5.12	189
ए.एन.एम. भवन पर निष्फल व्यय	3.5.13	191
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पर निष्फल व्यय	3.5.14	192
गृह एवं भवन निर्माण विभाग		
उपकारा पर निष्फल व्यय	3.5.15	193
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
मोबाईल वैन किट पर निष्फल व्यय	3.5.16	195
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग		
स्रोत पर कर कटौती नहीं किया जाना	3.5.17	196
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
जल आपूर्ति योजना पर निष्फल व्यय	3.5.18	197

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं एवं निहित राशियों को दर्शाती विवरणी	1.1.6	201
1.1.2	लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के प्रकार को दर्शाती विवरणी	1.1.6	202
2.1.1	चयनित जिलो में सा.स्वा.केन्द्रों, प्रा.स्वा.केन्द्रों और स्वा.उप.केन्द्रों की सूची	2.1.5	205
2.1.2	प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेखों की सूची	2.1.6	207
2.1.3	राज्य पी.आई.पी. और आर.ओ.पी. की अनुमोदन में विलम्ब	2.1.8.1	208
2.1.4	स्वा.प्र.सू.प. का स्वास्थ्य और मूल अभिलेखों के सेवावार अंतर	2.1.9	209
2.1.5	वर्ष 2011-16 के दौरान अधिक/कम निधि का निर्गत	2.1.10.2	210
2.1.6	उपयोगित प्रमाण पत्र में अर्जित ब्याज की राशि का प्रकट किया गया ब्यौरा	2.1.10.3	210
2.1.7	बचत खाते में अर्जित ब्याज से व्यय	2.1.10.3	211
2.1.8 (अ)	बैंक लेखों का समाशोधन नहीं किये जाने का ब्यौरा	2.1.10.4	212
2.1.8 (ब)	लेखापरीक्षा को विस्तृत बैंक लेखा/विवरणी प्रस्तुत नहीं किया जाना	2.1.10.4	213
2.1.8 (स)	बैंक शेष और अन्तिम शेष का ब्यौरा	2.1.10.4	213
2.1.9	मार्च 2016 तक, पार्टियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध बकाये अग्रिम और न्यूनतम स्वीकार्य ब्याज का ब्यौरा	2.1.10.5	214
2.1.10	मार्च 2016 तक, पार्टियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध बकाये अग्रिम का ब्यौरा	2.1.10.5	215
2.1.11	सदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अनाबद्ध निधि का अनियमित निर्गत	2.1.10.6	217
2.1.12	वर्ष 2011-16 के दौरान लाभुकों को प्रोत्साहन देय का ब्यौरा	2.1.10.8	218
2.1.13	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पताल में रोगशय्या क्षमता की आवश्यकताओं का विवरणी	2.1.11.1 (ii एवं iii)	219
2.1.14 (अ)	आई.ए.पी. के तहत अभिसरण के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य उप केन्द्रों का विवरणी	2.1.11.3	220
2.1.14 (ब)	आई.ए.पी. के तहत अभिसरण के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का विवरणी	2.1.11.3	221
2.1.15	नमूना-जाँचित जिला अस्पताल में अनिवार्य उपकरण की आवश्यकता और उपलब्धता	2.1.12.1	222
2.1.16	नमूना-जाँचित अनुमंडलीय अस्पताल में अनिवार्य उपकरण की आवश्यकता और उपलब्धता	2.1.12.1	223
2.1.17	नमूना-जाँचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध और आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता	2.1.12.1	224

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.1.18	आर.बी.एस.के. की क्रय के कारण एजेंसी को आधिक्य भुगतान किए गए दर्शाती विवरणी	2.1.12.2	225
2.1.19	नमूना-जाँचित जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पताल में अव्यवहृत मशीन और उपकरण	2.1.12.2	226
2.1.20	च.चि.इ. के गतिविधियों के लिए मार्ग चार्ट का अनियमित तैयारी	2.1.12.3	228
2.1.21	च.चि.इ. की आवश्यकता और उपलब्धता की विवरणी	2.1.12.3	233
2.1.22	बी.एल.एस. और ए.ल.एस. एम्बुलेंस की क्रय के लिए अनुमोदन का विवरणी	2.1.12.4	233
2.1.23	वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में सहिया को प्रशिक्षण में कमी का विवरणी	2.1.14.2	234
2.1.24	जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकताओं के विरुद्ध डायग्नोस्टिक जाँच की कमी का विवरणी	2.1.15	234
2.1.25	भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं उपलब्ध नहीं होना	2.1.16.1	235
2.1.26	भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवा उपलब्ध नहीं होता	2.1.16.1	237
2.1.27	दुमका और गिरिडीह जिलों में डायग्नोस्टिक किटों की क्रय पर धोखाधड़ी कर आधिक्य भुगतान	2.1.16.2	239
2.1.28	दर अनुबंध के विरुद्ध अधिक भुगतान की विवरणी	2.1.16.3	241
2.1.29	सुविधाओं के स्तर पर एक्सपायर्ड दवाओं की विवरणी	2.1.16.5	242
2.1.30	सुविधास्तर पर अनुपलब्ध दवाओं की विवरणी	2.1.16.6	243
2.1.31	जिला गुणवत्ता दलों की बैठकों और इसके कमियों की विवरणी	2.1.17.4	244
2.1.32	2011-16 के दौरान राज्य में प्रसवपूर्व देखभाल जांच की कमी का विवरण	2.1.19.1 (ii)	244
2.1.33	वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में नसबंदी के लक्ष्य और उपलब्धि	2.1.19.1 (vi)	245
2.1.34	वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में अंतरण के तरीकों का लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरणी	2.1.19.1 (vi)	245
2.1.35	मेडिकल सलाह के विरुद्ध छोड़ कर चले जाने के मामले की विवरणी	2.1.19.1 (vii)	246
2.2.1	विभिन्न मानदंडों पर झारखंड की स्थिति को दिखाती विवरणी	2.2.6.1	247
2.2.2	2011-16 के दौरान विज्ञापन, कंसल्टेंसी और एकल खिड़की प्रणाली पर	2.2.17	248

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
	आवंटन और व्यय का वर्षवार विवरण		
3.1.1	लेखापरीक्षा दल द्वारा निरीक्षित गोदामों का विवरण	3.1.1	249
3.1.2	चयनित जिलों में गोदामों की कमी का विवरण	3.1.2.3	250
3.1.3	निर्माण अभिकरण द्वारा निर्मित लेकिन विभाग को स्थानान्तरित नहीं की गई गोदामों की सूची	3.1.3.1	253
3.1.4	अव्यवहृत निर्मित गोदामों का विवरण	3.1.3.2	254
3.1.5	गोदामों के विलम्बित निर्माण के कारण मूल्य वृद्धि का विवरण	3.1.3.2	256
3.1.6	गोदाम निर्माण में विलम्ब के कारण संवेदक पर दण्ड आरोपित नहीं किये जाने का विवरण	3.1.3.2	258
3.1.7	समर्थित अभिश्रव के बिना डी.एस.डी. के अन्तर्गत खाद्यान की ढुलाई पर भुगतान का विवरण	3.1.6.2	260
3.1.8	नजदीकी स्थान पर सुपुर्दगी के अन्तर्गत खाद्यान की कपटपूर्ण ढुलाई का विवरण	3.1.6.2	261
3.2.1	धान अधिप्राप्ति, क.मि.रा. में रूपांतरण एवं भा.खा.नि. को सुपुर्दगी का प्रवाह संचित्र	3.2.1	263
3.2.2	खरीफ विपणन मौसमवार धान अधिप्राप्ति, क.मि.रा. सुपुर्दगी, प्रपत्रों की तैयारी के विरुद्ध लंबित अदायगी को दर्शाती हुई विवरणी	3.2.2.5	264
3.2.3	क्षतिग्रस्त बोरों की स्थिति दर्शाती हुई विवरणी	3.2.2.9	265
3.2.4	किसानों को विलम्ब से हुई भुगतान को दर्शाती हुई विवरणी	3.2.2.10 (क)	266
3.2.5	प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिये धान की अधिप्राप्ति एवं सुपुर्दगी की निर्धारित समय सीमा दर्शाती हुई विवरणी	3.2.3.1	267
3.2.6	हजारीबाग और राँची में उत्पादन से अधिक अधिप्राप्ति की विवरणी	3.2.3.4	268
3.2.7	चावल मिलों के अनियमित चयन को दर्शाती हुई विवरणी	3.2.4.2	269
3.2.8	चावल मिलों द्वारा भा.खा.नि. को क.मि.रा. की सुपुर्दगी में विलम्ब दर्शाती हुई विवरणी	3.2.4.3	272
3.2.9 (अ)	धा.अ.कें. द्वारा चावल मिलों को धान के परिवहन के प्रयुक्त संदिग्ध-साधनों को दर्शाती हुई विवरणी	3.2.4.4	276
3.2.9 (ब)	चावल मिलों द्वारा भा.खा.नि. गोदामों को क.मि.रा. के परिवहन में प्रयुक्त संदिग्ध साधनों को दर्शाती हुई विवरणी	3.2.4.4	277
3.2.10	चावल मिलों द्वारा भा.खा.नि. को विलम्ब से सुपुर्दगी के लिए जुर्माना अधिरोपित नहीं करने को दर्शाती हुई विवरणी	3.2.4.5	278

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
3.3.1	2010-15 के दौरान वर्षवार स्वीकृत योजना एवं समर्पित दावा	3.3.4.1	280
3.3.2	2010-16 के दौरान भाड़े पर रखे गए वाहनों का विवरण	3.3.7.1	281
3.4.1	केन्द्रीय निधि की प्राप्तियों और व्यय के संवितरण की विवरणी	3.4.3.1	282
3.4.2	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत ज.उ.यो. से वि.के.स. की प्राप्ति के संवितरण और प्राप्तियों का विवरणी	3.4.3.1	283
3.4.3	ज.उ.यो. अंतर्गत वि.के.स. के अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं की विवरणी	3.4.4.1	284
3.4.4	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं की विवरणी	3.4.4.2	289
3.4.5	स्वीकृत और कार्यरत बल की विवरणी	3.4.5	294
3.5.1 (i)	भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सामग्री की लागत जिसके लिए ओ. एवं पी. फार्म समर्पित नहीं किया गया की विवरणी	3.5.2	295
3.5.1 (ii)	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सामग्री लागत की विवरणी जिसके लिए ओ. एवं पी. फार्म समर्पित नहीं किया गया	3.5.2	296
3.5.2	मूल्य समायोजन पर परिहार्य भुगतान	3.5.3	297
3.5.3	टी.डी.एस. की कम कटौती	3.5.17	298

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम संकलित है जिसमें (i) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, (ii) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, (iii) उद्योग, खान एवं भूतत्व (iv) गृह, (v) कल्याण, (vi) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, (vii) सूचना एवं जन सम्पर्क, (viii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, (ix) भवन निर्माण, (x) पथ निर्माण (xi) ग्रामीण विकास और (xii) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं, जो वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए हुए नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में जानकारी में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में उजागर हुए, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, वर्ष 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण आवश्यकतानुरूप जोड़े गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा आयोजित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं: प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन शामिल है। इस प्रतिवेदन के अध्याय दो में दो निष्पादन लेखापरीक्षा (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान एवं (ii) झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलाप/सूत्रपात पर समीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है तथा अध्याय तीन में विभिन्न विभागों के चार अनुपालन लेखापरीक्षा (i) गोदाम का निर्माण एवं क्रियाशीलता (ii) धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिल्ड चावल में रूपांतरण (iii) सुरक्षा संबंधित व्यय (iv) मेसो क्षेत्रों में जन जाति कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 18 लेखापरीक्षा कंडिका से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों; राज्य को अवसर का नुकसान, निष्फल व्यय एवं हानि का मौद्रिक मूल्य ₹ 1,60,516 करोड़ है।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विशेष लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं और अनुशंसाएँ की गई हैं। लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. कार्यक्रमों/कार्यकलापों/विभागों का निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु सर्व सुलभ, उत्तर दायी, किफायती तथा भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में की गई। प्रजनन एवं बाल विकास पर विशेष ध्यान देते हुये रा.ग्रा.स्वा.मि. पर वर्ष 2011-16 की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है।

रा.ग्रा.स्वा.मि. दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में यथोष्ट बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में राज्य निराशाजनक रूप से विफल साबित हुआ। राज्य में आवश्यकता तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र (स्वा.उप.) के बीच का अन्तर वर्ष 2011 में 45, 76 एवं 55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में क्रमशः 51, 79 एवं 60 हो गयी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से

वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण को न करते हुए रा.ग्रा.स्वा.मि. तथा राज्य द्वारा हस्तक्षेप केवल वर्तमान सुविधाओं के उत्क्रमण तक ही सीमित था।

खर्च में कमी वर्ष 2011-15 में क्रमशः 55 और 61 प्रतिशत था जिसके चलते क्षमता निर्माण एवं सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यकता से कम हुई। विशेषज्ञ चिकित्सकों में कमी (92 से 78 प्रतिशत), चिकित्सा पदाधिकारियों में कमी (61 से 36 प्रतिशत), स्टाफ नर्स/सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी में कमी (27 से 26 प्रतिशत) तथा चिकित्सा सहायक में कमी (52 से 40 प्रतिशत) से अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ा जबकि महत्वपूर्ण आवश्यक उपकरणों की कमी (42 से 92 प्रतिशत), औषधी की कमी (32 से 92 प्रतिशत), तथा बिस्तर गणना (47 से 90 प्रतिशत) की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं पर प्रभाव पड़ा।

स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में पर्याप्त सुधार के अभाव में शिशु एवं मातृ मृत्युदर (आई.एम.आर. 37/1000, एम.एम.आर. 208/1,00,000) एन.आर.एच.एम. के लक्ष्य (आई.एम.आर. 25/1000 और एम.एम.आर. 100/100000) और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (आई.एम.आर. 26/1000, एम.एम.आर. 100/100000) से काफी पीछे था। नमूना-जाँचित जिलों में राज्य क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट का कार्यान्वयन नहीं किया गया जबकि जिला गुणवत्ता सुनिश्चितता इकाई का गठन ही नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1)

(ii) झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलाप/पहल पर निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखण्ड को निवेशकों का सबसे अनुकूल स्थान बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विविध प्रक्रियाओं में सुधार इत्यादि हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति (झा.औ.नी.) 2012 की घोषणा जून 2012 में की गई। झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन गतिविधि/ पहल पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2011-16 की अवधि के लिए संचालित किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ की चर्चा नीचे की गई है:

झारखण्ड में व्यवसाय कार्य सुभीता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) व्यवसाय स्थापित करने, भूमि आवंटन, अबाधित बिजली आपूर्ति, पानी एवं कच्चे माल इत्यादि क्षेत्र में कई बाधाओं से प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती नीति अवधि (2000-11) में ₹ 28,424 करोड़ की तुलना में झा.औ.नी. 2012 की अवधि (2011-2016) में निवेश ₹ 4,493 करोड़ तक घट गया। निवेश अनियमित था और 24 जिलों में से आठ जिलों में ज्यादा था इसके बावजूद कि अन्य जिलों में निवेश की समान संभावनाएँ थी। आगे, 48 प्रतिशत (79 में से 38) समझौता ज़ापन (स.ज़ा) भूमि अधिग्रहण में विफलता एवं उद्योग स्थापित करने में सरकार के सहयोग में कमी के कारण रद्द हो गये। परिणामस्वरूप राज्य ₹ 62,879 करोड़ के निवेश से वंचित रह गया। पाँच स्टील प्लांट सह कैप्टिव पावर प्लांट की प्रस्तावित स्थापना उसके प्रस्ताव प्राप्त होने के 10

वर्षों में भी स्थापित करने में विफलता के कारण राज्य ₹ 1.60 लाख करोड़ के निवेश का मौका चूक गया।

एकल खिड़की प्रणाली (ए.खि.प्र.) संभावित निवेशकों को 'एक स्थान पर' सेवा प्रदान करने हेतु आंशिक रूप से कार्यरत था जो अप्रभावी था एवं विभागों/ अभिकरणों की आवश्यक मंजूरी से संबंधित निवेशकों के मामलों को निपटाने में असमर्थ रहा। परिणामतः समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के चार से 13 वर्षों की अवधि में भी परियोजनाओं के बाधाओं को दूर करने में ए.खि.प्र. विफल रहा और ये परियोजनाएँ स्थापित नहीं की जा सकी।

राज्य में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कम्पनियों के लिए विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्वीकृत होने के बावजूद विलंबित कार्रवाई के कारण स्थापित नहीं किये जा सके। यह राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने में बाधक बना।

झा.औ.नी. 2012 का कार्यान्वयन की समीक्षा/ अनुश्रवण नहीं किया जा सका क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली प्रस्तावित समिति का गठन नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.2)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) गोदामों के निर्माण एवं कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

लक्षित लोक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ.) के तहत चिन्हित लाभुकों को वितरण हेतु आवंटित अनुदानित अनाज, चीनी, परिष्कृत आयोडीन नमक के मासिक आवंटन से दुगुना गोदाम क्षमता को बढ़ाने हेतु गोदामों के निर्माण को झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया (अगस्त 2009)।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-16 के दौरान 2.47 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध केवल 1.90 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षेत्र निर्माण हेतु योजना तैयार की गई एवं 0.96 लाख मीट्रिक टन का भंडारण क्षेत्र का निर्माण किया। इस प्रकार 0.57 लाख मीट्रिक टन की कम भंडारण क्षेत्र योजना तैयार की गई जबकि वास्तविक भंडारण क्षेत्र आवश्यकता से 1.51 लाख मीट्रिक टन कम थी। आगे, उपलब्ध भंडारण क्षेत्र असंतुलित पाया गया क्योंकि 55 प्रखण्डों में भंडारण क्षेत्र नहीं था, 156 प्रखंडों में अनाज के मासिक आवंटन से कम भंडारण क्षमता था, 17 प्रखण्डों में अनाज के मासिक आवंटन से दुगुनी क्षमता थी जबकि 31 प्रखण्डों में भंडारण क्षमता मासिक आवंटन से अधिक परंतु मानदंड से कम था। यद्यपि निर्मित अधिक भंडारण क्षेत्र के लाभप्रद रूप से उपयोग या 1.51 लाख मीट्रिक टन की समग्र भंडारण क्षमता के कमी से निपटने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

स्वीकृत गोदामों के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि 420 स्वीकृत गोदामों में केवल 317 का निर्माण किया गया। इनमें से 46 गोदाम का निर्माण कार्य

पूर्ण हो चुका था परंतु विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया था जबकि 36 गोदाम पूर्ण होने के बावजूद पहुँच पथ के अभाव, क्षतिग्रस्त छत/दीवार आदि के कारण संचालन में नहीं था। 33 गोदामों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका था क्योंकि निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। नमूना-जाँचित जिलों में ₹ 2.50 करोड़ की लागत से निर्मित 23 गोदामों का क्षतिग्रस्त छत/दीवार, पहुँच पथ का अभाव आदि जैसे कारणों के कारण विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था।

राज्य द्वारा वर्ष 2011-16 में भारतीय खाद्य निगम से आवंटन के विरुद्ध 21.23 लाख मीट्रिक टन कम उठाव हुआ था। जिसमें से 1.44 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का कम उठाव रा.खा.सु.अ. के अधीन अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक था। परिणामस्वरूप अभिप्रेत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अधिदेश में बाधा उत्पन्न हुई। गोदामों में, गोदाम मार्गदर्शिका में प्रस्तावित स्वच्छता मानदंड के अनुरूप खाद्यान्न का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

(कंडिका 3.1)

(ii) धान खरीद तथा कस्टम मिल्ड राईस रूपांतरण पर लेखापरीक्षा

झारखण्ड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (ख.वि.मौ.) 2011-12 से किसान से धान की सीधे अधिप्राप्ति तथा रूपांतरण कर कस्टम मिल्ड राईस भारतीय खाद्य निगम को देने हेतु एक कार्यक्रम लागू किया (2011)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-15 के दौरान पूरे राज्य में चार लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा ₹ 524 करोड़ के निधि सुनिश्चित नहीं करने के कारण धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम विफल रहा जो कि वर्ष 2011-13 में कैश क्रेडिट ऋण लेने में विफलता और उसके देनदारों से ₹ 178.96 करोड़ की वसूली लंबित रहने का परिणाम था। आगे, ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान कार्यक्रम में बिचौलियों की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक जिले के किसानों से वैध भूमि रसीद लिए बिना एवं चार जिलों में धान उत्पादन से अधिक का ₹ 59.66 करोड़ की धान अधिप्राप्ति की गई। ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान 2445 किसानों को ₹ 11.37 करोड़ का विलंबित भुगतान एवं वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 99.41 करोड़ के भुगतान में विफलता, किसानों द्वारा मजबूरी में धान ब्रिकी को रोकने के उद्देश्य में बाधक रहा। मिलिंग नीति तय नहीं की गयी थी और विभाग द्वारा इसके क्रियाकलापों के विश्वसनीय एवं समेकित सूचना उत्पन्न तथा प्रसार करने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.2)

(iii) सुरक्षा संबंधित व्यय की लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने (अप्रैल 1996) में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने में सहयोग के उद्देश्य से, सुरक्षा संबंधित व्यय योजना का प्रारम्भ किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सुरक्षा संबंधित व्यय योजना राज्य में सही ढंग से लागू नहीं की गई क्योंकि विभाग ने आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया था जिसके फलस्वरूप अनुमोदित योजना के तुलना में कुल ₹ 247.55 करोड़ अंतर्घटकीय विचलन किया गया। विभाग को सुरक्षा व्यय संबंधित दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण दावा की गई राशि ₹ 154.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं हुई जबकि पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण पर ₹ 5.55 करोड़ व्यय का दावा नहीं किया गया एवं गोला-बारूद क्रय से संबंधित ₹ 5.84 करोड़ का गृह मंत्रालय से प्रतिपूर्ति दावा नहीं किया गया जो कि सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के तहत अनुमान्य था। यद्यपि, विभाग द्वारा किराये पर वाहन लेने (₹ 52.68 करोड़) तथा विशेष पुलिस पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान (₹ 27.71 करोड़) पर कुल ₹ 80.39 करोड़ व्यय किया गया जिसे गृह मंत्रालय द्वारा अनुमान्य किया गया था, लेखापरीक्षा ने इन व्यय को सुरक्षा संबंधित व्यय के दिशानिर्देश का उल्लंघन माना। निगरानी का अभाव था जिसके चलते अमान्य मदों पर सतत व्यय होता रहा जिससे योजना उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 3.3)

(iv) मेसो क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मेसो क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों पर वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक लेखा परीक्षा की गई जिसे 31 मार्च 2012 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया था। वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक अनुवर्ती लेखा परीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि क्या कल्याण विभाग ने स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया एवं सुधारात्मक उपायों द्वारा त्रुटियों को दूर किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूँकि किसी भी संबद्ध जनजातीय विकास अभिकरण ने जनजातीय जनसंख्या या गावों का सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार नहीं किया था ना ही निधि के ससमय उपयोग को सुनिश्चित किया, न ही ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जैसा कि जनजातीय उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के सतत बचत से परिलक्षित होता है। आगे, जनजाति योजना अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन

127 योजनाओं में से 39 तथा संविधान की अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत नमूना-जाँचित समेकित जनजाति विकास अभिकरण में 31 प्रतिशत पद रिक्त रहने के अलावे 268 कार्यों में से 211 को पूर्ण करने में विफल रहे तथा अनुश्रवण नहीं होना अनुशंसाओं के कार्यान्वित नहीं होने के सूचक है।

(कंडिका 3.4)

(v) अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

लेखापरीक्षा ने विवेचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों (18 कंडिकाओं) को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख टिप्पणियाँ नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा तथा अपर्याप्त तर्कसंगत व्यय के मामले एवं दृष्टिचूक/शासन की विफलता से संबंधित है। कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- कृषि महाविधालय प्रारंभ करने में विफल होने के कारण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन ₹ 18.21 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.1)

- भवन एवं सड़क निर्माण विभाग के अधीन खनन नियम का अनुपालन नहीं होने के कारण ₹ 9.68 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.5.2)

- शासकीय आदेशों के उल्लंघन करते हुए सड़क निर्माण कार्य के पूर्णता के लिए अत्यधिक समय की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण विभाग के अधीन ₹ 2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.3)

- सड़क निर्माण विभाग के अधीन अपूर्ण पुल पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.4)

- कल्याण विभाग के अधीन त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के कारण महिला पॉलिटेकनिक, राँची के निर्माण पर ₹ 8.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.5)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के कारण काम का परित्याग एवं ₹ 5.6 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.6)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पहुँच पथ निर्माण के बिना पुल निर्माण करने के कारण ₹ 4.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.7)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क कार्य के अनियमित उन्नयन के कारण ₹ 3.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.8)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना पुल के निर्माण करने के कारण कार्य को बीच में रोकना पड़ा तथा ₹ 1.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.9)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संवेदक को अनियमित आवंटन एवं अनुचित लाभ पहुँचाए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.10)

- ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के कारण बिना पुल का सड़क निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.11)

- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के अधीन राँची न्यूरो मनोरोग एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) में शिक्षण हेतु भवन समूह के व्यर्थ पड़े रहने पर ₹ 4.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.12)

- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के अधीन व्यर्थ पड़े रहे ए.एन.एम. विद्यालय भवन के निर्माण पर ₹ 2.09 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.13)

- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के अधीन ₹ 1.15 करोड़ की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(कंडिका 3.5.14)

- भवन निर्माण विभाग के अधीन 300 कैदियों हेतु वर्ष 2011-12 में चक्रधरपुर में अपूर्ण उप-कारा (गैस-आवासीय क्षेत्र) के निर्माण पर ₹ 4.68 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.15)

- खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत ₹ 4.35 करोड़ मूल्य का मोबाईल वैन किट 8 वर्ष तक व्यर्थ पड़े रहने के कारण व्यय निष्फल साबित हुआ।

(कंडिका 3.5.16)

- सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अधीन मीडिया हाउस पर स्रोत पर कर-कटौती कम किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.5.17)

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत परित्यक्त जलापूर्ति योजना पर ₹ 2.12 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.18)

अध्याय-1

प्रस्तावना

अध्याय-1

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 30 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य के लेखे में बजट अनुमान तथा संबंधित वास्तविक व्यय को तालिका 1.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.1.1: 2011-16 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	7866.66	7845.56	8556.05	8696.49	9870.51	9959.36	11617.87	10623.45	13310.58	12002.43
सामाजित सेवाएँ	9524.39	7287.03	11611.28	8308.59	12405.63	8215.34	17383.07	11915.34	18747.53	14843.81
आर्थिक सेवाएँ	6646.17	5858.99	7632.67	6394.79	8158.69	5297.19	10486.84	9256.11	11285.12	9706.59
अनुदान एवं अंशदान	0.55	0.00	0.55	0.00	0.25	0.00	0.15	0.00	0.01	0.00
कुल (1)	24037.77	20991.58	27800.55	23399.87	30435.08	23471.89	39487.93	31794.90	43343.24	36552.83
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत व्यय	6352.73	3159.37	6856.83	4218.43	6466.40	4722.50	8224.03	5542.94	8675.58	8158.51
संवितरण ऋण एवं अग्रिम	1328.02	217.10	829.37	600.81	838.40	221.91	699.43	823.78	1215.60	7480.00
लोक ऋण का पुनर्भूगतान	1403.18	1639.01	1627.05	2183.06	1809.02	1996.92	1976.30	1879.88	2258.53	2245.93
समेकित निधि	33121.70	26007.06	37113.80	30402.17	39548.90	30413.22	50389.69	40041.50	55492.95	54437.27
अंतर्राज्यिक भूगतान		75.40		100.00		50.00		0.00	0.00	0.00
आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण	11762.85	9727.77	18519.83	13416.31	13929.71	14094.33	16461.09	19276.68	15190.43	27053.00
अंतिम रोकड़ शेष		116.85		704.75		1285.48		444.21	0.00	1904.72
कुल (2)	20846.78	14935.50	27833.08	21223.36	23043.53	22371.14	27360.85	27967.49	27340.14	46842.16
सकल योग (1+2)	44884.55	35927.08	55633.63	44623.23	53478.61	45843.03	66848.78	59762.39	70683.38	83394.99

(स्रोत: अनुपूरक अनुमान को छोड़कर राज्य बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन)

* रोकड़ शेष निवेश एवं विभागीय शेष को छोड़कर

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

कुल बजट ₹ 72,474 करोड़¹ के विरुद्ध 2015-16 में राज्य के समेकित निधि से ₹ 54,437 करोड़ का कुल व्यय² हुआ। राज्य का कुल व्यय 2011-12 से 2015-16

¹ बजट अनुमान ₹ 55,493 करोड़ एवं अनुपूरक अनुमान ₹ 16,981 करोड़ सम्मिलित।

² कुल व्यय में लोक लेखा संवितरण, अन्तर्राज्यिक समायोजन और आकस्मिक निधि सम्मिलित नहीं हैं।

के दौरान 109 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 26,007 करोड़ से ₹ 54,437 करोड़ तक बढ़ गया और राज्य का राजस्व व्यय 74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2011-12 में ₹ 20,992 करोड़ से 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान गैर योजनागत राजस्व व्यय 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 13,346 करोड़ से ₹ 20,760 करोड़ तक बढ़ा एवं पूँजीगत व्यय 158 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 3159 करोड़ से ₹ 8159 करोड़ कर पहुँच गया।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 67 से 81 प्रतिशत था एवं पूँजीगत व्यय 12 से 16 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 20.28 प्रतिशत था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 16.03 प्रतिशत से बढ़ी।

1.1.3 सतत बचतें

बारह अनुदानों (11 विभागों) में, पिछले पाँच वर्षों में कुल अनुदानों में से प्रत्येक अनुदान में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत बचतें हुईं, जैसा कि तालिका-1.1.2 में वर्णित है:

तालिका-1.1.2: 2011-16 के दौरान सतत बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदानों के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व दत्तमत						
1	1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)
2	2-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (पशु पालन प्रभाग)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)
3	17- वाणिज्यिक कर विभाग	11.24 (18)	27.17 (38)	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)
4	18- खादय, लोक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग	168.00 (15)	307.90 (28)	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)
6	23-उद्योग विभाग	157.41(45)	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)
7	26-रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	193.07(23)	232.43 (25)	308.12(30)	349.95(28)	1088.29(73)
8	35- योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	291.78(58)	594.38 (88)	533.61(83)	99.14(27)	691.14(60)
9	40- राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	79.15(24)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)
10	43- उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)
11	49- जल संसाधन विभाग	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)
पूँजी दत्तमत						
12	49- जल संसाधन विभाग	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)	1196.28(68)	544.62(33)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूर्ण अनुदान के विरुद्ध बचत का प्रतिशत बताता है।

1.1.4 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर योजना अनुदान	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26	1685.82
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69	4950.18
केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	66.87	30.81	28.28	83.55	50.90
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम	1235.16	914.05	1150.96	614.16	650.74
कुल	5257.41	4822.21	4064.98	7392.66	7337.64
पूर्व वर्ष से प्रतिशतता में वृद्धि	28	(-)8	(-)16	82	(-)0.74
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	23.45	19.47	15.55	23.42	18.06

1.1.5 लेखापरीक्षा योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैये के आधार पर जोखिम आकलन एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के साथ शुरू होती हैं। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा, लेन-देनों के नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं एवं महत्वपूर्ण लेखा-संबंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार, रख-रखाव का सत्यापन करते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर इसे सुलझाया नहीं जाता है तो, ये निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं एक प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों को इस आग्रह के साथ भेजी जाती है कि इसके जवाब एक महीने के अंदर सौंपे जाये। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश हेतु प्रसंस्कृत की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2015-16 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा राज्य के 334 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (आ. एवं सं. पदा.) और 17 स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। साथ ही, छह निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा भी किया गया।

1.1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के प्रति सरकार की उदासीनता

कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 21 बैठकें हुईं जिसमें 454 नि.प्र. एवं 2364 कंडिकाओं पर चर्चा हुई जिसमें 21 नि.प्र. एवं 494 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

उपरोक्त कार्यपद्धति के बावजूद, 30 सितम्बर 2016³ तक 4,103 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित कुल 23,352 लेखापरीक्षा अवलोकनों के जवाब लम्बित थे जैसा कि तालिका-1.1.4 में दिये गए हैं:

तालिका-1.1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	संबद्ध राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	2202	13294	17702.30
2.	सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैस सा.क्षे.उ.)	1901	10058	27727.87
कुल		4103	23352	45430.17

मार्च 2016 तक 33 विभागों से संबंधित 1,845 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (आ. एवं सं. प.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि सितम्बर 2016 के अंत तक 4,103 नि.प्र. से संबंधित ₹ 45,430.17 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की 23,352 कंडिकाएँ लंबित थे। इनकी वर्ष-वार स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1.1.1 एवं अनियमितताओं के प्रकार परिशिष्ट-1.1.2 में वर्णित है।

नि.प्र. के संकलित अवलोकनों पर विभागीय अधिकारी तय समय में कार्यवाई करने में असफल रहे फलस्वरूप उत्तरदायित्व का हास हुआ। उन्होंने लंबित 4,103 नि.प्र. में संकलित 23,352 कंडिकाओं के विरुद्ध केवल 2,393 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित 12,126 कंडिकाओं के संबंध में जवाब समर्पित किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार इन मामलों में रुचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

³ 31 मार्च 2016 तक निर्गत एवं 30 सितम्बर 2016 तक लंबित रहे नि.प्र. एवं कंडिकाएँ सम्मिलित हैं।

1.1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के लिए प्रतिक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वविवेक से कार्यवाई (व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ) प्रारंभ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा जाँचित विस्तृत टिप्पणियों को सुधारात्मक या प्रस्तावित कार्यवाई को इंगित करते हुए प्रस्तुत की जानी थी।

31 अगस्त 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के संबंध में प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका- 1.1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	राज्य विधान मंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या
सिविल/सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर पी.एस.यू. क्षेत्र)	2008-2009	13.8.2010	26	12	14
	2009-2010	29.8.2011	23	11	12
	2010-2011	06.9.2012	21	18	03
	2011-2012	27.7.2013	39	07	32
	2012-2013	05.8.2014	19	04	15
	2013-2014	27.8.2015	21	03	18
	2014-2015	15.03.2016	18	07	11
कुल			167	62	105

राज्य वित्त	2008-2009	13. 8.2010	12	शून्य	12
	2009-2010	29.8.2011	12	05	07
	2010-2011	06.9.2012	16	शून्य	16
	2011-2012	27.7.2013	13	शून्य	13
	2012-2013	05.8.2014	10	शून्य	10
	2013-2014	26.3.2015	09	शून्य	09
	2014-2015	15.03.2016	09	शून्य	09
कुल			81	05	76

1.1.7.1 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

झारखण्ड विधानसभा, कार्य एवं प्रक्रिया के नियम 315(2) के अंतर्गत स्थाई आदेश संख्या 41(1) के अनुसार लोक लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर विभागों द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष की गई कार्यवाही नोट प्रस्तुत करना था।

यह देखा गया कि लोक लेखा समिति, झारखण्ड ने वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सिविल के 01 उप-कंडिका तथा राज्य वित्त के 01 उप-कंडिका पर अनुशंसा की थी लेकिन उपरोक्त कंडिकाओं एवं उप-कंडिकाओं पर विभाग से कोई कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुआ।

1.1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन सहित आंतरिक नियंत्रण के गुणवत्ता में कई अहम कमियों, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, को उजागर किया है। विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखापरीक्षा करना तथा नागरिकों को सेवा प्रदेयता को सुधारने तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालिका को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करना प्रमुखता थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा विनिमय 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को अपना प्रत्युत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजना है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि झारखण्ड विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के कंडिकाओं को शामिल करने की संभावना के दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रधान महालेखाकार के साथ निष्पादन /अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गई।

प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबद्ध प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए अग्रसारित भी किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संबद्ध प्रशासनिक सचिवों को छः निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा और 18 लेखापरीक्षा कंडिकार्यें अग्रसारित की गयीं। निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित सभी मामले एवं प्रारूप कंडिकाओं के 18 मामलों में से 12 के जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.1.9 राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन-देनों, परिचालन संबंधि गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि. एवं म.प.) के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों (डी.पी.सी.) की धारा 19(2) तथा 19(3) के अनुसार राज्य में तीन स्वायत्त निकायों⁴ के लेखाओं की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं की प्रस्तुती, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने एवं इनका विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण को नीचे दर्शाया गया है:

(i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया। नि. एवं म.प. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया। यद्यपि सितम्बर 2016 तक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी वर्ष के लिये वार्षिक लेखे नहीं जमा किए गए।

(ii) झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के लिए नवंबर 2013 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) निर्गत किया गया था। राजा विधान मंडल में उनके प्रस्तुतीकरण को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 से 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए सुपूर्दगी प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2016) है।

(iii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि. एवं म. प.) के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों (डी.पी.सी.) की धारा 19(2) के अनुसार, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण किया गया है एवं वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. निर्गत किया गया है। यद्यपि, 2003-04 से 2011-12 के वर्षों के लिए राज्य विधान मंडल के समक्ष उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति के विषय में सितम्बर 2016 तक सूचित नहीं किया गया है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 और 2014-15 के वार्षिक लेखे क्रमशः फरवरी 2016 तथा जून 2016 में प्राप्त हुए हैं।

⁴ (i) रिम्स, (ii) झालसा और (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)

अध्याय-2

निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2.1 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा
- 2.2 झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलापों/सूत्रपात पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-2

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

2.1 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) अप्रैल 2005 में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती, जबावदेह, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना था। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना बनाना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और विभिन्न रोग नियंत्रक कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मौजूदा कार्यक्रमों को एक छतरी के अन्दर उपलब्ध कराना मिशन की कुछ प्रमुख रणनीति हैं। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा नीचे की जा रही है:

- राज्य लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत आवश्यक मानदंडों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को सृजित करने में गंभीर रूप से विफल रहा था। राज्य में आवश्यकता और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) और स्वास्थ्य उप केन्द्र (स्वा.उ.के.) के बीच कमी वर्ष 2011 में 45, 76 और 55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में क्रमशः 51, 79 और 60 प्रतिशत हो गया था क्योंकि रा.ग्रा.स्वा.मि. और राज्य का जोर, उन चिन्हित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण जहाँ चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, के जगह पर विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन पर केन्द्रित था।

(कंडिका 2.1.8.1)

- भारत सरकार के निधियों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-16 के दौरान केन्द्रांश निर्गम में ₹ 71.38 करोड़ और ₹ 273.40 करोड़ (16 और 49 प्रतिशत) के बीच कमी हुई। राज्यांश वर्ष 2012-13 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 70.28 करोड़ (38 प्रतिशत) और ₹ 187.53 करोड़ (99 प्रतिशत) कम निर्गत हुए, जिससे खराब वित्तीय प्रबंधन के संकेत मिलते हैं।

(कंडिकार्ये 2.1.10.1 और 2.1.10.2)

- 2011-15 के दौरान लेखापरीक्षित खातों में दिखाए गए अव्ययित शेषों और भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र में दिखाए गए अव्ययित शेषों के बीच ₹ 1076.70 करोड़ का बेमेलपन था। झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.) ने 2011-12 के बाद से बैंक समाशोधन विवरणियाँ तैयार नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. के रोकड़ बही के अंतिम शेषों और बैंक

शेषों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर (₹ 72 करोड़ तक) था। विभिन्न पक्षो/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 48.18 करोड़ के बकाया अग्रिम असमायोजित थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.06 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिकार्यें 2.1.10.3, 2.1.10.4 और 2.1.10.5)

- कुल 4.08 लाख संस्थागत प्रसवों में से, 3.21 लाख लाभार्थियों को प्रोत्साहन का भुगतान किया गया। इस प्रकार, 2011-16 के दौरान 87,098 लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (ज.सु.यो.) प्रोत्साहनों के ₹ 12.19 करोड़ के कुल देयताओं का भुगतान नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.10.8)

- भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (भा.लो.स्वा.मा.) के मानदण्डों के विरुद्ध, नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों (जि.अ.) में बिस्तर की कमी 50 और 76 प्रतिशत के बीच रही जबकि नमूना-जाँचित सा.स्वा.के. में बिस्तर की कमी 47 और 90 प्रतिशत के बीच रही।

(कंडिका 2.1.11.1 (i) & (ii))

- नौ कार्यरत स्वा.उ.के. के विरुद्ध, पश्चिमी सिंहभूम जिला में विभिन्न योजनाओं (राज्य निधि, एकीकृत कार्य योजना (आईएपी और रा.ग्रा.स्वा.मि.) के तहत स्वीकृति देने वाले विभागों के बीच पर्याप्त समन्वय के अभाव में नौ स्वास्थ्य उप केन्द्र के जगह 18 स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन निर्माण की योजना बनाई गयी जिसके कारण ₹ 165.10 लाख का व्यय बेकार हुआ। सा.स्वा.के. भवनो और विन्दापाथर के भवनों का उपयोग नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ का व्यय बेकार हुआ।

(कंडिकार्यें 2.1.11.3 और 2.1.11.4)

- भा.लो.स्वा.मा. मानदंडों के विरुद्ध, आवश्यक उपकरण जि.अ. स्तर पर 57 और 86 प्रतिशत के बीच, अनुमंडलीय अस्पताल (अ.अ.) स्तर पर 79 प्रतिशत, सा.स्वा.के. स्तर पर 44 और 92 प्रतिशत के बीच उपलब्ध नहीं थे। नमूना-जाँचित जि.अ. एवं सा.स्वा.के. में ₹ 2.59 करोड़ की मशीनें और उपकरण बेकार पड़े हुए थे। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मोबाइल मेडिकल यूनिट (मो.मे.यू.) वैसे स्थानों पर कार्य कर रहे थे जहाँ सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. पहले से परिचालित थे जिससे सुदूर क्षेत्रों के जरूरत मंद ग्रामीण लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया गया।

(कंडिकार्यें 2.1.12.1, 2.1.12.2 और 2.1.12.3)

- भा.लो.स्वा.मि. के मानदंडों के अनुसार और स्वीकृत बल (स्वी.ब.) की तुलना में, विशेषज्ञ चिकित्सक (92 और 78 प्रतिशत), चिकित्सा पदाधिकारी (61 और 36 प्रतिशत), स्टाफ नर्स/एग्ज्युलरी नर्स मिडबाइफ (ए.एन.एम.) (27 और 26 प्रतिशत) और पारामेडिक्स (52 और 40 प्रतिशत) की क्रमशः कमी थी।

(कंडिकार्यें 2.1.13.1 और 2.1.13.2)

• डायग्नोस्टिक जाँच आवश्यकता के विरुद्ध जिला अस्पतालों में 65 से 78 प्रतिशत तक नहीं की गई जबकि सा.स्वा.के. में 42 से 85 प्रतिशत तक नहीं की गई। नमूना-जाँचित किसी भी प्रा.स्वा.के. में आवश्यक प्रयोगशाला सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी। जि.अ. में 75 से 88 प्रतिशत, सा.स्वा.के. में 32 से 82 प्रतिशत तक, प्रा.स्वा.के. में 61 से 91 प्रतिशत तक एवं स्वा.उ.के. में 22 से 83 प्रतिशत तक आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध नहीं थी।

(कंडिकार्ये 2.1.15 और 2.1.16.1)

• ₹ 2.60 करोड़ की टाइफाइड, ह्यूमन इम्युनोडेफिसिएंसी वायरस (ह.इ.वा.) स्क्रीनिंग, यूरिन और हेपटाइटिस 'बी' परीक्षण उपकरणों का क्रय, सिविल सर्जन (सि. स.) दुमका और गिरिडीह द्वारा केन्द्रीय भंडार (के.भं) राँची से अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) दर से दो से तेरह गुणा दर पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। जिला अस्पताल दुमका और पश्चिमी सिंहभूम ने अनुमोदित अनुबंध दर से अधिक दर पर दवाओं/उपभोज्य वस्तुएँ को खरीदा और ₹ 42.86 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। दुमका में सहिया को घटिया पैरासिटामोल की 9028 बोतले आपूर्ति की गई।

(कंडिकार्ये 2.1.16.2, 2.1.16.3 एवं 2.1.16.4)

• राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई (रा.गु.आ.इ.) को जुलाई 2016 तक कार्यशील नहीं बनाया गया और नमूना-जाँचित जिलों में जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाईयों (जि.गु.आ.इ.) का गठन नहीं किया गया। जिला अस्पताल दुमका, गिरिडीह और जामताड़ा में वर्ष 2013-16 के दौरान कोई रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया। केवल 56 प्रतिशत मृत्यु लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

(कंडिकार्ये 2.1.17.2, 2.1.17.3, 2.1.17.5 और 2.1.17.6)

2.1.1 प्रस्तावना


राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) अप्रैल 2005 में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती, जबावदेह, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं लोक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कोर मूल्य, सार्वभौमिक पहुँच को आधार मानकर लोक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना एवं स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ते कीमत के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके अपने प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित कम करना हैं:

- शिशु मृत्यु दर (शि.मृ.द.) को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 से कम करना।
- मातृ मृत्यु दर (मा.मृ.द.) को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 करना।
- कुल प्रजनन दर (कु.प्र.द.) को 2017 तक 2.1 करना तथा इसे स्थिर रखना।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कमियों को दूर करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजनाओं को सुसाध्य बनाना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के वर्तमान कार्यक्रमों को एक छतरी के अन्दर प्रदान करना मिशन की प्रमुख रणनीति है।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सा.स्वा.के.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के.) एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्रों (स्वा.उ.के.) के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिन्हें राशि/उपकरण/औषधीय सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राज्य के बजट के तहत प्रदान की जाती हैं। रा.ग्रा.स्वा.मि., मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य मिशन (रा.स्वा.मि.) के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। रा.ग्रा.स्वा.मि., एक मिशन मोड कार्यक्रम है जो 2007 में गठित झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसायटी (झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.) और जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा कार्यावित की जाती है। इसके अंतर्गत शामिल विभिन्न एजेंसियों के ब्योरे नीचे दिए गए चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है:



2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) के विशिष्ट उद्देश्य थे;

- नमूना जाँच द्वारा प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य सुधार करने पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभाव का आकलन;
- भौतिक संरचनात्मक सुविधा की उपलब्धता का विस्तार;
- स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की उपलब्धता का विस्तार;
- प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता; तथा

- आंकड़ा संग्रहण, प्रबंधन प्रतिवेदन और अनुश्रवण की पद्धति का आकलन जो निष्पादन के संकेतों के रूप में कार्य करते हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए मानदंडों को निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किये गये;

- कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ढाँचा (2005-12 और 2012-17);
- वित्तीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन परिचालन दिशानिर्देशों;
- भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (भा.लो.स्वा.मा.) के दिशा-निर्देशों¹ 2012;
- लोक स्वास्थ्य सुविधाएँ 2013 में गुणवत्ता सुनिश्चित के लिए परिचालन दिशानिर्देशों;
- जिला अस्पतालों 2013 और सा.स्वा.के. (प्रथम रेफरल इकाई) 2014 में गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित मार्गदर्शिकाएँ।

2.1.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

रा.ग्रा.स्वा.मि. का निष्पादन लेखापरीक्षा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2011-16 की अवधि के लिए अप्रैल से अगस्त वर्ष 2016 तक राज्य में 24 जिलों में से 19 जिलों (मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के साथ), में आयोजित किया गया। उन्हें एक स्वास्थ्य सूचकांक और उनकी कोटि के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया। श्रेणी-I से (जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम) और श्रेणी II से (दुमका और गिरिडीह) प्रत्येक से दो जिलों एवं श्रेणी III से एक जिला (गुमला) का चयन किया गया और जिलों के अन्दर जिला अस्पताल और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, 13 सा.स्वा.के., 23 प्रा.स्वा.के. और 69 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (परिशिष्ट-2.1.1) को एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर² तरीके द्वारा चयन किया गया। चयनित नमूना इकाईयों के साथ-साथ अभियान निदेशक (झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। नमूना लाभुकों तथा प्रत्याचित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा/सहिया) से प्रश्नावली पर मंतव्यों को एकत्रित किया गया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण किये गये तथा इन निरीक्षणों के परिणामों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अभियान निदेशक, झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. के साथ 9 मार्च 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन की गयी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्ड एवं पद्धति पर चर्चा की गयी तथा उन पर सहमति प्राप्त की गयी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 21 नवम्बर 2016 को

¹ राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2013 को अपने संकल्प में भा.लो.स्वा.मा. के मापदंडों को अपनाया गया।

² सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट

आयोजित निकास सम्मेलन में लेखापरीक्षा के परिणामों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल लेखापरीक्षा परिणामों एवं अनुशंसाओं को निकास सम्मेलन में स्वीकार किया गया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दिए गए उत्तरों को उचित ढंग से प्रतिवेदन में शामिल किया गया।


2.1.6 अस्वीकार/सीमित क्षेत्र

विभिन्न स्तरों जैसे कि झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.और जि.ग्रा.स्वा.सो.³ से लगातार अनुरोध के बावजूद कुछ विशिष्ट अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए (परिशिष्ट-2.1.2) जिसके चलते उनका लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका। अभियंत्रण प्रमंडल के बन्द होने के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण संबंधी अभिलेख किसी भी स्तर पर, इस बहाना पर कि अभियंत्रण प्रमण्डल बन्द था, उपलब्ध नहीं कराये गए। उसी तरह, उसके 15 बैंक खातों से संबंधित अभिलेख झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए।

2.1.7 स्वास्थ्य देखभाल पर लोक व्यय (रा.ग्रा.स्वा.मि तथा राज्य बजट 2011-16)

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य पर बढ़ते लोक खर्च, सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का 2004-05 में 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2012 तक 2-3 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई, जबकि राज्यों को साल-दर-साल के आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत स्वास्थ्य के क्षेत्र पर अपने खर्च में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। यद्यपि, राज्य ने लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने निधि की वृद्धि की, फिर भी लोक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल खर्च 2011-15 के दौरान स.रा.घ.उ. का 0.74 और 0.90 प्रतिशत के बीच थी, जो लक्ष्य से काफी कम थी। 2011-16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद रा.ग्रा.स्वा.मि. निधियों सहित लोक व्यय का वर्ष वार ब्योरे निम्न प्रकार है:

राज्य लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने निधि में वृद्धि के बावजूद जी.एस.डी.पी. के 2-3 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा



* व्यय: राज्य बजट और एन आर एच एम निधियाँ

^ रा.ग्रा.स्वा.मि के अनुसार परिकल्पित व्यय: जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत

³ जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी दुमका, गुमला, गिरिडीह, जामताड़ा तथा पश्चिमी सिंहभूम

राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गए व्यय के ब्योरे नीचे तालिका-2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.1 स्वास्थ्य क्षेत्र पर वर्षवार व्यय के ब्योरे

₹ करोड़ में

वर्ष	रा.ग्रा.स्वा.मि सहित कुल व्यय	स.रा.घ.उ. ⁴	स.रा.घ.उ. पर व्यय का प्रतिशत	राज्य बजट से व्यय	वर्ष वार व्यय में वृद्धि (प्रतिशत)
2011-12	1265	150918	0.84	980	-
2012-13	1293	174724	0.74	946	-34 (-3.59)
2013-14	1569	188567	0.83	1133	187 (16.50)
2014-15	1959	217107	0.90	1609	476 (29.58)
2015-16	वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए	241955	अनुपलब्ध	2159	550 (25.47)

(स्रोत: ज्ञा.ग्रा.स्वा.मि.सो. और राज्य विनियोग लेखे द्वारा उपलब्ध आँकड़े)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.8 योजना, आंकड़ा संग्रहण, प्रबंधन और प्रतिवेदन

2.1.8.1 योजना

रा.ग्रा.स्वा.मि. का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यन्वयन की रूपरेखा खींचना हैं जो आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य कार्य योजना सुनिश्चित करेगा तथा वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए आधार तैयार करेगा। एन.एच.आर.एम. की गतिविधियों के लिए योजना बनाने में कमियाँ देखी गयी, जिसकी चर्चा नीचे की जाती है:

- **आधारभूत सर्वेक्षण:** रा.ग्रा.स्वा.मि. के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधारभूत सर्वेक्षण ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरतों की पहचान के लिए ग्राम स्वास्थ्य समितियों (ग्रा.स्वा.स.) द्वारा उनका वैधीकरण के साथ 2008 तक पूर्ण किया जाना था। हाँलाकि, राज्य में स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का आकलन करने और अयोग्य/सेवा से वंचित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए घर के सर्वेक्षण आयोजित नहीं किये गये।

- **सुविधा सर्वेक्षण:** राज्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सोसाइटी ने आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को शामिल किए बिना सुविधाओं की सूचना सीधे संबंधित प्रा.स्वा.के. से एकत्रित किया (2006-08) तथा ऐसी एकत्रित सूचानाओं को दिशानिर्देश के अनुसार ग्रा.स्वा.स. द्वारा वैधीकृत नहीं किया गया।

- **वार्षिक सुविधा सर्वेक्षण:** सभी स्तरों पर सुधारों एवं मौजूदा कमियों को पता लगाने के लिए वार्षिक सुविधा सर्वेक्षण आयोजित किया जाना था। इस आधार पर, वार्षिक योजना बनायी जानी थी। तथापि, किसी भी स्तर पर 2011-16 के दौरान कभी वार्षिक सुविधा सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया।

वर्ष 2011-16 के दौरान आधारभूत सर्वेक्षण और वार्षिक सुविधा सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया

⁴ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) आधार वर्ष - 2011-12

- आवश्यकता के विरुद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी: भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (भा.लो.स्वा.मा.) के अनुसार जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर रा.ग्रा.स्वा.मि. संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ (सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के.) द्वारा सेवा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। संस्था के स्तर के लिए जनसंख्या के अनुसार मापदंड नीचे तालिका-2.1.2 में दी जाती है:

तालिका-2.1.2 भा.लो.स्वा.मा. के मानदंडों के अनुसार सुविधा-वार जनसंख्या के ब्योरे

जनसंख्या	संस्था	क्षेत्र
80000	सा.स्वा.के.	जनजाति/पहाड़ी क्षेत्रों
120000		समतल क्षेत्रों
20000	प्रा.स्वा.के.	जनजाति/पहाड़ी क्षेत्र
50000		समतल क्षेत्रों
3000	स्वा.उ.के.	जनजाति/पहाड़ी क्षेत्र
5000		समतल क्षेत्रों

लेखापरीक्षा ने राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना तथा अनुमानित जनसंख्या 2016 के आधार पर आवश्यकताओं की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के.) में महत्वपूर्ण अंतराल पाया। अंतराल के ब्योरे नीचे तालिका-2.1.3 में दिए जाते हैं:

तालिका-2.1.3. आवश्यकता के विरुद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अंतराल

सुविधाओं के नाम	2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या	2011 के जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत	उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा	अंतराल 2011 (प्रतिशत)	2016 का अनुमानित जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार)	2016 के अनुमानित जनसंख्या के अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत	उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा	अंतराल 2016 (प्रतिशत)
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9 (7-8)
सा.स्वा.के.	32966238	344	188	156 (45)	36876857	385	188	197 (51)
प्रा.स्वा.के.		1376	330	1046 (76)		1540	330	1210 (79)
स्वा.उ.के.		8813	3958	4855 (55)		9858	3958	5900 (60)

(स्रोत: जनगणना 2011 और झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा प्रदत्त आँकड़ा)

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसे कि सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. की कमी में क्रमशः 45 से 51 प्रतिशत, 76 से 79 प्रतिशत एवं 55 से 60 प्रतिशत की वृद्धि पायी

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कि सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. और आवश्यकता के बीच क्रमशः 45, 76 एवं 55 प्रतिशत की कमी बढ़कर 2016 के अनुमानित जनसंख्या⁵ के अनुसार क्रमशः 51, 79 एवं 60 प्रतिशत हो गयी। इसका कारण यह है कि 2011-16 के दौरान रा.ग्रा.स्वा.मि. और राज्य का जोर सिर्फ सुविधाओं के

⁵ जिलावार प्रतिशतता दशकीय वृद्धि 2001-11 पर आधारित

उन्नयन के लिए सीमित था और जहाँ कोई भी चिकित्सा सुविधा अस्तित्व में नहीं है, वैसे क्षेत्र की पहचान के द्वारा अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए कोई योजनाएँ अभिलेख में नहीं थी। इससे सुधार के वजाय 2011-16 के दौरान सुविधाओं में कमी हुई। इस प्रकार, योजना स्वास्थ्य सुविधाओं में चिन्हित कमियों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को बनाने में असफल रहा।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना नहीं बनाये जा रहे हैं

- **राज्य वार्षिक कार्य योजना की तैयारी (पी.आई.पी):** रा.ग्रा.स्वा.मि. का योजना तथा बजट का नीचे से उपर जाने का दृष्टिकोण ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियाँ (ग्रा.स्वा. एवं स्व.स.) द्वारा ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना (ग्रा.स्वा.का.यो.) तैयार करने का अधिदेश देता है, जिसे राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (का.का.यो.) तैयार करने के लिए प्रत्येक स्तर पर समेकित किया जाना था। स्वा.उ.के., सा.स्वा.के. तथा जिला स्तरीय अभिलेखों की नमूना जाँच ने उद्घटित किया कि ग्रा.स्वा.का.यो. तैयार नहीं किये जा रहे थे। सा.स्वा.के. के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों (प्र.चि.प.) तथा प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (प्र.का.प्र.इ.) के कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिला स्तरों पर जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (जि.स्वा.का.यो.) तैयार किये जा रहे थे जिन्हें रा.स्वा.का.यो. के रूप में संकलित किया गया था। इस प्रकार, रा.स्वा.का.यो. निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार नहीं किया गया।

रा.स्वा.का.यो. की तैयारी में 36 से 219 दिनों और आर.ओ.पी. का अनुमोदन में 35 से 196 दिनों का विलम्ब

- **रा.स्वा.का.यो. की तैयारी और अनुमोदन में विलम्ब:** लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-16 के दौरान राज्य पी.आई.पी. को झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा 36 से 219 दिनों के विलम्ब⁶ से अनुमोदित किया गया। परिणामतः, अभिलेख की कार्यवाही (आर.ओ.पी.) प्रतिवेदन के रूप में राज्य पी.आई.पी. राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (रा.का.स.स.) द्वारा 35 से 196 दिनों की विलम्ब से अनुमोदित किया गया (परिशिष्ट-2.1.3)।

जवाब में, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। आगे, विभाग ने यह भी कहा कि ऑनलाइन तंत्र स्थानीय स्तर से योजना बनाने के लिए प्रारम्भ कर दिया गया है और यह शीघ्र ही पूरी तरह से कार्यरत होगा। तथ्य यह है कि उपरोक्त कमियों से योजना त्रुटिपूर्ण हो गई परिणामतः स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर और बढ़ गये।

स्वा.प्र.सू.प्र. में अंकित प्रदत्त तथा नमूना जाँच किए गए सुविधाएँ में उपलब्ध प्रदत्तों के बीच उल्लेखनीय विचलन हैं

2.1.9 स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली (स्वा.प्र.सू.प्र.)

रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत सृजित स्वा.प्र.सू.प्र. एक साधन है जिसमें सभी सुविधा स्तरों से स्वास्थ्य संबंधित आँकड़ा भरा जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के कृत्य का अनुश्रवण करने में उपयोग किया जाता है और तैयार किए गए प्रतिवेदनों के आधार

⁶ राज्य पी.आई.पी./वार्षिक कार्य योजना झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. में अनुमोदित किया जाना था और क्रमशः पूर्व वर्ष की 15वीं एवं 22वीं जनवरी को भारत सरकार को जमा करना था, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा 15वीं मार्च तक अनुमोदित किया जाना था।

पर नीतिगत पहलों को विकसित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित सुविधाओं में उपलब्ध आँकड़ों तथा स्वा.प्र.सू.प्र. पोर्टल में प्रविष्ट आँकड़ों के बीच तुलना की और सभी स्तर के सुविधाओं में उल्लेखनीय अन्तर पाया (परिशिष्ट-2.1.4)। आगे, प्रा.स्वा.के. तथा स्वा.उ.के. के बहुत से आँकड़ों के खाने खाली पाए गए। इस प्रकार, स्वा.प्र.सू.प्र. के प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

जवाब में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2016) कि स्वा.प्र.सू.प्र. में आँकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा।

2.1.10 वित्तीय प्रबंधन

रा.ग्रा.स्वा.मि. ('संसाधन आवृत') के तहत एक विशेष राज्य को एक वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित संसाधन में (क) अव्ययित शेष (ख) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विमुक्तियाँ एवं (ग) वर्ष के लिए देय राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल हैं। रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी 2011-12 के दौरान 85:15 एवं 2012-16 के दौरान 75:25 था। संसाधन आवरण को राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से विमुक्त निधियों से पूरा किया जाता था। निधियाँ जि.ग्रा.स्वा.सो. के माध्यम से जि.अ./सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. को निर्गत की गईं। 2011-16 के दौरान रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत कुल आवंटन, व्यय और अप्रयुक्त शेषों को तालिका-2.1.4. में सारणीबद्ध कर दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.4. कुल आवंटन, व्यय और अप्रयुक्त शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय	प्रारंभिक शेष	अन्य प्राप्तियों ⁷ सहित विमुक्तियाँ	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	अप्रयुक्त शेष (प्रतिशत)
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
2011-12	539.86	257.47	518.94	776.41	317.86	458.55 (59)
2012-13	741.11	458.55	402.34	860.89	389.08	471.81 (55)
2013-14	719.84	482.12 ⁸	527.29	1009.41	440.02	569.39 (56)
2014-15	756.33	569.39	328.29	897.68	351.61	546.07 (61)
2015-16	657.84	546.07	600.19	1146.26	वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये।	

(स्रोत: ज्ञा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़े, सी.ए. के वार्षिक लेखे और उ.प्र.)

लेखापरीक्षा ने रा.ग्रा.स्वा.मि. निधि से वित्तीय परिव्यय, खर्च और बचतों का विश्लेषण किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचा:


⁷ सूद की राशि

⁸ कैंसर का बचाव एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, मधुमेह रोग, हृदयवाहिनी रोग एवं दौरा (एन.पी.सी.डी.सी.एस.), बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) एवं राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.) के ₹ 10.31 करोड़ के कारण अंतशेष (2012-13) एवं आरंभिक शेष (2013-14) के बीच भिन्नताएँ थी जिसे वर्ष 2013-14 के लिए सी.ए. के वार्षिक लेखा में आरंभिक शेष में लिया गया।

2.1.10.1 निधि का उपयोग नहीं किया जाना

वर्ष 2011-15 के दौरान 55 और 61 प्रतिशत के बीच अप्रयुक्त शेष थे

झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखे एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) के अनुसार, वर्ष 2011-15 के दौरान अप्रयुक्त शेष 55 और 61 प्रतिशत के बीच रही जो कमजोर कार्यक्रम प्रबंधन का संकेत देता है। आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण कम व्यय के परिणामस्वरूप लक्षित लाभार्थियों के लिए सेवाओं की उपलब्धता अपर्याप्त थी जैसा नीचे के अवलोकनों में आपत्ति उठायी गयी सोसाइटी का व्यय उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत से कभी अधिक नहीं था जैसा कि संलग्न चार्ट में देखा जा सकता है।



झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. के द्वारा राज्य पी.आई.पी. की विलम्बित तैयारी एवं अनुमोदन और विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा पदाधिकारियों, स्टाफ नर्स, पारा-मेडिक्स की भारी कमी (कंडिका 2.1.13.1) निधि को खर्च करने में असमर्थता (कंडिका 2.1.8) के मुख्य कारण थे।

जवाब में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2016) कि अप्रयुक्त शेषों का मिलान कर शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

2.1.10.2 लगातार कम व्यय के कारण कम विमुक्तियाँ

लगातार कम व्यय होने के कारण भारत सरकार का ₹ 71.38 करोड़ और ₹ 273.40 करोड़ के बीच निधियाँ कम निर्गत होना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि भारत सरकार के निधि का लगातार उपयोग करने में असमर्थता के कारण केन्द्रांश की विमुक्ति में कमी थी, जो 2011-16 के दौरान ₹ 71.38 करोड़ और ₹ 273.40 करोड़ (16 और 49 प्रतिशत) के बीच थी (समग्र 32 प्रतिशत कम विमुक्ति)। राज्यांश के मामले में क्रमशः 2012-13 और 2014-15 के दौरान ₹ 70.28 करोड़ (38 प्रतिशत) और ₹ 187.53 करोड़ (99 प्रतिशत) कम विमुक्ति थी तथा राज्य के द्वारा कम/अधिक बजटीय प्रावधानों के कारण अन्य तीन वर्षों में अधिक किया गया। वर्ष 2013-14 से राज्य सरकारों द्वारा शर्तों के पूर्ति करने पर भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (2013-14 से कार्यान्वित) निर्गत किये जाने थे। झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. के पास इसके निर्धारण से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। हाँलाकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2013-16 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 160.06 करोड़ की प्रोत्साहन राशि निर्गत नहीं की थी (परिशिष्ट-2.1.5)।

जवाब में, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि भविष्य में पूर्ण विमुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुदान की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

2.1.10.3 अव्ययित शेषों में बेमेलपन

योजना के दिशानिर्देश के अनुसार, झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा भारत सरकार को संवितरित अनुदान और अव्ययित शेषों के विरुद्ध वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि प्रमाणित करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किये जाने थे। सी.ए. द्वारा तैयार 2011-15 के वार्षिक लेखों पर आधारित उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये। वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा ने अभिलेखों के दो सेटों में अप्रयुक्त शेषों में बेमेलपन उद्घटित किया जैसा तालिका-2.1.5 में दिखाया गया:

तालिका-2.1.5 भारत सरकार को प्रस्तुत उ.प्र. में अव्ययित शेषों का छिपाव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक लेखे के अनुसार अव्ययित शेष	भारत सरकार को प्रस्तुत उ.प्र. के अनुसार अव्ययित शेष	अव्ययित शेषों का बेमेलपन
2011-12	458.55	234.47	224.08
2012-13	471.81	176.07	295.74
2013-14	569.39	30.58	538.81
2014-15	546.07	528.00	18.07
2015-16	वार्षिक लेखे अभी तक तैयार नहीं किये गये		
कुल	2045.82	969.12	1076.70

(स्रोत: झा.ग्रा.स्वा.मि.सो., सी.ए. प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र)

वार्षिक लेखों और उ.प्र. के बीच अव्ययित शेष के बेमेलपन के परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 1.03 करोड़ उन गतिविधियों पर व्यय किया हुआ पाया गया जो आर.ओ.पी. के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं था

इस प्रकार, लेखापरीक्षित लेखे में ₹ 2045.82 करोड़ की वास्तविक अव्ययित शेषों के विरुद्ध 2011-15 के दौरान उपयोगिता प्रमाणपत्र में केवल ₹ 969.12 करोड़ दर्शाया गया। इससे 2011-15 के दौरान राज्य/जिला संस्थाओं के लेखाओं में ₹ 1076.70 करोड़ का बेमेलपन प्रकट हुआ जिसमें ₹ 51.19 करोड़ का अर्जित ब्याज (ब्याज का 91 प्रतिशत) शामिल था (परिशिष्ट-2.1.6)। इसमें ₹ 1.03 करोड़ उन गतिविधियों (परिशिष्ट-2.1.7) पर खर्च पाया गया जो चार जिलों में आर.ओ.पी. के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं थी।

जवाब में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2016) कि प्रारम्भ में राज्य विमुक्तियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र में नहीं दर्शाया गया जो आंकड़ों के विसंगति का कारण बना। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों का मिलान कर लिया जायेगा।

2.1.10.4 बैंक समाशोधन

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक समाशोधन विवरणी (बै.स.वि.) आगामी माह के 10वें दिन तक रोकड़ पंजी और बैंक पास बुक मिलान कर मासिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक खाता के लिए अलग बै.स.वि. तैयार किया जाना चाहिए। झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा संधारित 39 बैंक खातों के संधारण में से 23 बैंक खातों (परिशिष्ट-2.1.8(अ)) की विवरणियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये जबकि शेष 16 बैंक खाते अनेक आग्रह करने के बावजूद भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किये गये (परिशिष्ट-2.1.8(ब))। सी.ए. प्रतिवेदन और उपलब्ध करायी गयी विवरणी से, लेखापरीक्षा को पता चला कि 2011-12 से झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा बै.स.वि. तैयार नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने आगे बैंक शेषों और झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.

2011-12 से बैंक समाशोधन समाधान विवरणी नहीं बनाये जाने के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अंतर था

का रोकड़ पंजी के अंतशेषों के बीच ₹ 72 करोड़ तक का अर्थपूर्ण अंतर पाया। (परिशिष्ट-2.1.8(स))। ₹ 72 करोड़ का अन्तर अधिकांश भुगतान आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से करने के बावजूद पाया गया, इसके अलावा झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा 16 बैंक खातों के माध्यम से लेन-देनों के खुलासा नहीं करना दुर्विनियोग/धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था। इस विसंगति का समाशोधन और अनुसंधान की जरूरत है।

जोखिम को आगे इस तथ्य द्वारा बल मिला कि जिला अस्पताल दुमका में दवा आपूर्ति करने वाली एक एजेंसी और पारामेडिक्स का वेतन के लिए जनवरी और जुलाई 2014 के दौरान तीन चेकों द्वारा ₹ 3.60 लाख संवितरित किया गया। जबकि बैंक विवरणी की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि इन सभी निर्गत चेकों के विरुद्ध ₹ 4.03 लाख बैंक खातों से घटा दिया गया। इस प्रकार, ₹ 0.43 लाख का अधिक डेविट था जो अगस्त 2016 तक एजेंसी और पारामेडिक्स को अधिक संवितरित राशि के रूप में पड़ा रहा। अधिक संवितरण का पता लगाया जा सकता था यदि जिला अस्पताल द्वारा बैंक लेखे तथा रोकड़ पंजी का नियमित समाशोधन सुनिश्चित किया जाता। अधिक डेविट के अनुसंधान की आवश्यकता है।

जवाब में, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। तथा यह भी कहा गया कि संवितरण को सत्यापित किया जाएगा और जिम्मेदारियों तय की जायेगी।

2.1.10.5 बकाये अग्रिम

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन इकाइयों, कर्मियों और बाह्य पक्षों/आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए विभिन्न अग्रिमों को अभिलेखित करने के लिए विस्तृत अग्रिम पंजी और अग्रिम ट्रेकिंग पंजी संधारित करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी में इन्हें संधारित नहीं किया जा रहा था। सी.ए. प्रतिवेदनों (2011-12 से 2014-15⁹) की संवीक्षा से विभिन्न पक्षों/अधिकारियों/ कर्मियों के विरुद्ध ₹ 48.18 करोड़ लंबित बकाया अग्रिम उद्घाटित हुआ। जिन उद्देश्यों के लिए अग्रिम दिये गये वे वार्षिक लेखे के अनुसूचियों में शामिल नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 35 पक्षों/अधिकारियों के पास ₹ 5.32 करोड़ के अग्रिम की राशि चार वर्षों से अधिक अवधि से बकाये थे और 14 मामलों में ₹ 33.04 करोड़ के अग्रिम की राशि चार वर्षों से बिना समायोजन के मार्च 2015 तक बकाये थे।
- 79 मामले में ₹ 43.73 करोड़ के अग्रिम की राशि जो मार्च 2015 तक कुल अग्रिम का 91 प्रतिशत था, एक वर्ष से अधिक समय से बिना किसी समायोजन के पड़े थे। बैंको द्वारा दिए गए साधारण ब्याज की चार प्रतिशत की दर पर की गई

⁹ वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखे का अद्यतन स्थिति अभी तक तैयार नहीं किया।

संगणना के अनुसार असमायोजित अग्रिम पर कम से कम ₹ 7.06 करोड़ की हानि हुई होगी (परिशिष्ट-2.1.9)।

• 55 कर्मियों में से जिनके विरुद्ध ₹ 31 लाख बकाया था (परिशिष्ट-2.1.10), 26 कर्मी जिनके पास ₹ 21.56 लाख के अग्रिम बकाये थे, वर्तमान में झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसायटी में कार्यरत नहीं थे जो उनके बकाये अग्रिम के निपटारे को अल्प संभावित बनाता है। आगे, इस तरह के लम्बी अवधि के बकाये अग्रिमों का दुरुपयोग/दुर्विनियोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जवाब में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2016) कि बकाये अग्रिमों की वसूली की जायेगी।

2.1.10.6 सुविधा निधियों का अनियमित विमुक्ति/व्यय

वित्तीय प्रबन्धन कार्यान्वयन मार्गदर्शिका, 2012 के अनुसार अनाबद्ध निधि (अ.नि.), अस्पताल प्रबन्धन संस्था निधि (अ.प्र.सं.) उन स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं जैसे जि.अ./रे.अ./सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. को दिया जाना था जहाँ संस्थागत प्रसव संचालित किये जाते हैं। वार्षिक अनुरक्षण अनुदान (वा.अ.अ.) सरकारी भवन में क्रियाशील सुविधाओं के लिये प्रदान किये जायेंगे।

अ.नि., वा.अ.अ. एवं अ.प्र.सं. निधियों अनियमित रूप से निर्गत किये गये जहाँ जि.अ. एवं रे.अ. पहले से ही अस्तित्व में थे

रिकार्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (रि.आँ.प्रो.) में उन सा.स्वा.के. के लिए जो प्रखण्ड मुख्यालय (सदर प्रखण्ड) में हैं और जहाँ जि.अ. एवं रे.अ. अवस्थित हैं वहाँ अ.नि., वा.अ.अ. एवं अ.प्र.सं. निधियों का प्रावधान नहीं किया गया था। तीन नमूना-जाँचित जिलों¹⁰ में लेखापरीक्षा ने पाया की ₹ 21 लाख अ.नि./वा.अ.अ./अ.प्र.सं. निधियाँ (परिशिष्ट-2.1.11) अनियमित रूप से जामताड़ा, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम के सदर सा.स्वा.के. के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों (प्र.चि.प.) को निर्गत की गयी जो सदर क्षेत्र के प्रा.स्वा.के. पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। उसमें से ₹ 25.08¹¹ लाख प्र.चि.प. द्वारा 2011-16 के दौरान व्यय किये गये।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जामताड़ा ने कहा कि सा.स्वा.के. प्रखण्ड स्तरीय प्रशासन के एक भवन में संचालित थे और प्रतिरक्षण केन्द्र, एवं परिवार नियोजन शिविर जैसे विभिन्न सेवाएँ प्रदान किये गये थे इस कारण प्रशासनिक व्यय की आवश्यकता थी। जवाब अस्पताल आधारित अनुदानों का दूसरे कार्यों के लिए उपयोग सम्पुष्ट करता है। राज्य असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर जवाब नहीं दिये।

¹⁰ दुमका, जामताड़ा एवं पश्चिमी सिंहभूम

¹¹ पूर्व वर्ष के शेषों सहित

2.1.10.7 अनुपयोगी निधियाँ

2011-12 के पूर्व की निधियों को नया वर्ग में नहीं मिलाया गया। परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक ₹ 5.32 करोड़ बैंक खाता में रखा पाया गया

झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.द्वारा 2011-12 के पूर्व रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत वर्गवार आवंटन नहीं किया गया जिसके कारण दुमका जि.ग्रा.स्वा.सो. में आर.सी.एच., रा.ग्रा.स्वा.मि. एवं रूटीन इम्यूनाइजेशन (आर.आई.) का प्राप्त ब्याज के साथ अंतशेष ₹ 5.32 करोड़ को 2011-12 के बाद नया वर्गवार (आर.सी.एच. फ्लैक्सी पूल, रा.ग्रा.स्वा.मि. फ्लैक्सी पूल, एवं आर.आई.) आवंटन में नहीं मिलाया गया यह राशि अभी भी मार्च 2016 तक एक अलग बैंक खाता खोलकर पूर्ववर्ती उद्देश्य के लिए रखी पायी गयी।

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

2.1.10.8 जे.एस.वाई. लाभकों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया

ज.सु.यो. प्रोत्साहन ₹ 12.19 करोड़ का भुगतान 87,098 लाभकों को नहीं किया गया

जननी सुरक्षा योजना (ज.सु.यो.) रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। यह प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल के साथ रोकड़ सहायता को संस्थागत प्रसव की माँग सृजित करने के लिए एकीकृत करता है। संस्थाओं (जि.अ., सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के.) में प्रत्येक प्रसव संचालित करने के लिए ₹ 1400 का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना है। पाँच नमूना-जाँचित जिलों में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2011-16 के दौरान 4.08 लाख संस्थागत प्रसवों के विरुद्ध 3.21 लाख लाभकों को ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार, 2011-16 दौरान 87,098 लाभकों को ₹ 12.19 करोड़ का जननी सुरक्षा योजना प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। (परिशिष्ट-2.1.12)

जवाब में विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा (नवम्बर 2016) कि वर्तमान में भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था (सा.वि.प्र.व्य.) के द्वारा किया जा रहा था एवं देर होने के कारण बैंक खाता संख्या का मेल नहीं खाना है। देयताओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। सच्चाई है कि 51,447 लाभकों को अभी भी प्रोत्साहन का भुगतान किया जाना था।

2.1.11 भौतिक बुनियादी ढाँचा की उपलब्धता

रा.ग्रा.स्वा.मि. का लक्ष्य वर्तमान भौतिक आधारभूत संरचना और नया निर्माण या जीर्णोद्धार जैसा आवश्यक हो, के माध्यम से क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के वर्तमान क्षमता में कमियों को भरना है। लेखापरीक्षा ने, इस अधिदेश को लागू करने में कमियों का अवलोकन किया जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

2.1.11.1 रोगशय्या क्षमता में कमी

नमूना-जाँचित जिलों के जि.अ., सा.स्वा.के., अ.अ. एवं प्रा.स्वा.के. में रोगशय्या क्षमता की महत्वपूर्ण कमी थी

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड जनसंख्या¹² के आधार पर जिला अस्पताल (जि.अ.) के लिए रोगशय्या की क्षमता निर्धारित करता है। मानदण्ड यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि अ.अ., सा.स्वा.के. एवं प्रा.स्वा.के. के लिए कम से कम क्रमशः 50, 30 एवं छः

¹² रोगशय्या की आवश्यकता = जनसंख्या x 1/50 x 80/100 x 1/365

रोगशय्या हो। लेखापरीक्षा ने चयनित इकाईयों के भ्रमण द्वारा प्रस्तावित रोगशय्या की संख्या को उपलब्ध रोगशय्या की संख्या से तुलना किया एवं निम्नवत् अवलोकन किया:

(i) जिला अस्पताल

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड के अनुसार, जनगणना 2011 के आधार पर पाँच चयनित जिलों¹³ के जि.अ. में रोगशय्या की आवश्यकताएँ 200 से 500 के मध्य होनी चाहिए। इसके विरुद्ध चयनित जिलों के जि.अ. में मात्र 100 से 120 बिस्तर उपलब्ध थे और रोगशय्या क्षमताओं में कमी 100 (50 प्रतिशत) से 380 (76 प्रतिशत) थी। ब्योरे नीचे तालिका-2.1.6 में दिये गये:



तालिका-2.1.6 चयनित जिलों में रोगशय्या क्षमता की आवश्यकता के ब्योरे

क्रमांक	जिला	जनसंख्या (जनगणना 2011)	निर्धारित रोगशय्या की क्षमता	उपलब्ध रोगशय्या क्षमता	कमी (रोगशय्या की संख्या/प्रतिशत में)
1.	दुमका	1321096	300	100	200 (67)
2.	गिरिडीह	2445203	500	120	380 (76)
3.	गुमला	1025656	200	100	200 (67)
4.	जामताड़ा	790207	200	100	100 (50)
5.	पश्चिमी सिंहभूम	1501619	300	100	200 (67)

(स्रोत: जि.ग्रा.स्वा.सो.)

तालिका-2.1.6 में यह देखा जा सकता है कि रोगशय्या क्षमता की कमी सबसे ज्यादा गिरिडीह में 76 प्रतिशत है और सबसे कम 50 प्रतिशत जामताड़ा में है।

(ii) समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

निर्धारित 30 बिस्तर की आवश्यकता के विरुद्ध 12 में से 10 चयनित सा.स्वा.के. में रोगशय्या क्षमता में कमियाँ 14 (47 प्रतिशत) से 27 (90 प्रतिशत) के मध्य

¹³ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम

था। (परिशिष्ट-2.1.13)। सब से खराब स्थिति टोन्टो एवं बगोदर सा.स्वा.के. में थी जो प्रत्येक तीन-तीन रोगशय्या के साथ कार्यरत थे।

(iii) अनुमण्डल अस्पताल

एक चयनित अ.अ. में, 50 आवश्यक बिस्तरों के विरुद्ध 8 (16 प्रतिशत) रोगशय्या की कमी थी (परिशिष्ट- 2.1.13)।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

नमूना-जाँचित 23 प्रा.स्वा.के. के रोगशय्या क्षमता की नमूना जाँच में उद्घटित हुआ कि:

- छः बिस्तरों की आवश्यकता के विरुद्ध तीन प्रा.स्वा.के.¹⁴ (13 प्रतिशत) के पास रोगशय्या नहीं था और वे स्वा.उ.के./पुराने ओ.पी.डी. भवन में कार्यरत थे और
- छः बिस्तरों की आवश्यकता के विरुद्ध तेरह प्रा.स्वा.के.¹⁵ के पास रोगशय्या क्षमताएँ एक से तीन के बीच थी।

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि भौतिक आधारभूत संरचना की सुधार का प्रयास किया जा रहा था। हाँलाकि, इसको सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.1.11.2 संचालन स्थितियाँ

राज्य सरकार ने अपने वार्षिक योजना 2012-13 में रा.ग्रा.स्वा.मि. और राज्य योजना निधियों के माध्यम से रोगशय्या क्षमता और सम्बद्ध सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल मौजूदा सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. निर्माण एवं उत्क्रमण करने की योजना बनाई। निर्माण/उत्क्रमण का विस्तृत विवरण (अक्टूबर 2015 तक) नीचे तालिका-2.1.7 में दिया गया:

तालिका-2.1.7 राज्य में सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. की आवश्यकता का विवरणी

क्रमांक	सुविधा का नाम	वर्तमान सुविधा	वर्तमान सुविधा में निर्माण/उत्क्रमण योजना	निर्माण/उत्क्रमण पूर्ण किया	निर्माणाधीन/ नहीं लिया गया	अपर्याप्त सुविधाएँ/पुराने भवन के साथ संचालित
	1	2	3	4	(3-4)	(2-4)
1	सा.स्वा.के.	188	162	73	89	115
2	प्रा.स्वा.के.	330	196	65	131	265
3	स्वा.उ.के.	3958	1402	728	674	3230

(स्रोत-राज्य एन.एच.एम.)

115, 265 एवं 3230 सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. में अपर्याप्त रोगशय्या होने के कारण सीमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई

तालिका-2.1.7 से यह स्पष्ट है कि क्रमशः 115, 265 एवं 3230 सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. अपर्याप्त रोगशय्या क्षमता/सुविधाओं के साथ भवनों में कार्यरत थे। परिणामतः सेवित जनसंख्या को सीमित स्वास्थ्य सेवाएँ दी गई।

¹⁴ आनन्दपुर, धान्द्रा और मालूटी

¹⁵ अम्बा, अटका, बरमसिया, बरपलासी, भण्डो, बिन्दापाथर, चिकनिया, दूरिया, जूरिया, कुरगी, निमियाघाट, सूरिया और तुलाडीह।

आगे, चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं के परिचालन स्थिति के भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि:

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- तीन नमूना-जाँचित प्रा.स्वा.के.¹⁶ अस्तित्व में नहीं थे एवं उनकी निधियाँ/कार्यबल का उपयोग उनसे जुड़े दो सा.स्वा.के. (पालकोट एवं टोन्टो) द्वारा किया जा रहा था।
- पाँच प्रा.स्वा.के.¹⁷ अन्य सरकारी भवनों में जैसे आंगनवाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन आदि में कार्यरत थे।
- पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्रा.स्वा.के. आन्नदपुर के नव निर्मित भवन को 2011-12 से केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल (के.सु.पु.ब.) ने कब्जा किया हुआ था जबकि प्रा.स्वा.के. पुराना ओ.पी.डी. भवन में कार्यरत था।

स्वास्थ्य उप केन्द्र

पाँच नमूना-जाँचित जिलों¹⁸ में 69 चयनित स्वा.उ.के. में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- बारह स्वा.उ.के.¹⁹ किराया के भवन में कार्यरत थे।
- पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में टाईप बी²⁰ के दो स्वा.उ.के.²¹ में रोगशय्या नहीं थे।
- 11 स्वा.उ.के.²² अन्य सरकारी भवनों जैसे आंगनवाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन आदि में कार्यरत थे।



प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के. मलूटी शिकारीपारा, दुमका
एक ही भवन में संचालित



चक्रधरपुर अनुमंडल प. सिंहभूम में आंगनवाड़ी केन्द्र में
संचालित स्वा.उ.के. धानगांव

¹⁶ बिलीगबीरा, टोन्टोग्राम और टोन्टो मुख्यालय।

¹⁷ अटका चेकनिया, धान्द्रा, मलूटी और सरिया।

¹⁸ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

¹⁹ बलगोह, बानगुरु, बीराजपुर, देवगाँव, खरखरी, खटांगबेरा, जकीलता, लुयिया, पिथारटोली, पदमपुर टेनसेरा और तिरिलपोसी।

²⁰ टाईप 'बी' स्वा.उ.के. द्वारा सामान्य प्रसव की सुविधा प्रदान करने की उम्मीद की जाती थी।

²¹ टोन्टो और समीज

²² अटका, बागोडीह, धनगाँव, गेरिया, लिलाकारी, मनड्रामो, मुन्डरो, नगर केशवाई, मलूटी, मोहनपुर और सेरेंगसीया।

इस प्रकार, लक्षित जनसंख्या को रोगशय्या क्षमता की कमी/अभाव के कारण, आवश्यक सेवाएँ विशेषतः अन्तर रोगियों की सेवा से वंचित किया जा रहा था।

जवाब में विभाग ने कहा कि (नवम्बर 2016) भौतिक बुनियादी संरचना की उपलब्धता को बेहतर करने के प्रयास किये जायेंगे।

2.1.11.3 मानदण्डों से इतर अतिरिक्त स्वा.उ.के. का निर्माण

स्वा.उ.के. जिन स्थानों पर पहले से थे वहाँ अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया गया

भा.लो.स्वा.मा.के मानदण्डों के अनुसार, 3000 से 5000 की जनसंख्या के लिए एक स्वा.उ.के. की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने पश्चिमी सिंहभूम जिला में 9 स्वा.उ.के. के लिए विभिन्न योजनाओं (राज्य निधि, आई.ए.पी. और रा.ग्रा.स्वा.मि.) के तहत 18 भवनों का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से पाये गये:

- ए.आई.पी. निधियों के तहत चार स्वा.उ.के.²³ भवन का निर्माण (दिसम्बर 2011) ₹ 84.95 लाख की लागत से किया गया और इन स्वा.उ.के. भवनों का निर्माण पुनः (दिसम्बर 2015) दूसरी निधि (रा.ग्रा.स्वा.मि. निधि के तहत तीन एवं राज्य निधि के तहत एक) से ₹ 97.07 लाख की लागत से किया गया;
- मनोहरपुर प्रखण्ड के मकरंडा के एक स्वा.उ.के. के लिए नवम्बर 2011 में ₹ 42.78 लाख की लागत से आई.ए.पी. के तहत दो भवन (प्रत्येक की लागत ₹ 21.39 लाख) निर्मित किये गये;
- कुमारडूंगी प्रखण्ड के कुसमिता स्वा.उ.के. के लिए आई.ए.पी. के तहत एक भवन का निर्माण अप्रैल 2011 से निर्माणाधीन है जिस पर (जुलाई 2016) ₹ 9.63 लाख व्यय किया गया जबकि रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत ₹ 22.75 लाख की लागत से उसी स्थान पर एक अन्य स्वा.उ.के. भवन का निर्माण (अप्रैल 2015) किया गया;
- रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत ₹ 46.27 लाख लागत से दो स्वा.उ.के.²⁴ भवन निर्मित (अप्रैल 2015) किये गये। तथापि स्वा.उ.के. के लिए अलग से दो भवन अगस्त 2014 से राज्य निधि से निर्माणाधीन है जिस पर मार्च 2015 तक ₹ 22.67 लाख व्यय किया गया;
- मंझारी प्रखण्ड के पुटेसिया में स्वा.उ.के. के लिए ₹ 18.25 लाख की लागत से आई.ए.पी. के तहत एक भवन निर्मित (दिसम्बर 2011) किया गया पर फिर से अगस्त 2014 में अन्य भवन राज्य निधि से निर्माण करने के लिए लिया गया है जिस पर मार्च 2015 तक ₹ 14.34 लाख व्यय किया गया।

उपरोक्त बताये गये गाँवों की जनसंख्या 1378 से 2548 के बीच थी। अतः एक ही जगह जहाँ पर पहले से स्वा.उ.के. का भवन है के लिए अतिरिक्त स्वा.उ.के. भवन का निर्माण भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड का उल्लंघन था। इस प्रकार विभागों के आपसी तालमेल में कमी एवं सरकार द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप

²³ चिटमिटी, कलेन्डा, पिल्का और पुरनापानी।

²⁴ नकटी और पुर्निया।

₹ 165.10 लाख निरर्थक व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.1.14 (अ) एवं (ब)) एवं उन स्थानों में जहाँ इनकी वास्तविक रूप से जरूरत थी वहाँ स्वा.उ.के. के निर्माण से वंचित किया गया।

जबाब में, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि दोहरा निर्माण सत्यापित किया जायेगा और जबावदेही तय की जायेगी।

2.1.11.4 अनुपयोगी स्वास्थ्य केन्द्र भवन

- गुमला जिले में ₹ 2.75 करोड़ की लागत से बना भरनो सा.स्वा.के. अगस्त 2014 में हस्तांतरित किया गया जिसका खराब पहुँच पथ, मशीनों, उपकरणों की कमी एवं मानव बल की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा था।

₹ 2.89 करोड़ के लागत में निर्मित सा.स्वा.के. भरनो एवं बिंदापाथर उपयोग नहीं किये जा रहे थे



सा.स्वा.के. भरनो, गुमला के लिए निर्मित भवन अप्रयुक्त



स्वा.उ.के. और प्र.स्वा.के. बिंदापाथर सन्युक्त रूप से छोटा लाल भवन में संचालित जबकि चित्र में दिखाया गया भवन अप्रयुक्त

- इसी तरह जामताड़ा जिला में ₹ 14.49 लाख की लागत पर निर्मित बिंदापाथर स्वा.उ.के. जनवरी 2015 में हस्तांतरित किया गया जिसका आज तक (अक्टूबर 2016) उपयोग नहीं किया गया।

जवाब में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं ऐसे भवनों को मशीनों/उपकरणों के क्रय द्वारा एवं मानव बल स्वीकृत कर क्रियाशील बनाने का आश्वासन दिया (नवम्बर 2016)।

2.1.11.5 कर्मचारी आवास की उपलब्धता

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड 2012 के अनुसार, 24x7 सेवा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी स्वास्थ्य एवं सहायक स्वास्थ्य कर्मियों को आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड 2012 के अनुसार 1053 आवास की आवश्यकता के स्थान पर 66 नमूना-जाँचित स्वास्थ्य संस्थानों में 300 आवास उपलब्ध थे जैसा नीचे तालिका-2.1.8 में ब्योरा दिया गया:

नमूना-जाँचित स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये आवश्यक 1053 के विरुद्ध 300 कर्मचारी आवास उपलब्ध थे

तालिका-2.1.8 कर्मियों के लिए आवास की आवश्यकता एवं उपलब्धता

स्वास्थ्य संस्था	स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या	भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड के तहत कर्मियों आवासों की आवश्यकता	उपलब्ध कर्मियों आवास	कर्मियों आवासों की कमी (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5 (3-4)
जि. अ.	5	500	194	306 (61)
सा.स्वा.के./अ.अ.	13	247	72	175 (71)
प्रा.स्वा.के.	21	252	18	234 (93)
स्वा.उ.के. (अ वर्ग ब)	27	54	16	38 (70)
	66	1053	300	753 (72)

कर्मियों आवासों की कमी, विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का एक कारण हो सकता है। पुनः स्वास्थ्य संस्थाओं के नजदीक उपयुक्त आवासों की व्यवस्था नहीं होने से 24 घंटे कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि भौतिक आधारभूत संरचना को बेहतर करने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.12 उपकरण क्रय एवं उपलब्धता

2.1.12.1 स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण की अनुपलब्धता

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड 2012, विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रत्येक स्तर के लिए अनुशंसित सेवाओं के आधार पर उपकरण की अनुशंसा करता है। मानदण्ड द्वारा अनुशंसित जि.अ. के लिए 336 उपकरण, सा.स्वा.के. के लिए 264 उपकरण एवं अ.अ. के लिए 132 उपकरण के विरुद्ध चयनित संस्थाओं में नमूना-जाँचित सेवाओं के लिए उपलब्ध उपकरण का विवरण निम्न है:

- पाँच जि.अ. के नमूना-जाँचित सेवाओं²⁵ के लिए 336 आवश्यक उपकरण की आवश्यकता के विरुद्ध 191 (57 प्रतिशत) से 289 (86 प्रतिशत) उपकरण उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट-2.1.15) जबकि एक अ.अ. के नमूना-जाँचित सेवाओं के लिए 132 आवश्यक उपकरण की आवश्यकता के विरुद्ध 104 (79 प्रतिशत) उपकरण उपलब्ध नहीं थे। (परिशिष्ट-2.1.16)

नमूना-जाँचित स्वास्थ्य संस्था में भा.लो.स्वा.मा. प्रावधान के तहत आवश्यक उपकरण जि.अ. में 57 से 86 प्रतिशत अ.अ. में 79 प्रतिशत एवं सा.स्वा.के. में 44 से 92 प्रतिशत कम उपलब्ध थे

²⁵ इमेजिंग उपकरण, एक्स-रे रूम एसेसरीज, कॉर्डियो-प्लूमोनरी उपकरण, प्रसूतिकक्ष, नवजात एवं विशेष नवजात सुविधा इकाई (एस.एन.सी.यू.) प्रतिरक्षण उपकरण, कान नाक गला (इ.एन.टी.) उपकरण, नेत्र उपकरण, दंत उपकरण, ऑपरेशन थियेटर उपकरण और प्रयोगशाला उपकरण।

- पाँच नमूना-जाँचित जिलों के 12 सा.स्वा.के. में 17 सेवाओं²⁶ के लिए 264 आवश्यक उपकरण की आवश्यकता के विरुद्ध 116 (44 प्रतिशत) से 244 (92 प्रतिशत) उपकरण उपलब्ध नहीं थे। (परिशिष्ट-2.1.17)

जबाब में, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि कमियों के मुद्दों पर शीघ्र ही ध्यान दिया जायेगा और कहा कि विभाग स्थानीय क्रय से केन्द्रीयकृत क्रय एवं वितरण की ओर जा रहा है। तथ्य वही है कि कमियों के निवारण के लिए समयबद्ध कार्य योजना अभी तक तैयार नहीं की गयी।

2.1.12.2 मशीन एवं उपकरण का क्रय एवं उपयोग

चयनित इकाईयों में मशीन एवं उपकरण के क्रय एवं उपयोग का विस्तृत जाँच से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. एवं अ.श.चि. सह मु.चि.प. क्रमशः पूरे राज्य एवं जिला के लिए दर अनुमोदित करते हैं जिस दर पर उनके नीचे स्तर के कार्यालयों को सूचीबद्ध दवाईयों/उपभोज्य वस्तुओं को स्वीकृत आपूर्तिकर्ता से क्रय करना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अ.श.चि. सह मु.चि.प. जामताड़ा ने विभिन्न उपकरणों/राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्ड का क्रय (परिशिष्ट-2.1.18) अनुमोदित संविदा दर से अधिक पर किया परिणामतः ₹ 2.94 लाख का अधिक भुगतान हुआ।
- अ.श.चि. सह मु.चि.प. जामताड़ा ने 2011-12 के दौरान बिना कोई निविदा प्रकाशित किए एकल कोटेशन दर से नामांकन के आधार पर पाँच विभिन्न बीजकों पर ₹ 19.81 लाख की राशि के फर्नीचर मदों का क्रय किया जो स्वीकृति आदेश के प्रावधान के विरुद्ध है। हाँलाकि, इसमें से ₹ 2.33 लाख के चार रेडियेंट वार्मर का क्रय शामिल था जिसके लिए आपूर्ति आदेश को प्रारम्भ में निर्गत किया गया लेकिन बाद में निरस्त कर दिया गया और जिसे बाद में उपस्कर खरीद के लिए विचलित किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ डी.जी. सेट का भी क्रय किया गया जिसके लिए ₹ 0.49 लाख का अधिक भुगतान किया गया।
- जि.ग्रा.स्वा.सो. जामताड़ा एक एन.जी.ओ. (बासुकी त्रयम्बकेश्वर शिव मिशन दुमका) के साथ में (नवम्बर 2012) मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के लिए उपयुक्त मामलों का पता लगाने, उत्प्रेरित करने एवं अस्पताल पहुंचाने, शल्य पूर्व जाँच, मोतियाबिंद शल्य क्रिया किया जाना, शल्य क्रिया के पश्चात जाँच एवं आँख की रोशनी जाँच एवं चश्मा दिये जाने के लिए अनुबन्ध किया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ.मु.चि.प.) ने मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा के लिये सहमत

²⁶ स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-I, स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-II, स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-III, स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-IV, स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-V, स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-IV, इंद्रा यूरिन कन्ट्रासेप्टिव डिवाइस (आई.यू.डी.) इ-सर्जन किट, सामान्य प्रसव, निश्चेतक उपकरण नियो-नैटल रिससिटेशन उपकरण रक्त संचारण किट ऑपरेशन थियटर उपकरण, प्रसूतिगृह उपकरण, रेडियोलॉजी उपकरण, प्रतिरक्षण उपकरण, कोल्ड चैन उपकरण एवं विविध।

गतिविधियों को करने सहित अनुवर्ती सेवाओं को जारी रखने हेतु एन.जी.ओ. को आदेश निर्गत किया (अक्टूबर 2013 एवं दिसम्बर 2015)। लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.जी.ओ. द्वारा की गयी सेवाओं के लिए ₹ 16.99 लाख का अनुबन्ध एवं भुगतान, मार्गदर्शिका/सरकारी आदेश के विरुद्ध था, क्योंकि योजना के अनुसार एन.जी.ओ. द्वारा निजी अस्पताल में शल्य चिकित्सा कराने पर ही भुगतान किया जाना था जबकि इस मामले में एन.जी.ओ. ने शल्य क्रियाओं के लिए सरकारी चिकित्सक/अस्पताल की बुनियादी संरचना एवं सेवाओं का उपयोग किया।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

● **अनुपयोगी मशीन एवं उपकरण**

नमूना-जाँचित जि.अ.
एवं सा.स्वा.के. में
₹ 3.11 करोड़ के मशीन
एवं उपकरण बिना
उपयोग के पाया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 मशीन/उपकरण जैसे औटो एनेलाइजर, पाथ फास्ट, थ्री चैनल ई.सी.जी. मशीनें, मल्टी पारामोनीटर पेशेंट मोनीटर एवं डेफिब्रिलेटर के साथ कार्डियक मोनीटर इत्यादि, नमूना-जाँचित जि.अ. एवं सा.स्वा.के. में मार्च 2011 में क्रय किये जाने के बाद से ही निष्क्रिय पड़े थे। इन मशीनों एवं उपकरणों का मूल्य ₹ 3.11 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.19) है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रशिक्षित मानव बल, रीएजेन्ट/किट की अनुपस्थिति के कारण निष्क्रिय/अक्रियाशील पड़े थे।

● अ.श.चि. सह मु.चि.प. पश्चिमी सिंहभूम द्वारा 2011-12 के दौरान चार²⁷ मशीनों का क्रय (मूल्य ₹ 67.53 लाख) संदेहात्मक था क्योंकि भुगतान अभिश्रवों को अ.श.चि. सह मु.चि.प. द्वारा पारित नहीं किया गया एवं भण्डार पंजी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। अ.श.चि. सह मु.चि.प. ने बताया कि (अगस्त 2016) संबंधित व्यक्ति को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।



जिला अस्पताल, जामताड़ा में अनुपयोगी पडा हुआ ऑटो एनेलाइजर एवं पाथ फाईन्डर



जिला अस्पताल जामताड़ा में अनुपयोगी यू.एस.जी. मशीन

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि निष्क्रिय उपकरणों की उपयोगिता में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। हालांकि, सदेहास्पद क्रय के लिए सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

²⁷ मल्टीपारा पेशेंट मोनीटर, पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीन पूर्ण स्वचालित इम्यूनोसे और डायथर्मो

2.1.12.3 चलंत चिकित्सा इकाईयाँ (च.चि.इ.)

चलंत चिकित्सा इकाईयाँ सुदूर क्षेत्र में उपकरणों से पूर्ण चलंत वाहनों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने का एक तंत्र है। विभिन्न एन.जी.ओ. के साथ झा.ग्रा.स्वा.मि.सो., नामकुम एवं संबंधित जिलों के जि.ग्रा.स्वा.सो. के द्वारा 2011-13 के बीच च.चि.इ. चलाने के लिए एकरारनामे किये गये। लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिले में च.चि.इ. के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई:

• महिला चिकित्सा पदाधिकारी की तैनाती नहीं होना

अनुबन्धों के अनुसार, प्रसूति एवं स्त्रीरोग परामर्श, प्रसव पूर्व जाँच के लिए एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी (म.चि.प.) की तैनाती की जानी थी। पाँच नमूना-जाँचित जिलों²⁸ में लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ²⁹ एन.जी.ओ. ने अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2013 के बीच म.चि.प. को तैनात नहीं किया। इसके अलावे जब एन.जी.ओ. के साथ एकरारनामें (मार्च 2013 से अक्टूबर 2013 के बीच) किये गये थे तब म.चि.प. तैनात करने रखने की धारा को हटा दिया गया।

• रुटचार्ट अनियमित बनाया जाना

सरकारी निर्देश (जून 2012) एवं एकरारनामें के अनुसार, च.चि.इ. को पहुँच से दूर क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. नहीं हो वहाँ शिविर लगाना था। च.चि.इ. चलाने का रुटचार्ट अ.श.चि. सह मु.चि.प., प्र.चि.प., कार्यक्रम प्रबंधकों एवं एन.जी.ओ. के समन्वय से तैयार किया जाना था। चार नमूना-जाँचित जिलों³⁰ में लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर च.चि.इ. का ऐसे जगह शिविर लगाया जा रहा था जहाँ सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. पहले से कार्यरत थे। इसके लिए कोई कारण अभिलेख में नहीं था। (परिशिष्ट-2.1.20)

• मशीन एवं उपकरण की कमी:

एकरारनामे के अनुसार, झा.ग्रा.स्वा.मि.सो.ने गैर सरकारी संगठनों के साथ च.चि.इ. वाहनों में 33 उपकरण प्रदान किया। चार जिलों³¹ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 33 मशीन और उपकरण के में से तीन से 26 मशीन और उपकरण जनवरी 2010 से अक्टूबर 2015 के बीच या तो च.चि.इ. में नहीं रखे गये या निष्क्रिय/क्षतिग्रस्त पड़े थे। इसका कारण अभिलेख में नहीं था।

²⁸ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

²⁹ विकास भारती, बिस्नुपुर; आई.सी.ई.आर.टी., राँची; लिवैंक हेल्थ सेन्टर, चैनपुर; रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल, राँची; झारखण्ड स्टेपअप ट्रस्ट, बड़ा जामदा; सीटीजेन फाउन्डेशन राँची; हयूमन रुरल फाउन्डेशन, राँची और विकाश केन्द्र बगोदरा।

³⁰ दुमका, गुमला, जामताड़ा एवं पश्चिमी सिंहभूम।

³¹ दुमका, गिरिडीह, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम।

सरकारी आदेश के विरुद्ध च.चि.इ. को जहाँ सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उ.के. कार्यरत थे वहाँ कैम्प किया गया

• चलंत चिकित्सा इकाईयों की कमी

पाँच नमूना-जाँचित जिलों³² में मुश्किल से पहुँचे जाने वाले प्रखण्डों के आधार पर अ.श.चि. सह मु.चि.प. ने पाँच जिलों के लिए 31 च.चि.इ. की आवश्यकता का अनुमान लगाया। इसके विरुद्ध, 11 च.चि.इ. की कमी के साथ केवल 20 च.चि.इ. उपलब्ध थे (परिशिष्ट-2.1.21)।

इसके जवाब में विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2016) कि च.चि.इ. की कार्य यूनिसेफ की सिफारिश के अनुसार सुव्यवस्थित किया जाएगा। यद्यपि, इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा नहीं बतायी गयी।



पश्चिमी सिंहभूम जिला में एन.जी.ओ. विकास भारती द्वारा संचालित च.चि.इ. में अधिष्ठापित खराब एक्स-रे मशीन

2.1.12.4 एम्बुलेंस सेवा की कमी

भा.लो.स्वा.मा. 2012 के मानदण्ड के अनुसार, जि.अ. बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी.एल.एस) और वांछनीय रूप से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से सुसज्जित होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 के दौरान 503 एम्बुलेंस (₹ 50.30 करोड़) क्रय करने का लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध 369 एम्बुलेंस (बी.एल.एस. 329 और ए.एल.एस. 40) के लिए ₹ 39.30 करोड़ वर्ष 2015-16 के आर.ओ.पी. में अनुमोदित किया गया। पुनः रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत ₹ 22.40 करोड़ से ₹ 39.30 करोड़ के बीच की निधियाँ प्रत्येक वर्ष (2012-16) एम्बुलेंस प्राप्ति के लिए स्वीकृत की गईं जो झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. द्वारा उपयोग नहीं किया गया क्योंकि आज तक एक भी एम्बुलेंस क्रय या संचालित नहीं किया गया (परिशिष्ट-2.1.22)

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि एम्बुलेंस क्रय की प्रक्रिया जारी है।

2.1.12.5 जैविक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का क्रियाशील न होना

भा.लो.स्वा.मा. मानदण्ड 2012, एक स्वास्थ्य संस्था द्वारा उत्पन्न जैविक अपशिष्ट को निपटान करने के लिए आधारभूत संरचना, उपकरण और प्रक्रिया निर्धारित करता है। नमूना-जाँचित जिलों में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी:

³² दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

₹ 39.20 करोड़ राशि का उपयोग 369 एम्बुलेंस (बी.एल.एस. और ए.एल.एस.) क्रय करने में उपयोग नहीं किया गया

जैविक अपशिष्ट
प्रबंधन प्रणाली नमूना-
जाँचित जिलों में
क्रियाशील नहीं पाया
गया

- जि.अ. दुमका की संस्थानीकरण और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (जै.अ.प्र.प्र.) मजबूत बनाने के लिए ₹ 18.40 लाख स्वीकृत (जनवरी 2012) किये गये। इसमें से ₹ 4.95 लाख बुनियादी ढांचे का निर्माण, (डीप बडियल पीट, सार्प पीट, टिन की छत एवं बांस का घेरा) और उपकरणों के क्रय (ट्रॉली), उपभोज्य वस्तुएँ (पंचर प्रुफ कंटेनर, सील टेप, सील टेप, एप्रन, टोपी, चश्मा, बूट, दस्ताने, काले डब्बे, लाल डब्बे पीले डब्बे इत्यादि) पर किये गये और शेष ₹ 13.45 लाख बिना उपयोग के पड़ा था, चूँकि अन्य बुनियादी ढांचा सृजित करने में विफलता के कारण जै.अ.प्र.प्र. कार्यरत नहीं था। परिणामतः अपशिष्ट का निपटारा खुले में किया जा रहा था जैसे नीचे की तस्वीरों में देखा जा सकता है:



जिला अस्पताल, दुमका में अप्रयुक्त गहरा खुला अपशिष्ट निपटान

जि.अ. गुमला और चाईबासा में जैविक अपशिष्ट निपटान के लिए इंसीनरेटर (मूल्य ₹ 29.98 लाख) निर्मित किये गये जो क्रमशः जनवरी 2013 एवं अक्टूबर 2013 से निष्क्रिय एवं बेकार पाये गये।



जि.अ. गुमला में निष्क्रिय इंसीनरेटर



जि.अ. पश्चिमी सिंहभूम में बेकार इंसीनरेटर

इस पर आपत्ति उठाये जाने पर (जून 2016 से सितम्बर 2016 के बीच) उपाधीक्षक, गुमला ने जवाब दिया (जून 2016) कि आवश्यक विद्युत भार की कमी के कारण इंसीनरेटर को क्रियाशील नहीं किया जा सका जिसके लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार से कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया (जुलाई 2015), किन्तु उनका जवाब प्रतिक्षित था (नवम्बर 2016)। सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

2.1.13 स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की उपलब्धता

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड की तुलना में विशेषज्ञ चिकित्सक (92 प्रतिशत), चिकित्सा पदाधिकारी (61 प्रतिशत) स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. (27 प्रतिशत) एवं पारामेडिकल (52 प्रतिशत) की कमियाँ थी

भा.लो.स्वा.मा. के मानदंड 2012, सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के. में 24 घंटे सेवा प्रदान करना निर्धारित करता है। यह पुनः रोगशय्या क्षमता के आधार पर जि.अ. में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करता है जिसको सेवित जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएँ नियमित कर्मियों (राज्य बजट से भुगतान की गई) और रा.ग्रा.स्वा.मि. निधियों के अन्तर्गत भरती किये गये अनुबंधित कर्मियों द्वारा संभाला जाता है।


2.1.13.1 मानव संसाधन की कमी

राज्य के जि.अ., अ.अ., सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. में विशेषज्ञ³³ चिकित्सकों, चिकित्सा पदाधिकारियों, स्टाफ नर्सों, ए.एन.एम. एवं पारा मेडिक्स³⁴ की स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल नीचे तालिका-2.1.9 में दिया गया है:

तालिका-2.1.9 31 मार्च 2016 को स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

पदनाम	भा.लो.स्वा.मा.के मानदण्ड के अनुसार आवश्यक	नियमित		अनुबंधित		कार्यबल की कमी	
		स्वीकृत बल	कार्यरत बल	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	भा.लो.स्वा.मा.के अनुसार (प्रतिशत में)	स्वीकृत बल के अनुसार (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7 [2-(4+6)]	8 [(3+5)-(4+6)]
विशेषज्ञ चिकित्सक	2776	876	172	157	58	2546 (92)	803 (78)
चिकित्सा पदाधिकारी	4586	2733	1793	86	15	2778 (61)	1011 (36)
स्टाफ नर्स/ए.एन.एम.	12082	5351	3619	6528	5160	3303 (27)	3100 (26)
पारा मेडिक्स	1856	1124	469	415	415	972 (52)	655 (40)

(स्रोत-राज्य एन.एच.एम.)



तालिका-2.1.9 से देखा जा सकता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड की तुलना में 92 प्रतिशत एवं स्वीकृत बल की तुलना में 78 प्रतिशत थी । उसी प्रकार भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड एवं स्वीकृत बल के संबंध में क्रमशः चिकित्सा पदाधिकारियों के संवर्गों में (61 और 36 प्रतिशत), स्टाफ

³³ औषधी, शल्य क्रिया, प्रसव एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ, निश्चेतना, आँख रोग, अस्थिरोग, विकिरण चिकित्सा विज्ञान, रोग विज्ञान, ई.एन.टी., दौन्तविज्ञान, नाक कान गला, दंत रोग, मनोरोग एवं आयुष चिकित्सकों।

³⁴ प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन।

नर्स/ए.एन.एम. (27 और 26 प्रतिशत) एवं पारामेडिकल (52 और 40 प्रतिशत) की कमियाँ थी।

पाँच³⁵ नमूना-जाँचित जिले में, 92 प्रा.स्वा.के. में से, 30 प्रा.स्वा.के. (33 प्रतिशत) बिना कोई चिकित्सा पदाधिकारी के स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. द्वारा संचालित किये जा रहे थे। आगे किसी भी नमूना-जाँचित प्रा.स्वा.के. में पारामेडिकल उपलब्ध नहीं थे। चयनित जिलों के 48 प्रा.स्वा.के. में से, 28 प्रा.स्वा.के. (58 प्रतिशत) बिना विशेषज्ञ चिकित्सकों के कार्यरत थे। पाँच जि.अ. में से तीन³⁶ में न तो स्त्री विशेषज्ञ या न ही शिशु विशेषज्ञ पदास्थापित थे।

जवाब में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा (नवम्बर 2016) कि रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति में है। हालांकि, तय तिथि नहीं बतायी गयी।

2.1.13.2 विशेष उपचार की कमी

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड (2012) जिला अस्पतालों में 500 क्रियाविधियों के निष्पादन के माध्यम से 32 चिकित्सा/ शल्य विशेषताओं के तहत 200 तरह के बीमारियों के उपचार की अनुशंसा करता है। पाँच जिला अस्पतालों³⁷ में जुलाई 2016 को नमूना-जाँचित विशेष उपचार के परिणाम नीचे तालिका-2.1.10 में दिये गये हैं:

तालिका-2.1.10 विभाग, क्रियाविधियों एवं बीमारियों के उपचार के ब्योरे

क्रम संख्या	चयनित जिला का नाम	अनुशंसित विशेष चिकित्सा	जि.अ. में आवश्यक इलाज के लिए बीमारियों की संख्या	विशेष चिकित्सा (आंशिक) जि.अ. में उपलब्ध (संख्या / प्रतिशत में)	जि.अ. में इलाज किये गये बीमारियों का प्रकार (संख्या में)	अनुशंसित विशेषता में कमी (संख्या / प्रतिशत में)	जि.अ. में बीमारियों के इलाज में कमी (संख्या/प्रतिशत में)
1	दुमका	32	200	6 (19)	48	26 (81)	152 (76)
2	गिरिडीह	32	200	8 (25)	169	24(75)	31(16)
3	गुमला	32	200	9 (28)	145	23 (71)	55 (28)
4	जामताड़ा	32	200	14 (44)	58	18 (56)	140 (70)
5	पश्चिमी सिंहभूम	32	200	11 (34)	31	21 (66)	131 (67)

(स्रोत-जि.ग्रा.स्वा.सो.)

तालिका-2.1.10 से देखा जा सकता है कि 56 से 81 प्रतिशत विशेषज्ञता सेवाएँ नमूना-जाँचित जि.अ. में उपलब्ध नहीं थे जबकि 19 से 44 प्रतिशत विशेषज्ञता सेवाएँ आंशिक थे। अतः 55 (28 प्रतिशत) से 152 (76 प्रतिशत) तरह की बीमारियों का उपचार/देखभाल समाज को प्रदान नहीं किये गये थे।

³⁵ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

³⁶ जिला अस्पताल दुमका, जिला अस्पताल गुमला और जिला अस्पताल जामताड़ा।

³⁷ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

2.1.14 प्रशिक्षण

सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवधिक अंतरालों पर सभी श्रेणियों की कार्यकत्ताओं का प्रशिक्षण भा.लो.स्वा.मा. का एक आवश्यक घटक है। प्रशिक्षण के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

2.1.14.1 ए.एन.एम. को अपर्याप्त एस.बी.ए. प्रशिक्षण

2207 वर्ग 'ब' स्व. उप
केन्द्रों में से 618 में
ए.एन.एम. को
एस.बी.ए. प्रशिक्षण
प्रदान नहीं किया गया

संशोधित भा.लो.स्वा.मा. मानदण्डों 2012 के अनुसार, टाइप बी स्वा.उ.के. (स्वा.उ.के. जहाँ पर प्रसव की सुविधा हो) में पदस्थापित ए.एन.एम को स्कील्ड बर्थ अटेन्डेंस (एस.बी.ए.) प्रशिक्षित अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2207 टाइप बी स्वास्थ्य उप केन्द्र (जहाँ प्रसव आयोजित की जाती हैं) में से 618 स्वा.उ.के. में, मानदंडों का उल्लंघन कर एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम. पदस्थापित नहीं किये गये। झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2016) कि टाइप बी स्वा.उ.के. में एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम को पदस्थापित करने का निर्देश सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया है।

2.1.14.2 आशा (सहिया) को अपर्याप्त प्रशिक्षण

प्रत्येक आशा (सहिया) को लोक स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे, आठ मॉड्यूल के तहत प्रतिरक्षण/टीकाकरण की सूचना वजन और ऊँचाई को अभिलेखित करना, प्रसव पूर्व देखभाल इत्यादि में प्रशिक्षित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य में 2011-16 के दौरान 40,964 सहियों को 6.40 लाख (संख्या में) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध 4.28 लाख (संख्या में) प्रशिक्षण (67 प्रतिशत) के साथ सहिया को 2.12 लाख (संख्या में) प्रशिक्षण प्रदान किये गये। लेखापरीक्षा द्वारा माँगने के बावजूद मॉड्यूल के ब्योरे प्रस्तुत नहीं किये गये। 2011-16 के दौरान लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षण में 45 से 71 प्रतिशत की कमी थी (परिशिष्ट-2.1.23) आशा की अपूर्ण प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय के बीच अपर्याप्त जागरूकता की उत्पत्ति हुई।

इस संबंध में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

2.1.15 नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता में कमी

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड 2012 एक जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए क्रमशः 102 और 33 परीक्षणों की अनुशंसा करता है, ताकि वे महामारी या महत्वपूर्ण रोगों के निदान के लिए आवश्यक सभी परीक्षणों को कर सके। पुनः मानदंड एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एकसरे, इको कार्डियोग्राम (इ.सी.जी.) की सुविधा की अनुशंसा करता है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में

नमूना-जाँचित जि.अ. में 65 से 78 प्रतिशत नैदानिक परीक्षण नहीं किये गये थे और क्रमशः सात और नौ नमूना जाँचित सा.स्व.के. में एक्स-रे और ई.सी.जी. की सेवा उपलब्ध नहीं थी। नमूना जाँचित किसी भी प्रा.स्व.के. में आवश्यक प्रयोगशाला सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी

आवश्यक³⁸ प्रयोगशाला सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

- पाँच नमूना-जाँचित जिलों³⁹ में लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला अस्पतालों में 66 (65 प्रतिशत) से 80 (78 प्रतिशत) नैदानिक जाँचें नहीं किये जा रहे थे। जबकि भा.लो.स्वा.मा. ने 102 नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता की सिफारिश किया गया था। पुनः, सा.स्वा.के. में 33 अनुशंसित परीक्षण के विरुद्ध 14 (42 प्रतिशत) से 28 (85 प्रतिशत) नैदानिक जाँच नहीं किए गये (परिशिष्ट-2.1.24)।
- लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि नमूना-जाँचित क्रमशः सात और नौ स.स्वा.के. में एक्स-रे और ई.सी.जी. जैसे आवश्यक जाँच सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। ये जाँच सुविधाएँ अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर में उपलब्ध नहीं थी।
- यह भी देखा गया कि 21⁴⁰ नमूना-जाँचित प्रा.स्वा.के. के किसी केन्द्र में आवश्यक प्रयोगशाला सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, सभी स्तरों के चिकित्सा सुविधाओं में नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण कमियाँ थी।

लेखापरीक्षा अवलोकन का सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.16 सेवा सुपुर्दगी संरचना

भा.लो.स्वा.मा. मानदण्ड 2012 स्वास्थ्य संस्थाओं में न्यूनतम आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी लिए दवा एवं उपभोग्य वस्तुओं की उपलब्धता की अनुशंसा करता है।

2.1.16.1 स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाओं का नहीं पाया जाना

मानदण्ड के अनुसार, न्यूनतम आवश्यक सेवाएँ मुहैया कराने के लिए जि.अ./सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के./स्वा.उप.के. में क्रमशः 493, 176, 119 एवं 18 तरह के आवश्यक दवाओं की जरूरत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- पाँच जि.अ. में मात्र 61 से 124 तरह के आवश्यक दवाएँ उपलब्ध थी जबकि 369 (75 प्रतिशत) से 432 (88 प्रतिशत) अनुशंसित आवश्यक दवाएँ मार्च 2016 को

आवश्यक दवाएँ जि.अ. में 75 से 88 प्रतिशत, सा.स्वा.के. में 32 से 82 प्रतिशत, प्रा.स्वा.के. में 61 से 91 प्रतिशत एवं स्वा.उ.के. में 22 से 83 प्रतिशत कम उपलब्ध थी

³⁸ रूटीन यूरिन, स्टूल एवं खून जाँचों, वेटमाउनटिंग के साथ आर.टी.आई./एस.टी.डी. का निदान, ग्राम्स, स्टेन, माइकोवेक्टोरियम के लिए कफ जाँच, मलेरिया हेतु ब्लड समियर जाँच, गुपिंग और आर.एच.टाइपिंग के लिए खून, पी.फ. मलेरिया के लिए आर.डी.के., गर्भवती के लिए रेपिड परीक्षण, सायफिलिस/वाई.ए.डब्लू.एस. सर्वमिलान्स के लिए रेपिड परीक्षण, रेपिड टेस्ट किट के लिए फीकल कन्टेमिनेशन ऑफ वाटर, इस्टीमेशन ऑफ क्लोरिन लेवर ऑफ वाटर यूजिंग औरथोटोलूडाइन, व्लड सूगर इत्यादि।

³⁹ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम

⁴⁰ अम्बा, आनन्दपुर, अटका, बिलिंगबेरा, बारामसिया, बाड़ापलासी, भण्डरौ, विन्दापाथर, चिकनिया, धन्धरा, दूरिया, फतेहपुर, गेरिया, हथिया, जेराईकेला, जूरा, कुरगी, मलूटी, निमियाघाट, सरैया और तुलाडीह।

उपलब्ध नहीं थे। 13 सा.स्वा.के./अ.अ.⁴¹ में 31 से 119 तरह के आवश्यक दवाएँ उपलब्ध थी जबकि 57 (32 प्रतिशत) से 145 (82 प्रतिशत) अनुशंसित आवश्यक दवाएँ मार्च 2016 को उपलब्ध नहीं थे। चयनित 23 प्रा.स्वा.के. में से 21⁴² में 15 से 67 तरह के आवश्यक दवाएँ उपलब्ध थी जबकि 106 (61 प्रतिशत) से 158 (91 प्रतिशत) अनुशंसित आवश्यक दवाएँ मार्च 2016 को उपलब्ध नहीं थी (परिशिष्ट-2.1.25)

- यह भी पाया गया कि कुर्गी एवं बीलिंगबेरा प्रा.स्वा.के. में 2015-16 के दौरान एक भी दवाएँ उपलब्ध नहीं थी।
- चयनित 69 स्वा.उप.के. में से 57 में तीन से 14 तरह की दवाएँ उपलब्ध थी और चार (22 प्रतिशत) से 15 (83 प्रतिशत) आवश्यक दवाएँ मार्च 2016 को उपलब्ध नहीं थी (परिशिष्ट-2.1.26) आगे, यह पाया गया कि 19 प्रा.स्वा.के. में⁴³ 2015-16 के दौरान एक भी आवश्यक दवाएँ उपलब्ध नहीं थी।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में दवाओं का न होना आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को दुर्बल कर सकता है।

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि कमी के मामला पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा और विभाग स्थानीय क्रय से केन्द्रीय क्रय एवं वितरण के तरफ बढ़ रहा है। जबकि इसे सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित तिथि नहीं बतायी गयी।

2.1.16.2 नैदानिक सामग्रियों के क्रय पर कपटपूर्ण भुगतान

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 151 (i) के अनुसार, जब क्रय की जाने वाली सामग्रियों का अनुमानित मूल्य ₹ एक लाख से ₹ 25 लाख के बीच हो तो सीमित निविदा जाँच विधि को अपनाया जा सकता है। सीमित निविदा जाँच में आपूर्तिकर्ता फर्म की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए। आगे, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज़ापांक⁴⁴ के अनुसार, ₹ एक लाख से ₹ 25 लाख के बाद के कार्यालय उपयोग की सभी वस्तुओं के लिए जहाँ सीमित निविदा वित्तीय नियम 2005 के नियम 151 के अनुसार आमंत्रित की जानी है दूसरों के साथ केन्द्रीय भंडार (के.भं.) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन (रा.उ.स.फे.) को भी ऐसे सीमित निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। यदि सहकारीगण

⁴¹ बगोदर, भरनो, बिरनी, अनु. अ. चक्रधरपुर, डुमरी, जामा, कुण्डहीत, मनोहरपुर, नाला, पालकोट, शिकारीपाड़ा, सिसई, टोन्टो।

⁴² अम्बा, आनन्दपुर, अटका, बरमसिया, बारापलासी भण्डो, बिलींगबेरा, बिन्दापाथर, चिकनीया, धनदांरा, दुरिया, फतेहपुर, गेरिया, हथियाजराईकेला, जूरा, कुरगी, मलूटी, निमियाघाट, सूरिया और तुलाडीह।

⁴³ अटकोरा, बाबुपुर, भण्डो, भमनबन्धी, चीरापुरा, दूरिया, डोम्बा, फथेपुर, हरिनारायनपुर, जुरा, मारासीली, भरगाँव, नारायणपुर, पोहारा, पीथरटोली, रोशनटुण्डा, सोरगा, सतकी।

⁴⁴ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संख्या 14/12/94 कल्याण बॉल्यूम-II दिनांक 05 जुलाई 2007 मार्च 2017 तक बढ़ाया हुआ।

द्वारा उद्धृत कीमत एल-। के 10 प्रतिशत के अंदर है और ये सहकारीगण एल-। के कीमत से मिलान करने को इच्छुक हो तो के.भं./रा.उ.स.फे. को वरीयता प्रदान की जायेगी। एल-। के उपर कोई भी मूल्य पर इन सहकारिता को वरीयता नहीं दी जायेगी। आगे, सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम के 137 के अनुसार खरीद की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के मामले में विनिर्देशन, रुप आदि और क्रय की जानेवाली सामग्रियों की मात्रा स्पष्ट रुप से जाहिर की जानी चाहिए और जरूरत से अधिक मात्राओं की खरीदारी से बचने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सिविल सर्जन दुमका और सिविल सर्जन गिरिडीह द्वारा नामांकन के आधार पर के.भं. राँची को उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर ₹ 2.60 करोड़ मूल्य के टायफाइड परीक्षण किट (5000 संख्या) एच.आई.भी. स्क्रीनिंग परीक्षण किट ₹ (147020 संख्या) मूत्र परीक्षण किट (53,000 संख्या) और हेपेटाइटिस 'बी' परीक्षण किट (55340 संख्या) बिना निविदा आमंत्रित किए अथवा वास्तविक आवश्यकता के आकलन किए मार्च 2014 से जून 2016 के दौरान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (शि.सु.का.) निधि से क्रय करने हेतु क्रय आदेश दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि के.भं. राँची ने उपरोक्त सामग्रियों को दो से तेरह गुणा अधिकतम खुदरा कीमत पर आपूर्ति की। के.भं. द्वारा एम.आर.पी. से उपर भारत राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.1.27 में दिया गया है। के.भं. को कुल अधिक भुगतान ₹ 1.33 करोड़ (आपूर्ति मूल्य का 51 प्रतिशत) निकाला गया।

इससे एम आर.पी. के आधार पर गणना किया जाने पर कम से कम ₹ 1.33 करोड़ (51 प्रतिशत) का अधिक भुगतान हुआ जो कपटपूर्ण प्रतीत होता है। यदि सीमित खुली निविदा आमंत्रित की गयी होती तो क्रय मूल्य और भी कम हो सकता था।

- नमूना-जाँचित सा.स्वा.के. (जामा एवं शिकारीपाड़ा) में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 7.76 लाख कुल आपूर्ति के मूल्य का 35 प्रतिशत एच आई भी स्क्रीनिंग परीक्षण किट (16500 में से 4430) और हेपेटाइटिस बी किट (8500 में से 7646) का क्रय बिना आवश्यकता के आकलन किए खरीद की गयी जिसकी बिना उपयोग किए समयसीमा समाप्त हो गयी चूँकि ये उपयोग नहीं किये गये।



बॉक्स पर छपा हुआ अधिकतम मूल्य- 40 के लिए ₹ 4800 (फोटोग्राफ में उपर की तरफ इंगित) मूल्य जिस पर आपूर्ति किया गया- 40 किट के लिए ₹ 64,134



आपूर्ति बॉक्स से जान बूझकर अधिकतम मूल्य को मिटाना



सा.स्वा.के. जामा के भंडार में समयपारित एच.आई.बी. स्क्रीनिंग जाँच किट



सा.स्वा.के. जामा के भंडार के में एक्सपायर्ड हेपेटाइटिस बी जाँच किट

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि मामले की जाँच की जायेगी और उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

- अ.श.चि. सह मु.चि.प. गिरिडीह के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि के.भं. से सितम्बर 2013 में ₹ 26.85 लाख में 30 रेडियन्ट वार्मर (प्रत्येक ₹ 89,500 का) नामांकन के आधार पर क्रय किये गये। वार्मर (सा.स्वा.के. डुमरी में) के भौतिक सत्यापन पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा गया कि पाँच में से चार उपकरण आपूर्ति के समय से कार्यरत नहीं थे। अ.श.चि. सह मु.चि.प. गिरिडीह ने जवाब दिया कि मामले की जाँच की जायेगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

- उसी प्रकार, अ.श.चि. सह मु.चि.प. जामताड़ा ने 16 आई.यू.सी.डी (इन्ट्रा यूरिन कन्ट्रासेप्टिव डिवाइस) कीट्स और 70 मैनुअल भैक्यूम एसपीसेशन (एम.भी.ए.) कीट्स 2013-14 के दौरान बगैर किसी आकलन और बिना निविदा आमंत्रित किए और के.भं. राँची को नामांकन के आधार पर क्रय आदेश देकर क्रय किया। यह भी देखा गया कि जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (प्र. एवं बा.स्वा.) पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार एम.भी.ए. कीट्स विभिन्न गुणवत्ता के थे। इस प्रकार आवश्यक गुणवत्ता की सुनिश्चिता नहीं की गयी। आगे, दूसरे आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध कीमत से ऊँची कीमत पर किट्स क्रय किये जाने से ₹ 1.18 लाख का परिहार्य व्यय हुआ जैसा तालिका-2.1.11 में दिखाया गया।

तालिका-2.1.11 केन्द्रीय भण्डार को भुगतान की गई अधिक राशि के ब्योरे

₹ राशि में

क्रम संख्या	किट का नाम	मे. मासुक इन्टप्राजेस, जामताड़ा द्वारा प्रस्तावित दर	केन्द्रीय भण्डार राँची का दर जिस पर किट लिया गया	प्रति इकाई अधिक मूल्य	कुल ली गयी मात्रा	किया गया अधिक भुगतान
1	आई.यू.सी.डी. किट	1420	2550	1130	16	18080
2	एम.भी.ए. किट	700	2125	1425	70	99750
कुल						117830

2.1.16.3 दवाओं/उपकरण/उपभोग्य वस्तुओं के क्रय पर हानि

जिला अस्पताल दुमका एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में आपूर्तिकर्ता से दवाओं एवं उपभोग्य वस्तुओं के अनुमोदित दर से अधिक पर क्रय एवं ₹ 42.86 लाख की राशि का अधिक भुगतान

राज्य और जिला में क्रमशः झा.रा.स्वा.मि.सो. और असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अनुबंध दर की स्वीकृति प्रदान करते हैं और संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को इस अनुमोदित दर पर अनुबंध में विनिर्दिष्ट कीमत में अनुमोदित विक्रेताओं से सूचीबद्ध दवाओं/उपभोग्य वस्तुओं का क्रय करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला अस्पतालों⁴⁵ और जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति⁴⁶ ने 2011-16 के दौरान कोटेशन द्वारा या नामांकन के आधार पर अनुमोदित एजेंसी को छोड़कर अनुमोदित अनुबंध दर से अधिक दर पर दवाओं/उपभोग्य वस्तुओं का क्रय किया और परिणामस्वरूप (परिशिष्ट-2.1.28) आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 42.86 लाख अधिक भुगतान किया गया इसके फलस्वरूप ₹ 42.86 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

निकास सम्मेलन में, सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभाग स्थानीय क्रय से केन्द्रीय क्रय एवं वितरण की ओर अग्रसर है। हालाँकि, उन्होंने सरकार को हानि पहुँचाने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई या इस संबंध में किये गये विचार के तथ्य पर जवाब नहीं दिया।

2.1.16.4 घटिया दवाओं का क्रय एवं वितरण

सरकारी आदेशानुसार, दवा के आपूर्तिकर्ता बिक्री बीजक के साथ आपूरित प्रत्येक बैच के दवाओं के साथ आवश्यक रूप से जाँच प्रतिवेदन राज्य के एजेंसियों को प्रस्तुत करेगा। आगे, औषधि निरीक्षक द्वारा कम्पनियों के गोदाम सह स्टोर/जिला औषधि स्टोर/मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भंडार से दवाओं के प्रत्येक बैच के नमूने जाँच एवं विश्लेषण हेतु लिया जा सकता है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन नमूना-जाँचित जिलों⁴⁷ में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूरित औषधि (2011-16 के दौरान ₹ 10.20 करोड़⁴⁸ के लिए प्राप्त) का प्रत्येक बैच के जाँच प्रतिवेदन के साथ आपूर्ति बीजक संलग्न नहीं पाया गया। पुनः औषधि निरीक्षक द्वारा दवाई के नमूना का किया गया बैच जाँच/विश्लेषण नहीं पाया गया। परिणामतः सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए दवाओं का क्रय किया गया और इस परिस्थिति में निम्न स्तर के औषधियों की आपूर्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।

- मे. बंगाल केमिकल एवं फर्मासियूटिकल्स लिमिटेड, राँची द्वारा जून 2015 में ₹ 1.54 लाख कीमत के पारासिटामोल सिरप के 14052 बोतलों (60 एम.एल. प्रत्येक बोतल) की आपूर्ति जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति दुमका को की गई जिसे 2813

दुमका जिला में सहियाओं के बीच 9028 घटिया पारासिटामोल बोतलों की आपूर्ति

⁴⁵ जिला अस्पताल, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम।

⁴⁶ पश्चिमी सिंहभूम

⁴⁷ दुमका, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम।

⁴⁸ राज्य निधि- ₹ 3.89 करोड़ + रा.ग्रा.स्व.मि.- ₹ 6.31 करोड़।

सहियों (पाँच बोतल प्रत्येक) को वितरित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 14052 बोतलों में से ₹ 0.99 लाख मूल्य के 9028 बोतलों को राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला राँची द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन/प्रमाणपत्र में घटिया पाया गया (नवम्बर 2015)। इस बैच के औषधियों को जून-जुलाई 2015 के बीच अर्थात् जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार से पाँच माह पहले सहिया को आपूर्ति की गयी। यह भी देखा गया कि असेैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका ने सभी सा.स्वा.के. के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को औषधी वापस लेने हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2015) लेकिन जून 2016 तक ये वापस नहीं लिए गये। इस प्रकार घटिया दवाओं का उपयोग जो अनेक बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाले होंगे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

2.1.16.5 एक्सपायर्ड दवाएँ

भण्डार के संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा ने पाया कि चार⁴⁹ सुविधाओं में भण्डारण के दौरान भण्डार में 157018 दवाओं की समय सीमा समाप्त हो गयी (परिशिष्ट-2.1.29)। इतनी अधिक मात्रा में दवा की समय सीमा की समाप्ति आवश्यकता के उचित आकलन के बिना क्रय का संकेत करता था।

निकास सम्मेलन में, सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभाग स्थानीय क्रय से केन्द्रीय क्रय तथा वितरण की ओर अग्रसर है। हाँलाकि, जरूरत से ज्यादा खरीद के कारण का जबाव नहीं दिया गया।

2.1.16.6 भंडार में दवाओं का नहीं रहना।

नमूना-जाँचित पाँच जिलों⁵⁰ के जिला अस्पतालों⁵¹ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों⁵² और एक अनुमंडलीय अस्पतालों⁵³ के भंडार पंजियों के नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011-16 के दौरान 963 प्रकार की दवाईयाँ एक माह से 12 माह के बीच भंडार में नहीं थी (परिशिष्ट-2.1.30)। भण्डार के लिए आवश्यक दवाओं का क्रय/प्राप्ति करने में विफलता एक सुव्यवस्थित आवश्यकता आधारित मुल्यांकन के आधार पर क्रय की कमी का पुनः संकेत था।

जवाब में, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि इस कमी के मुद्दे को शीघ्र ही ध्यान दिया जायेगा और विभाग स्थानीय क्रय से केन्द्रीयकृत क्रय एवं वितरण की ओर बढ़ रहा है। हाँलाकि, समस्याओं के निवारण के लिए कोई समय सीमा नहीं बतायी गयी।

⁴⁹ जि.अ. गुमला, जि.अ. प.सिंहभूम, सा.स्वा.के. शिकारीपाड़ा, दुमका और सा.स्व.के. टोन्टो, पश्चिमी सिंहभूम।

⁵⁰ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

⁵¹ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम के जिला अस्पताल।

⁵² मनोहरपुर, शिकारीपाड़ा और टोन्टो के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

⁵³ अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर।

2.1.17 गुणवत्ता आश्वासन एवं अनुश्रवण

2.1.17.1 गुणवत्ता आश्वासन मानक

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अन्तर्गत गुणवत्ता आश्वासन लोक स्वास्थ्य सुविधाएँ 2013 में गुणवत्ता आश्वासन (गु.आ.) हेतु परिचालन दिशा-निर्देशों में वर्णित है। दिशानिर्देशों के अनुसार, गु.आ. गतिविधियों के सुदृढीकरण के लिए राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति (रा.गु.आ.स.), राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई (रा.गु.आ.ई.) जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति (जि.गु.आ.स.), जिला गुणवत्ता आश्वासन इकाई (जि.गु.आ.ई.) एवं जिला गुणवत्ता दल (जि.गु.द.) अपने-अपने स्तर पर परिभाषित भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के साथ संगठन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में राज्य में गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के परिचालन में निम्नलिखित कमियों को उद्घटित किया:

2.1.17.2 राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति एवं इकाई

रा.गु.आ.स. की व्यापक जिम्मेदारी राष्ट्रीय एवं राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यभर में गु.आ. गतिविधियों की निगरानी करने के लिए और विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतकों का नियमित रूप से और सटीक प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करना भी है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.गु.आ.स. ने हाँलाकि अक्टूबर 2014 में मौजूदा समितियों के पुनर्गठन के बाद गठित प्रजनन, मातृत्व नवजात, बाल स्वास्थ्य एवं किशोर से संबंधित मुख्य कार्यक्षमता संकेतकों की चर्चा संबंधित असेनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से नहीं की। पुनः रा.गु.आ.स. के द्वारा 2014-16 के दौरान मुख्य कार्यक्षमता संकेतकों के सुधार के लिए जिम्मेदारी एवं समय सीमा के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, जैसा कि दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी था।

- रा.गु.आ.स. अन्तर्गत रा.गु.आ.ई. कार्यशील इकाई है तथा अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। हाँलाकि रा.गु.आ.ई. जुलाई 2016 तक कार्यरत नहीं बनाया गया।

जवाब में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि गुणवत्ता आश्वासन एवं अनुश्रवण तंत्र को मजबूत किया जायेगा।

2.1.17.3 जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति एवं इकाई

जि.गु.आ.स., गु.आ. नीति तथा दिशानिर्देशों का प्रसार के लिए गुणवत्ता के मानकों की देखभाल करना, समीक्षा करना, प्रतिवेदन देना तथा क्षतिपूर्ति की दावों को तैयार करना इत्यादि सुनिश्चित करते हुए तथा एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करने के लिए जिम्मेदार है।

- जि.गु.आ.स. के अन्तर्गत रा.गु.आ.ई. कार्यशील इकाई है तथा समिति की संदर्भ की शर्तों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को करने के लिये जिम्मेदार है जिसमें

नमूना-जाँचित जिलों में
जुलाई 2016 तक
रा.गु.आ.ई. कार्यरत नहीं
था और जि.गु.आ.ई.
गठित नहीं की गयी

सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र भ्रमण शामिल था। हाँलाकि पाँच नमूना-जाँचित जिलों⁵⁴ में जि.गु.आ.ई. गठित नहीं किये गये।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.गु.आ.स. ने केवल दो समीक्षा बैठकें दुमका तथा गुमला में क्रमशः वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में आयोजित की। अन्य नमूना-जाँचित जिलों में कोई समीक्षा बैठकें आयोजित नहीं किये गये। मासिक की परफरमेंस इंडिकेटर (के.पी.आई.) आँकड़ा/प्रतिवेदन गुमला एवं जामताड़ा में उपलब्ध नहीं था, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिला द्वारा तीन मासिक के.पी.आई. प्रतिवेदन वर्ष 2013-16 के दौरान रा.गु.आ.स. को भेजे गये थे।

जवाब में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि गुणवत्ता आश्वासन तथा अनुश्रवण-तंत्र को मजबूत किया जायेगा।

2.1.17.4 जिला अस्पताल में जिला गुणवत्ता दल (जि.गु.द.)

दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल जिला अस्पताल में क्रियाशील जि.गु.द. कर्मचारियों के उन्मुखीकरण के लिए, गुणवत्ता मानको की अनुपालन सुनिश्चित करने आदि के लिए जिम्मेदार है। जि.गु.द. को हर महीने में एक बार मिलने की जरूरत है। चयनित जिलों⁵⁵ के तहत पाँच नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों में यह देखा गया है कि 87 आवश्यक बैठकों में से सिर्फ 18 बैठकें मार्च 2016 (परिशिष्ट-2.1.31) तक आयोजित की गईं।

जवाब में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि गुणवत्ता आश्वासन और अनुश्रवण तंत्र को मजबूत किया जायेगा।

2.1.17.5 जिला अस्पताल में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण

दिशा-निर्देशों के तहत, एक त्रैमासिक प्रतिक्रिया (30 ओ.पी.डी. तथा 30 आई.पी.डी. रोगियों के लिए अलग-अलग) अस्पताल प्रबंधक द्वारा एक संरचित प्रारूप पर लेना है। नमूना-जाँचित जिलों⁵⁶ में लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला अस्पताल गुमला तथा पश्चिम सिंहभूम में प्रत्येक वर्ष आवश्यक 720 के विरुद्ध क्रमशः 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान प्रत्येक साल 20 तथा 150 रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किये गये। जिला अस्पताल पश्चिम सिंहभूम में 2014-16 के दौरान 35 ओ.पी.डी. रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नमूना जाँच में पता चला कि 14 रोगी (40 फीसदी) अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे लेकिन कोई कार्रवाई प्रतिवेदन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थे। 2013-16 के दौरान जिला अस्पताल दुमका गिरिडीह तथा जामताड़ा जिलों में कोई रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं किये गये।

वर्ष 2013-16 के दौरान जिला अस्पताल दुमका, गिरिडीह और जामताड़ा में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं कराया गया। केवल 56 प्रतिशत मृत्यु का लेखापरीक्षा कराया गया

⁵⁴ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

⁵⁵ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

⁵⁶ दुमका, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

जवाब में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि हाल ही में ऑनलाइन संतुष्टि सर्वेक्षण शुरू किया गया है। हालांकि, प्रतिक्रिया के अनुश्रवण का तरीका नहीं बताया गया।

2.1.17.6 मृत्यु लेखापरीक्षा

दिशा-निर्देशों के तहत, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में घटित होने वाली सभी मृत्यु की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान स्थापित करना चाहिए। आगे, मौतों का लेखापरीक्षा जि.गु.आ.स. द्वारा किया जाना है तथा इसके प्रतिवेदन राज्य को और इसकी एक प्रति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाना है। नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों⁵⁷ में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-16 के दौरान 255 मौतों के मामले अभिलेखित किये गये जिसके विरुद्ध 112 मौतों का लेखापरीक्षा किया गया तथा 143 (56 प्रतिशत) का लेखापरीक्षा उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन में नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकन का सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

2.1.17.7 मानक संचालन तथा कार्य निर्देश

दिशा-निर्देशों के अनुसार, मानक संचालन प्रक्रियाओं (मा.सं.प्र.) को सुविधा के स्तर पर नैदानिक तथा प्रबंधन की प्रक्रिया का मानकीकरण के लिए प्रलेखित किया जाना चाहिए। कर्मियों को मा.सं.प्र. पर उचित प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देश मुहैया कराया जा सकता है। पाँच नमूना-जाँचित जिलों⁵⁸ के किसी भी जिला अस्पताल में विभागवार मा.सं.प्र. प्रलेखित नहीं था और परिणामस्वरूप कार्य मा.सं.प्र. के अनुसार नहीं किया जा रहा था। उपाधीक्षक जिला अस्पताल, जामताड़ा ने कहा कि मा.सं.प्र. राज्य गुणवत्ता विभाग द्वारा जारी किये जाने थे और इसको शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जबाब नहीं दिया गया।

2.1.17.8 निचले सुविधा स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन दल

दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभारी एक आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन दल गठित करेगा जो समय-समय पर अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता आश्वासन की स्थिति पर चर्चा करेगा। नमूना-जाँचित जिलों⁵⁹ में लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई गुणवत्ता आश्वासन दल सुविधा स्तर जैसे सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा स्वा.उ.के. पर नहीं बनाया गया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन का सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

नमूना-जाँचित जिलों में विभागवार मा.सं.प्र. प्रलेखित नहीं थे और परिणामतः कार्य मा.सं.प्र. के अनुसार नहीं किया जा रहा था। निम्न सुविधा स्तर पर आन्तरिक दल गठित नहीं था।

⁵⁷ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

⁵⁸ दुमका, गुमला, गिरिडीह, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

⁵⁹ दुमका, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

2.1.17.9 सेवाओं का मूल्यांकन

चूंकि सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था सुविधाओं द्वारा मुहैया करायी गयी सेवाओं की गुणवत्ता बिना पहचान के रह गये

जिला अस्पताल में गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारक की निर्देश-पुस्तिका 2013 के अनुसार, सभी मापयोग्य तत्वों तथा जाँच रूकावटों और जाँच अनुपालन के आकलन पर आधारित विभाग/सुविधा के प्राप्तांक प्रत्येक तिमाही संगणित⁶⁰ की जानी है। यह सेवा प्रदान करने में कमियों एवं इससे दूर करने के लिये प्रभावी कार्रवाई की पहचान करता है। रा.गु.आ.ई. तथा जि.गु.आ.ई. को प्राप्तांक का आकलन क्रमशः त्रैमासिक एवं छःमाही करना है। हाँलाकि, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जाँचित सुविधाओं में इस तरह का कोई प्राप्तांक प्रक्रिया या मूल्यांकन किसी भी किसी भी स्तर पर नहीं किया गया।

नमूना-जाँचित जिलों⁶¹ के जिला अस्पतालों में लेखापरीक्षा ने सभी मापने योग्य अवयवों तथा जाँच-सूची का उपयोग कर सम्बन्धित क्षेत्र (सुविधाओं) की जाँच बिन्दुओं का मूल्यांकन किया तथा पाया कि अस्पतालों का समग्र प्राप्तांक 43 प्रतिशत से 52 प्रतिशत था जैसाकि ब्यौरा तालिका-2.1.12 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.1.12: नमूना-जाँचित जि.अ. के क्षेत्रानुसार प्राप्तांक का विवरण

क्रम संख्या	चिंता का क्षेत्र	क्षेत्रानुसार प्राप्तांक (प्रतिशत में)				
		दुमका	गिरिडीह	गुमला	जामताड़ा	पश्चिमी सिंहभूम
1	कार्यरत सेवाओं की उपलब्धता	78	48	74	61	50
2	उपभोक्ता तक सेवाओं की पहुँच	66	68	52	70	52
3	सहायक सेवाओं की उपलब्धता	41	48	37	50	44
4	पर्याप्त नैदानिक प्रक्रिया	61	57	71	57	64
5	संक्रमण नियंत्रण प्रैक्टिस	41	35	47	59	44
6	गुणवत्ता प्रबंध नियंत्रण	9	47	6	13	6
	अस्पताल प्राप्तांक (प्रतिशत में)	49	51	48	52	43

उसी तरह, 13 सा.स्वा.के. (एक अ.अ. सहित) में लेखापरीक्षा ने पाँच नमूना-जाँचित जिलों में समग्र प्राप्तांक 37 से 63 प्रतिशत के बीच तथा 20 प्रा.स्वा.के. में समग्र प्राप्तांक 11 से 57 प्रतिशत के बीच पाया।

इस प्रकार, रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत परिकल्पित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों पर पिछले दो वर्षों में ₹ 7.83 करोड़ खर्च करने के बावजूद, अपने प्रारंभिक अवस्था में था। परिणामस्वरूप, सुविधाओं द्वारा मुहैया करायी गयी सेवाओं की गुणवत्ता में कमी अचिन्हित रह गये और उन्हें नहीं सुधारा गया।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

⁶⁰ (क) पूर्ण अनुपालन के लिए दो अंक (ख) आंशिक अनुपालन के लिए एक अंक तथा अनुपालन नहीं करने लिए शून्य अंक।

⁶¹ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

2.1.18 अभिलेखों का संधारण

भा.लो.स्वा.मा. के मानदण्ड 2012 के अनुसार सा.स्वा.के. में उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अभिलेखों की उचित संधारण और रुग्णता/मृत्युदर आँकड़ा स्वा.उ.के. क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, सा.स्वा.के. के अधिकार क्षेत्र में सभी जन्म एवं मृत्यु को अभिलेखित किया जाना चाहिए और लिंगानुपात का अनुश्रवण किया जाना तथा प्रतिवेदित किया जाना चाहिए। न्यूनतम 12 पंजियों⁶² को स्वा.उ.के. में संधारित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित पाँच जिलों⁶³ के 69 चयनित स्वा.उ.के. में केवल तीन से आठ प्रकार की अनिवार्य पंजियाँ संधारित की जा रही थी। इस प्रकार, जरूरी अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा अवलोकन का सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

2.1.19 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आशय

2.1.19.1 स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता

राज्य में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था में उपर्युक्त महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गईं। आकलन में आलोचनात्मक चिन्हित की गई कमियाँ राज्य स्तर के सदृश आँकड़ों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

(i) **स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी:** 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 8,329 जनसंख्या (3000-5000 की निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध), के लिए एक स्वा.उ.के. 99,898 जनसंख्या (20,000-30,000 की निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध) के लिए एक प्रा.स्वा.के. तथा 1,75,352 (80,000-1,20,000 की निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध) जनसंख्या के लिए एक सा.स्वा.के. था। उसी प्रकार राज्य में 2016 में अनुमानित जनसंख्या⁶⁴ के अनुसार 9317, के लिए एक स्वा.उ.के. 1,11,748 जनसंख्या के लिए एक प्रा.स्वा.के. तथा 1,96,153 जनसंख्या के लिए सा.स्वा.के. था। 2011 की जनगणना के अनुसार, आवश्यकताओं के विरुद्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता में कमी स्वा.उप. केन्द्रों में 55 प्रतिशत

विभाग राज्य में जनख्या पर आधारित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ सृजित करने में असफल रहा

⁶² (i) योग्य दम्पति पंजी (ii) मातृत्व एवं शिशु स्वस्थ्य पंजी (ए. मातृत्व, प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात बी. पाँच के अन्दर की पंजी- प्रतिरक्षण, विकास अनुश्रवण सी. पाँच से उपर बच्चा प्रतिरक्षण डी. एच.आई.बी./एस.आई.टी. स्क्रीनींग एवं रेफरल संख्या) (iii) जन्म एवं मृत्यु पंजी (iv) दवा पंजी (v) उपकरण, उपस्कट और अन्य सामग्री पंजी (vi) संक्रमण योग्य बिमारियों/महामारी पंजी/लक्षण के आधार पर निगरानी पंजी (vii) मलेरिया के मामलों के लिए निष्क्रिय निगरानी पंजी (viii) जननी सुरक्षा योजना से संबंधित अभिलेखों की पंजी (ix) अनटाइड निधि सहित लेखा संधारण के लिए पंजी (x) जल गुणवत्ता एवं स्वच्छता के लिए पंजी (xi) छोटी-मोटी बिमारियों की पंजी (xii) विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के लिए अभिलेख/पंजी (एन.एल.इ.पी., आर.एन.टी.सी.पी. एन.वी.बी.डी.सी.पी. इत्यादि)।

⁶³ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

⁶⁴ जिलावार प्रतिशत दहाई विकास 2010-11 के आधार पर।

प्रा.स्वा.के. में 76 प्रतिशत तथा सा.स्वा. केन्द्रों में 45 प्रतिशत थे जो बढ़ कर 2016 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार स्वा.उ.के. में 60 प्रतिशत, प्रा.स्वा.के. में 79 प्रतिशत तथा सा.स्वा.के. में 51 प्रतिशत थे। पुनः विभाग ने अतिरिक्त केन्द्रों के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी, जैसा राज्य सरकार के पंचवर्षीय योजनाओ/पी.आई.पी. से पता चला।

जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2016) कि कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यद्यपि, आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए कोई विकसित रूप-रेखा नहीं बताया गया।

गर्भवती महिलाओं को सभी प्रसव पूर्व देखभाल संबद्ध सेवाएँ प्रदान करने में विभाग विफल रहा

(ii) **प्रसवपूर्व अपर्याप्त देखभाल:** भा.लो.स्वा.मा. के मानदंड 2012 के अनुसार, सम्पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जल्दी पंजीकरण, तीन बार लगातार प्रसव पूर्व देखभाल तथा तीसरी बार चिकित्सक की मुआयना की समीक्षा के साथ सेवाओं के सम्पूर्ण पैकेज का प्रावधान जरूरी है। राज्य में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत 37.51 लाख गर्भवती महिलाओं (ग.म.) को दूसरा और चौथा प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने में क्रमशः 26.82 लाख (72 प्रतिशत) तथा 11 लाख (29 प्रतिशत) की कमी देखी गयी (परिशिष्ट-2.1.32)।

विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

(iii) **अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल संबद्ध सेवाएँ:** प्रसव पूर्व देखभाल संबद्ध सेवाएँ गर्भवती महिलाओं के लिए सामान्य जाँच जैसे, उँचाई, वजन, रक्त चाप, खून की कमी (एनीमिया), पेट की जाँच, स्तन जाँच तथा आयरन एवं फॉलिक एसिड (आई.एफ.ए.) टेबलेट, टेटनस टॉक्साइड (टे.टॉ.) इंजेक्शन प्रदान करने का अधिदेश देता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य में 2011-16 के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए 37.51 लाख पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से गर्भवती महिलाओं को प्रथम टे.टॉ. इंजेक्शन तथा दूसरा टे.टॉ. इंजेक्शन प्रदान करने में क्रमशः 6.19 लाख (16 प्रतिशत) तथा 8.02 लाख (21 प्रतिशत) की कमी थी। उसी प्रकार, गर्भवती महिलाओं को आई.एफ.ए. टेबलेट प्रदान करने में 16.39 लाख (44 प्रतिशत) की कमी आई। प्रसंगवश, 2011-16 के दौरान लेखापरीक्षा ने चार नमूना-जाँचित जिलों⁶⁵ में 5.84 लाख जीवित बच्चों के प्रतिवेदित मामलों के विरुद्ध 31430 (5 प्रतिशत) बच्चों में कम वजन के बच्चों के जन्म के मामले तथा 9477 (2 प्रतिशत) मृत बच्चों के जन्म के मामले देखे गये। राज्य में पर्याप्त प्रसव पूर्व सेवाएँ प्रदान करने में विफलता कम वजन/मृत बच्चे का जन्म का खतरा बढ़ा सकता है।

विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

⁶⁵ दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

(iv) पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रसव (संस्थागत और घर) में कमी: लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य में 2011-16 के दौरान कुल 37,51,047 गर्भवती महिलाएँ पंजीकृत की गईं जिनमें से 31,50,713 (84 प्रतिशत) संस्थागत (जि.अ., स.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के.) और घर में प्रसव दर्ज पाये गये जबकि राज्य द्वारा पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का पता (खोज) लगाने की प्रणाली विकसित नहीं किये जाने के कारण 2011-16 के दौरान शेष 600,344 (16 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं का पता नहीं लगा। इससे यह माना जा सकता था कि गर्भवती महिलायें या तो बाहर चली गईं या उनके प्रसव निजी अस्पताल में हुए।

विवरण तालिका-2.1.13 में नीचे दिये गये हैं:

तालिका-2.1.13: 2011-16 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रसव (संस्थागत तथा गृह) में कमी का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	पंजीकृत ग.म. की कुल संख्या	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में संस्थागत प्रसव की संख्या (संख्या/प्रतिशत)	निबंधित गर्भवती महिलाओं के विरुद्ध गृह प्रसव की (संख्या/प्रतिशत में)	निबंधित गर्भवती महिलाओं के विरुद्ध कुल प्रतिवेदित प्रसव (संख्या/प्रतिशत में)	अंतर (संख्या/प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
1.	2011-12	734914	372229 (51)	211462 (29)	583691 (80)	151223 (20)
2.	2012-13	724839	435668 (60)	176135 (24)	611803 (84)	113036 (16)
3.	2013-14	801120	504646 (63)	141092 (18)	645738 (81)	155382 (19)
4.	2014-15	782667	500177 (64)	136567 (17)	636744 (81)	145923 (19)
5.	2015-16	707507	555785 (79)	116952 (16)	672737 (95)	34770 (5)
	कुल	3751047	2368505 (63)	782208 (21)	3150713 (84)	600334 (16)

(स्रोत: झा.या.स्वा.मि.सो.)

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

(v) कुशल जन्म परिचारी के बिना घरेलु प्रसव: लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2011-16 के दौरान राज्य में कुल 7.8 लाख घरेलु प्रसवों के विरुद्ध 6.2 लाख (79 प्रतिशत) प्रसवों में एस.बी.ए. यथा चिकित्सक/नर्स/ए.एन.एम. के द्वारा भाग नहीं लिया गया जो निर्धारित मानदंड का उल्लंघन था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

(vi) परिवार नियोजन कार्यान्वयन में खामियां: परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य उचित परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित कर कुल प्रजनन दर (कु.प्र.द.) को कम करना था। झारखण्ड का लक्ष्य 2015-16 तक 2.4 का कुल प्रजनन दर तक पहुँचाना था। जिसके विरुद्ध उपलब्धि मार्च 2016 तक 2.7 था।

• सीमित तरीके: परिवार नियोजन के सीमित तरीकों में पुरुषों के लिए पुरुष नसबंदी और महिलाओं के लिए महिला नसबंदी शामिल है। राज्य द्वारा निर्धारित

प्रसव में 79 प्रतिशत गृह प्रसव में कुशल जन्म परिचारी द्वारा सेवा नहीं दिया गया

कुल 9.75 लाख नसबंदी के लक्ष्य के विरुद्ध 2011-16 के दौरान उपलब्धि 6.15 लाख थी। इस प्रकार, संपूर्ण कमी 3.60 लाख (37 प्रतिशत) थी। 2012-16 (परिशिष्ट-2.1.33) के दौरान नसबंदी के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 73 से घटकर 42 प्रतिशत हो गई।

- **अंतराल तरीका:** आई.यू.सी.डी. की प्रविष्टि, मुखवर्ती गोलियों का वितरण और कंडोम के लिए क्रमशः 10.82 लाख, 706 लाख और 44.70 करोड़ राज्य द्वारा तय लक्ष्य के विरुद्ध 2011-16 (परिशिष्ट-2.1.34) के दौरान संपूर्ण कमियाँ क्रमशः 52, 96 और 95 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, 2015-16 तक 2.4 का कुल प्रजनन दर तक पहुँचने का रा.ग्रा.स्वा.मि. का अधिदेश प्राप्त नहीं किया गया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

(vii) मरीजों का चिकित्सा सलाह के विरुद्ध पलायन (एल.ए.एम.ए.)

नमूना जांचित जिलों के दो जिला अस्पतालों, एक अनुमंडलीय अस्पताल और दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आईपीडी पंजियों की नमूना जाँच में भी अपर्याप्त सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की पुष्टि हुई। यह देखा गया था कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 6064 प्रसव कक्ष में भर्ती मरीज (45017 मरीजों में से) चिकित्सक के सलाह के विरुद्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को छोड़ दिये। चिकित्सक के सलाह के विरुद्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को छोड़ने वाले ऐसे रोगी 0.3 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच थे। मरीजों का चिकित्सक को सलाह के विरुद्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ना त्रुटीपूर्ण सेवा प्रदान करने या रोगों में अपर्याप्त चिकित्सा जागरूकता या दोनों (परिशिष्ट-2.1.35) का संकेत था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया।

2.1.19.2 लाभार्थी और आशा (मान्यता प्राप्त सामाजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता)/सहिया सर्वेक्षण निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके प्रत्येक नमूना चयनित स्वा.उ.के. (690 पात्र लाभार्थी और 207 आशा/सहिया) में 10 जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों और तीन आशा का सर्वेक्षण किया। नीचे दिये गये सर्वेक्षण के परिणाम लेखापरीक्षा निष्कर्ष और उपर्युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यवस्था के आंकड़ों में उठाये गये अपर्याप्तता को सम्पुष्ट किया :

लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने पाँच नमूना-जाँचित जिलों⁶⁶ में 690 सर्वेक्षित लाभार्थियों से पाया:

⁶⁶ दुमका, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम।

नमूना-जाँचित जिलों में, त्रुटीपूर्ण सेवा प्रदान करने या मरीजों में अपर्याप्त जागरूकता के कारण से 0.3 से 80 प्रतिशत मरीज बिना चिकित्सा सलाह के स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ रहे थे

- **गर्भावस्था का पंजीकरण:** 690 सर्वक्षित लाभार्थियों में, 377 (55 प्रतिशत) लाभार्थियों का पंजीकरण समय से हुआ। 155 (22 प्रतिशत) लाभार्थियों का पंजीकरण उनके गर्भ धारण के चार से छह महीने के बीच हुआ था, 45 (पाँच प्रतिशत) लाभार्थियों का पंजीकरण उनके गर्भधारण के छह से नौ महीने के बीच हुआ था और 113 (16 प्रतिशत) लाभार्थियों को उनके गर्भधारण के पंजीकरण की जानकारी नहीं थी।
 - **नियत तिथि की जानकारी:** 336 लाभार्थियों को उनके प्रसव की तिथि की जानकारी थी जबकि 354 (51 प्रतिशत) लाभार्थियों को उनके प्रसव के नियत तिथि के बारे में पता नहीं था।
 - **प्रसव पूर्व देखभाल (प्र.पू.दे.):** गर्भवती महिलाओं को कम से कम चार बार प्रसव पूर्व देखभाल के लिए केन्द्रों में जाना आवश्यक है। लाभार्थी सर्वेक्षण में लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 (चार प्रतिशत) लाभार्थी मात्र एक बार स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल पहुँचे, 99 (14 प्रतिशत) लाभार्थी दो बार स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल पहुँचे, और 136 (20 प्रतिशत) लाभार्थी तीन बार स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल पहुँचे और 430 लाभार्थी चार बार या अधिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल पहुँचे।
 - योजना के दिशा-निर्देशों के तहत, आशा (सहिया) को गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन बार लाभार्थी के घर में मिलने जाना आवश्यक है। नमूना में, सहिया गर्भावस्था के दौरान 20 गर्भवती महिलाओं (तीन प्रतिशत) के पास एक बार, 76 गर्भवती महिलाओं (11 प्रतिशत) के पास दो बार, 88 गर्भवती महिलाओं (13 प्रतिशत) के पास तीन बार और 506 गर्भवती महिलाओं के पास (76 प्रतिशत) चार या इससे अधिक बार मिलने पहुँच पाये। इस प्रकार, आवश्यक मुलाकात सुनिश्चित नहीं किया गया।
 - रा.ग्रा.स्वा.मि. को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य कार्यान्वित किया जा रहा है। 589 (85 प्रतिशत) लाभार्थियों के स्वास्थ्य सुविधाओं में (सा.स्वा.के. 207 लाभार्थी, प्रा.स्वा.के. 196 लाभार्थी, स्वा.उ.के. 186 लाभार्थी) प्रसव किया गया, 37 लाभार्थियों के निजी अस्पतालों में प्रसव किया गया, 63 लाभार्थी के घर में प्रसव किया गया और एक लाभार्थी का रास्ते में प्रसव किया गया। इस प्रकार, सभी सर्वक्षित मामलों में संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित नहीं किया गया।
- विभाग द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्षों का कोई जवाब नहीं दिया गया।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, सहियाओं को संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करना है। 454 मामलों में (लाभार्थियों) सहियाओं ने तुरंत कार्यवाही की 139 (20 प्रतिशत) मामलों में गर्भावस्था के दौरान जब लाभार्थियों के द्वारा बुलाया गया किसी भी मुद्दे पर तुरंत कार्यवाही नहीं की जबकि 97 लाभार्थियों के द्वारा कोई विशिष्ट प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

- **एम्बुलेंस उपलब्धता:** जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क रेफरल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह देखा गया कि 412 लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) ने एम्बुलेंस बुलाया जबकि 278 (40 प्रतिशत) लाभार्थियों ने एम्बुलेंस नहीं बुलाया। पुनः, 596 मामलों में एम्बुलेंस समय पर पहुँचा और 94 (14 प्रतिशत) मामलों में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँचा। चार लाभार्थियों को एम्बुलेंस सेवा के लिए ₹ 150 से ₹ 400 भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार, सभी मामलों में रेफरल परिवहन सुविधा प्रदान नहीं किया गया।
- **स्वास्थ्य सुविधा में ठहरना:** जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को प्रसव के बाद कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल सुविधाओं में ठहरना है। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण में पता चला कि 99 (14 प्रतिशत) लाभार्थी प्रसव के बाद 12 घंटे तक स्वास्थ्य संस्थाओं में रुके, 300 (43 प्रतिशत) लाभार्थी प्रसव के बाद 12-24 घंटों के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में रुके, 128 (19 प्रतिशत) लाभार्थी प्रसव के बाद 24-48 घंटों के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में रुके और 163 (24 प्रतिशत) लाभार्थी प्रसव के बाद 48 घंटे से अधिक रुके। इस प्रकार, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का किसी भी मामले में पालन नहीं किया गया।
- 612 लाभार्थियों को स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क भोजन प्रदान किया गया, जबकि 21 लाभार्थियों को उनको दिये गये भोजन के लिए भुगतान करना पड़ा और 57 (8 प्रतिशत) लाभार्थियों को स्वास्थ्य संस्थाओं में भोजन प्रदान नहीं किया गया।
- **जननी सुरक्षा योजना नकद प्रोत्साहन:** जननी सुरक्षा योजना के तहत, प्रत्येक महिला संस्थागत प्रसव के तुरंत बाद ₹ 1400 का नकद प्रोत्साहन के लिए हकदार है। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण से पता चला कि 408 लाभार्थियों को प्रोत्साहन का भुगतान किया गया जबकि 282 (41 प्रतिशत) लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया। 408 लाभार्थियों में से 198 को समय से प्रोत्साहन मिला जबकि 210 (30 प्रतिशत) लाभार्थियों को एक से 365 दिनों के विलम्ब से प्रोत्साहन का भुगतान किया गया। इस प्रकार सभी गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन का भुगतान समय पर नहीं किया गया।
- **प्रसवोत्तर देखभाल (पीएनसी):** दिशा-निर्देशों के तहत, नई माताओं को प्रसव के 42 दिनों के अन्दर प्रसवोत्तर देखभाल हेतु कम से कम चार बार स्वास्थ्य सुविधाओं में जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण ने उद्घटित किया कि 66 (10 प्रतिशत) लाभार्थी प्रसवोत्तर देखभाल के लिए केवल एक बार स्वास्थ्य सुविधाओं में पहुँचे, 134 (19 प्रतिशत) लाभार्थी दो बार स्वास्थ्य सुविधाओं में पहुँचे, 195 (28 प्रतिशत) लाभार्थी तीन बार स्वास्थ्य सुविधाओं में पहुँचे और 295 (43 प्रतिशत) लाभार्थी प्रसवोत्तर देखभाल के लिए चार बार स्वास्थ्य सुविधाओं में पहुँचे। इस प्रकार प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में सूचना का उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया प्रतीत नहीं होता है।

- दिशा-निर्देश के तहत, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रसव की तिथि से सात दिनों के भीतर कम से कम दो बार लाभार्थी के घर भ्रमण करना है। 413 मामलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लाभार्थी के घर में दो से सात दिन के बीच में भ्रमण किया, 174 (25 प्रतिशत) मामलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता माँ और बच्चा की जाँच कराने के लिए लाभार्थी के घरों का दौरा नहीं किया और 103 मामलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भ्रमण की जरूरत के बारे में लाभार्थी को पता नहीं था।
- 564 लाभार्थियों ने विटामिन ए का खुराक पाई, 71 (10 प्रतिशत) लाभार्थियों को विटामिन 'ए' खुराक नहीं प्राप्त हुआ तथा 55 (प्रतिशत) लाभार्थियों को इस सेवा की जानकारी नहीं थी।

इस प्रकार, प्रसवोत्तर देखभाल उपायों को ठीक से लागू नहीं किया गया।

आशा (सहिया) सर्वेक्षण

207 आशा (सहिया) के सर्वेक्षण के परिणाम निम्नलिखित हैं:

- **प्रशिक्षण:** जननी सुरक्षा योजना के तहत, सहियाओं को आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। पैन्तालिस नमूना-जाँचित सहिया आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षित थे और 162 (78 प्रतिशत) सर्वेक्षित सहिया आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित नहीं थे और एक सामान्य प्रसव का संचालन करने के लिए उनके पास आवश्यक उपकरण नहीं था। यह उन्हें प्रभावी ढंग से अधिदेशित स्वास्थ्य देखभाल सेवा देने में रुकावट बना।

किट का उपयोग

लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षित 207 आशा (सहियाओं) में से 31 सहियाओं के पास प्रयोज्य प्रसव किट था और 16 सहियाओं के पास गर्भावस्था परीक्षण किट था इसका उपयोग करने के लिए उन्हें पता नहीं था। उसी तरह, 56 सहियाओं के पास रक्तचाप मॉनिटर था, सात सहियाओं के पास पैरासिटामोल की गोलियाँ और आयरन की गोलियाँ थी और छह सहियाओं के पास कृमिनाशक गोलियाँ थी लेकिन उन्हें इसके उपयोग के बारे में पता नहीं था। यह अधिदेशित स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने में सहियाओं की प्रभावशीलता को कम किया।

- **प्रोत्साहनों की प्राप्ति:** जननी सुरक्षा योजना के तहत, सहियाओं को प्रत्येक गतिविधि जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल इत्यादि के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण ने उद्घटित किया कि 83 सहियाओं को हमेशा समय पर प्रोत्साहन का भुगतान हुआ, 64 सहियाएं आमतौर पर समय से प्रोत्साहन प्राप्त किये, चार सहियाओं को कभी-कभी प्रोत्साहन मिला, 29 (14 प्रतिशत) सहियाओं को शायद ही कभी प्रोत्साहन मिला और 27 (13 प्रतिशत) सहियाओं को समय से प्रोत्साहन कभी नहीं मिला। यह सहियाओं को अपना कर्तव्य लगान से करने में हतोत्साहित करता है।

रा.ग्रा.स्वा.मि. के कार्यावयन के द्वारा इच्छित रा.स्वा.मि. उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ

2.1.20 अंतिम लक्ष्यों की स्थिति

रा.ग्रा.स्वा.मि. का लक्ष्य 2017 तक आई.एम.आर. 25 प्रति एक हजार जीवित जन्म, एम.एम.आर 100 प्रति लाख जीवित जन्म एवं टी.एफ.आर. को 2.1 तक कम करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी) पर हस्ताक्षर करनेवाला भी है जैसा नीचे दिखाया गया है। पिछले दो नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के अनुसार महत्वपूर्ण संकेतों के आंकड़े जैसा नीचे की तालिका-2.1.14 में दिखाये गये हैं:

संकेतक	31 मार्च 2016 तक सहस्राब्दि विकास गोल का लक्ष्य	रा.स्वा.मि. उद्देश्य (2012-17)	पिछले नमूना सर्वेक्षण पंजीकरण के अनुसार उपलब्धि		
			झारखण्ड (2001)	झारखण्ड (2007)	झारखण्ड (2012/13)
शि.मृ.द.	26	25 से कम	62	48	37
मा.मृ.द.	100	100 से कम	400	261	208
कु.प्र.द.	2.1	2.1 से कम	3.4*	3.2*	2.7

(स्रोत- सर्वेक्षण पंजीकरण नमूना) *वर्ष 2006

हालांकि रा.ग्रा.स्वा.मि. योजना के कार्यान्वयन के बाद ग्यारह वर्षों के दौरान राज्य के मानकों में सुधार हुआ है फिर भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक लक्ष्यों के नजदीक नहीं पहुँचा जैसा कार्यक्रम में निर्धारित था। इस प्रतिवेदन का मुख्य आकर्षण रा.ग्रा.स्वा.मि. के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मूल चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

2.1.21 निष्कर्ष

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मानदंडों के तहत आवश्यक लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बुनियादी सुविधाओं को सृजित करने में राज्य गंभीर रूप से असफल हो गया था। राज्य में आवश्यकता और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के. में कमी 2011 में क्रमशः 45, 76 और 55 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में क्रमशः 51, 79 और 60 प्रतिशत हो गये क्योंकि रा.ग्रा.स्वा.मि. तथा राज्य का हस्तक्षेप मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन पर केन्द्रित था जबकि उपेक्षित क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण की उपेक्षा की गई।
- भा.लो.स्वा.मा. के मानदंड तथा स्वीकृत बल के आधार पर यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों (92 और 78 प्रतिशत), चिकित्सा पदाधिकारियों (61 और 36 प्रतिशत), स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. (27 और 26 प्रतिशत) और पारा मेडिकल स्टाफ (52 और 40 प्रतिशत) की कमियाँ थी। नमूना-जाँचित जिलों में रा.गु.आ.ई कार्यरत नहीं थी जबकि जि.गु.आ.ई. गठित नहीं की गई।
- जिला अस्पतालों में 57 और 86 प्रतिशत के बीच, अनुमंडलीय अस्पतालों में 79 प्रतिशत और सा.स्वा.के. में 44 और 92 प्रतिशत के मध्य की चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण की महत्वपूर्ण कमियों का सामना करना पड़ा जबकि

महत्वपूर्ण दवाओं की कमी जि.अ. में 75 से 88 प्रतिशत, सा.स्वा.के. में 32 से 82 प्रतिशत और प्रा.स्वा.के. में 61 से 91 प्रतिशत और स्वा.उ.के. में 22 से 83 प्रतिशत थी। नमूना-जांचित जि.अ. में रोगशय्या क्षमता में कमी 50 और 76 प्रतिशत के बीच और सा.स्वा.के. में 47 और 90 प्रतिशत के बीच थी। किसी भी नमूना जांचित प्रा.स्वा.के. में आवश्यक प्रयोगशाला सेवाएं उपलब्ध नहीं थी।

- 2011-15 के दौरान 55 से 61 प्रतिशत के बीच व्यय कम था जिसके परिणामस्वरूप जरूरत से काफी कम क्षमता का सृजन हुआ और सेवाओं की अपर्याप्त व्यवस्था हुई।
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त सुधार के अभाव में शिशु और मातृ मृत्यु दर (आई.एम.आर.: 37/1000, एम.एम.आर.: 208/1,00,000) था: जो कि रा.ग्रा.स्वा.मि. लक्ष्यों (आई.एम.आर.: 25/1000 से कम, एम.एम.आर.: 100/1,00,000 से कम) और एम.डी.जी (आई.एम.आर.: 26/1000 और एम.एम.आर. 100/1,00,000) से काफी कम था।

2.1.22 अनुशासण

- बुनियादी ढांचे, उपकरण, दवाओं, जांच सेवाओं जैसी सुविधाओं में कमियों का आकलन किया जाना चाहिए और इन कमियों को पाटने के लिए यथाशीघ्र उपाय किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को अपने बजट के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए और अपने वास्तविक वार्षिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रावधानित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की सेवा सुपूर्दगी को उन्नत किया जाना चाहिए और रिक्त पदों की कमी को दूर करने के लिए कुशल जनशक्ति को भर्ती किया जाना चाहिए।
- झा.ग्रा.स्वा.मि. के कामकाज को समीक्षा और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों को ठीक से कार्यान्वित किया जा सके।

उद्योग और खान एवं भूतत्व विभाग

2.2 झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलापों/पहलों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड को निवेशकों के सबसे अनुकूल गंतव्य बनाने के उद्देश्य से जून 2012 में झारखण्ड औद्योगिक नीति (झा.औ.नी.) 2012 की घोषणा की गई। राज्य के औद्योगीकरण के लिये निवेशकों को आकर्षित करने एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नीति का जोर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करना, विधिक सुधारों में परिवर्तन लाना इत्यादि है। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

- झारखण्ड में व्यवसाय की कार्य सुभिता व्यवसाय स्थापित करने, भूमि का आवंटन तथा बिजली, जल एवं कच्चे मालों की अबाधित आपूर्ति के क्षेत्रों में बाधा से प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती नीति अवधि (2000-11) में ₹ 28,424 करोड़ की तुलना में उद्योग नीति 2012 (2011-16) की अवधि में निवेश में ₹ 4,493 करोड़ तक की कमी आई। अन्य जिलों में समान निवेश क्षमता के बावजूद निवेश 24 में से 8 जिलों में सीमित था। आगे, भू-अर्जन में असफलता एवं उद्योग स्थापित करने में सरकारी सरलीकरण की कमी के कारण 48 प्रतिशत समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) रद्द हो गये, परिणामस्वरूप राज्य ₹ 62,879 करोड़ के निवेश से वंचित हो गया। इसी बीच प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद 10 वर्षों के बाद भी पांच स्टील सह कैप्टिव विद्युत कारखानों को स्थापित करने में विफलता के कारण राज्य ने ₹ 1.60 लाख करोड़ के निवेश के अवसर भी खो दिया।

(कंडिकाएं 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, एवं 2.2.11)

- राज्य में एकल खिड़की प्रणाली (ए.खि.प्र.) केवल आंशिक रूप से क्रियाशील था और इसलिए बड़े निवेशकों की कठिनाईयों का निवारण नहीं कर सका क्योंकि निवेशक एक जगह पर आवश्यक विभागों/अभिकरणों से मंजूरी प्राप्त नहीं कर सके। फलस्वरूप ए.खि.प्र. परियोजनाओं में बाधा निवारण करने में असफल रहा जिसके कारण समझौता ज्ञापन अनुबन्ध के हस्ताक्षर के 4 से 13 वर्षों के बाद भी परियोजनाएँ स्थापित नहीं की जा सकीं।

(कंडिका 2.2.9)

- ऑटोमोबाइल एवं ऑटो अवयवों के लिए राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र यद्यपि स्वीकृत था लेकिन सरकार के विलंबित कार्रवाई के कारण स्थापित नहीं हो सका। इसने राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रोत्साहन को अवरुद्ध किया और निवेश आकर्षित करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.2.12)

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति जिसे झा.औ.नि. 2012 के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी थी जिससे कि निवेशकों को आकर्षित कर निवेशों को प्रोत्साहित किया जा सके, गठित नहीं की गयी। इस प्रकार, न तो सरकार द्वारा झा.औ.नि. 2012 के कार्यान्वयन की प्रगति का उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया गया और न ही नीति की मध्यावधि समीक्षा की गयी।

(कंडिका 2.2.16)

2.2.1 प्रस्तावना

बड़े औद्योगिक भविष्य के साथ व्यापक रूप से एक क्षेत्र के रूप में प्रशंसित झारखण्ड में औद्योगीकरण की विशाल क्षमता है। खनिजों की प्रचूरता के साथ यह सभी प्रकार के उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थान है। देश के कुल खनिज क्षमता का 40 प्रतिशत राज्य के पास उपलब्ध है।

स्थानीय लाभ से प्रेरित करने एवं इसे निवेशकों का सबसे अनुकूल स्थान बनाने की दृष्टि से जून 2012 में झारखण्ड औद्योगिक नीति (झा.औ.नी.) 2012 की घोषणा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, वैधानिक सुधार लाने एवं राज्य में औद्योगीकरण में निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाने हेतु किया गया। झा.औ.नी. 2012 का उद्देश्य झा.औ.नी. 2001 की कमियों में सुधार करना भी था।

2.2.2 सांगठनिक ढांचा

राज्य के निवेश क्रियाकलापों¹ के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक नीति के पूर्ण क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की है। राज्य स्तर पर उद्योग निदेशक नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। क्षेत्रीय/जिला स्तर पर विभाग के सभी क्रियाकलापों की जिम्मेवारी चार² औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों (औ.क्षे.वि.प्रा.) के प्रबंध निदेशकों एवं 12 जिला औद्योगिक केन्द्रों³ (जि.औ.के.) के महाप्रबंधकों के अधीन है।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

- पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में औद्योगिक नीति 2012 के कार्यान्वयन के बाद निवेश बढ़ा;

¹ अप्रैल 2016 से प्रभावी एक नई औद्योगिक नीति- झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 जारी किया गया है।

² आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (आ.औ.क्षे.वि.प्रा.), बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बो.औ.क्षे.वि.प्रा.), रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रा.औ.क्षे.वि.प्रा.) एवं संथाल परगणा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा.)

³ राज्य के सभी 24 जिलों को आच्छादित करते हुए।

- औद्योगिक नीति 2012 को निवेश क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित, दक्ष और प्रभावी तरीके से लागू किया गया; और
- निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु जमीन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं नियमों के अनुसार उपलब्ध करायी गई।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा परिणाम हेतु मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किये गए थे:

- झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012; और
- निवेश पहलों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार (केन्द्र/राज्य) द्वारा निर्गत परिपत्रों/आदेशों और अन्य दिशानिर्देशों/सुझावों/नीतियाँ।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि

निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलापों/पहलों को लेखापरीक्षा ने दो चरणों में मूल्यांकन किया; पहला 2011 तक प्रतिवेदित उपलब्धियों को और दूसरा झा.औ.नी. 2012 के लक्ष्यों के विरुद्ध जो अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक प्रभावी थे। इसके लिए, उद्योग निदेशालय, चारों⁴ औ.क्षे.वि.प्रा. और 12 जि.उ.के. में से छह⁵ के 2011-12 से 2015-16 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच अप्रैल से जुलाई 2016 के बीच किया गया।

निदेशक, उद्योग के साथ 06 अप्रैल 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्ड, क्षेत्र और क्रियाविधि पर चर्चा की गई। निकास सम्मेलन सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 4 नवम्बर 2016 को आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। विभाग के जवाबों को यथास्थान समाहित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 व्यवसाय कार्य सुचिता (इज ऑफ़ इईंग बिजनेस)

दिसम्बर 2014 में “मेक इन इन्डिया” कार्यशिविर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें भारत के प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं सरकार के सचिवों ने भाग लिया। भाग लेनेवाले सभी सरकारों द्वारा पूरे राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में व्यवसाय सुधार के लिए एक 98-बिन्दु कार्य योजना पर सहमति बनी। कार्य-योजना का उद्देश्य सरकार के सेवाओं एवं

⁴ आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (आ.औ.क्षे.वि.प्रा.), बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बो.औ.क्षे.वि.प्रा.), रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रा.औ.क्षे.वि.प्रा.) एवं संचाल परगणा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा.)

⁵ डाल्टनगंज, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग और लोहरदगा (सरल यादृच्छिक नमूना माध्यम से चयनित)

विनियामक कार्यकलापों में दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार तथा पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में अनुशंसा करना था जिससे भारत में कारोबार करने में मदद मिले। राज्य स्तर पर विनियामक कार्य के सरलीकरण को भारत में एक महत्वाकांक्षी 'व्यवसाय कार्य सुभिता' (व्य.का.सु.) पहल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया गया। व्यवसाय सुधारों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन एक प्रतिवेदन⁶ के रूप में विश्व बैंक द्वारा संकलित किया गया (सितम्बर 2015)। प्रत्येक राज्य एवं संघ क्षेत्र से संरचित प्रश्नावली के द्वारा आँकड़े एकत्रित किये गये और 98-बिन्दु कार्य योजना से 285 प्रश्न तैयार किये गये जिसे आठ विभिन्न क्षेत्रों⁷ में वर्गीकृत किया गया। प्रतिक्रिया के आधार पर व्यवसाय कार्य सुभिता में झारखण्ड को भारत में तीसरे स्थान पर रखा गया। तथापि, उन्हीं मापदण्डों के आधार पर विश्व बैंक के मूल्यांकन प्रतिवेदन (अक्टूबर 2016) में यह स्थान खिसककर सातवाँ हो गया।

2.2.6.1 प्रतिवेदन विश्लेषण

झारखण्ड में व्यवसाय कार्य सुभिता विभिन्न बाधाओं से प्रभावित हुआ जैसे व्यवसाय लगाने, भूमि आवंटन इत्यादि जो राज्य में निवेशों को आकर्षित करने में मुख्य क्षेत्र हैं

प्रतिवेदन विश्लेषण में लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ विभिन्न क्षेत्रों में से सिर्फ दो में झारखण्ड की श्रेणी उच्च पाँच (प्रथम स्थान) स्थानों में थी, नामतः (i) श्रम विनियमों का अनुपालन और (ii) निरीक्षण (परिशिष्ट-2.2.1) जबकि अन्य छह क्षेत्रों में यथा व्यवसाय स्थापित करने, संविदाओं को लागू करने, आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रयोज्यता प्राप्त करना, जमीन आवंटन, पर्यावरणीय मामलों का अनुपालन जैसे क्षेत्रों में 15 और 50 प्रतिशत अंकों के बीच⁸ झारखण्ड शीर्ष पाँच राज्यों में स्थान नहीं बना पाया।

प्रतिवेदन में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं लाभकों अर्थात् निजी क्षेत्र द्वारा सुधारों को वास्तव में महसूस किया गया अथवा नहीं, को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।


जमीनी वास्तविकता जानने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा हितधारकों, जो उद्योग-क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जैसे फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर और कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज (एफ.जे.सी.सी.आई) और झारखण्ड स्मॉल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन (जे.एस.आई.ए.) का लाभुक सर्वे एवं एफ.जे.सी.सी.आई. और जे.एस.आई.ए. के साथ बैठकें करके प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया गया। इन उद्योग समूहों की प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

⁶ व्यवसाय सुधार का राज्य द्वारा क्रियान्वयन का मूल्यांकन (सितम्बर 2015)

⁷ व्यवसाय स्थापित करना, भूमि आवंटन एवं निर्माण अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, पर्यावरण प्रक्रियाओं का अनुपालन, श्रम कानूनों का अनुपालन, आधारभूत संरचना से संबंधित उपयोज्यता प्राप्त करना, कर प्रक्रियाओं का अनुपालन एवं निबंधन, निरीक्षणों का पालन करने एवं संविदाओं को लागू करना।

⁸ (i) व्यवसाय लगाना - 15 प्रतिशत (ii) संविदा लागू करना - 23 प्रतिशत (iii) आधारभूत संरचना उपयोज्यता प्राप्त - 26 प्रतिशत (iv) भू आवंटन - 42 प्रतिशत (v) पर्यावरणीय मामलों का अनुपालन - 50 प्रतिशत

- छोटानागपुर टीनैन्सी एक्ट/संथाल परगना टीनैन्सी एक्ट (सी.एन.टी./एस.पी.टी.) से उत्पन्न बाधाओं, नीतिगत समस्याओं और सरकारी प्रयास में उदासीनता के कारण राज्य में व्यवसाय स्थापित करने हेतु जमीन आसानी से उपलब्ध नहीं है।
- सभी तरह की व्यवसायिक मंजूरी के लिए राज्य में कोई एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विन्डो सिस्टम) उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर पारदर्शिता और तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार के तरफ से इच्छा शक्ति की कमी थी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र, खनिजों की उपलब्धता, अच्छी बिजली आपूर्ति, स्पष्ट नीति, आवेदनों की त्वरित स्वीकृति, उद्योगपतियों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण इत्यादि की आशाएँ एफ.जे.सी.सी.आई. को थी जो सरकार से नहीं मिल पायी है।
- झारखण्ड लघु उद्योग संघ ने यह इंगित किया कि सरकार द्वारा झा.औ.नी. 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन में विफलता एम.एस.एम.ई. के विकास में मुख्य बाधा थी जैसे क्रय नीति, बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति, सख्त पर्यावरणीय मंजूरी के कारण खान एवं खनिजों को प्राप्त करने में कठिनाईयाँ, एम.एस.एम.ई. के लिए जमीन का अभाव इत्यादि।
- भारत के एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इन्डस्ट्रीज (एसोचैम) ने भी अपने प्रतिवेदन- “झारखण्ड में निवेश कार्यान्वयन में विलम्ब का प्रभाव- एक विश्लेषण” में बताया (अक्टूबर 2015) कि राज्य में निवेश हेतु निवेशकों को प्रोत्साहित करने में राज्य विफल हो गया था। निवेश निष्पादन खराब था एवं निवेश वृद्धि में निरंतर गिरावट थी जो 2010-11 में 25.70 प्रतिशत थी जबकि 2014-15 में (-) 10.10 प्रतिशत तक घट गई जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है:-



(स्रोत: एसोचैम आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो)

इस प्रकार, विश्व बैंक के प्रतिवेदन में मूल्यांकित झारखण्ड के प्रभावशाली स्थान को हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के साथ देखे जाने की जरूरत है जैसा कि इनके ही प्रतिवेदन में जोर दिया गया था।

इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2016) हितधारकों द्वारा उठाये गये मामलों पर विभाग ने कोई विशेष जवाब नहीं दिया। तथापि, निकास सम्मेलन में सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया कि वन निर्बाध मंजूरी एवं सी.एन.टी./एस.पी.टी. अधिनियम उद्योग स्थापित करने में मुख्य बाधक थे।

तथ्य वही रह जाते हैं कि झारखण्ड में व्यवसाय वातावरण उत्साहवर्द्धक नहीं है चूँकि राज्य में सुधारों को अभी भी कार्यान्वित किया जाना है।

औ.क्षे.वि.प्रा. और जि.उ.के. के साथ-साथ उद्योग विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की। यहाँ प्रस्तुत लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर व्यवसाय कार्य सुभिता में झारखण्ड की स्थिति वैसी प्रतीत नहीं होती जैसा कि विश्व बैंक ने अपने मूल्यांकन प्रतिवेदन में तृतीय स्थान देकर किया था।

2.2.7 झा.औ.नी. 2012 में प्रतिबद्ध विषयों का कार्यान्वयन नहीं होना

झा.औ.नी. 2012 की शर्तों के अनुसार 2011-16 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने उद्योग नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.) को लगाने हेतु सरलीकरण, सरकारी विभागों की मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली का सृजन, सरकार द्वारा अधिक औद्योगिक क्षेत्र प्रदान करना एवं निजी और लोक सहभागिता पद्धति पर विशेष उद्देश्य साधन (पी.पी.पी-एस.पी.भी.) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रोजगार सृजन (विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र) इकाइयों हेतु योजना बनायी।

उद्योग निदेशक के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया कि महत्वपूर्ण प्रतिबद्ध विषयों की उपलब्धि नहीं हो पायी जैसा कि तालिका-2.2.1 में वर्णित है:

तालिका-2.2.1: झा.औ.नी. 2012 के प्रतिबद्ध मुद्दे और उसकी स्थिति का विवरण

झा.औ.नी. 2012 की शर्त संख्या	प्रतिबद्ध विषयों	स्थिति	अभियुक्ति
3.2	एकल खिड़की प्रणाली का संचालन	आंशिक रूप से कार्यान्वित	कंडिका 2.2.9 में चर्चित
4	प्रत्येक जिले में भूमि बैंक का सृजन	सृजित नहीं किये गये	कंडिका 2.2.11 में चर्चित
16	विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र का सृजन	स्थापित नहीं किये गये	कंडिका 2.2.12 में चर्चित
22	फूड प्रसंस्करण पार्क की स्थापना	प्रगति में	मेगा फूड पार्क के लिए जमीन फरवरी 2016 में चिन्हित
30	कमजोर/बन्द इकाइयों का पुनरुद्धार	पुनर्जीवित नहीं किये गये	24 बड़े और 117 लघु उद्योग पुनर्जीवित नहीं किये गये।

(स्रोत: झा.औ.नी. 2012 और विभाग के संबंधित अभिलेख)


जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है झा.औ.नी. 2012 के महत्वपूर्ण प्रतिबद्ध विषय हासिल नहीं किये जा सके और राज्य, निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहा जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.2.8 निवेश पहल में विफलता

निवेश हेतु उद्योग की स्थापना के लिए झारखण्ड सरकार और भावी निवेशकों के बीच पहले चरण में समझौता जापन पर हस्ताक्षर किया जाता है जो निवेशकों की प्रवृत्ति का एक सूचकांक है। समझौता जापन में प्रस्तावित उद्योगों जिसमें निवेश होना है और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्भव सुविधाओं की संक्षिप्त चर्चा होती है। तदन्तर, एक द्वितीय स्तर का समझौता जापन हस्ताक्षर किया जाता है जिसमें परियोजनाओं का पूर्ण विवरण, अपेक्षित संसाधनों, राशि के सम्भव स्रोतों, कच्चे मालों, उपभोक्त्यों, उपयोगिताओं, अपेक्षित कार्यबल, आधारभूत संरचनाओं का विवरण और समय सीमा को समाविष्ट किया जाता है।

उद्योग निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि झारखण्ड राज्य सृजन (नवम्बर 2000) के उपरान्त झारखण्ड सरकार के द्वारा संभावित निवेशकों के साथ ₹ 3.51 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव वाले 79 समझौता जापन हस्ताक्षरित किये गये। ये मुख्यतः स्टील और सीमेन्ट क्षेत्रों में थे। 79 समझौता जापनों में से ₹ 0.63 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव के 38 समझौता जापन रद्द हो गये जबकि ₹ 2.26 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाले 23 समझौता जापन में उद्योग स्थापित नहीं किये गये थे। अवशेष 18 समझौता जापन (23 प्रतिशत) जिसमें प्रस्तावित निवेश ₹ 0.62 लाख करोड़ था, लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2016 तक निवेशकों द्वारा मात्र ₹ 0.33 लाख करोड़ का ही निवेश किया गया था। समझौता जापनों की स्थिति सारणी-2.2.1 में वर्णित है।

सारणी-2.2.1: राज्य सृजन के बाद समझौता जापन हस्ताक्षर की स्थिति




(स्रोत: उद्योग निदेशक द्वारा दी गई सूचना)

आगे यह विश्लेषित किया गया कि 18 समझौता ज्ञापनों में ₹ 33,169.49 करोड़ का निवेश प्रस्तावित था जिसमें एक समझौता ज्ञापन ₹ 20,000 करोड़ के निवेश के साथ टाटा स्टील के विस्तारीकरण की परियोजना थी। मौजूदा परियोजना के विस्तारीकरण से संबंधित समझौता ज्ञापन का श्रेय राज्य की प्रोत्साहन नीति को नहीं जाता है क्योंकि टाटा स्टील 1912 से ही राज्य में स्थापित (जमशेदपुर) है और कई अवसरों पर अपने स्टील कारखाना को विस्तारित किया है जो राज्य की विशेष नीतियों से स्वतंत्र है।

परिणामस्वरूप, झा.औ.नी. 2001 और झा.औ.नी. 2012 के दौरान रुचि रखने वाले उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 3.51 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन के विरुद्ध ग्रीन फिल्ड परियोजनाओं में नया निवेश ₹ 0.13 लाख करोड़ का था। इस प्रकार, आरम्भिक प्रतिबद्धता के विरुद्ध मात्र 3.8 प्रतिशत ही फलीभूत हो सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2011-16 के दौरान जो झा.औ.नी. 2012 से मेल खाता है, मात्र ₹ 22,011 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ चार समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। इनमें से राज्य में वास्तविक निवेश अभी भी फलीभूत होना है क्योंकि ये सारे परियोजनाएँ संभावित रूप से स्थापित किये जाने की श्रेणी में प्रतिवेदित हैं। यह निवेशकों के राज्य में निवेश प्रस्तावों की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसका विवरण सारणी-2.2.2 में है।

चार्ट-2.2.2: 2001-2016 के दौरान समझौता ज्ञापन और निवेश की स्थिति



(स्रोत: उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार)

₹ 62,878.68 करोड़ के निवेश के लिए 38 समझौता ज्ञापन रद्द होने और 23 समझौता ज्ञापन (₹ 2,26,070.31 करोड़) जो संभावित रूप से स्थापित किये जाने की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, से संबंधित परियोजना शुरू होने में विफलता के कारणों को पता

लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत प्रतिचयन पद्धति द्वारा क्रमशः 10 और छह समझौता जापन⁹ नमूना जाँच हेतु चयन किया। अवलोकन नीचे है:

2.2.8.1 रद्द समझौता जापन

38 समझौता जापन रद्द हो गये क्योंकि कारखानों की स्थापना में आयी रुकावटों या समझौता जापन हस्ताक्षर होने के उपरान्त निवेशकों की जमीन उपलब्धता में आयी बाधा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई तंत्र नहीं रखा गया था

कुल ₹ 14,926.50 करोड़ के निवेश प्रस्ताव वाले दस नमूना-जाँचित समझौता जापन, जो नवम्बर 2003 और अगस्त 2008 के बीच हस्ताक्षरित थे, निवेशकों द्वारा भूमि अधिग्रहण में विफलता, प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने में विफलता, कम्पनी का स्थानीय कार्यालय नहीं होने, कम्पनी द्वारा संभव प्रयास की कमी, समीक्षा बैठक में कम्पनी के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं होने, कारखानों के लिए स्थल चयन नहीं होने, कम्पनी को निर्गत कारण बताओ सूचना पर प्रतिक्रिया नहीं देने, कारखाना स्थापित करने में कम्पनी का अपर्याप्त रुचि या असंतोषजनक प्रगति या उनके द्वारा सिर्फ खनिज संसाधनों को प्राप्त करने की मंशा के कारण सरकार द्वारा उन समझौता जापनों को जनवरी 2009 और अक्टूबर 2012 के बीच रद्द कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कारखानों के स्थापना में आयी रुकावटों या समझौता जापन हस्ताक्षर होने के उपरान्त निवेशकों को भूमि उपलब्धता में आयी बाधा को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

विभाग ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तथापि, निकास सम्मेलन में सचिव ने बताया कि अधिकांश समझौता जापन परियोजना हेतु खनिज पट्टा प्राप्त करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किये गये थे लेकिन कोयला घोटाला के बाद सभी खनिज पट्टे रद्द किये गये और इन्हें नीलामी हेतु लाया गया जो बाजार प्रेरित है। नीलामी में सफल नहीं होने के कारण ये 38 समझौता जापन रद्द हो गये।

मामला यद्यपि वहीं का वहीं है कि सरकार द्वारा कच्चे माल का आवंटन सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण 38 समझौता जापन रद्द हो गये।

केस स्टडी

स्पांज आयरन कारखाना और कैप्टिव पावर प्लान्ट स्थापित करने हेतु झारखण्ड सरकार और मेसर्स राज रिफ़ैक्ट्रीज (पी) लिमिटेड के बीच ₹ 68.50 करोड़ के निवेश और 200 लोगों को रोजगार क्षमता वाले एक समझौता जापन हस्ताक्षर किया गया (जून 2004) जिसमें 50 एकड़ जमीन, प्रति घंटा 300 क्यूबिक मीटर पानी, और कच्चा माल जैसे लौह अयस्क, नन कोकिंग कोल, डोलोमाइट की आवश्यकता थी। कारखाना के स्थापना हेतु जमीन चिह्नित किया गया था लेकिन प्राथमिक जरूरतें जैसे पानी की आपूर्ति एव कच्चे माल की अबाधित आपूर्ति सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार, मूलभूत कच्चे माल के अभाव में परियोजना शुरू नहीं हो सका और अंततः समझौता जापन रद्द हो गया (जुलाई 2010)। आगे, कम्पनी ने मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु रुचि दिखायी (अप्रैल 2012) थी लेकिन सरकार ने मामले पर कोई

⁹ रद्द: 10 और संभावित रूप से स्थापित किये जाने वाले: 06

प्रतिक्रिया नहीं दी (जून 2016 तक)। परिणामस्वरूप, विभाग की जबाबदेही की कमी ने राज्य को ₹ 68.50 करोड़ के निवेश और कम से कम 200 लोगों के रोजगार सृजन से वंचित किया।

- राज्य में अनुकूल व्यवसाय वातावरण और निवेशों को आकर्षित करने के लिए कानून व्यवस्था की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भयरहित व्यवसायिक वातावरण सृजन करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 में से 21 जिला नक्सल प्रभावित हैं जहाँ नक्सल गतिविधियाँ और हत्या प्रतिवेदित किये जाते हैं। विशेष शाखा, झारखण्ड पुलिस के एक प्रतिवेदन के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड में नौ वाम पंथ अतिवादी समूह सक्रिय थे जो हत्या, वसूली, वाहन को जलाने, सरकारी सम्पत्ति जलाने, पुलिस को सूचना देनेवाले की हत्या, पुलिस कर्मियों एवं नागरिकों की हत्या एवं अपहरण जैसे अपराध करते थे। 2011-16 के दौरान 865 नक्सल घटनाएँ प्रतिवेदित की गईं जिसमें 584 लोग मारे गये (अगस्त 2016 तक) जो राज्य में खराब विधि व्यवस्था की स्थिति का एक सूचकांक है। एक एन.जी.ओ. बिन्द्राई इन्स्टीच्यूट फोर रिसर्च एण्ड एक्शन (बिरसा) ने अपने अध्ययन में बताया कि 2012-14 के दौरान 2057 नक्सल घटनाएँ घटीं जिसमें 273 लोग मारे गये। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में अनिश्चितता निवेशकों को हतोत्साहित करने के कारकों में से एक हो सकता है।

2.2.8.2 राज्य द्वारा ₹ 1.60 लाख करोड़ के निवेश दोहन का अवसर खोना

कुल ₹ 1.60 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ एकीकृत स्टील कारखाना सह कैप्टिव पावर प्लान्ट स्थापना हेतु पाँच प्रसिद्ध कारपोरेट हाउस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसका विवरण नीचे तालिका-2.2.2 में है:

तालिका-2.2.2: विख्यात कारपोरेट हाउस के साथ हस्ताक्षरित पाँच समझौता ज्ञापनों का विवरण

कम्पनी का नाम	कारखाना	स्थान	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में)	समझौता ज्ञापन की तिथि
मेसर्स टाटा स्टील (ग्रीन फिल्ड)	कैप्टिव पावर प्लान्ट के साथ 12 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट	मनोहरपुर एवं सरायकेला	41000	08/09/2005
मेसर्स अर्सेलर मित्तल इन्डिया लिमिटेड	कैप्टिव पावर प्लान्ट के साथ 12 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट	चास, बोकारो	40000	08/10/2005
मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. लिमिटेड	कैप्टिव पावर प्लान्ट के साथ 10 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट	सोनाहातु, राँची	35000	09/11/2005
जे.एस.पी.एल.	कैप्टिव पावर प्लान्ट के साथ 6 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट	आसनबनी, पोटका, घाटशिला	32302	05/07/2005
रूंगटा माईन्स लिमिटेड	कैप्टिव पावर प्लान्ट के साथ 4.5 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट	गैसूती, चाईबासा	11320	11/09/2006
	कुल		159622	

भू-अर्जन, जल, बिजली, वन निर्बाध मंजूरी, भूमि के स्थानान्तरण/अधिसूचना में विलम्ब एवं खराब कानून व्यवस्था के कारण पाँच स्टील कारखाने स्थापित नहीं किये जा सके परिणामस्वरूप ₹ 1.60 लाख करोड़ निवेश दोहन में अवसर नुकसान हुआ

लेखापरीक्षा ने पाया कि भू-अर्जन के लिए अधिसूचना/स्थानान्तरण; जल की व्यवस्था, बिजली, वन भूमि निर्बाध मंजूरी में विलम्ब एवं खराब विधि व्यवस्था के कारण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के 10 वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई भी स्टील कारखाना स्थापित नहीं किया जा सका (नवम्बर 2016)। यह इस तथ्य के बावजूद हुआ कि राज्य में इन कारपोरेट हाउस ने व्यवसाय स्थापित किये हुए हैं और ये भू-अर्जन, पानी आवंटन इत्यादि की धीमी प्रगति से उद्योग विभाग को लगातार अवगत कराते थे। तथापि, संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि सरकार उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.60 लाख करोड़ के इन निवेशों को फलीभूत कराने का सरकार ने अवसर खो दिया। इनकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) टाटा स्टील द्वारा स्टील प्लान्ट (ग्रीनफिल्ड) की स्थापना

कुल ₹ 41000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ झारखण्ड में दो चरणों में 12 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट और टाउनशीप स्थापित करने के लिए झारखण्ड सरकार और टाटा स्टील के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया (सितम्बर 2005)। प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 9800 हेक्टेयर भूमि, 130 मिलियन गैलन प्रति दिन जल, 1822 एम.टी. आयरन और और 1920 एम.टी. प्रति वर्ष कोयला की आवश्यकता टाटा स्टील को कारखाना एवं टाउनशीप स्थापित करने हेतु थी।

समझौता ज्ञापन की कंडिका 6 (i) (एफ) के अनुसार, सरकार टाटा स्टील को प्रशासनिक लागत सहित अर्जन लागत पर इनके द्वारा चयनित स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिभार मुक्त जमीन देने की सहमति दी। छः एम.टी.पी.ए. क्षमता का कारखाना सभी मंजूरी प्राप्त होने के 36 से 54 महीनों में स्थापित किया जाना था।

यद्यपि संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के 11 वर्षों के बाद भी आवश्यक मंजूरी प्रदान नहीं किये गये थे जैसा कि तालिका-2.2.3 में वर्णित है:

तालिका-2.2.3: मंजूरी के लिए आवेदन तथा उनकी स्थिति का विवरण

विवरण	टाटा स्टील द्वारा आवेदन की तिथि	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य	वर्तमान स्थिति (अगस्त 2016 तक)
सरकारी जमीन	21.10.2005	आवेदन के साथ	स्थानान्तरण प्रतीक्षित
निजी जमीन	21.10.2005	अर्जन के मामले में 30 दिन और लीज के मामले में 190 दिन के अन्दर अधिसूचना	अधिसूचना प्रतीक्षित
जल आवंटन	29.10.2005	छह महीने के अन्दर	आवंटन प्रतीक्षित
बिजली आवंटन	14.11.2005	छह महीने के अन्दर	आवंटन प्रतीक्षित
आयरन ब्लॉक	31.10.2005	छह महीने के अन्दर	खुदाई शुरू की गई पर कानून व्यवस्था की समस्या के कारण अस्थायी रूप से स्थगित
कोल ब्लॉक	31.10.2005	छह महीने के अन्दर	आवंटन प्रतीक्षित
वन भूमि	21.10.2005	प्रतीक्षित

यह पाया गया कि जिस क्षेत्र में कारखाना स्थापित किया जाना था वहाँ के भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं थे जबकि टाटा स्टील द्वारा लम्बित मंजूरी के लिए नियमित रूप से झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया गया था। झारखण्ड सरकार द्वारा इसे सुनिश्चित किये बिना फरवरी 2015 में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर टाटा स्टील को दूसरे चरण के समझौता ज्ञापन हेतु अनुरोध किया (सितम्बर 2015) गया जो प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, कारखाना स्थापित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा ₹ 41,000 करोड़ के निवेश दोहन का मौका खो दिया गया।

(ii) मित्तल स्टील कम्पनी द्वारा स्टील प्लान्ट की स्थापना

झारखण्ड के पेटरवार-कसमार, बोकारो में दो चरणों में 12 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट की स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार और मित्तल स्टील कम्पनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया (अक्टूबर 2005)। पहले चरण में छह एम.टी.पी.ए. क्षमता का स्टील प्लान्ट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समर्पित होने के 48 महीनों के अन्दर स्थापित किया जाना था जबकि दूसरे चरण में छह एम.टी.पी.ए. क्षमता का प्लान्ट पहला चरण पूर्ण होने के 54 महीनों के अन्दर स्थापित किया जाना था। परियोजना का प्रस्तावित निवेश ₹ 40,000 करोड़ था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, 10,000 हेक्टेयर भूमि, 10,000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा पानी, पहले तीस वर्ष के परिचालन हेतु पर्याप्त 600 एम.टी. लौह अयस्क रिजर्व और 1.20 बिलियन टन खोदे जाने योग्य कोल खदान रिजर्व प्लान्ट की स्थापना हेतु आवश्यक थे।

संविधा में उद्घटित हुआ कि:

- वन विभाग ने अक्टूबर 2015 तक कम्पनी को खुदाई कार्य करने की अनुमति नहीं दी जिसका कोई कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जबकि कम्पनी द्वारा इसके लिए फरवरी 2011 में ही आवेदन किया गया था;
- चूँकि भूमि सर्वेक्षण नहीं किया गया था इसलिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सका;
- करमपदा आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टा आबंटन से संबंधित वन निर्बाध मंजूरी हेतु कंपनी द्वारा आवेदन अप्रैल 2009 में ही किया गया था लेकिन इसे झारखण्ड सरकार द्वारा मई 2013 अर्थात् चार वर्ष के उपरान्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (व. एवं. प.मं.) को अग्रसारित किया गया। आगे, वन सलाहकार समिति की पृच्छाएँ यद्यपि झारखण्ड सरकार द्वारा अगस्त 2014 में अनुपालित हो गयी थीं पर व. एवं. प.मं. के पास लंबित थी। 500 एकड़ में से 230 एकड़ भूमि प्राप्ति पर नवंबर 2016 तक निर्णय नहीं लिये गये थे जिसका कोई कारण अभिलेखित नहीं था।

इस प्रकार प्लान्ट स्थापित नहीं हो सका।

(iii) जिन्दल स्टील एवं पावर लिमिटेड (जे.एस.पी.एल.) द्वारा स्टील प्लान्ट की स्थापना

झारखण्ड में पाँच एम.टी.पी.ए. स्टील प्लान्ट (आसनबनी में) तथा 1000 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लान्ट (गोड्डा में) की स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार और जे.एस.पी.एल. के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया (जुलाई 2005)। जमीन दखल और कच्चे माल उपलब्धता के जुड़ाव की तिथि से पाँच वर्षों के अन्दर परियोजना का निर्माण किया जाना था। परियोजना हेतु कुल पूँजीगत निवेश ₹ 11,500 करोड़ प्रस्तावित था जो आगे पुनरीक्षित होकर ₹ 32,302 करोड़ हो गया। यह ज्ञात हुआ कि प्लान्ट स्थापित करने हेतु 2987 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। कम्पनी द्वारा जमीन अधिग्रहण (सितम्बर-अक्टूबर 2005), 140 मिलियन क्यूबिक मीटर जल स्टील प्लान्ट के लिए (अगस्त 2005) एवं पावर प्लान्ट के लिए 25 मिलियन क्यूबिक मीटर जल (मई 2008) के लिए आवेदन किया गया था लेकिन नवम्बर 2016 तक न तो जमीन का आवंटन किया गया और न ही पानी प्रदान किया गया। तथापि, उपरोक्त निष्क्रियता के कारण अभिलेखित नहीं थे।

फलस्वरूप, प्लान्ट स्थापित नहीं किया जा सका और राज्य ₹ 32302 करोड़ के निवेश दोहन करने में विफल रहा।

(iv) रूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा स्टील प्लान्ट और कैप्टिव पावर प्लान्ट की स्थापना

झारखण्ड के चाण्डिल प्रखंड में 600 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लान्ट के साथ 4.5 एम.टी.पी.ए. एकीकृत स्टील प्लान्ट स्थापित करने हेतु झारखण्ड सरकार और रूंगटा माईन्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया (सितम्बर 2006)। प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 3,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। प्रस्तावित निवेश ₹ 11,320 करोड़ का था।

समझौता ज्ञापन की शर्त 4(i) के अनुसार, परियोजना परिचालन हेतु नजदीकी नदी से पानी की उत्तम निकासी की अनुमति के साथ-साथ विनिर्माण प्लांट और टाउनशिप स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति में झारखण्ड सरकार को हर संभव सहायता देनी थी। परियोजना के लिए या तो सीधे या झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के साथ संयुक्त उपक्रम द्वारा 272 एम.टी. गैरकोकिंग कोयला एवं 145 एम.टी. कोकिंग कोयला भी कम्पनी को आबंटित किया जाना था।

संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि रूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा भूमि चिन्हित किया गया और 1588.03 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 13.04 लाख प्रसंस्करण शुल्क सहित झारखण्ड औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कापोरेशन को आवेदन किया गया (मार्च 2007)। कम्पनी ने मौजूदा एवं लगाये जाने वाले प्लान्ट के लिए 215 एकड़ भूमि का क्रय किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

- 53 एकड़ भूमि अर्जन की प्रक्रिया फरवरी 2013 में पूर्ण हुई थी और ₹ 4.22 करोड़ सरकारी खाते में जमा किये गये थे लेकिन आवेदन नवम्बर 2016 तक लम्बित थे जिसके लिये कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।
- 78.12 एकड़ अतिरिक्त सरकारी जमीन अर्जन के लिए ₹ 97 लाख भुगतान के साथ आवेदन समर्पित किया गया था (अक्टूबर 2009) लेकिन नवम्बर 2016 तक आवेदन लम्बित थे। जिसके लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।
- परियोजना के निर्बाध परिचालन हेतु कैप्टिव खनिज रियायत के लिए समझौता जापन हस्ताक्षर के (सितम्बर 2006) बाद से ही अनेकों बार लौह अयस्क और कोकिंग कोल हेतु आवेदन दिये गये थे। तथापि, ये झारखण्ड सरकार द्वारा विचार किये जाने हेतु नवम्बर 2016 तक लम्बित थे जिसके लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

इस प्रकार, समझौता जापन निष्पादन करने के बावजूद झारखण्ड सरकार जमीन अर्जन, जल संयोजन, कोल ब्लॉक आवंटन इत्यादि में सहयोग देने में विफल रही फलस्वरूप नवम्बर 2016 तक प्लान्ट स्थापित नहीं हो सका और राज्य ₹ 11320 करोड़ के निवेश का दोहन करने का मौका खो दिया गया।

(v) जे.एस.डब्ल्यू. स्टील द्वारा स्टील प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट की स्थापना

राज्य में ₹ 35,000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 10 एम.टी.पी.ए. एकीकृत स्टील प्लान्ट एवं 800 मेगावाट के ग्रीन फिल्ड पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार और जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड के बीच एक समझौता जापन हस्ताक्षर किया गया (नवम्बर 2005)। इस परियोजना में 7,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। कम्पनी द्वारा सरायकेला-खरसाँवा जिला के निमडीह अंचल में भूमि चिन्हित की गयी थी। समझौता जापन के अनुसार इसके हस्ताक्षर की तिथि के छह महीने के अन्दर सभी वैधानिक मंजूरी सहित परियोजना के लिए आवश्यक पानी, बिजली एवं अन्य संसाधनों की आपूर्ति के साथ-साथ उचित मूल्य पर कम्पनी को जमीन अधिग्रहण करने में झारखण्ड सरकार द्वारा सहयोग किया जाना था।

तथापि, विस्तृत सर्वेक्षण के बाद स्थल व्यावहारिक नहीं पाया गया और राँची के सोनाहातु में 3,800 एकड़ का एक नया स्थल चिन्हित किया गया (मई 2008)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जे.एस.डब्ल्यू. ने प्रतिवेदित किया (मार्च 2015) कि कुछ नियामक स्वीकृतियों को छोड़कर सभी मुख्य इनपुट जैसे जमीन, पानी और खनिज उपलब्ध थे। आगे कम्पनी ने झारखण्ड सरकार से वन निर्बाधन मंजूरी और पर्यावरणीय मंजूरी संबंधित मामलों के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ संपर्क करने का अनुरोध किया। यद्यपि, ये नवम्बर 2016 तक स्वीकृत नहीं किये गये थे।

- फरवरी 2015 में, झारखण्ड सरकार ने समझौता ज्ञापन की वैधता को मार्च 2016 तक विस्तारित किया लेकिन पाँच एम.भी.ए. पावर स्टेशन के निर्माण हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की स्वीकृति लम्बित थी। उसी तरह, प्लान्ट के लिए पहुँच पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य की अनुमति लम्बित थी। निष्क्रियता के कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए सरकार की सहयोग में विफलता के कारण प्लान्ट स्थापित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने ₹ 35,000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के दोहन का अवसर खो दिया।

निकास सम्मेलन में सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2016) कि उपर्युक्त कम्पनी को मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे खान, भूमि, पानी इत्यादि का आवंटन प्रक्रियाधीन थे।

तथ्य वही है कि दस वर्षों में भी निवेशकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के कारण राज्य ने ₹ 1.60 लाख करोड़ के निवेश का दोहन का अवसर खो दिया जो राज्य की आर्थिक स्थितियों को बदल सकता था।

2.2.8.3 निवेश की गिरती प्रवृत्ति

पूर्ववर्ती नीति अवधि में ₹ 28424.06 करोड़ के निवेश के विरुद्ध 2011-16 के दौरान ₹ 4,492.73 करोड़ का निवेश हुआ

झा.औ.नी. 2012 के विवरण के अनुसार, पूर्ववर्ती झा.औ.नी. 2001, के परिणामतः मार्च 2011 तक राज्य में 26 मेगा, 106 बड़ी और मध्यम एवं 18109 सूक्ष्म और लघु उद्योग लगभग ₹ 28,424.06 करोड़ के निवेश और 63000 रोजगार सृजन के साथ स्थापित किये गए थे। जबकि झा.औ.नी. 2012 की नीति अवधि अर्थात् 2011-16 में ₹ 4,492.73 करोड़¹⁰ के निवेश और 61618 लोगों का रोजगार सृजन के साथ आठ मेगा, 19 बड़ी और 12996 सूक्ष्म एवं लघु इकाइयाँ स्थापित की गई थी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि झा.औ.नी. 2012 के अन्तर्गत पाँच वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जैसा कि उस अवधि में कम मात्रा में प्राप्त नये निवेश से देखा जा सकता है।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया (नवम्बर 2016) कि राज्य में निवेश की भावना कमजोर हुई है और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उस व्यवसाय पर जोर दिया जा रहा है जिसके लिए झारखण्ड में उत्पादन के घटक अनुकूल हैं।

2.2.8.4 जी.एस.डी.पी. वृद्धि में उद्योग क्षेत्र घटता योगदान

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में कमी की प्रवृत्ति दिखी

झा.औ.नी. 2012 में दावा किया गया कि जी.एस.डी.पी में तीन गुणा वृद्धि हुई थी जो 2000-01 में ₹ 39,191.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 1,20,010.20 करोड़

¹⁰ ₹ 2,988.58 करोड़ के साथ आठ मेगा उद्योग, ₹ 865.66 करोड़ के निवेश के साथ 19 बड़े उद्योग और ₹ 638.49 करोड़ के साथ 12,996 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

हो गयी। 2015-16 के झारखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण के विश्लेषण में जी.एस.डी.पी. में उद्योग क्षेत्र का योगदान और उसके अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के योगदान और जी.एस.डी.पी. में वृद्धि की निम्नलिखित प्रवृत्ति उद्घटित हुई:

तालिका-2.2.4 विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र के योगदान के साथ वर्षवार जी.एस.डी.पी.

वर्ष	जी.एस.डी.पी. (करोड़ रुपये में) अद्यतन (2011-12) मूल्य पर	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जी.एस.डी.पी. में उद्योग क्षेत्र का योगदान (प्रतिशत)	जी.एस.डी.पी. में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (प्रतिशत)
2011-12	1,50,918	18.6	39.96	17.85
2012-13	1,74,724	15.8	38.52	17.73
2013-14	1,88,567	7.9	37.50	16.80
2014-15	2,17,107	15.1	36.11	15.43
2015-16	2,41,955	11.4	34.78	14.17

(स्रोत: झारखण्ड का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 और सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

तालिका-2.2.4 से यह देखा जा सकता है कि :

- विनिर्माण क्षेत्र का अंशदान 2011-12 से 2015-16 की अवधि में घटती प्रवृत्ति को दर्शाया है।
- जी.एस.डी.पी. में उद्योग क्षेत्र का अंशदान 2011-12 में 40 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 35 प्रतिशत हो गया।
- आगे, उद्योग क्षेत्र का सी.ए.जी.आर. 2004-05 से 2015-16 की अवधि में मात्र 3.38 प्रतिशत था जबकि जी.एस.डी.पी. का सी.ए.जी.आर. 12.87 प्रतिशत था। इस प्रकार, राज्य में जी.एस.डी.पी. की कुल वृद्धि के बावजूद उद्योग क्षेत्र का सी.ए.जी.आर. संतोषजनक नहीं था और यह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य की वृद्धि का कारक बनने में असफल रहा।


विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2016) कि विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट राष्ट्रीय घटना है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि 2006 और 2016 के बीच हस्ताक्षरित 38 समझौता ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि निवेशकों का रुझान अच्छा था लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने में असफलता मिली और सी.एन.टी. अधिनियम, एस.पी.टी. अधिनियम, वन निर्बाध मंजूरी जैसी बाधाओं, जिन्हें राज्य कम करने में असमर्थ था, के कारण अधिकांश समझौता ज्ञापन या तो रद्द हो गये या लंबित थे।

2.2.8.5 निवेश आकर्षित करने में झारखण्ड की अपेक्षा पड़ोसी राज्य बेहतर

पड़ोसी राज्य जो झारखण्ड की प्रकृति की तरह ही खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है एवं जिसकी सामाजिक-आर्थिक विकास झारखण्ड के समान है के साथ तुलना करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वे निवेशों को आकर्षित करने में ज्यादा सफल रहे। उदाहरणस्वरूप, 2001 से 2016 के दौरान छत्तीसगढ़ में 121 समझौता ज्ञापन कार्यान्वित किये गये जिसमें से 60 मामलों में उत्पादन शुरू हो गया था जबकि 61

मामलों में परियोजना का कार्यान्वयन जारी था। इसी तरह उड़ीसा में, 88 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें से 42 में उत्पादन शुरू हो गया था और शेष 46 मामलों में परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा था। तुलना सारणी-2.2.3 में नीचे दर्शाया गया है:

सारणी-2.2.3: पड़ोसी राज्यों के बीच तुलना



झारखण्ड में 48 प्रतिशत समझौता ज्ञापन रद्द होने के विपरीत इन राज्यों में कोई भी समझौता ज्ञापन रद्द नहीं हुए। जिसके कारण, उपर्युक्त पड़ोसी राज्यों जहाँ सामाजिक आर्थिक स्थिति और खान एवं खनिज लगभग एक जैसे थे की तुलना में निवेश को आकर्षित करने में झारखण्ड राज्य का प्रदर्शन निराशाजनक था।

बताये जाने पर (जून 2016) विभाग ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.2.9 एकल खिड़की प्रणाली (ए. खि. प्र.) का आंशिक परिचालन

झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 में एकल खिड़की प्रणाली को औद्योगिक सुविधा तंत्र का एक उपकरण के रूप में विकास करने पर जोर दिया गया था यद्यपि विभिन्न संबंधित विभागों के लिए एकीकृत प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने के लिए 2001 की औद्योगिक नीति में ही यह परिकल्पित था। निवेशकों द्वारा पेश प्रस्तावों की द्रुत मंजूरी के लिए झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 में एकल खिड़की प्रणाली द्वारा 14 विभागों को उद्योग विभाग के साथ एकीकृत कर इसे ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया था ताकि निवेशकों के वांछित उद्योग समय-सीमा के अन्दर स्थापित किये जा सकें।

जिला उद्योग निदेशक के अभिलेखों में लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.औ.नी. 2012 अधिसूचना जारी होने (अप्रैल 2012) से 42 महीनों के विलम्ब के बाद ए.खि.प्र. सितम्बर 2015 में प्रारंभ किया गया और नवम्बर 2016 तक केवल पाँच¹¹

ए.खि.प्र. सिर्फ आंशिक रूप से क्रियाशील था और पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था जिसने झारखण्ड में निवेश की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला चूँकि 'एकल पड़ाव' सेवा बिन्दु के रूप में विभिन्न विभागों से निर्बाधन की सुविधा से निवेशक वंचित थे

¹¹ श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उद्योग (भूमि आवंटन) विभाग

विभागों/संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था, यह चौदह विभागों को एकल खिड़की मंजूरी से जोड़ने में असफल रहा क्योंकि नौ¹² विभागों को एकीकृत नहीं किया गया। इसके अलावा, यह एक 'एकतरफा प्रणाली' के रूप में चलाया जा रहा था क्योंकि विभिन्न स्तरों पर आवश्यक परवर्ती मंजूरी के लिए आवेदनों की प्रगति को पता लगाने के लिए नामित एकल खिड़की के पास कोई तंत्र ही नहीं था। इससे यह इंगित होता है कि एक औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए प्रशासनिक प्रकृति की मंजूरी एक स्थान पर नहीं दी जा रही थी।

बाद में, झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट 2015, मार्च 2016 में अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत प्रशासी निकाय¹³, उच्चस्तरीय समिति¹⁴ तथा एकल खिड़की मंजूरी समिति¹⁵ गठन करने की व्यवस्था की गयी ताकि राज्य में कारोबार सुगमता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके किन्तु नवंबर 2016 तक किसी भी समिति का वास्तव में गठन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- ए.खि.प्र. पोर्टल शुरू करने एवं उसकी नागरिक उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु व्यापक प्रचार नहीं किया गया जिससे इच्छुक निवेशक ए.खि.प्र. की सेवाओं का उपयोग कर सकें। जागरूकता की कमी के कारण पोर्टल पर आवेदनों को प्राप्त करने की गति काफी कम थी।
- विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आगे, मंजूरी प्रदान करने के क्रम में कोई प्राधिकारी द्वारा उठाई गई पृच्छा/ आपत्तियों के अनुपालन में यदि निवेशकों द्वारा विलम्ब था तो संबंधित आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया गया एवं निर्धारित समय सीमा पार हो जाने के बाद भी उन्हें लंबित दिखाया गया।
- वन विभाग द्वारा मंजूरी, निवेश को आकृष्ट करने की प्रमुख बाधाओं में एक थी। यह देखा गया कि निवेशक को संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (प्र.व.प.) को निर्धारित प्रारूप में आवेदन समर्पित करना है जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। प्र.व.प. की टिप्पणी के बाद पुनरीक्षित प्रस्ताव को वन विभाग भेजने के लिए नोडल अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है जिसे उचित

¹² वाणिज्यिक कर, राजस्व, पंजीयन और भूमि सुधार, शहरी विकास, कृषि, ऊर्जा, उत्पाद, स्वास्थ्य, खनन एवं खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

¹³ अध्यक्ष: मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष: उद्योगमंत्री, सदस्य वित्त मंत्री, राजस्वमंत्री, पंजीयन एवं भूमि सुधार तथा उद्योग के प्रधान सचिव

¹⁴ अध्यक्ष: मुख्य सचिव, सदस्य: विकास आयुक्त, उद्योग एवं योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव और उद्योग निदेशक

¹⁵ अध्यक्ष: प्रधान सचिव, उद्योग, सदस्य: प्रधान सचिव/ सचिव योजना सह वित्त, राजस्व एवं भूमि सुधार, शहरी विकास एवं आवास, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जल संसाधन, खनन एवं भूगर्भ विज्ञान, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उद्योग निदेशक समन्वयक के रूप में

विचार के बाद झारखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेज सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर ए.खि.प्र. पोर्टल में वन विभाग द्वारा मंजूरी के आवेदनो की स्थिति पता करने की कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इन्हें ए.खि.प्र. के साथ नहीं जोड़ा गया था।

- यद्यपि झा.औ.नी. 2001 तथा झा.औ.नी. 2012 में ए.खि.प्र. मुख्य बिंदु था, सितंबर 2015 में विलम्ब से शुरू किये गये ए.खि.प्र. आंशिक रूप से ही कार्यरत था और पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था। इससे झारखंड में निवेश की गति बुरी तरह से प्रभावित हुआ चूँकि निवेशकों को 'एकल पड़ाव' सेवा बिन्दु के रूप में विभिन्न विभागों की मंजूरी की सुविधा से वंचित किया गया जैसी कि योजना बनायी गयी थी। परिणामस्वरूप 23 परियोजनाओं के मामले में ए.खि.प्र. परियोजना बाधाओं को दूर करने में विफल रही क्योंकि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के 4 से 13 वर्षों के बाद भी ये परियोजनाएँ स्थापित नहीं की जा सकीं।

आपत्ति उठाये जाने पर (जून 2016), विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2016) कि सरकार ने औद्योगिक विकास प्रोत्साहन की गतिविधियों के लिए केंद्र को अधिसूचित कर दिया था; अगस्त 2003 में ए.खि.प्र. पूर्ण रूप से संचालित थी। ए.खि.प्र. पोर्टल उच्च विशेषताओं से युक्त संस्करण है जिसमें नियम के तहत 66 में से 38 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें 14 में से 10 सेवाओं/विभागों को एकीकृत किया गया है जबकि अन्य सेवाओं/विभागों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

जवाब युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ए.खि.प्र. सेवा की सुविधा 2003 से उपलब्ध होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दे सका। आगे चार विभागों और 28 सेवाओं के एकीकरण के अभाव में एक ही स्थान पर ए.खि.प्र. की मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने का मूल उद्देश्य सफल नहीं हुआ जैसी कि योजना बनायी गयी थी।


2.2.10 प्रक्षेत्रों एवं क्षेत्रों का विषम आच्छादन

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झा.औ.नी. 2012 के प्रावधानों के अनुसार ऑटोमोबाइल, लकड़ी और कृषि प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बिजली उत्पादन इकाइयों, तकनीकी संस्थानों एवं निजी विश्वविद्यालयों जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना था।

उद्योग निदेशक के अभिलेखों में लेखापरीक्षा ने गया कि सरकार ने इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल नहीं की।

आगे, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा किसी भी क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण सामाजिक, आर्थिक अभाव को रोकने के लिए झा.औ.नी. 2012 में भी राज्य भर में उद्योगों की स्थापना की परिकल्पना की गयी। हालांकि, जिन 41

समझौता जापान¹⁶ पर हस्ताक्षर किये गये पर जो रद्द नहीं किये गये थे, उनकी संख्या 24 में से केवल 8¹⁷ जिलों तक सीमित कर दी गयी जैसा कि नीचे नक्शे में देखा जा सकता है, जिसमें जिलावार स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों के बंटवारे को दर्शाया गया है और जिसके लिए राज्य द्वारा समझौता जापान कार्यान्वित किये गये।



उपरोक्त वितरण केवल कोयला और लौह अयस्क क्षेत्र में आने वाले कुल प्रस्तावित अथवा वास्तविक निवेश के साथ एक विषम औद्योगिक विकास को इंगित करता है (41 में से 40)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में कोई निवेश प्रस्तावित नहीं था, हालांकि ये खानों, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में संभावित क्षेत्र थे यथा, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और चतरा जिलों में उपलब्ध हैं; लौह अयस्क, डोलोमाइट, कोयला एवं ग्रेफाइट पलामू और गढ़वा जिलों में; कोडरमा जिले में अभ्रक जबकि संथाल परगना में तेल, इस्पात, सिल्क और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों के लिए संभावनायें हैं। अतः, झा.औ.नी. 2012 में परिकल्पित औद्योगीकरण नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित नहीं किया गया था।

¹⁶ 18-प्रारंभ किया गया और 23-प्रारंभ नहीं किया गया

¹⁷ बोकारो, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)

विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2016) कि समझौता-जापन प्रत्येक जिले में शुरू किये गये उद्योगों की संख्या का उचित संकेत नहीं है ।

तथ्य यह है कि उद्योगों की स्थापना हेतु समझौता-जापन राज्य के सभी जिलों में समान रूप से वितरित नहीं किया गया।

2.2.11 भूमि बैंक

झारखंड राज्य के सृजन के बाद भूमि का एक टुकड़ा भी अधिग्रहित नहीं किया गया तथा किसी भी जिला में भूमि बैंक नहीं बनाया गया

झा.औ.नी. 2012 में यह प्रावधान था कि प्रत्येक जिला में भूमि बैंकों के सृजन के लिए न्यूनतम 200 से 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर उन्हें बुनियादी औद्योगिक ढांचे के प्रावधान के साथ औद्योगिक सम्पदा के रूप में चिन्हित कर निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। आगे, राज्य के विभिन्न भागों में सरकार के स्वामित्व अथवा आम भूमि, जो ज्यादातर बर्बाद या परती है, की पहचान और उपयोग करने के लिए व्यापक प्रयास कार्य भी शुरू किया जाना था।

उद्योग निदेशक, चार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों (औ.क्षे.वि.प्रा.) और छह जिला औद्योगिक केन्द्रों (जि.औ.के.) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि झारखंड राज्य के सृजन के बाद भूमि का एक टुकड़ा भी अधिग्रहण नहीं किया गया था। फलस्वरूप, किसी जिले में भूमि बैंक नहीं बनाया गया। हालांकि, वितरण के उद्देश्यों से भूमि को अधिग्रहित करने के लिए सरकार द्वारा एक से अधिक जिले के क्षेत्राधिकार वाले चार औ.क्षे.वि.प्रा. बनाये गये थे। चार औ.क्षे.वि.प्रा. में उपलब्ध भूमि का विवरण तालिका-2.2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.2.5: औ.क्षे.वि.प्रा. में उपलब्ध भूमि का विवरण

प्राधिकार का नाम	दी गई भूमि (एकड़ में)	कब्जे में (एकड़ में)	कब्जे में नहीं (एकड़ में)	अभियुक्ति
आ.औ.क्षे.वि.प्रा.	3166.86	3160.88	5.98	34.62 एकड़ रिक्त
बो.औ.क्षे.वि.प्रा.	1798.47	1470.60	327.87	327.87 एकड़ बोकारो स्टील लिमिटेड (बी.एस.एल.) द्वारा नहीं सौंपा गया। सौंपे गये 1470.60 एकड़ में से, 73.58 एकड़ अविकसित अथवा विवादित थे।
रा.औ.क्षे.वि.प्रा.	1505.13	1290.57	214.56	101.50 एकड़ कोबरा बटालियन के अधीन तथा 113.06 एकड़ विवादित थे।
सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा.	1043.15	1043.15	शून्य	49.50 एकड़ प्रयोग के लिए विकसित नहीं किए गए।

(स्रोत: विभाग से प्राप्त की गई सूचना)

आगे, 420.32 एकड़ भूमि की खरीद/अधिग्रहण के लिए सभी चार औ.क्षे.वि.प्रा. को ₹ 54.54 करोड़¹⁸ आवंटित (फरवरी और अगस्त 2015 के बीच) किया गया था,

¹⁸ आ.औ.क्षे.वि.प्रा.: 162.25 एकड़ के लिए ₹ 18.00 करोड़, बो.औ.क्षे.वि.प्रा.: 36.37 एकड़ के लिए ₹ 2.76 करोड़, रा.औ.क्षे.वि.प्रा.: 210 एकड़ के लिए ₹ 29.26 करोड़ तथा सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा.: 11.70 एकड़ के लिए ₹ 4.52 करोड़

जिसमें से जून 2016 तक ₹ 11.52 करोड़ स्थानांतरित¹⁹ किया गया तथा ₹ 43.02 करोड़ की शेष राशि अप्रयुक्त बची रही और ये औ.क्षे.वि.प्रा. के व्यक्तिगत लेजर खातों में रखे गये। यह औ.क्षे.वि.प्रा. द्वारा किए गए प्रयासों की कमी को इंगित करता है।

- 1972-73 और 1985-86 के बीच बो.औ.क्षे.वि.प्रा. को 1,798.47 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी थी जो बोकारो स्टील लिमिटेड (बी.एस.एल.) से स्थानांतरित की जानी थी। उनमें से केवल 1,470.60 एकड़ भूमि स्थानांतरित हुई और वे चार औद्योगिक क्षेत्रों (बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा और सिंदरी) के लिए कब्जे में ले लिये गए। फलतः, 327.87 एकड़ की आवंटित भूमि अभी भी बी.एस.एल. के कब्जे में था। आगे की जांच से पता चला कि कब्जे/हासिल 1,470.60 एकड़ जमीन में से केवल 991.91 एकड़ भूमि विभिन्न उद्योगों के लिए आवंटित की गयी थी जबकि 279.88 एकड़ सभी चार औद्योगिक क्षेत्रों में खाली रह गई थी, उनमें 68.97 एकड़ जमीन अविकसित अथवा विवादित थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.औ.क्षे.वि.प्रा. के अधीन, इरबा औद्योगिक क्षेत्र में (रांची जिला) 113.06 एकड़ भूमि तथा बरही औद्योगिक क्षेत्र (हजारीबाग जिला) में 101.50 एकड़ भूमि रा.औ.क्षे.वि.प्रा. के कब्जे में नहीं थी (जुलाई 2016 तक) हालांकि ये भूमि क्रमशः नवंबर 1983 और सितंबर 1996 के दौरान हासिल की गई थी (झारखंड के सृजन से पहले)। भूमि मुआवजे के रूप में ₹ 0.21 करोड़ और ₹ 2.51 करोड़ की राशि क्रमशः रांची और हजारीबाग जिलों के उपायुक्त को भुगतान की गई थी। संबंधित उपायुक्तों (डी.सी) और उच्च अधिकारियों के साथ लंबे पत्राचार के बावजूद, रा.औ.क्षे.वि.प्रा. उक्त भूमि का कब्जा नहीं ले सका। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि इरबा में अधिग्रहीत भूमि में से 4.47 एकड़ भूमि दलालों द्वारा बेच दिए गए थे और बरही में 101.50 एकड़ भूमि गृह विभाग द्वारा कोबरा बटालियन के लिए कब्जा किया गया था। इस प्रकार, इन दोनों स्थानों पर ₹ 2.72 करोड़ के व्यय के बाद भी भूमि रा.औ.क्षे.वि.प्रा. के कब्जे से बाहर थी।

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बरही राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (जी.टी रोड) और एन.एच 33 के संगम पर स्थित है जबकि इरबा एन.एच-33 के किनारे है। इस प्रकार, अच्छी सड़क संयोजन होने के बावजूद रा.औ.क्षे.वि.प्रा. द्वारा भूमि के कब्जे में नहीं होने के कारण इन स्थानों को उद्योगों के लिए विकसित नहीं किया जा सका।

¹⁹ ₹ 7 करोड़ आ.औ.क्षे.वि.प्रा द्वारा वन विभाग की मंजूरी के प्रति एवं ₹ 4.52 करोड़ सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा.द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए



विभाग ने लेखापरीक्षा, अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2016) कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 एक लंबे समय के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को निरस्त करते हुए आया परंतु नए अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण बहुत मुश्किल और बोझिल हो गया। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ रैयतों से भूमि की खरीद में कुछ मुद्दे हैं। भूमि की उपलब्धता में सुधार हेतु झारखण्ड सरकार (झा.स.) हाल ही में सभी सरकारी जमीन जो उद्योगों के लिए उपयुक्त है को संबंधित उपायुक्त द्वारा झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

हालांकि तथ्य यह है कि भूमि बैंक नहीं बनाया जा सका जिसने राज्य में निवेश के लिए संसाधनों के प्रवाह को प्रभावित किया।

2.2.12 विशेष आर्थिक जोन (सेज) नहीं स्थापित हुए

सेज²⁰ औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं निर्यात बढ़ाने के लिए एक विकास इंजन है। सेज की अवधारणा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के सृजन के रूप में राज्य के लिए बड़ी लाभांश लाने की उम्मीद करती है। झा.औ.नी. 2012 के अनुसार इस अवधारणा को आई.टी/ ऑटोमोबाइल/रासायनिक-औषध एवं अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना था।


लेखापरीक्षा ने आ.औ.क्षे.वि.प्रा. (आयडा) जमशेदपुर के अभिलेखों से पाया कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा ऑटोमोबाइल और ऑटो-घटकों के लिए क्षेत्र-विशेष सेज को मंजूरी (अप्रैल 2005) दी गयी थी जिसे मंजूरी की तारीख से तीन साल के भीतर विकसित किया जाना था जिसे जून 2015 तक विस्तारित किया गया था। आयडा की क्षेत्रधिकार के अंतर्गत आदित्यपुर में 90 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा चिन्हित किया गया। विकास कार्य पीपीपी²¹ मोड में

54.18 एकड़ वन भूमि गैर-अधिसूचित नहीं की जा सकी जिससे सेज की स्थापना नहीं हुई

²⁰ “सेज विशेष रूप से एक चिन्हित परिक्षेत्र है जिसे औद्योगिक, सेवा और व्यापार के संचालन के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र के रूप में व्यवहार किया जाता है जिसमें सीमा शुल्क में छूट एवं अन्य लेवी, विदेशी निवेश तथा अन्य लेनदेनों में एक अधिक उदार व्यवस्था होती है। व्यापारिक लेनदेन और संचालन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेंचमार्क माहौल बनाने के लिए घरेलू प्रतिबंध और बुनियादी ढांचे की कमियों को सेज में हटा दिया जाएगा”

²¹ आ.औ.क्षे.वि.प्रा. (आयडा) (55 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ) एवं जुसको- गैमन संघ (निजी हिस्सेदार)

संस्थापित एक विशेष प्रयोजन कंपनी (आदित्यपुर सेज लिमिटेड) द्वारा किया जाना था।



हालांकि, परियोजना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि 90 एकड़ परियोजना क्षेत्र के भीतर 54.18 एकड़ वन भूमि, जो वन विभाग द्वारा औद्योगिक विकास के लिए आ.औ.क्षे.वि.प्रा. (आयडा) को स्थानांतरित (जनवरी 1982) की गयी थी, को गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक प्रतिपूरक वनारोपण हेतु बराबर भूमि प्रदान करने में विफल रही। यह आ.औ.क्षे.वि.प्रा. (आयडा) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रतिपूरक वनारोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि में ₹ 7.01 करोड़ जमा (जून 2009) करने के बाद विभाग तथा मुख्य सचिव द्वारा की गई अनुसरण (जनवरी 2007 और अक्टूबर 2013 के बीच) के बावजूद था। परंतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने सेज परियोजना को और आगे विस्तार देने से इस आधार पर इनकार कर दिया (सितम्बर 2015) कि अधिसूचना (2006) के बाद कोई विकास नहीं हुआ था। इससे राज्य एक सेज की स्थापना से वंचित हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (नवंबर 2016) कि भारत सरकार ने इस परियोजना को रद्द कर दिया क्योंकि वन भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।


तथ्य यह है कि यदि विभाग ने प्रारंभिक चरणों में वन भूमि के गैर-अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू किया होता तो राज्य में सेज स्थापित किया जा सकता था।

2.2.13 बुनियादी ढांचा तैयार करने में विफलता

झा.औ.नी. 2012 में स्पष्ट रूप से निर्धारित था कि निवेशकों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं जैसे, हर मौसम में सड़क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल, रेल संयोजन इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक प्रयास किया जाना था। आगे, नीति में यह निर्धारित थी कि राज्य सरकार निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राँची में मालवाहक विमान परिसर स्थापित करने के लिए कदम उठायेगी।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में उपलब्ध बुनियादी ढांचे की समीक्षा में निम्नलिखित पता चला:

- **सड़क नेटवर्क:** बरही-हजारीबाग-रांची-बहरागोरा सड़क, जो एन.एच-33 पर स्थित झारखंड राज्य की जीवन रेखा है एवं इसे बिहार, उत्तर-प्रदेश उड़ीसा से जोड़ती है, के चार लेन का कार्य प्रारंभ के चार साल बाद भी अधूरा (नवम्बर 2016) था।



जवाब में विभाग ने कहा कि कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **रेल नेटवर्क:** झा.औ.नी. 2012 में विशेष ध्यान केन्द्रित करने के बावजूद कोडरमा-रांची, कोडरमा-गिरिडीह और टोरी-लोहरदगा के बीच रेल संपर्क जून 2016 तक शुरू नहीं हुआ था।

निकास सम्मेलन के दौरान, सचिव ने कहा कि कोडरमा-रांची लाइन में कोडरमा-हजारीबाग खंड पूरा हो गया है और टोरी-लोहरदगा लाइन के जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।

- **मालवाहक विमान परिसर:** निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची में एक मालवाहक विमान परिसर के पूर्ण (सितम्बर 2016) होने के रूप में प्रतिवेदित किया गया। हालांकि, मालवाहक विमान की उड़ान अभी शुरू होनी है क्योंकि वैमानिक मानक के नियंत्रक मंडल (बीसीएएस) से सुरक्षा मंजूरी, अभी भी अप्राप्त है (नवंबर 2016)।

- **औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में विफलता**

(i) **व्यापार केन्द्र:** सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा. (एसपीयाडा) में, उपायुक्त, देवघर को देवघर में एक व्यापार केन्द्र-सह-सम्मलेन केंद्र की स्थापना के लिए के लिए भूमि के अधिग्रहण मद में ₹ 4.52 करोड़ (अक्टूबर 2014) स्थानांतरित किया गया था, लेकिन लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, जिससे व्यापार के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ।

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा विकासरत निर्यात बुनियादी ढांचा एवं अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना (एसाइड) के अलगाव के कारण बंद कर दिया गया।

(ii) दुमका, जामताड़ा और जसीडीह औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, पक्की नाली, चारदीवारी इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचा बनाने हेतु ₹ 5.71 करोड़ प्रदान (2013-15) किया गया था। लेकिन योजना एवं बुनियादी ढांचे को बनाने में विफलता के कारण संपूर्ण राशि सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा. (एसपीयाडा) के पी.एल खाते में पड़ी हुई थी। परिणामस्वरूप, इन औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित नहीं किया जा सका।


• जल उपचार संयंत्र

अपनी नीति में प्रतिबद्ध होने के बावजूद, न तो विलवणीकरण संयंत्र और साफ किया हुआ एवं उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति की व्यवहार्यता का पता लगाया गया न ही सरकार ने निर्दिष्ट स्थान पर उद्योगों के लिए औ.से.वि.प्रा./विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से मेगा जलापूर्ति योजनाओं को लागू एवं सुगम किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में विभाग ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.14 रेशम (तसर) उत्पादन निवेश के लिए उपयोग नहीं किया गया

झा.औ.नी. 2012 के अनुसार, झारखंड तसर सिल्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था (2012)। रेशम निदेशालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी के विश्लेषण से पता चला कि 2011-16 के दौरान कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ती प्रवृत्ति का था जैसा कि नीचे दिए गए तालिका में देखा जा सकता है:



हालांकि इस संबंध में राज्य का प्रयास उल्लेखनीय हैं, परंतु रेशम और कपास आधारित उद्योग की स्थापना के लिए अपनी पूरी क्षमता से निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किसी अभिलेख में नहीं पाया गया।

2.2.15 खरीद नीति कार्यान्वित नहीं किया जाना

एम.एस.एम.ई. से 20 प्रतिशत क्रय को सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुश्रवण तंत्र विभाग के पास नहीं है

झा.औ.नी. 2012 में एक खरीद नीति बनाने और कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी, जो राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य के साथ झारखंड खरीद नीति 2014 के रूप में अधिसूचित (अक्टूबर 2014) किया गया था जिससे स्थानीय एमएसएमई और अन्य औद्योगिक इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें सरकारी विभागों, सहायता प्राप्त एजेंसियों सहित संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य में एमएसएमई से खरीद की सुविधा का उद्देश्य भी सन्निहित था।

उद्देश्य के अनुसार, एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए तीन वर्ष की अवधि तक उपर्युक्त संस्थाओं को अपने कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत उत्पादों और सेवाओं की खरीद झारखंड के एम.एस.एम.ई. से सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उद्योग निदेशक के अभिलेखों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि नीति के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए क्योंकि उद्योग विभाग के पास एम.एस.एम.ई. से 20 प्रतिशत खरीद के लक्ष्य की प्राप्ति की अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि विभाग स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एम.एस.एम.ई. हेतु आरक्षित वस्तुओं की अनिवार्य सूची में संशोधन कर रहा है तथा इस नीति में आगे सुधार के लिए अन्य संशोधन कर रहा है।

तथ्य यह है कि एमएसएमई क्षेत्रों के विकास में सहायता करने के लिए एम.एस.एम.ई. से 20 प्रतिशत खरीद का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.2.16 अनुश्रवण का अभाव

औ.क्षे.वि.प्रा. के नियमों के संदर्भानुसार, आवेदकों को परियोजना की मंजूरी, भूमि आवंटन तथा अन्य संबंधित मुद्दों के लिए औ.क्षे.वि.प्रा. के परियोजना मंजूरी समिति (पी.सी.सी) को महीने में एक बार बैठक करना था।

नमूना-जाँचित औ.क्षे.वि.प्रा. के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया कि अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में भूमि/शेड के आवंटन तथा परियोजनाओं की मंजूरी के लिए उद्यमियों/आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का कोई अभिलेख किसी भी औ.क्षे.वि.प्रा. द्वारा संधारित नहीं किये गये थे। यद्यपि, केवल उन आवेदनों को, जिन्हें प्रथम दृष्टया पीसीसी की बैठक में विचार के लिए चुना गया था, प्राप्त आवेदन के रूप में संचिकाओं में दर्ज किए गए थे। आगे, प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, वर्ष 2011-16 के दौरान चार में से तीन औ.क्षे.वि.प्रा. में केवल 31 पी.सी.सी. बैठकें (13 प्रतिशत) आयोजित की गई थीं, हालांकि 240 बैठक आवश्यक थे। जबकि इस

अवधि के दौरान सं.प.औ.क्षे.वि.प्रा. में पीसीसी बैठक की संख्या शून्य थी जैसा कि तलिका-2.2.6 में वर्णित है:

तलिका-2.2.6: पीसीसी बैठकों का विवरण

वर्ष	बैठकों का विवरण	आयडा	बियाडा	रियाडा	एसपीयाडा
2011-12	होनेवाली बैठकों की संख्या	12	12	12	12
	आयोजित बैठकों की संख्या	01	शून्य	02	शून्य
	कमी	11	12	10	12
2012-13	होनेवाली बैठकों की संख्या	12	12	12	12
	आयोजित बैठकों की संख्या	01	02	04	शून्य
	कमी	11	10	08	12
2013-14	होनेवाली बैठकों की संख्या	12	12	12	12
	आयोजित बैठकों की संख्या	शून्य	01	शून्य	शून्य
	कमी	12	11	12	12
2014-15	होनेवाली बैठकों की संख्या	12	12	12	12
	आयोजित बैठकों की संख्या	02	02	03	शून्य
	कमी	10	10	09	12
2015-16	होनेवाली बैठकों की संख्या	12	12	12	12
	आयोजित बैठकों की संख्या	05	03	05	शून्य
	कमी	07	09	07	12

(स्रोत: औ.क्षे.वि.प्रा.)

विभाग ने जवाब दिया (नवम्बर 2016) कि पीसीसी की बैठक महीने में एक बार निर्धारित है। हालांकि, संबंधित औ.क्षे.वि.प्रा. में आवेदनों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता को भी बैठकों की अनुसूची तय करने में ध्यान रखा जाता है। कुछ औ.क्षे.वि.प्रा. में, माननीय उच्च न्यायालय ने समान विनियमन के पारित होने तक बैठकों का संचालन निषिद्ध (2011) किया था। उत्तर संतोषपूर्ण नहीं है क्योंकि प्राप्त आवेदनों की संख्या औ.क्षे.वि.प्रा. में संधारित नहीं किये गये थे। आगे, विभाग ने नियमन तैयार करने में चार वर्षों की देर की।

नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं हो पायी क्योंकि कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया गया था

- झा.औ.नी. 2012 के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था। समिति को नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु वर्ष में दो बार बैठक करना था। मुख्य सचिव द्वारा भी नीति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक तिमाही कम से कम एक बार तथा सरकार को नीति की मध्यावधि समीक्षा करनी थी।

उद्द्योग निदेशक के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया गया था (जून 2016)। अतः समिति के अभाव में, नीति की समीक्षा सरकार द्वारा नहीं की जा सकी। फलतः न तो नीति की कमियों को उजागर किया गया न ही उनका निराकरण करने के लिए इन पर विमर्श किया जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया गया था परंतु समय-समय पर मुख्यमंत्री तथा अन्य प्राधिकारियों ने झा.औ.नी. 2012 नीति की समीक्षा की थी। तथ्य यह है कि समिति के अभाव में, संस्थागत रूप में औद्योगिक नीति की समीक्षा/अनुश्रवण प्रक्रिया को शीर्ष स्तर पर नहीं किया गया था।

2.2.17 निधियों का बचत एवं प्रत्यर्पण

2011-16 के दौरान, उद्योग विभाग ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलापों की सुगमता के लिए प्रचार और प्रकाशन, एकल खिड़की (सिंगल विंडो) की स्थापना तथा परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी के तहत धन का प्रावधान किया गया था जैसा कि परिशिष्ट- 2.2.2 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011-16 के दौरान विभाग ने ₹ 40.23²² करोड़ निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलापों के लिये प्रचार और प्रकाशन, एकल खिड़की की स्थापना तथा परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी के लिये आवंटित किया था। सिंगल विंडो के लिए 'अन्य प्राप्तियों' के रूप में ₹ 3.24 करोड़ प्राप्त हुआ। इसमें से केवल ₹ 27.27 करोड़ खर्च किया जा सका जबकि 16.20 करोड़ (37 प्रतिशत) अव्ययित रहे। अव्ययित शेष में से, ₹ 9.90 करोड़ एकल खिड़की के बैंक खातों में अव्ययित पड़ा हुआ था। इस प्रकार, निधि का पूरा उपयोग वांछित उद्देश्य को साकार करने हेतु नहीं किया गया था।

जवाब में विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि वास्तविक खर्च बजट में उपलब्ध आकलन से अलग हो सकता है। एकल खिड़की के तहत विभिन्न व्यय के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित किया जा रहा है। तथ्य यह है कि वांछित उद्देश्य हेतु उपलब्ध निधि का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

2.2.18 निष्कर्ष

राज्य में निवेश का प्रवाह बढ़ाने हेतु एक अनुकूल माहौल बनाने के सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं थे क्योंकि:

- झारखंड में व्यवसाय करने की आसानी को व्यापार की स्थापना, भूमि, बिजली, पानी इत्यादि के आवंटन जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप पिछली नीति की अवधि में ₹ 28,424 करोड़ निवेश की तुलना में झा.औ.नी. 2012 की अवधि में घटकर ₹ 4493 करोड़ रह गया। जबकि 48 प्रतिशत समझौता-जापन भूमि के अधिग्रहण की विफलता तथा उद्योगों की स्थापना के लिये सरकार द्वारा सुगमता के अभाव आदि के कारण रद्द कर दिये गये जिसके परिणामस्वरूप राज्य ₹ 62,879 करोड़ के निवेश से वंचित हो गया, राज्य में प्रस्तावित पांच इस्पात संयंत्र

²² ₹ 1.20 करोड़ की अधिशेष समावेशित

सह कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना को सुगम बनाने में विफल होने के कारण ₹ 1.60 लाख करोड़ के अवसर का नुकसान हुआ।

- आंशिक रूप से कार्यरत एकल खिड़की प्रणाली क्षमतावान निवेशकों की कठिनाइयों का निवारण नहीं कर सका और प्रभावी नहीं था क्योंकि निवेशकों के लिए आवश्यक विभागों/एजेंसियों की मंजूरी 'एकल' सेवा बिंदु पर नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप, एकल खिड़की प्रणाली में परियोजना कार्यान्वयन का शीघ्र निष्पादन तथा 23 परियोजनाओं की बाधाओं को दूर नहीं कर सका जो समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के चार से 13 साल के बाद भी स्थापित नहीं हो सके।
- सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं जैसे भूमि बैंक, बिजली, पानी और कच्चे माल इत्यादि की निर्बाध आपूर्ति मुहैया कराने की अपनी भूमिका में विफल रही थी। आगे, राज्य में ऑटोमोबाइल तथा ऑटो घटकों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जबकि स्वीकृत है राज्य द्वारा पर्यावरण निर्बाध मंजूरी पर देरी से कार्रवाई की वजह से स्थापित नहीं किया जा सका। इससे राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देना अवरूद्ध हुआ तथा निवेश आकर्षित नहीं हो सका।
- निवेश को सुगम बनाने तथा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु झा.औ.नी. 2012 के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया गया। फलतः न तो शीर्ष स्तर पर झा.औ.नी. 2012 के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण हो पाया और न ही नीति की मध्यावधि समीक्षा सरकार द्वारा की गयी।

2.2.19 अनुशंसाएँ

सरकार को व्यवसाय स्थापित करने में बाधाओं का निराकरण करना चाहिए तथा निवेशकों को एक समयबद्ध तरीके से भूमि, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी ढांचे को आवंटित करना चाहिए ताकि राज्य में निवेश सुगम हो सके।

राज्य में निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को 'एकल पड़ाव' सेवा बिंदु प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) को सभी संबंधित विभागों की सभी सेवाओं को एकीकृत करके अंतिम रूप देना और जल्द से जल्द संचालित करना चाहिए।

राज्य में निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने के नजरिये से झा.औ.नी. 2012 के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा करने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति को जल्द से जल्द गठित किया जाना चाहिए।

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

- 3.1 गोदाम का निर्माण एवं क्रियाशीलता का लेखापरीक्षा**
- 3.2 धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिल्ड चावल में रूपांतरण की लेखापरीक्षा**
- 3.3 सुरक्षा संबंधित व्यय की लेखापरीक्षा**
- 3.4 मेसो क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा**
- 3.5 लेखापरीक्षा कंडिकायें**

अध्याय-2

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3.1 गोदाम का निर्माण एवं क्रियाशीलता का लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदानित दर पर खाद्यान्न, चीनी एवं परिष्कृत आयोडीन नमक उपलब्ध कराती है। वर्ष 2011-16 की अवधि का लेखापरीक्षा किया गया जिसमें गोदाम का निर्माण, पूर्णता एवं संपूर्णता का आकलन किया गया। राज्य सरकार ने अपने संकल्प (अगस्त 2009) के द्वारा खाद्यान्न के मासिक आवंटन के दोगुना भण्डारण क्षमता हासिल करने के लिए गोदामों के निर्माण का निर्णय लिया। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिया जा रहा है:

हालांकि 2009-16 के दौरान 2.47 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान निर्माण किये जाने की आवश्यकता थी, लेकिन विभाग द्वारा केवल 1.90 लाख मीट्रिक टन की योजना बनायी गयी और 0.96 लाख मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण कराया गया। इस प्रकार 0.57 लाख मीट्रिक टन कम भंडारण की योजना बनाई गयी जबकि कुल आवश्यकता की तुलना में भंडारण क्षमता 1.51 मीट्रिक टन से पिछे रह गया। इसके अलावा 55 प्रखण्ड में खाद्यान्न के भण्डारण के लिए कोई भंडारण स्थान उपलब्ध नहीं था और 156 प्रखण्ड में भण्डारण क्षमता मासिक खाद्यान्न आवंटन से कम पाया गया, ठीक उसके विपरीत 17 प्रखण्डों में भण्डारण क्षमता मासिक आवंटन के दोगुने से भी ज्यादा पाये गये जबकि 31 प्रखण्डों में भण्डारण क्षमता मासिक आवंटन से आधिक लेकिन मानक से कम थे। हालांकि, कोई योजना ऐसी नहीं थी जिसका लाभप्रद उपयोग अतिरिक्त भण्डारण के लिये किया जा सके या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 1.51 लाख मीट्रिक टन की खाद्यान्न भण्डारण क्षमता की कमी को पूरा करने के लिये किया जा सके।

(कंडिका 3.1.2)

छियालिस निर्मित गोदाम विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गये थे तथा पहुँच पथ के अभाव, क्षतिग्रस्त छत/दीवार इत्यादि के कारण 36 गोदाम कार्यरत नहीं हुए थे। 20500 मीट्रिक क्षमता के 33 स्वीकृत गोदाम का निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका था।

(कंडिका 3.1.3)

गोदामों में खाद्यान्न गोदाम नियमावली में निर्धारित मानक के पालन किए बिना अस्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जा रहा था।

(कंडिका 3.1.4.2)

2011-16 के दौरान राज्य द्वारा भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) से आवंटन के विरुद्ध 21.23 लाख मीट्रिक टन कम खाद्यान्न का उठाव किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ.) लागू होने के बाद अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के

दौरान 1.44 लाख मीट्रिक टन कम खाद्यान्न का उठाव किया गया। परिणामस्वरूप लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अधिदेश का उल्लंघन हुआ। खाद्य सुरक्षा भत्ता जो रा.खा.सु.अ. के अन्तर्गत स्वीकार्य है, का भुगतान उन लाभार्थियों को नहीं किया गया जिन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया।

(कंडिका 3.1.5.1)

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि.) द्वारा अपने लेखा पुस्तिका में दिखाए गए खाद्यान्न उठाव की मात्रा एवं भा.खा.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न उठाव की मात्रा में 65711.819 मीट्रिक टन खाद्यान्न की विसंगति पायी गयी जिसका न्यूनतम मूल्य ₹ 155.59 करोड़ होता है। इस विसंगति का राज्य द्वारा मिलान और छानबीन की जरूरत है।

(कंडिका 3.1.6.1)

3.1.1 प्रस्तावना

झारखण्ड सरकार जरूरतमन्दों के लिये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं¹ द्वारा खाद्यान्न, चीनी और परिष्कृत आयोडिन युक्त नमक अनुदानित दर पर उपलब्ध कराती है। अक्टूबर 2015 से अनुदानित खाद्यान्न दो योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ.) एवं अन्नपूर्णा के तहत उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्य सरकार की एजेन्सी केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न भा.खा.नि. के गोदाम से प्राप्त कर अपने गोदाम में भण्डारण करती है और उसे लक्षित लाभार्थियों के बीच वितरित करती है जिसमें योजना, भण्डारण एवं परिवहन क्रियाकलाप की रूपरेखा निम्न है:



(रा.खा.नि.: झारखण्ड राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम भा.खा.नि.: भारतीय खाद्य निगम उ.मू.दु.: उचित मूल्य दुकान जि.आ.प.: जिला आपूर्ति पदाधिकारी)

सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग, झारखण्ड सरकार, खाद्यान्न के भण्डारण क्षमता निर्माण के लिए जिम्मेवार है और खाद्यान्न

¹ अंत्योदय अन्न योजना (अं.अ.यो.) अन्नपूर्णा, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.- बेलो पोवर्टी लाईन), अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से उपर (ए.पी.एल.-एबभ पोवर्टी लाईन) के परिवार

की खरीद, भण्डारण और जन वितरण दुकान तक वितरण, प्रबन्ध निदेशक (प्र.नि.) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि.) के माध्यम से कराते हैं।

वर्ष 2011-16² को आच्छादित करते हुए राज्य के 24 में से छः³ जिला (25 प्रतिशत) को चयनित कर मार्च 2016 और जुलाई 2016 के बीच यह मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा आयोजित किया गया, कि क्या खाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण के लिए उचित मूल्यांकन किया गया एवं योजना बनायी गयी, गोदाम को कुशलता से प्रबन्धित कर श्रेष्ठ उपयोग किया गया, वैज्ञानिक विधि से खाद्यान्न का भण्डारण किया गया और पर्यवेक्षण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावपूर्ण था। लेखापरीक्षा दल द्वारा विभागीय सचिव, प्रबन्ध निदेशक (झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि.), जिला आपूर्ति पदाधिकारी (जि.आ.प.) और जिला प्रबन्धक (जि.प्र.) (झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि.) के कार्यालयों की अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अलावा चयनित जिलों में से 20 प्रखण्डों⁴ (25 प्रतिशत) का भी जाँच किया गया तथा 28 गोदाम (परिशिष्ट 3.1.1) का भौतिक सत्यापन किया गया।

सरकार के सचिव के साथ 26 अप्रैल 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्य प्रणाली पर चर्चा किया गया। सरकार के सचिव के साथ 20 अक्टूबर 2016 को आयोजित निकास सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा किया गया। सरकार से प्राप्त जवाब को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2 गोदाम निर्माण की योजना

3.1.2.1 झारखण्ड में भण्डारण क्षमता की स्थिति

न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (2006) के अनुसार भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को प्रभावित करने वाले विकृतियों के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था। वाधवा समिति ने फरवरी 2009 में झारखण्ड पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा कि “भारतीय खाद्य निगम के साथ-साथ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के भंडारण क्षमता में भारी कमी है। आदर्श रूप में

² सरकार ने 2009 के संकल्प के द्वारा अपनी भण्डारण क्षमता दुगना करने का निर्णय लिया एवं गोदाम निर्माण के लिए वर्ष 2009 से पर्याप्त धन राशि आवंटित किया। इसलिए गोदाम के निर्माण, पूर्णता एवं हस्तांतरण पर कण्डिका 2009 से 2016 के बीच जाँच पर आधारित है।

³ देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग एवं लोहरदगा।

⁴ देवघर, देवीपुर एवं सरवाँ प्रखण्ड देवघर जिला में; धनबाद, गोविन्दपुर एवं झरिया प्रखण्ड, धनबाद जिला में; घाटशिला, गोलमुरी सह जुगसलाई एवं पोटका प्रखण्ड, पूर्वी सिंहभूम जिला में; भवनाथपुर, गढ़वा, मेराल, रमना एवं रंका प्रखण्ड, गढ़वा जिला में; बरही, दारू, हजारीबाग एवं ईचाक प्रखण्ड हजारीबाग जिला में; कुडू एवं लोहरदगा प्रखण्ड लोहरदगा जिला में।

राज्य में मासिक आवंटन के 2.5 गुणा की भण्डारण क्षमता होनी चाहिए। भण्डारण क्षमता में कमी के फलस्वरूप खाद्यान्न का बैकलॉग (संचित) बन जाता है एवं खाद्यान्न का नुकसान भी होता है।” समिति ने राँची के एक गोदाम में बड़ी मात्रा में कीट लगा हुआ खाद्यान्न पाया।

3.1.2.2 योजनाबद्ध भंडारण क्षमता की कमी को हल करने के लिए संकल्प

भंडारण क्षमता की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए, प्रखण्ड-वार मासिक खाद्यान्न का आवंटन प्रखण्डों में भंडारण आवश्यकताओं को तय करने के लिए आधार था। राज्य सरकार अपने संकल्प (अगस्त 2009) द्वारा निर्णय लिया कि खाद्यान्न के मासिक आवंटन के दो गुणा भण्डारण के लिए गोदाम का निर्माण किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य गोदामों से खाद्यान्न के उठाव में विलम्ब की स्थिति में अतिरिक्त खाद्यान्न के भण्डारण के लिए सुविधा प्रदान करना था।

भण्डारण क्षमता की वर्तमान स्थिति की तुलना में राज्य के मासिक आवंटन (31 मार्च 2016) को तालिका-3.1.1 में दिखाया गया है।

तालिका-3.1.1: भण्डारण क्षमता की कमी का विवरण

(मी. ट. में)

मासिक आवंटन	प्रतिवेदित भण्डारण क्षमता	वास्तविक भण्डारण क्षमता	आवश्यकता*	भण्डारण क्षमता में कमी	कमी (प्रतिशत में)
146202.929	145100	141250	292405.86	151155.86	51.69

* (राज्य सरकार के संकल्प के आधार पर)

आवश्यकता से 0.57 लाख मीट्रिक टन कम भण्डारण क्षमता की योजना बनाई गई

उपर की तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2016 के अनुसार विभाग की भण्डारण आवश्यकता 2.92 लाख मीट्रिक टन था। विभाग के पास इसके विरुद्ध भण्डारण क्षमता 0.45 लाख मीट्रिक टन था (2009-10)। इस अन्तर को भरने के लिए राज्य सरकार को वर्ष 2010-16 में 2.47 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता प्राप्त करना था। जबकि 2010-16 में विभाग ने मात्र 1.90 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। इस प्रकार 0.57 लाख मीट्रिक टन कम भण्डारण के लिए योजना बनाए गए। इसके अलावा 420 गोदाम का निर्माण कर भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने की योजना थी, जबकि मार्च 2016 तक मात्र 235 गोदाम कार्यरत हो सके थे जिससे मात्र 96250 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता में वृद्धि दर्ज की गयी जिसका उल्लेख कंडिका 3.1.3.1 में किया गया है। फलस्वरूप विभाग द्वारा 1.41 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जा सका जो आवश्यकता से 1.51 लाख मीट्रिक टन (51.69 प्रतिशत) पीछे रह गया था (मार्च 2016)। इस प्रकार संकल्पित आवश्यक भण्डारण क्षमता की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी थी।


तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग द्वारा 1.51 लाख मीट्रिक टन भण्डारण की कमी की प्रतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था जैसे निजी गोदाम या भारतीय खाद्य निगम का गोदाम किराया पर लेना या पूर्वनिर्मित गोदामों का सीमित समय में निर्माण करना इत्यादि नहीं किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा पहल नहीं किए

जाने के फलस्वरूप खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम से उठाव, अपने विभागीय गोदामों में भण्डारण एवं प्रबंधन एव खाद्यान्न का वितरण लक्षित लाभार्थियों के बीच प्रभावित हुआ, जो आगे के कंडिका में वर्णित है।

3.1.2.3 चयनित जिले में भण्डारण क्षमता

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिले में प्रखण्डवार खाद्यान्न का आवंटन एवं उपलब्ध भण्डारण क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया एवं भण्डारण (परिशिष्ट 3.1.2) क्षमता में महत्वपूर्ण कमी पायी गयी। यहाँ तक कि चयनित जिलों के 46 प्रखण्डों में भण्डारण क्षमता मासिक आवंटन से भी कम था। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद खाद्यान्न के आवंटन में बढ़ोतरी के कारण भण्डारण क्षमता की कमी में और वृद्धि पायी गयी। जिलावार भण्डारण क्षमता में कमी चार्ट-3.1.1 और तालिका-3.1.2 में नीचे दिखाया गया है।

चार्ट-3.1.1: भण्डारण क्षमता- स्थिति



तालिका-3.1.2: जिलावार भण्डारण क्षमता में कमी की विवरणी

(एम. टी. में)

क्रम संख्या	जिला	कार्यशील गोदाम की संख्या	भण्डारण क्षमता	मासिक आवंटन	आवश्यक* भण्डारण क्षमता	कमी	कमी प्रतिशत में
1.	देवघर	13	5500	5922.80	11845.60	6345.60	53.57
2.	धनबाद	21	9280	8962.58	17925.16	8645.16	48.23
3.	पूर्वी सिंहभूम	19	5350	7003.50	14007.00	8657.00	61.80
4.	गढ़वा	16	8000	6106.18	12212.36	4212.36	34.49
5.	हजारीबाग	15	5150	7062.72	14125.44	8975.44	63.54
6.	लोहरदगा	07	3250	2314.09	4628.18	1378.18	29.78
	कुल	91	36530	37371.87	74743.74	38213.74	

स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

* मासिक आवंटन का दोगुना

तालिका-3.1.2 में देखा जा सकता है कि चयनित जिलों की आवश्यक भण्डारण क्षमता 74743.74 मीट्रिक टन के विरुद्ध 36530 मीट्रिक टन है, इस प्रकार चयनित छह जिलों के लिए 38213.74 मीट्रिक टन भण्डारण की कमी को योजना में नहीं

लिया गया। इनमें से तीन जिलों (धनबाद, गढवा और लोहरदगा) में भण्डारण क्षमता (20530 मीट्रिक टन) मासिक आवंटन (17383 मीट्रिक टन) से ज्यादा है पर आवश्यक भण्डारण क्षमता (34766 मीट्रिक टन) से कम है।


भण्डारण क्षमता में कमी का अंतर पूरे राज्य में भण्डारण क्षमता में 51.69 प्रतिशत की कमी के विरुद्ध चयनित जिलों में 30 प्रतिशत से 63.54 प्रतिशत के बीच है। भण्डारण क्षमता में कमी का आवंटित खाद्यान्न के वितरण का लक्षित लाभार्थियों खाद्यान्न पर विपरीत प्रभाव की चर्चा आगे की कंडिका में वर्णित की गयी है।

विभाग/प्रबन्ध निदेशक, झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के पास वर्षवार भण्डारण क्षमता से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। वर्षवार आवंटन एवं भण्डारण में कमी का आकलन चयनित जिलों में गोदाम के हस्तांतरण के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे तालिका-3.1.3 में नीचे दिया गया है।

तालिका-3.1.3 चयनित जिलों में वर्षवार भण्डारण क्षमता में कमी की विवरणी

(एम.टी. में)

वर्ष	आवश्यक क्षमता (मासिक आवंटन का दोगुना)	उपलब्ध भण्डारण क्षमता	कमी
2011-12	44811.50	13780	31031.5
2012-13	61968.76	18030	43938.76
2013-14	67178.74	26030	41148.74
2014-15	76838.44	31030	45808.44
2015-16	74743.74	36530	38213.74



(स्रोत-डाटा जिला कार्यालय से प्राप्त)

विभाग चयनित जिलों में भण्डारण 5030 मीट्रिक टन से बढ़कर 58030 मीट्रिक टन करने के लिए 14.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति (2009-16) दी, लेकिन 31 मार्च 2016 तक 5030 मीट्रिक टन से मात्र 36530 मीट्रिक टन तक भण्डारण क्षमता की वृद्धि की गई।

3.1.2.4 योजना में कमी के फलस्वरूप भण्डारण क्षमता की उपलब्धता में विषमता

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग द्वारा लाभार्थियों के अनुसार प्रखण्डवार खाद्यान्न के आवंटन के अनुरूप उपलब्ध भंडारण क्षमता का आकलन एवं आवश्यक भंडारण क्षमता का आकलन गोदाम निर्माण के पूर्व नहीं किया गया। इसका परिणाम

मासिक आवंटन के अनुरूप भण्डारण क्षमता उपलब्ध नहीं था क्योंकि आवश्यक गोदाम निर्माण की योजना बनाते समय उपलब्ध भण्डारण क्षमता को सन्निहित नहीं किया गया

हुआ कि उपलब्ध भण्डारण क्षमता में विषमता पाई गई जिसे तालिका-3.1.4 में दिया गया है।

तालिका-3.1.4 खाद्यान्न आवंटन बनाम उपलब्ध भण्डार क्षमता की स्थिति

(एम.टी. में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड की संख्या	अभियुक्ति	खाद्यान्न का आवंटन	भण्डारण क्षमता	आवश्यक भण्डारण क्षमता	कमी/आधिक्य क्षमता
1.	55	गोदाम जो दूसरे प्रखण्ड के गोदाम से संबद्ध है।	12216.43	शून्य*	24432.86	(-) 24432.86
2.	156	कुल भण्डारण क्षमता जो मासिक आवंटन से कम है।	109622.28	55200	219244.56	(-) 164044.56
3.	17	कुल भण्डारण क्षमता जो मासिक आवंटन के दोगुना से ज्यादा है।	10692.57	35550	21385.14	(+) 14164.86
4	31	भण्डारण क्षमता जो मासिक आवंटन से ज्यादा है लेकिन आवश्यकता से कम है अर्थात् दोगुना	19682.47	30654	39364.94	(-) 8710.94

* 13950 मीट्रिक टन का गोदाम कार्यरत नहीं है

- राज्य के 259 प्रखण्डों में से 55 प्रखण्डों (21 प्रतिशत) में गोदाम कार्यरत नहीं है, इसमें से 52 प्रखण्ड खाद्यान्न भण्डारण के लिए अन्य प्रखण्ड के गोदामों पर निर्भर है तथा शेष तीन प्रखण्डों⁵ में खाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदाम नहीं है।
- तेरह जिलों के 17 प्रखण्डों की भण्डारण क्षमता (35550 मीट्रिक टन) आवश्यक भण्डारण क्षमता (21385.14 मीट्रिक टन) से 50 प्रतिशत (14164.86 मीट्रिक टन) अधिक है, जबकि सम्पूर्ण राज्य में भण्डारण की कमी 151155.86 मीट्रिक टन है। इस प्रकार सम्पूर्णता में भण्डारण की कमी के साथ-साथ आधिक्य भण्डारण क्षमता भी उपलब्ध था जो असामान्य योजना को इंगित करता है। हालांकि, आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के उपयोग की योजना नहीं बनाई गई है।
- दूसरी ओर 24 जिलों के 156 प्रखण्डों की खाद्यान्न भण्डारण क्षमता (55200 मीट्रिक टन) मासिक आवंटन (109622.28 मीट्रिक टन) से 54422.28 मीट्रिक टन कम है जबकि 31 प्रखण्डों में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता (30654.00 मीट्रिक टन) मासिक आवंटन (19682.47 मीट्रिक टन) से 10971.53 मीट्रिक टन ज्यादा थी परंतु आवश्यक भण्डारण क्षमता से 8710.94 मीट्रिक टन कम थी।

⁵ कुरू सराईकेला खरसावाँ जिला, चन्द्रपुरा एवं जरीडीह बोकारो जिला में।


विभाग के सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी निर्मित गोदामों को कार्यात्मक बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि आधिक्य भण्डारण क्षमता के लाभप्रद उपयोग हेतु कोई योजना नहीं थी या भण्डारण क्षमता में कमी को पूरा करने के लिए निजी गोदाम या भारतीय खाद्य निगम का गोदाम किराया पर लेने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी।

3.1.3 गोदाम का निर्माण एवं अधिष्ठापन

3.1.3.1 गोदाम का निर्माण

विभाग ने वर्ष 2009-16 के बीच खाद्यान्न के भण्डारण क्षमता में 1,90,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हेतु 420 गोदाम के निर्माण के लिये ₹ 77.00 करोड़ राशि विमुक्त की। जिसमें से प्रखण्ड/जिला स्तर पर 123000 मीट्रिक टन क्षमता के 317 गोदाम (75 प्रतिशत) पूर्ण किए गए जिसका विवरण निम्न चित्र और तालिका-3.1.5 में दिया गया है।

निम्न चित्र द्वारा राज्य एवं चयनित जिलों में गोदाम की स्वीकृति, पूर्णता एवं कार्यशीलता दर्शाया गया है।



तालिका-3.1.5: अवधि 2009-16 के बीच निर्मित गोदाम की विवरणी

वर्ष	स्वीकृत गोदाम	कुल क्षमता	निर्माण पूर्ण*	हस्तांतरित गोदाम*	कार्यरत गोदाम*	अपूर्ण गोदाम की संख्या
2009-10	123	42750	119	108	106	4
2010-11	153	38250	134	107	75	19
2011-12	41	41000	27	26	24	14
2012-13	55	29500	34	29	29	21
2013-14	24	18500	03	1	1	21
2014-15	3	2500	0	0	0	3
2015-16	21	17500	0	0	0	21
कुल	420	190000	317	271	235	103

(स्रोत: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग)

* अप्रैल 2016 तक

तालिका-3.1.5 एवं चित्र द्वारा निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:

317 निर्मित गोदाम में से 82 गोदाम (क्षमता 26750 मीट्रिक टन) कार्यरत नहीं था

- 1.90 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए 420 गोदाम निर्माण हेतु लिए गए, जिसमें से केवल 317 गोदाम पूर्ण हुए। उनमें से 271 गोदाम हस्तांतरित हुए और 235 गोदाम कार्यरत हुए जिसका परिणामस्वरूप कार्यरत 235 गोदाम से 1.90 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 96250 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता की प्राप्ति हुई (2010-16)।
- 317 पूर्ण गोदाम में से 46 गोदाम रु 5.14 करोड़ की लागत में पूर्ण किये गए जिसमें 16250 मीट्रिक टन (परिशिष्ट 3.1.3) भण्डारण क्षमता का निर्माण हुआ। हालाँकि टूटे छत/दीवार, पहुँच पथ का अभाव इत्यादि के कारण विभाग को कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरित नहीं हुआ। इस प्रकार, अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन का उद्देश्य विफल रहा।
- 271 हस्तांतरित गोदाम में से 10500 मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के 36 गोदाम⁶ टूटे छत/दीवार, पहुँच पथ के अभाव इत्यादि के कारण कार्यरत नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप वांछित भण्डारण क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी।
- स्वीकृत 420 गोदाम में से 103 गोदाम का निर्माण कार्य अक्टूबर 2016 तक पूर्ण नहीं किया जा सका जिससे 67000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता निर्मित होती। इसमें से 33 गोदाम का कार्य जमीन के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सका जिससे 20500 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता प्राप्त होती। परिणामस्वरूप, ₹ 8.72 करोड़ जो 33 गोदाम निर्माण के लिए विमुक्त किया गया था वह जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खाता में या भवन निर्माण विभाग के जमा शीर्ष 8782 में अवरूद्ध है। यह वांछित भण्डारण क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य को विफल किया।

⁶ विस्तृत व्यय विवरणी विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

3.1.3.2 चयनित जिलों में गोदाम का निर्माण

नमूना जाँचित जिलों में गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा का निष्कर्ष तालिका- 3.1.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका-3.1.6: नमूना जाँचित जिलों में 2009-16 की अवधि में गोदाम निर्माण विवरणी

वर्ष	स्वीकृत गोदाम	कुल क्षमता (मीट्रिक टन)	निर्माण पूर्ण*	हस्तांतरित गोदाम*	कार्यरत गोदाम*	अपूर्ण गोदाम की संख्या
2009-10	32	12000	29	29	24	3
2010-11	45	11250	37	37	24	8
2011-12	12	12000	10	10	7	2
2012-13	15	10000	10	10	8	5
2013-14	6	4500	1	0	0	5
2014-15	0	0	0	0	0	0
2015-16	5	4000	0	0	0	5
कुल	115	53750	87	86	63	28

(स्रोत: नमूना जाँचित जिला के जि. आ. कार्यलय)

* अप्रैल 2016 तक

तालिका-3.1.6 से देखा जा सकता है कि नमूना जाँचित जिलों में 115 गोदाम निर्माण के लिए लिया गया था, जिसमें 87 गोदाम पूर्ण किया गया और इसमें से 63 गोदाम (54.78 प्रतिशत) कार्यरत हुए। इस प्रकार 0.54 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 27250 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया गया। इसके अलावा 28 अपूर्ण गोदामों में से 17 गोदाम का कार्य 10 माह से 66 माह बीत जाने के बाद जमीन अधिग्रहण नहीं करने के कारण आरम्भ नहीं किया गया जिसका विवरण तालिका-3.1.7 में दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 17 गोदामों जिससे 12000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का सृजन होता, के लिए ₹ 7.69 करोड़ की राशि जो सम्बन्धित जिलों के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल को प्रदान किया गया था, अवरुद्ध थे। शेष 11 गोदाम जिससे 6000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता प्राप्त होती, स्थानीय समस्या एवं पर्यवेक्षण में अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सके, फलस्वरूप उस पर किया गया ₹ 1.44 करोड़ का व्यय फलदायक साबित नहीं हुआ साथ ही भण्डारण क्षमता वृद्धि का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

तालिका-3.1.7 गोदाम जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	जिला	गोदाम का निर्माण नहीं हुआ	राशि विमुक्त	गोदाम स्वीकृति की तिथि	निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने का कारण
1	देवघर	3	2.99	12.02.2014(1), 24.04.2015(1), 24.04.2015(1)	जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया
2	धनबाद	2	1.26	04.03.2014(1), 04.11.2015(1)	जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया
3	पूर्वी सिंहभूम	4	1.98	22.02.2013(2), 24.04.2015(2)	जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया
4	गढ़वा	2	0.76	12.02.2014(1), 24.04.2015(1)	जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया
5	हजारीबाग	6	0.70	18.03.2011(4), 13.10.2011(1), 26.03.2013(1)	जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया
	कुल	17	7.69		

(स्रोत: संबंधित जिला आपूर्ति कार्यालय)

- खाली या अनुपयोगित नवनिर्मित गोदाम

विभाग ने वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में 53,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के 115 गोदामों के निर्माण के लिए ₹ 14.82 करोड़ की राशि प्रदान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न कारणों जैसे छत/दीवार के खराब रहने, पहुँच पथ की कमी के कारण ₹ 2.50 करोड़ की लागत से निर्मित 23 गोदामों का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा था (परिशिष्ट-3.1.4) या संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल द्वारा विभाग को सौंपे नहीं जाने के कारण खाली या अनुपयोगित थे जैसा कि तालिका-3.1.8 में देखा जा सकता है:

तालिका-3.1.8 निर्मित अनुपयुक्त गोदामों की विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	गोदामों के संचालन में न हो पाने के कारण	गोदामों की संख्या	निर्माण की कुल लागत
देवघर	क्षतिग्रस्त छत/दीवार एवं पहुँच पथ की कमी	4	40.37
धनबाद	पहुँच पथ की कमी	3	60.48
पूर्वी सिंहभूम	पहुँच पथ की कमी	4	54.27
गढ़वा	क्षतिग्रस्त छत	8	58.88
हजारीबाग	पहुँच पथ की कमी	3	29.61
लोहरदगा	क्षतिग्रस्त छत	1	6.33
कुल		23	249.94

(स्रोत: संबंधित जिला के जि.आ.पदा.)

लेखापरीक्षा में आगे पता चला कि विभाग ने पहुँच पथ के निर्माण के लिए प्राक्कलन में प्रावधान नहीं किया था। इसके अलावा, इस तरह के सभी मामलों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी सड़कों के निर्माण के लिए राशि हेतु विभाग से अनुरोध करने में विफल रहे।

सरकार के सचिव ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2016) कि निर्मित गोदामों को हस्तगत करने और उन्हें संचालित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किया जाएगा। सचिव ने यह भी कहा कि क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती के लिए झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. को निर्देश जारी किए गए थे। जिला प्रशासन को अन्य निधियों से पहुँच पथ के निर्माण के लिए निर्देश भी जारी किया गया है।

i. अप्रयुक्त नवनिर्मित (सितम्बर 2010 से अगस्त 2014 तक) गोदामों में खराबी का रहना, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा निर्माण में पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता को इंगित करता था।

ii. लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि:

- देवघर सदर (2), देवीपुर (1) और सारवाँ (1) में नवनिर्मित गोदामों के फर्श, दीवार, छत, जल निकासी व्यवस्था और चबूतरा क्षतिग्रस्त थे। अलग-अलग क्षमता के और अलग-अलग अवधि में निर्मित गोदाम देवघर सदर (1,000 मीट्रिक टन: 23 सितम्बर 2010, 250 मीट्रिक टन: 17 नवंबर 2011) और देवीपुर (250 मीट्रिक टन: 24 मार्च 2011) प्रखण्ड में उपयोग में नहीं थे, जबकि सारवाँ (250 मीट्रिक टन: 21 सितम्बर 2010) प्रखंड में यह इस्तेमाल में था।

- टाटीझरिया प्रखंड में नवनिर्मित (जून 2014 में पूरा) गोदाम में टुक जाने के लिए रास्ता नहीं था। इसके अलावा, गोदाम का निर्माण प्रखंड परिसर के निचले क्षेत्र में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बरसात के मौसम में पानी भर जाने का जोखिम था। गोदाम उपयोग में नहीं था।

सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि हाल ही में पुराने गोदामों की मरम्मती के लिए झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. को राशि दिया गया था और अगर नवनिर्मित गोदामों की मरम्मती की आवश्यकता हुई तो उनकी मरम्मती भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाएगा।

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि निम्न गुणवत्ता के निर्माण के लिए विभाग द्वारा जिम्मेदारी तय किया जाना चाहिए और जहाँ आवश्यक है, सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना संबंधित ठेकेदारों द्वारा मरम्मती कराया जाना चाहिए।

छत में खराबी के कारण ये गोदामें कार्यशील नहीं थे।



**बनिया हिल, झरिया प्रखण्ड, धनबाद
(13.05.2016)**



**कैरों प्रखण्ड, लोहरदगा
(03.06.2016)**

• निर्माण में देरी की वजह से लागत में वृद्धि

समय पर 20 गोदामों का निर्माण शुरू नहीं किए जाने के कारण गोदाम के निर्माण मूल्य में ₹ 2.77 करोड़ की वृद्धि

नमुना-जांचित जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 प्रखण्डों में 20 गोदामों (13,000 मीट्रिक टन) का निर्माण कार्य नियत अवधि में शुरू करने में विफलता के परिणामस्वरूप अनुसूचित दर संशोधन के कारण लागत में ₹ 2.77 करोड़ (परिशिष्ट-3.1.5) की वृद्धि हुई। इनमें से पांच गोदामों⁷ (हजारीबाग में तीन और देवघर में दो) का पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमोदन के बाद भी भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता आठ महीने से तीन साल तक निर्माण कार्य शुरू करने में विफल रहे।

विलंब से गोदाम निर्माण पूर्ण किए जाने के कारण ठेकेदारों पर ₹ 45.12 लाख का दंड नहीं लगाया गया

• एफ-2 संविदा की धारा 2 के अनुसार, अगर संवेदक समय पर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो वह प्राक्कलित लागत का 10 फीसदी की दर से दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। देवघर, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम जिलों में वर्ष 2009-16 के दौरान 40 काम नियत तारीखों पर पूरा नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 11 दिन से पांच साल छह महीने के मध्य विलंब हुआ, हालांकि, देरी के लिए संवेदक पर ₹ 45.12 लाख⁸ (परिशिष्ट-3.1.6) का दंड नहीं लगाया गया था।

• हजारीबाग में, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा बरही प्रखण्ड में ₹ 7.32 लाख की प्राक्कलित लागत के विरुद्ध ₹ 8.62 लाख की लागत पर एक गोदाम का निर्माण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 लाख की देनदारी का सृजन हुआ जिसका मार्च 2016 तक भुगतान नहीं हुआ था।

• हजारीबाग में, चुरचू प्रखण्ड में गोदाम का निर्माण कार्य ₹ 3.19 लाख के व्यय (मार्च 2013) के बाद बीच में ही रोक दिया गया। धन की उपलब्धता के बावजूद काम पूरा करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गयी।

⁷ उपर की तालिका-3.1.8 में सम्मिलित कटकमदाग, दारू एवं डांडी प्रखण्ड हजारीबाग जिला में; देवघर एवं मोहनपुर प्रखण्ड जिला में।

⁸ देवघर: ₹ 10.08 लाख, पूर्वी सिंहभूम: ₹ 17.05 लाख एवं गढ़वा: ₹ 17.99 लाख।

इस प्रकार, निर्माण में विलंब, निर्मित गोदाम को नहीं सौंपने या संचालन नहीं करने आदि के कारण प्रखंडों में भंडारण क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सका।

सरकार के सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि सभी जिलों को लंबित गोदामों को पूरा करने के लिए एवं पूर्ण गोदामों को खाद्यान्न के भण्डारण के लिए उपयोग हेतु निर्देश दिया गया है। सचिव ने यह भी कहा कि लागत में वृद्धि हेतु उत्तरदायित्व तय किया जाएगा और दंड की वसूली के लिए आदेश जारी किया जाएगा।

3.1.4 गोदामों का संचालन और रखरखाव

नमूना-जाँचित जिलों में गोदामों के संचालन और रखरखाव की जाँच में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

3.1.4.1 खाद्यान्न भंडारण

संबंधित गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा खाद्य अनाज भंडारण के भौतिक सत्यापन में पता चला कि:

- गढ़वा प्रखण्ड में दो गोदामों (1250 मीट्रिक टन), जहां खाद्यान्न रखे गये थे, की छत, दीवारें और फर्श क्षतिग्रस्त थे जबकि एक अन्य गोदाम (1000 मीट्रिक टन) के फर्श पर बैडमिंटन का पोल स्थापित था जो अन्य प्रयोजनों के लिए गोदाम के संभावित उपयोग को इंगित करता था। गोदामों और खाद्यान्न की स्थिति को निम्न तस्वीरों से समझा जा सकता है:



गढ़वा जिला में गढ़वा प्रखण्ड गोदाम में तस्वीर जिसमें छत में दरार दिखाई पड़ रहा है। पाइपें जिस पर एसबेस्टस शीट आधारित है दिवार से दूर है। (20 अगस्त 2016)



गढ़वा जिला में गढ़वा प्रखण्ड गोदाम में तस्वीर जिसमें खाद्यान्न के बोरो में हरे घाँस/पौधे उगे हुए तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं। (20 अगस्त 2016)



गढ़वा जिला में गढ़वा प्रखण्ड गोदाम (1000 एम.टी.) में खराब हुए काला खाद्यान्न के बोरे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। (20 अगस्त 2016)



गढ़वा जिला में गढ़वा प्रखण्ड गोदाम में (1000 एम.टी.) गोदाम का उपयोग बैडमिंटन खेलने हेतु किया जा रहा था तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है। (20 अगस्त 2016)



गढ़वा जिला में गढ़वा प्रखण्ड गोदाम में (250 एम.टी.) दिवार में दरार तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है।
(20 अगस्त 2016)



गढ़वा जिला में गढ़वा प्रखण्ड गोदाम में (1000 एम.टी.) तस्वीर में बोरा में सड़ा हुआ खाद्यान्न दिखाई पड़ रहा है। (20 अगस्त 2016)

सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला प्रबंधक, झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. , पलामू, जो गढ़वा प्रखंड के प्रभारी थे, से इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन के लिए कहा गया था। सचिव ने हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद के जिला प्रबंधकों से भी जाँच प्रतिवेदन की मांग की थी।

- **परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक की बर्बादी:** सामुदायिक दवाओं की इंडियन जर्नल के एक अध्ययन (जुलाई 2008) में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि पर्याप्त आयोडीनयुक्त नमक की वर्तमान 64.2 प्रतिशत खपत को बढ़ाकर 90 प्रतिशत से अधिक करने का प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए आयोडीनयुक्त नमक की वर्तमान आच्छादन को पर्याप्त और 90 प्रतिशत से अधिक करने के लिए झारखंड में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। झारखंड में आयोडीन युक्त नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को रियायती दर पर वितरित किया जा रहा था। झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. घाटशिला में गोदाम के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने अखाद्य आयोडीनयुक्त नमक के भंडार को देखा क्योंकि वे खराब हो गए थे। नमक के मूल्य और मात्रा का विवरण विभाग द्वारा नहीं दिया गया। नमक की हालत का आकलन नीचे की तस्वीरों से किया जा सकता है:





घाटशिला गोदाम, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में खराब नमक रखे गये थे। (21 जुलाई 2016)

सरकार के सचिव ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से कारणों की माँग की जाएगी। हालांकि, तथ्य वही था कि अखाद्य नमक बैगों के निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया गया था।

- हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के लिए जगह की कमी के कारण ट्रक से खाद्यान्न उतारने के इंतजार में ट्रक लाइन में खड़े पाए गए क्योंकि प्रखंड में खाद्यान्न का मासिक आवंटन (659 मीट्रिक टन) उपलब्ध भंडारण क्षमता (350 मीट्रिक टन) की तुलना में 309 मीट्रिक टन अधिक था। यह नीचे की तस्वीरों में दिखाया गया है:



विष्णुगढ़ गोदाम, हजारीबाग जो प्रवेश के पास पूरा भरा था।
(17 मार्च 2016)



विष्णुगढ़ प्रखण्ड परिसर हजारीबाग में ट्रकें खाली होने हेतु प्रतीक्षा में हैं।
17 मार्च 2016

3.1.4.2 गोदाम मार्गदर्शिका के प्रावधानों का अनुपालन

वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (डब्ल्यू डी आर ए) द्वारा तैयार किए गये मैनुयल फोर औपरेशनलाइजिंग ऑफ वेयर हाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट, 2007 गोदामों की विशिष्टताएँ, गोदाम प्रबंधन प्रणाली, गोदामों में आवश्यक उपकरण, भौतिक विश्लेषण, प्रयोगशाला, कीट/कीट नाशक प्रबंधन, निरीक्षण एजेंसी द्वारा गोदामों का निरीक्षण और गोदामों में किए जाने वाले अन्य कार्यों के बारे में सिफारिश⁹ करता है। लेखापरीक्षा दल नमूना परीक्षित प्रखंड के 28 गोदामों के निरीक्षण के क्रम में गोदामों के संचालन एवं प्रबंधन का गोदाम मार्गदर्शिका के

गोदामों में निर्धारित मानदंड के पालन किए बिना अवैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्नों का भंडारण किया गया था

⁹ पेज 86 अध्याय 13, वियरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम

प्रावधानों से तुलना करने पर निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी जो तालिका-3.1.9 में वर्णित है:

तालिका-3.1.9: निर्धारित मापदंड के पालन के बगैर खाद्यान्न का गोदामों में अवैज्ञानिक भंडारण

क्रम संख्या	मूद्दे	गोदाम मार्ग दर्शिका के प्रावधान	संचालन पर लेखापरीक्षा का अवलोकन
1.	अवैज्ञानिक भण्डारण	भण्डार को नुकसान से बचाने हेतु वैज्ञानिक स्टैकिंग एवं भण्डारण की जरूरत है जिसके अनतर्गत वस्तुओं का स्टैकिंग उपयुक्त डुनेज सामग्री जैसे बाँस की चटाई, पॉलिथीन शीट इत्यादि पर रखने, स्टैकिंग के तरीकों, ढेर के बीच अंतर रखने, भण्डार की लेवलिंग, वेंटिलेशन के रखरखाव, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था आदि हैं।	मार्गदर्शिका में स्टैकिंग, डुनेज, अंकन या धूनी कवरेज इत्यादि प्रावधानों की अनदेखी करते हुए खाद्यान्नों को गोदामों में ढेर के रूप में रखा गया। चूकि खाद्यान्नों का भण्डारण स्टैक में नहीं किया गया था अतः पहले अन्दर पहले बाहर प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था।
2.	खाद्यान्नों का दूषित होना	खाद्यान्न की हानि मोटे तौर पर वजन में कमी, गुणवत्ता में कमी, पोषक मूल्य और स्वच्छता गुण में कमी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो मल-मूत्र के मिलने से होता है।	भण्डार गृह के भौतिक निरीक्षण के दौरान मूषक/पक्षियों की उपस्थिति पाया गया तथा उनके मल-मूत्र गोदामों को दूषित कर रहे थे।
3.	अग्निशामक उपकरणों का अभाव	नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 खतरों की वजह से भण्डार में होने वाले नुकसान की रक्षा हेतु 1500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम में तीन आग बुझाने वाले उपकरण एवं 15 फायर (रेत) वाल्टी के प्रदान किये जाने का सिफारिश करती है।	भौतिक रूप से सत्यापित किसी भी गोदाम में अग्निशमन व्यवस्था नहीं पाये गये थे।
4.	अग्निशमन पर प्रशिक्षण का नहीं देना	सहायक गोदाम प्रबंधक (स.गो.प्र.) और अन्य कर्मचारी को गोदाम में आग के प्रबंधन की सामान्य प्रक्रिया और बुनियादी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	गोदाम के प्रबंधन में लगे एक भी कर्मचारियों को अग्निशमन के बुनियादी सिद्धांतों एवं सामान्य प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया था।
5.	गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया जाना	संधारित वस्तुओं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रत्येक गोदाम में एक छोटा सा भौतिक विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना चाहिये।	लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदामों में खाद्यान्नों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए न तो कोई प्रयोगशाला थे और न ही किसी वाहरी प्रयोगशाला में खाद्यान्नों के गुणवत्ता की जाँच किए जा रहे थे।
6.	सुरक्षा व्यवस्था का न होना	गोदामों के पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु चौबीसो घंटे सुरक्षा गार्ड आवश्यक थे।	निरीक्षित गोदामों में से किसी में भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखा गया था।
7.	खाद्यान्न का बीमा नहीं किया जाना	आग, बाढ़, चोरी, धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन, हमलों एवं आतंकवाद के विरुद्ध गोदाम के भण्डारण का बीमा आवश्यक था।	छः जिलों के प्रखण्डों में झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदामों में संधारित खाद्यान्नों के लिए कोई बीमा नहीं किया गया था।



बरमसिया गोदाम (धनबाद) में बेकार पड़े डुनेज और फर्श पर खाद्यान्न जो ढेर में थे (उपर)
(13 मई 2016)



बरही प्रखण्ड (हजारीबाग जिला) के गोदाम में चुहे
के मल-मूत्र से खाद्यान्नों का दूषित होना। (16
मार्च 2016)

सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि गोदाम नियमावली (गो.नि.) के प्रावधान भा.खा.नि. और केन्द्रीय भंडारण निगम जैसे गोदाम (के.भं.नि.) जहाँ खाद्यान्नों का भंडारण बड़े पैमानों पर किया जाता है, पर लागू होते हैं। हालांकि यहाँ यह उल्लेखनिय है कि विभाग के गोदाम संचालन से संबंधित मार्गदर्शिका (नियमावली) के अभाव में झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदामों के संचालन को जाँच करने हेतु “वेयरहाउस मैनेजुअल फोर ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ वेयर हाउस” का उपयोग लेखापरीक्षा मापदण्ड के रूप में करने की सूचना सरकार को लेखापरीक्षा द्वारा प्रवेश सम्मेलन में दिए गये थे जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

आगे निकास सम्मेलन में सचिव ने कहा कि सरकार गोदामों के प्रबंधन हेतु निजी अभिकर्ताओं की भर्ती की प्रक्रिया में थी तथा वैज्ञानिक भंडारण हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों जिसका प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है, को राज्य में लागू करने हेतु जाँच की जाएगी।

3.1.4.3 खाद्यान्न के मात्रा का जाँच नहीं किया जाना

निर्गमन आदेश की प्राप्ति के पश्चात भा.ख.नि. द्वारा नामित ट्रांसपोर्टों को झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के गोदामों तक अनाज के परिवहन हेतु अनाज का वजन एवं अनाज निर्गत करता है। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा को सत्यापित करने के लिए झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदामों में कोई

व्यवस्था नहीं थी क्योंकि निरीक्षित किसी भी गोदाम में कोई कार्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक तौल के मशीन नहीं थे।

झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के सहायक गोदाम प्रबंधकों ने बताया कि खाद्यान्न झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के उठाव प्रभारियों द्वारा प्राप्ति के समय भा.ख.नि. के गोदाम में तौला जाता है और झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के ट्रांसपोर्टों को ट्रक/वाहन को सौंप दिया जाता है। झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के किसी भी गोदाम में प्राप्ति एवं ट्रकों से खाद्यान्नों के उतराई के समय खाद्यान्न वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल के मशीन नहीं थे। विभाग द्वारा झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदामों को उपलब्ध कराये गये डिजिटल तौल के मशीन खाद्यान्नों की भारी मात्रा को प्राप्ति एवं ट्रक से उतराई के समय वजन करने के लिए उपयुक्त नहीं थे।

सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं बताया (अक्टूबर 2016) कि झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के जिला प्रबंधकों को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्नों को गोदाम में प्राप्ति लेने से पहले वजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। आगे बताया गया (अक्टूबर 2016) कि डिजिटल तौल के मशीन झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को दिया गया था। हालांकि, गोदामों के भौतिक सत्यापन के समय लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिजिटल तौल मशीन का उपयोग मंगाई गई खाद्यान्न की मात्रा की पुष्टि करने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा था।

3.1.5 अपर्याप्त खाद्यान्न भंडारण के निहितार्थ

3.1.5.1 उठाव में कमी एवं इसके फलस्वरूप वितरण में कमी

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ल.सा.वि.प्र.) लाभुकों को अंत्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल., अतिरिक्त बी.पी.एल., ए.पी.एल. के तहत सितम्बर 2015 तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने 2011-16 (सितम्बर 2015 तक) के दौरान 73.40 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ल.सा.वि.प्र. के तहत आवंटित किया। इसके विरुद्ध रा.खा.नि. ने केवल 53.61 लाख मीट्रिक टन (73 प्रतिशत) अनाज का उठाव किया जिसके परिणामस्वरूप 19.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का कम उठाव हुआ।

2011-16 के दौरान झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. द्वारा भा.ख.नि. से 21.23 लाख मीट्रिक टन कम खाद्यान्न का उठाव हुआ था

आगे, राज्य में अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। रा.खा.सु.अ. के तहत भारत सरकार द्वारा 7.81 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया। इसके विरुद्ध केवल 6.37 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव रा.खा.नि. द्वारा किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप 1.44 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का कम उठाव हो पाया। इस प्रकार, कुल 21.23 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का कम उठाव हो पाया जो तालिका-3.1.10 में प्रदर्शित है-

तालिका-3.1.10: खाद्यान्न का कम उठाव एवं कम वितरण

(मी. टन में)

वर्ष	भारत सरकार का आवंटन	झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. द्वारा खाद्यान्न का उठाव	उठाव में कमी	उठाव में कमी (प्रतिशत में)
अप्रैल 2011 से सितम्बर 2015 तक	7340023.62	5361142.000	1978881.620	26.96
अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक	780824.424	636901.536	143922.888	18.43

विभाग के सचिव ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट आवंटन के विरुद्ध खाद्यान्न के उठाव में कमी वास्तविकता के निकट था। सचिव ने आगे कहा कि भारत सरकार से अनाज के उठाव हेतु समयावधि विस्तार एवं व्यपगत आवंटन के पुनर्वैधीकरण हेतु अनुरोध किया गया है लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे देखा गया कि खाद्यान्न के उठाव में कमी अंत्योदय अन्न योजना एवं पी.एच.एच. के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अधिदेश लागू करने में बाधक बना। इस बात की पुष्टी लोहरदगा जिले में 23 लाभार्थियों के साथ सर्वेक्षण के दौरान हुई (नवम्बर 2016) जिसमें सभी 23 लाभार्थियों ने लेखापरीक्षा को बताया कि उन्हें माह मार्च 2016 का खाद्यान्न जिसके वे हकदार थे, नहीं दिया गया। इसी प्रकार, तीन उचित मूल्य की दूकानें, जिनका लेखापरीक्षा ने दौरा किया था तथा जो रा.खा.सु.अ. के तहत 821 पी.एच.एच. एवं 108 ए.ए.वाई. परिवारों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए जिम्मेवार थे, ने लेखापरीक्षा को बताया कि उनके द्वारा लाभार्थियों को मार्च 2016 का खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। हालांकि, इन लाभार्थियों को न तो खाद्य सुरक्षा भत्ता, जो रा.खा.सु. अधिनियम के धारा-13 के तहत मान्य थे, दिये गये और न ही विभाग ल.सा.वि.प्र. और रा.खा.सु.अ. के अन्तर्गत उन सभी लाभार्थियों की पहचान कर पाया जिन्हें 2011-16 के दौरान खाद्यान्न के उठाव में कमी होने से आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि राज्य में चुनाव एवं त्योहारों के कारण खाद्यान्न का उठाव नहीं हो सका और व्यपगत आवंटन के पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोध भारत सरकार के पास विचाराधीन थे। सचिव ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी भी मामले में नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस प्रकार का कोई भी दावा 2015-16 के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि पुनर्वैधीकरण की मंजूरी एवं प्राप्ति के पश्चात लाभार्थियों को खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार को त्योहारों एवं चुनाव की पहले से जानकारी थी तथा इस व्यवधान से बचने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना था। इस प्रकार, खाद्यान्न की पूरी मात्रा को उठाने में विफलता के लिए इसे उचित कारण के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे, लाभार्थियों को

रा.खा.सु.अ. के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के अधिकार के बारे में जागरूक नहीं बनाया गया जो नमूना-जाँचित जिले में रा.खा.सु.अ. के लागू होने के एक वर्ष बाद भी एक भी दावे के प्राप्त नहीं होने से स्पष्ट था।


3.1.5.2 अवैज्ञानिक भंडारण एवं गुणवत्ता में हास

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदाम में भंडारित खाद्यान्न, जो लाभार्थियों को वितरित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को निर्गत किये जाते थे, की गुणवत्ता का परीक्षण, गोदामों में परीक्षण की सुविधा के अभाव में नहीं किया गया था। इसके अलावे खाद्यान्न की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु किसी अभिकरण को मान्यता नहीं दिया गया था। भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि गोदामों की स्थिति मानक के अनुसार नहीं थी जिसकी चर्चा कंडिका 3.1.4.1 में की गयी है। आगे गुणवत्ता जाँच के अभाव में सरकार प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं थी कि लाभार्थियों तक पहुँचाया गया खाद्यान्न भंडारण एवं ढुलाई के दौरान खराब नहीं हो गए हो। भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा खराब खाद्यान्न एवं नमक को पाया जिसका उल्लेख कंडिका 3.1.4.1 एवं 3.1.4.2 में किया गया है।

सरकार के सचिव ने बताया (अक्टूबर 2016) कि भा.खा.नि. के गोदाम से औसत उचित गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही थी जिन्हें लाभार्थियों में वितरित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि रा.खा.नि. गोदाम से खाद्यान्न के वितरण में न तो “पहले आना पहले जाना” की विधि अपनाई जा रही थी और न ही खाद्यान्न के भंडारण एवं परिवहन के लिए किसी भी स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण किया जा रहा था।

3.1.6 खाद्यान्न के परिवहन में अनियमितताएँ

भारत सरकार द्वारा राज्य को योजना के दिशा निर्देशों एवं चिन्हित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। विभाग जिलों को खाद्यान्न आवंटित करती है जिसे पुनः जि.आ.प. द्वारा प्रखंडों को लाभार्थियों की संख्या के अनुपात में उप-आवंटित की जाती है। खाद्यान्न के उठाव के लिए झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि., आवंटित खाद्यान्न की कीमत (जिलावार) भा.खा.नि. को जमा करती है जो बाद में खाद्यान्न के लिए निर्गत आदेश जारी करती है। झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि., भा.खा.नि. के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव करता है और इसे अपने खर्च पर इसका परिवहन प्रखण्ड में अवस्थित अपने गोदाम तक करता है। तत्पश्चात, जि.आ.पदा. द्वारा इन खाद्यान्नों को उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के पास उचित मूल्य जमा करने के बाद डोर स्टेप डिलिवरी प्रणाली के तहत अपने खर्च पर उचित मूल्य के दुकानों तक इन खाद्यान्नों को परिवहन द्वारा पहुँचाया जाता है। योजना भा.खा.नि. से उचित मूल्य के दुकान तक खाद्यान्न के वितरण को दर्शाता है।



3.1.6.1 खाद्यान्नों की मात्रा में अन्तर

भा.खा.नि. ने विभिन्न योजनाओं के तहत अपने गोदाम से झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. द्वारा उठाये किये गए खाद्यान्न का आंकड़ा प्रदान किया है। लेखापरीक्षा द्वारा भा.खा.नि. के राज्य से संबंधित वार्षिक आंकड़े को झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के आँकड़े जो उनके प्रधान कार्यालय में रखे जाते हैं से मिलान किया गया। मिलान से साबित होता है कि भा.खा.नि. द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान उठाव के आँकड़े झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के आँकड़े से अधिक हैं जबकि वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2015-16 में यह कम था, जैसा कि नीचे तालिका-3.1.11 में उल्लेखित है:

तालिका 3.1.11 भा.खा.नि. एवं रा.खा.नि. के खाद्यान्न उठाव के आँकड़ों में अंतर

(मीट्रिक टन में)

वर्ष	भा.खा.नि. के निर्गत आदेश के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा	भा.खा.नि. के अनुसार खाद्यान्न का उठाव (ए)	झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के अनुसार खाद्यान्न का उठाव (बी)	अन्तर	न्यूनतम हानि* (₹ करोड़ में)
2011-12		1240534.756	1259063.465	(-)18528.709	नील
2012-13		1290348.563	1245837.202	44511.361	78.01
2013-14		1142715.302	1115376.237	27339.065	52.17
2014-15		1202024.268	1174817.109	27207.159	25.41 ^{\$}
2015-16		1188132.466	1202949.523	(-)14817.057	
कुल		6063755.355	5998043.536	65711.819	155.59

चावल और गेहूँ

* गेहूँ के क्रय के लिए भा.खा.नि. के इकोनॉमिक कोस्ट के अनुसार

^{\$} यह मानते हुए कि 2014-15 का खाद्यान्न 2015-16 में उठाया गया।

भा.खा.नि. एवं झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के अभिलेख में ₹ 155.59 करोड़ मूल्य के खाद्यान्न भा.खा.नि. से उठाव में विसंगतियाँ पाई गई जिसका समाशोधन की जरूरत है

तालिका-3.1.11 के अनुसार, झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के लेखा से पाँच वर्षों (2011-16) के दौरान प्रतिवेदित खाद्यान्न उठाव की मात्रा का मिलान जब भा.खा.नि. द्वारा उपलब्ध कराये खाद्यान्न के उठाव की मात्रा से की गई तब 65,711.819 मीट्रिक टन से कम पाया गया था। इन दो अभिकरणों के अभिलेखों में उठाव किए गए खाद्यान्न की विसंगति कम से कम ₹ 155.59 करोड़ की आंकी गई जिन्हे मिलान करने की जरूरत है क्योंकि इससे खाद्यान्न दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु विचलित किया जा सकता है। मामले की जाँच की जरूरत है।

3.1.6.2 चयनित जिला में खाद्यान्न में विसंगतियाँ

- पूर्वी सिंहभूम में भा.खा.नि. से रा.खा.नि. तक खाद्यान्न का परिवहन

लेखापरीक्षा पूर्वी सिंहभूम जिले के मामले में भा.खा.नि. के गोदाम से रा.खा.नि. के गोदाम तक परिवहन किये गए खाद्यान्न हेतु जिला प्रबंधक (रा.खा.नि.) द्वारा तैयार किए गये विवरणी की तुलना इन्हीं खाद्यान्न की ढुलाई के लिए भुगतान की गई अभिश्रव में दर्ज खाद्यान्न की मात्रा से किया गया।

तुलना करने पर, खाद्यान्न का वजन जिसका परिवहन शुल्क रा.खा.नि. (एस.एफ.सी.) ने भुगतान किया था, भा.खा.नि. से उठाव किये गए खाद्यान्न की तुलना में 12148.32 मीट्रिक टन कम था। विवरण तालिका-3.1.12 में है:

तालिका-3.1.12: पूर्वी सिंहभूम में भा.खा.नि. से रा.खा.नि. तक खाद्यान्नों के परिवहन का विवरण (एम.टी. में)

वर्ष	जिला प्रबंधक के अभिलेखों के अनुसार भा.खा.नि. से रा.खा.नि. गोदाम तक उठाव किए गए खाद्यान्न (ए)	जिला प्रबंधक के परिवहन वाउचर के अनुसार खाद्यान्न (बी)	खाद्यान्नों में अंतर (ए-बी)
2011-12	69248.37	56666.57	12581.80
2012-13	77677.32	80030.87	(-) 2353.55
2013-14	70028.62	69713.74	314.88
2014-15	75237.00	76280.96	(-) 1043.96
2015-16	73264.41	70615.26	2649.15
कुल	365455.72	353307.4	

यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 और 2014-15 में परिवहन अभिश्रव में खाद्यान्न की मात्रा की प्रविष्टि भा.खा.नि. द्वारा दर्ज उठाव किए गए खाद्यान्न की मात्रा की तुलना में अधिक थे। जि.प्र., पूर्वी सिंहभूम खाद्यान्नों के परिवहन के अन्तर/कमी और शेष खाद्यान्नों का उपयोग या भण्डारण के बारे में नहीं बता सके। इस विसंगति को दूर करने के लिए मिलान तथा मामले की जाँच की आवश्यकता है।

- पूर्वी सिंहभूम में राज्य खाद्य निगम से उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न का परिवहन।

लेखापरीक्षा पुनः जि.आ.प. द्वारा उचित मूल्य की दुकान तक ढुलाई किये गए खाद्यान्नों की मात्रा की तुलना जि.आ.प. के कार्यालय में रखे गये रा.खा.नि. से उ.मू.दु. तक ढुलाई किये गए खाद्यान्न से संबंधित अभिश्रव में दर्ज खाद्यान्न की मात्रा से की गयी। तुलना के परिणाम तालिका-3.1.13 में निर्दिष्ट है।

तालिका-3.1.13: पूर्वी सिंहभूम जिले में रा.खा.नि. से उ.मू.दु. तक परिवहन किये गए खाद्यान्न का विवरणी

वर्ष	जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार रा.खा.नि. से उचित मूल्य की दुकान त खाद्यान्न का परिवहन (ए)	खाद्यान्न की मात्रा जिसका परिवहन लागत जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया गया। (बी)	खाद्यान्नों की कमी (ए-बी)
2011-12	57716.72	55883.50	1833.22
2012-13	77096.15	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं
2013-14	70408.01	51177.05	19230.96
2014-15	74792.26	58102.46	16689.80
2015-16	73424.48	55885.88	17538.60
कुल	353437.62	-	55292.58[^]

*वर्ष 2012-13 में परिवहन प्रखण्ड स्तर पर किया गया जिसका अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया। ^ 2012-13 को छोड़कर

तालिका-3.1.13 से स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2011-16 (वर्ष 2012-13 को छोड़कर जिसका अभिश्रव लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया) के दौरान, परिवहन अभिश्रव के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा की तुलना जि.आ.प. के अभिलेख में दर्ज खाद्यान्न की मात्रा से करने पर 55292.58 मीट्रीक टन खाद्यान्न की विसंगति पाई गयी। जि.आ.प. के अधीन वर्ष 2012-13 के लिए परिवहन व्यय से संबंधित विपत्र जि.आ.प., पूर्वी सिंहभूम कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखापरीक्षा जि.आ.प. के अभिश्रवों के आधार पर झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. गोदाम से उ.मू.दु. तक परिवहन किये गये खाद्यान्न की मात्रा का पता नहीं कर सका।
- जि.आ.प. द्वारा निर्गत निविदा के विरुद्ध एक भी कोटेशन प्राप्त नहीं होने के कारण सात प्रखण्डों में खाद्यान्न का परिवहन स्वयं विपणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निजी परिवहन अभिकर्ता की व्यवस्था कर किया गया।
- लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि जि.आ.प. द्वारा वर्ष 2011-12 और 2013-14 में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/विपणन पदाधिकारी को 14193 मीट्रिक टन खाद्यान्न के परिवहन लागत के रूप में ₹ 39.74 लाख (परिशिष्ट-3.1.7) बिना किसी समर्थित अभिश्रव (वाहन नंबर, तिथि/परिवहन की मात्रा, उचित मूल्य दुकान के डीलरों की पावती रसीद इत्यादि को दर्शाते हुए) के भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा परिवहन में उपयोग में लाए गए वाहन की प्रमाणिकता के बारे में पूछने पर जि.आ.प. पूर्वी सिंहभूम द्वारा जवाब नहीं दिया गया।
- खाद्यान्न परिवहन के लिए संदिग्ध एवं स्पष्टतया धोखाधड़ी के विपत्र: लेखापरीक्षा ने प्रखण्ड आपूर्ति/विपणन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत खाद्यान्न परिवहन के विपत्र की जाँच की तथा खाद्यान्न परिवहन हेतु उपयोग में लाये गये वाहनों के नम्बर का सत्यापन किया और यह पाया गया कि 126.45 मीट्रिक टन खाद्यान्न

की ढुलाई कारों/मोटर साईकिलों द्वारा किया गया (परिशिष्ट-3.1.8) था। इसके अलावे, इन खाद्यान्नों का विचलन खुले बाजार में करने कि संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले की जाँच की जरूरत है।

सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला प्रबंधक, जि.आ.प एवं डोर स्टेप डिलिवरी के तहत द्रोये गये खाद्यान्न के परिवहन अभिश्रव की विसंगतियों की जाँच की जाएगी। खाद्यान्न के परिवहन के लिए स्पष्ट तौर पर धोखाधड़ी के विपत्र के बारे में सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले को देखा जाएगा एवं उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

3.1.7.1 गोदामों निर्माण से संबंधित वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2009-10 में विभाग ने राज्य में गोदामों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई। गोदाम निर्माण हेतु विभाग द्वारा राशि जि.आ.प. को आवंटित किया गया जिन्होंने कोषागार से राशि आहरित के पश्चात संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को जमा कार्य के रूप में कार्य निष्पादन हेतु कर दिए। 2011-16 के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए आवंटन तालिका-3.1.14 में दिखाया गया है।

तालिका-3.1.14: आवंटन एवं व्यय विवरणी

(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचत
2011-12	898.67	834.10	64.57
2012-13	1101.01	1100.91	0.10
2013-14	278.46	183.30	95.16
2014-15	2030.74	1239.62	791.12
2015-16	970.69	970.69	0.00
कुल	5279.57	4328.62	950.95

(स्रोत: विनियोग लेखा)

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- विभाग द्वारा जिला आपूर्ति कार्यालय से व्यय के आंकड़े को कभी नहीं मांगा गया जिसके कारण भवन निर्माण विभाग को स्थानांतरित राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन विभाग संधारित नहीं करता था। इस प्रकार विभाग द्वारा व्यय पर उचित निगरानी नहीं रखा जाता था।
- वर्ष 2011-16 के दौरान गोदाम निर्माण के लिए आवंटित ₹ 52.80 करोड़ में से ₹ 43.29 करोड़ (82 प्रतिशत) खर्च किया गया था। इस प्रकार, ₹ 9.51 करोड़ खर्च नहीं किये जा सके थे जिसकी चर्चा कंडिका 3.1.3 में किया गया है
- गोदाम निर्माण के लिए आवंटन आदेश के अनुसार व्यय विवरणी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड से सत्यापन कराने पश्चात विभाग को प्रस्तुत किये

जाने थे। आदेश में यह भी अनिवार्य था कि खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को हर माह के 10 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि सरकार को व्यय की विवरणी कभी प्रस्तुत नहीं किये गए जबकि ₹ 15.17 करोड़ के आवंटन में से ₹ 12.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

- वित्तीय वर्ष 2011-16 के दौरान विभाग द्वारा गोदामों के मरम्मत और रख रखाव हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था। नतीजतन गोदाम के दरारों अथवा क्षतिग्रस्त फर्श, दीवारों एवं छतों इत्यादि के मरम्मत नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांचित प्रखण्डों के तीन गोदामों¹⁰ या तो संचालित नहीं थे अथवा क्षतिग्रस्त फर्श, दीवारों इत्यादि के साथ संचालित थे।



गढ़वा जिला में मेराल प्रखण्ड गोदाम के बाहरी भाग जिसमें क्षतिग्रस्त दिवार और छत तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है। वर्षा के जल से बचाव के लिए प्लास्टिक शीट से छत को ढंका गया है। (20 अगस्त 2016)



गढ़वा जिले में मेराल प्रखण्ड गोदाम का भीतरी भाग जिसमें क्षतिग्रस्त छत तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है और खाद्यान्न को वर्षा जल से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट से छत को ढंका गया है। (20 अगस्त 2016)

- 2009-15 के दौरान नमूना जाँचित जिलों के जि.आ.प. संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को 59 गोदामों के निर्माण हेतु ₹ 870.73 लाख स्थानांतरित किये। लेखापरीक्षा द्वारा इन गोदामों के निर्माण में से बची ₹ 65.78 लाख¹¹ की राशि कार्यपालक अभियंता भवन-निर्माण विभाग के पास अनियमित रूप से रखे थे।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, लोहरदगा द्वारा वापस किये गए ₹ 9.89 लाख (जून 2014) और जि.आ.प. हजारीबाग को कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, हजारीबाग द्वारा वापस किए गए (जुलाई 2015), ₹ 69.96 लाख को विभाग के निर्देश का उल्लंघन कर जि.आ.प. द्वारा बैंक खातों में जमा रखा गया था (नवम्बर 2015)। इस वजह से सरकारी धन अनुपयोगी रही। नियमानुसार जि.आ.प. द्वारा राशि कोषागार में जमा किया जाना चाहिये था।

¹⁰ हजारीबाग जिला में बरही, विष्णुगढ़ प्रखण्ड गोदाम, लोहरदगा जिला में लोहरदगा प्रखण्ड गोदाम, धनबाद जिला में गोवीन्दपुर प्रखण्ड गोदाम

¹¹ देवघर ₹ 5.31 लाख, धनबाद ₹ 30.14 लाख, पूर्वी सिंहभूम ₹ 8.81 लाख, गढ़वा ₹ 4.88 लाख, हजारीबाग ₹ 14.52 लाख और लोहरदगा ₹ 2.12 लाख

लेखापरीक्षा जाँच के दौरान वित्तीय प्रबंधन में प्रकट होने वाली कमियाँ गोदाम के निर्माण एवं संचालन के लिए धन के अनुश्रवण में कमी के उदाहरण थे।

विभाग से वैसे अभिलेख जिसके आधार पर प्रखण्ड/जिले के लिए भंडारण क्षमता की योजना बनाये गये एवं राशि आवंटित किए गए को प्रस्तुत करने के अनुरोध करने पर विभाग इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा।

जिले के कार्यपालक अभियंता के पास राशि के निष्क्रिय जमा रहने पर सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि भवन निर्माण विभाग के पास जमा शीर्ष में जमा राशि के बारे में जानकारी एकत्र किया जाएगा तथा खर्च न किये गए राशि को कोषागार में उपयुक्त शीर्ष में जमा किये जाने का निर्देश जारी किया जायेगा।

3.1.8 मानव संसाधन प्रबंधन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभाग समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कर्मियों की किसी प्रकार की कमी का नतीजा अधिनियम के कुशल कार्यान्वयन से समझौता करना होगा।

प्रखण्ड आपूर्ति /विपणन पदाधिकारी और सहायक गोदाम प्रबंधक क्रमशः निगरानी और उचित मूल्य के दुकान तक अनाज के उठाव/वितरण के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा जांच में यह उजागर हुआ कि राज्य में सभी स्तरों पर मानव शक्ति की 53 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी जैसा कि तालिका-3.1.15 में विवरण दिया गया है-

तालिका-3.1.15: मानव बल की स्थिति (मार्च 2016)

पद का नाम	सार्वजनिक वितरण योजना के तहत उत्तरदायित्व	स्वीकृत बल	मानव का पदस्थापन	कमी	कमी (प्रतिशत)
विपणन पदाधिकारी	प्रखण्ड स्तर पर	129	12	117	91
प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	पर्यवेक्षण/अनुश्रवण	260	122	138	53
जिला प्रबंधक	जिला: गोदाम/खाद्यान्न प्रबंधन	24	02	22	92
सहायक गोदाम प्रबंधक	खाद्यान्न की प्राप्ति, भण्डारण एवं निर्गमन	179	46	133	74
जि.आ.पदा.	सार्वजनिक वितरण योजना का जिला प्रभारी	24	11	13	54

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

मानव शक्ति में 53 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी

लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रश्नों के जवाब में जिला के पदाधिकारियों ने अपने कामकाज में कमियों के लिए मानव बल की कमी का हवाला दिये। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मानव बल में 53 से 92 प्रतिशत तक की कमी विभाग के कामकाज को प्रभावित करता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनशक्ति की कमी के कारण गोदाम का प्रभार अन्य अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी जो खाद्यान्न/गोदाम प्रबंधन के क्षेत्र में अकुशल एवं अप्रशिक्षित थे, को दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, खाद्यान्न का अवैज्ञानिक भण्डारण (बगैर ढेर बनाए सतह पर, बिना अग्निशामक प्रणाली के, बगैर बीमा संरक्षण के, बिना कीट प्रबंधन के) एवं खाद्यान्न का कम उठाव हुआ।

सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. में मानवशक्ति की कमी हेतु एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की सेवा ली जाएगी एवं यदि आउटसोर्सिंग नहीं हो सका तब झा.रा.खा. एवं अ.आ.नि. के माध्यम से भर्ती की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करती है कि विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर अपनी मानवशक्ति की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन और तदनुसार पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की प्रभावी कार्य हेतु तैनाती करे।

3.1.9 अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

3.1.9.1 सतर्कता समितियों का गठन/कार्यात्मक न होना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना (अप्रैल 2013) के अनुसार वितरण एवं सतर्कता समितियों¹² का राज्य, जिला, प्रखण्ड, शहरी/ग्रामीण, नगर पंचायत, उचित मूल्य के दुकान के स्तर पर आवश्यक वस्तुओं के भण्डार पर अनुश्रवण के लिए गठन किया जाना था। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 भी अधिदेश देता है कि पंचायती राज संस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के वितरण का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सतर्कता समितियों का गठन या तो नहीं किया गया था या निष्क्रिय थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी धनबाद एवं लोहरदगा द्वारा कहा गया कि जिला स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया गया है एवं निचले स्तर पर ऐसी समितियों के गठन हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

विभाग के निर्देशानुसार (फरवरी 2011), डोर स्टेप डिलिवरी के तहत खाद्यान्न की ढुलाई का प्रमाण पत्र पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समितियों एवं वार्ड पार्षदों इत्यादि द्वारा लिया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि डोर स्टेप डिलिवरी के तहत खाद्यान्न के ढुलाई का प्रमाण पत्र नमूना जांचित जिलों में पंचायत स्तर पर

¹² राज्यस्तर पर मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखण्ड सरकार/विभागीय सलाहकार (राष्ट्रपति शासन के दौरान) के अध्यक्षता में, जिला स्तर पर अध्यक्ष जिला परिषद की अध्यक्षता में, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड के प्रमुख की अध्यक्षता में, पंचायत स्तर पर पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में, नगर पंचायत/नगर निगम/नगर पार्षद स्तर पर संस्था के अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उचित मूल्य दुकान स्तर पर वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में।

सतर्कता समितियों का या तो गठन नहीं किये गये अथवा उनके द्वारा जनादेश का निर्वाहन नहीं किया गया

गठित सतर्कता समितियों एवं वार्ड पार्षदों इत्यादि द्वारा नहीं लिये गये क्योंकि सतर्कता समितियों का या तो गठन नहीं किया गया था या वे कार्यरत नहीं थे।

सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा, जिला स्तर पर सतर्कता समितियों को कार्यात्मक बनाने एवं अन्य स्तरों (प्रखण्ड, पंचायत, उचित मूल्य की दुकानों, शहरी) पर सतर्कता समितियों को गठन करने हेतु निर्देश निर्गत किये जाएंगे।

3.1.9.2 भंडारों/गोदामों की आवधिक निरीक्षण

भण्डारण (विकास और विनिमयन) के संचालन हेतु गोदाम निर्देशिका अधिनियम 2007 के अनुसार, गोदामों के सहायक गोदाम प्रबंधक को गोदाम के भौतिक स्थितियों एवं संधारित खाद्यान्न के पूरे स्टॉक के गुणवत्ता का आकलन 15 दिन में कम से कम एक बार या उससे पहले करना चाहिये। रोग-निरोधी या उपचारात्मक उपचार यदि आवश्यक हो तो तुरंत गोदाम के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा एवं गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि नमूना-जांचित जिलों में झाराखा. एवं अ.आ.नि. के स्टॉक/गोदामों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था और यह शायद भण्डार के गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार था जैसा कि कंडिका 3.1.5.2 में वर्णन किया गया है और कंडिका 3.1.7.1 में क्षतिग्रस्त गोदामों के मरम्मत के लिए कार्रवाई के अभाव की चर्चा है। सचिव ने निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2016) कि इस संबंध में सभी जिला प्रबंधकों को निर्देश जारी किया गया था।

3.1.9.3 गोदाम के स्वतंत्र निरीक्षण का आयोजन नहीं होना

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि नमूना जांचित किसी भी जिलों में न तो गोदाम मार्गदर्शिका में की गई सिफारिशों के अनुसार भण्डार एवं गोदाम का निरीक्षण किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया था और न ही किसी स्वतंत्र एजेंसी से निरीक्षण करने से संबंधित आदेश विभाग द्वारा दिया गया था।

सचिव ने स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी जिला प्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था।

3.1.9.4 खाद्यान्न की बर्बादी/गबन

टुंडी प्रखण्ड, धनबाद के गोदाम प्रबंधक द्वारा ₹ 1.09 करोड़ के 2733.26 क्विंटल खाद्यान्न का मई 2014 में गबन कर लिया गया था, जो प्रतिवेदित था। इसी प्रकार जिला प्रशासन द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान 133.60 क्विंटल चावल सड़ा हुआ पाया गया था। यद्यपि उपरोक्त घटना की जिम्मेदारी न्यायपालिका द्वारा तय की गई थी फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त घटनाएँ स्थापित निगरानी/सतर्कता तंत्र के अभाव के कारण हुईं।

लेखापरीक्षा नतीजों से संकेत मिलता है कि खाद्यान्न भण्डार के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं निरीक्षण तंत्र पर्याप्त नहीं था और खाद्यान्न के स्वतंत्र निरीक्षण हेतु सरकार का कोई निर्देश नहीं था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इंगित करता है कि खद्यान भण्डार का आंतरिक जांच एवं अनुश्रवण अप्रयाप्त था और खद्यान भण्डार के स्वतंत्र सत्यापन के लिए सरकार का कोई निर्देश नहीं था। सचिव ने लेखापरीक्षा के तथ्य को स्वीकारा किया एवं कहा (अक्टूबर 2016) कि गोदामों के समय-समय पर औचक निरीक्षण हेतु सभी जिला प्रबंधकों को निर्देश निर्गत किया गया था।

3.1.10 निष्कर्ष

विभाग अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण योजनाकरण और कार्यान्वयन के कारण अपनी खुद के संकल्प के सात साल बाद 1.51 लाख मीट्रिक टन के भण्डारण क्षमता के अपने लक्ष्य से पीछे था। योजना एवं कार्यान्वयन में कमी तथा अप्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप 103 गोदामों के निर्माण एवं संचालन में छह वर्ष से अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य में अपर्याप्त भण्डारण क्षमता का सृजन हो रहा था। इसके प्रभाव स्वरूप भारतीय खाद्य निगम से 21.23 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ और यह लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अधिदेश में अवरोध का कारण बना। लेखापरीक्षा द्वारा 28 गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया और पाया गया कि वैज्ञानिक भण्डारण एवं खाद्यान्न के बीमा हेतु गोदाम मैनुअल के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं मात्रा खतरों में थी। गोदामों एवं खाद्यान्न के वितरण का प्रबंधन करने के लिए मानव बल आवश्यकता से 92 प्रतिशत तक कम थे। अनुश्रवण समितियाँ या तो नहीं बने थे या जब बने थे, अपना अधिदेशित कार्य नहीं कर रहे थे।

3.1.11 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रखण्डों में जहाँ वर्तमान में भण्डारण क्षमता खाद्यान्न के मासिक आवंटन की तुलना में कम है, को प्राथमिकता देते हुए तथा उसके बाद वैसे प्रखण्डों जहाँ भण्डारण क्षमता खाद्यान्न मासिक आवंटन से अधिक है लेकिन योजना के अनुसार कम भंडारण क्षमता है में गोदाम निर्माण शीघ्र पूरा करे।
- गोदाम जो क्रियाशील नहीं थे, हस्तांतरित कर दिये गये या पूर्ण थे उनकी समीक्षा करनी चाहिए तथा समयवद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए।
- गोदाम मैनुअल के प्रावधानों के अनुपालन में वैज्ञानिक भण्डारण और खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- खाद्य प्रबंधन हेतु पर्याप्त एवं प्रशिक्षित मानव बल को लगाया जाना चाहिए तथा खाद्यान्न की चोरी/क्षति को रोकने हेतु अनुश्रवण एवं निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग

3.2 धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिलड चावल में रूपांतरण की लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (ख.वि.मौ.) 2011-12 के प्रभाव से सीधे किसानों से धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिलड राईस (क.मि.रा.) में रूपांतरण कर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को सुपुर्द करने के लिए एक कार्यक्रम लागू किया (2011)। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनके धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू.) प्राप्त हो और मजबूरन बिक्री के लिए बाध्य न होना पड़े, साथ ही क.मि.रा. की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि हो सके। ख.वि.मौ. 2011-12 और 2012-13 के लिए राज्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम को सभी 24 जिलों में लागू किया गया था। हालांकि, ख.वि.मौ. 2013-15 में यह केवल एक/दो जिलों में लागू किया गया था, लेकिन 2015-16 में पुनः 11 जिलों में भा.खा.नि. के माध्यम से और 13 जिलों में राज्य एजेंसियों के माध्यम से सभी 24 जिलों में लागू किया गया था। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ की चर्चा नीचे की गई है:

विभाग वर्ष 2013-15 के दौरान पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लागू करने में विफल रहा क्योंकि चार लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ₹ 524 करोड़ के आवश्यक निधि सुनिश्चित करने में विभाग 2011-13 में कैश क्रेडिट ऋण लेने और उसके देनदारों से ₹ 178.96 करोड़ की लंबित वसूली में सफल नहीं होने के कारण विफल रहा।

(कंडिका 3.2.3.2)

ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान कार्यक्रम में बिचौलियों की मौजूदगी के प्रभाव को कम करने में सरकार विफल हो गई, क्योंकि एक जिले के किसानों से वैध भूमि रसीद प्राप्त किए बिना ही ₹ 52.17 करोड़ मूल्य के 4.58 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी थी और चार जिलों में ₹ 7.49 करोड़ मूल्य के 0.60 लाख क्विंटल धान उत्पादन से अधिक की अधिप्राप्ति की गयी थी।

(कंडिकाएँ 3.2.3.3 और 3.2.3.4)

ख.वि.मौ. 2011-13 में 2445 किसानों को ₹ 11.37 करोड़ के भुगतान में विलम्ब और वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 99.41 करोड़ के भुगतान में विफलता के कारण किसानों द्वारा मजबूरन बाध्य होकर धान की बिक्री को रोकने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई।

(कंडिकाएँ 3.2.2.2 और 3.2.2.10)

मिलिंग नीति तय नहीं किया गया था और विभाग द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए विश्वसनीय और समेकित जानकारी उत्पन्न तथा प्रसार करने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

(कंडिकाएँ 3.2.4 और 3.2.5)

3.2.1 प्रस्तावना

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने खरीफ विपणन मौसम (ख.वि.मौ.)¹ 2011-12 के प्रभाव से किसानों से सीधे धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिल्ड राईस में रूपांतरण कर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को देने के लिए एक कार्यक्रम लागू (2011) किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू.) प्राप्त हो और मजबूरन बिक्री के लिए बाध्य न होना पड़े, साथ ही क.मि.रा. की मात्रा में वृद्धि हो सके।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग (विभाग), और कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग (सहकारी विभाग) को संयुक्त रूप से इस योजना को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। सहकारी विभाग अपने नियंत्रणाधीन धान अधिप्राप्ति केन्द्रों² (धा.अ.के.) के माध्यम से किसानों से न्यू.स.मू. पर धान की अधिप्राप्ति तथा संयोजित चावल मिलिंग इकाईयों में क.मि.रा. में रूपांतरण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। विभाग, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (झा.रा.खा.नि.) जिसे नोडल एजेंसी के रूप के नियुक्त किया गया है, के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है।

धान अधिप्राप्ति, मिलिंग और क.मि.रा. की सुपुर्दगी का एक फ्लो चार्ट परिशिष्ट- 3.2.1 में दर्शित है।

कार्यक्रम को ख.वि.मौ. 2011-12 और 2012-13 के दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में राज्य एजेंसियों के माध्यम से लागू किया गया था। हालांकि, ख.वि.मौ. 2013-14 में केवल दो जिलों (हजारीबाग और रामगढ़) में यह लागू किया गया जबकि ख.वि.मौ. 2014-15 में एक जिला (हजारीबाग) में लागू किया गया था। आगे, वर्ष 2015-16 में इसे 11 जिलों³ (पलामू, दक्षिण छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडलों) में भा.खा.नि. के माध्यम से और 13 जिलों⁴ (उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना प्रमंडलों) में राज्य एजेंसियों के माध्यम से सभी 24 जिलों में लागू किया गया था।

कार्यक्रम की पर्याप्तता, सक्षमता और पारदर्शिता; विभाग/नोडल एजेंसी के वित्तीय प्रबंधन में सक्षमता; न्यू.स.मू. के तहत धान की अधिप्राप्ति और क.मि.रा. में रूपांतरण की सक्षमता; आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सक्षमता, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण

¹ ख.वि.मौ. धान की खरीद और भा.खा.नि. को क.मि.रा. सुपुर्दगी की की अवधि निर्दिष्ट करता है।

² ख.वि.मौ. 2011-15 के दौरान धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स), वृहत क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लैम्पस) के लिए धा.अ.के. स्थित है। पुनः ख.वि.मौ. 2015-16 में भा.खा.नि. और लैम्पस/पैक्स राज्य एजेंसियाँ थी।

³ पूर्वि सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, खुँटी, लातेहार, लोहरदगा, मेदनीनगर, राँची, सरायकेला-खरसाँवा, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम

⁴ बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़ एवं साहेबगंज

और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा फरवरी और जून 2016 के बीच किया गया।

लेखापरीक्षा ने 24 जिलों में से आठ जिलों⁵ का चयन बिना प्रतिस्थापन विधि के सामान्य यादृच्छिक नमूना के माध्यम से किया। आगे, संवीक्षा हेतु प्रत्येक जिला में धान अधिप्राप्ति की मात्रा के आधार पर आठ धा.अ.के. का चयन किया गया। लाभूकों का सर्वेक्षण भी किया गया था।

सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर परिचर्चा के लिए एक प्रवेश सम्मेलन 26 अप्रैल 2016 को आयोजित किया गया था। विभाग के सचिव के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसा पर चर्चा के लिए 31 अगस्त 2016 को एक निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। सचिव ने सामान्य तौर पर निष्कर्षों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उल्लेखित सभी प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा रहा था। दिए गए उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया।



लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2 वित्तीय प्रबंधन

विभाग ने धान अधिप्राप्ति के लिए ₹ 318.96 करोड़ का एक परिक्रमि निधि श्रुजित किया (फरवरी 2012 एवं जुलाई 2012 के बीच) और उसे झा.रा.खा.नि. को धान अधिप्राप्ति के लिए दिया। आगे, झा.रा.खा.नि. ने ख.वि.मौ. 2011-12 तथा 2012-13 के लिए 13 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत ब्याज दर पर क्रमशः ₹ 135 करोड़ तथा ₹ 255 करोड़ का कैश क्रेडिट ऋण भी केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिया। झा.रा.खा.नि. ने जिला प्रबंधकों के माध्यम से धा.अ.के. को धान अधिप्राप्ति और परिवहन के लिए अग्रिम दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ख.वि.मौ. 2014-15 को छोड़ कर, प्रत्येक ख.वि.मौ. में धान के लिए अधिप्राप्ति अग्रिम दिया गया। इसके अलावे, ख.वि.मौ. 2013-14 एवं 2014-15 को छोड़कर प्रत्येक ख.वि.मौ. में परिवहन अग्रिम भी दिया गया। निधि का प्रवाह और भा.खा.नि. द्वारा क.मि.रा. की लागत की प्रतिपूर्ति को चार्ट-3.2.1 एवं 3.2.2 में दिखाया गया है।

⁵ बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची



3.2.2.1 उच्च दर पर कैश क्रेडिट ऋण लेने से ₹ 1.19 करोड़ की हानि

अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण उच्च दर पर कैश क्रेडिट ऋण लेना

झा.रा.खा.नि. में लेखापरीक्षा ने पाया कि ख.वि.मौ. 2012-13 में धान अधिप्राप्ति के लिए अल्पावधि ऋण/ऋण सुविधा के लिए तीन⁶ राष्ट्रीयकृत बैंको तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक (के.स.बैं.) से जनवरी 2013 में पत्र/प्रस्तावें प्राप्त हुआ था। के.स.बैं. से 12 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण लिया गया था। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं) ने झा.रा.खा.नि. को पिछले तीन साल का अंकेक्षित तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाता और प्रतिभूति का विवरण और सरकारी गारंटी आदि की शर्तों पर 10.20 प्रतिशत की ब्याज दर पर नकद ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। विभाग भा.स्टे.बैं के शर्तों को पूरा करने में विफल रहा और के.स.बैं. से ₹ 200 करोड़ ऋण प्राप्त करने के लिए संकल्प जारी (फरवरी 2013) कर दिया। परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़⁷ अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के कारण सरकारी खजाने की हानि हुई।

निकास सम्मेलन में सचिव ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2016) कि झा.रा.खा.नि. का अंकेक्षित वार्षिक लेखा तैयार नहीं होने के कारण के.स.बैं. से उच्च दर पर ऋण प्राप्त किया गया। हालांकि, वर्ष 2011-12 के बाद लेखा का अंतिम रूप देने में विफलता के लिए न ही कोई कार्रवाई या विचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.19 करोड़ की हानि हुई।

3.2.2.2 ₹ 96.32 करोड़ की देनदारी का सृजन

किसानों से उधार में धान की अधिप्राप्ति की गई

प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए विभाग द्वारा जारी अनुदेश (नवंबर 2011) के अनुसार, जिला स्तर पर उपायुक्त (डी.सी.) की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति को किसानों को समय पर भुगतान और निधि की उपलब्धता के अनुसार अधिप्राप्ति का आकलन करना है। जिला प्रबंधक, रा.खा.नि. को सुनिश्चित करना है कि अग्रिम रूप में पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। ख.वि.मौ. 2011-16 में धान अधिप्राप्ति के लिए, अग्रिम भुगतान और बकाया को तालिका-3.2.1 में दिखाया गया है।

⁶ इलाहाबाद बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

⁷ 12 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया गया भुगतान = ₹ 7.92 करोड़। 10.2 प्रतिशत ब्याज के लिए = ₹ 7.92x10.2/12 = ₹ 6.73 करोड़, इस प्रकार ₹ 1.19 करोड़ (₹ 7.92 करोड़-₹ 6.73 करोड़) ब्याज का अधिक भुगतान

तालिका-3.2.1 धान अधिप्राप्ति के लिए धा.अ.के. को दिए गए अग्रिम की स्थिति

(मात्रा मीट्रिक टन में, राशि ₹ में)

खरीफ विपणन मौसम	अधिप्राप्त धान की मात्रा (मी.ट. में)	न्यू.स.मू. (₹/मी.ट.)	अधिप्राप्त धान के भुगतान के लिए आवश्यक राशि	धान अधिप्राप्ति के लिए दिया गया अग्रिम	अंतर (+) (-)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
2011-12	3,93,819.16	10,800.00	4,25,32,46,928.00	4,24,27,66,786.80	-1,04,80,141.20
2012-13	3,15,990.19	12,500.00	3,94,98,77,375.00	3,98,65,80,834.60	3,67,03,459.60
2013-14	485.16	13,100.00	63,55,596.00	1,10,27,993.00	46,72,397.00
2014-15	6,153.99	13,600.00	8,36,94,264.00	0.00	-8,36,94,264.00
2015-16	1,29,920.04	14,100.00	1,83,18,72,564.00	92,15,00,000.00	-91,03,72,564.00
योग	8,46,368.54		10,12,50,46,727.00	9,16,18,75,614.40	-96,31,71,112.60

स्रोत: झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची

(+) अग्रिम से कम अधिप्राप्ति

(-) अग्रिम से अधिक अधिप्राप्ति

तालिका-3.2.1 में देखा जा सकता है कि ख.वि.मौ. 2011-16 में अग्रिम भुगतान ₹ 916.18 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1012.50 करोड़ मूल्य के धान की अधिप्राप्ति दिखाई गई है। इसके फलस्वरूप ₹ 96.32 करोड़ की धान किसानों को बिना भुगतान के अधिप्राप्ति की गई जिससे सरकार पर एक दायित्व सृजित हुई। आगे यह देखा गया कि ख.वि.मौ. 2014-15 में बिना अग्रिम के उपलब्धता के ही ₹ 8.37 करोड़ मूल्य के 6,153.99 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई जबकि ख.वि.मौ. 2015-16 में, धा.अ.के. ने केवल ₹ 92.15 करोड़ अग्रिम राशि से ही ₹ 183.19 करोड़ के 1.30 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति (अप्रैल 2016 तक) की।

ख.वि.मौ. 2012-13 तथा 2013-14 में, अधिप्राप्ति के बाद, शेष राशि क्रमशः ₹ 3.67 करोड़ तथा ₹ 46.72 लाख संबंधित जिला प्रबंधक के पास पड़ा रहा। हालांकि, जिला प्रबंधको अथवा नोडल एजेन्सी द्वारा शेष राशि लौटाने के संबंध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2016) में सचिव ने कहा कि ख.वि.मौ. 2014-15 के लिए भुगतान किया जा रहा था और संबंधित किसानों द्वारा बैंक का विवरण नहीं देने के कारण भुगतान में देरी हुआ था। यह भी कहा गया कि ख.वि.मौ. 2015-16 के वास्तविक अधिप्राप्ति के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है क्योंकि जिला सहकारिता पदाधिकारी (जि.स.पदा.) देवघर द्वारा अधिप्राप्ति की मात्रा को अवास्तविक पाया गया और उसी के अनुसार भुगतान किया जा रहा था। सचिव का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि अधिप्राप्ति की गतिविधि के पहले ही किसानों से बैंक खातों का विवरण ले लेना चाहिए था तथा जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (जि.स्त.अ.स.) द्वारा अधिप्राप्ति की वास्तविक मात्रा का सत्यापन हो जाना था। इस प्रकार जि.स्त.अ.स., विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के शर्तों को पालन करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 96.32 करोड़ का दायित्व का सृजन हुआ।

3.2.2.3 ₹ 18.78 करोड़ की राशि का अनियमित प्रतिधारण के अलावे ₹ 4.50 करोड़ का ब्याज

धान के बीज के खरीद के लिए ₹ 18.78 करोड़ की राशि को अनियमित रूप से जि.स.पदा. द्वारा प्रतिधारित करना

झा.रा.खा.नि. में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग के आदेश (जून 2014) के अनुसार झा.रा.खा.नि. ने अपने परिक्रामी निधि से ₹ 20.50 करोड़ का अग्रिम धा.अ.के. के माध्यम से धान के बीज अधिप्राप्ति के लिए 24 जि.स.पदा. को दिया था। झा.रा.खा.नि. द्वारा यह निर्देश (अगस्त 2014) दिया गया कि जि.स.पदा. अप्रयुक्त राशि को वापस करने चाहिए ऐसा न करने पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

हालांकि, यह देखा गया कि जि.स.पदा. ने अग्रिम का उपयोग नहीं किया लेकिन केवल ₹ 1.72 करोड़ (₹ 20.50 करोड़ - ₹ 18.78 करोड़) नोडल एजेन्सी को वापस किया जबकि शेष ₹ 18.78 करोड़ के अलावे ₹ 4.50 करोड़⁸ ब्याज वापस नहीं किया और संबंधित जि.स.पदा. के पास अगस्त 2016 तक पड़ा रहा। संबंधित जि.स.पदा. ने उनके द्वारा अपने पास रखे गये अप्रयुक्त राशि को वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जबकि झा.रा.खा.नि. ने वसूली के लिए प्रयास नहीं किया।

निकास सम्मेलन में सचिव ने तथ्य को स्वीकार (अगस्त 2016) किया और कहा कि प्रधान सचिव, कृषि, पशुपालन, और सहकारिता विभाग को उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि, किये गये वसूली, यदि हुआ हो, के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2016)।

3.2.2.4 ₹ 14.58 करोड़ के ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में विफलता

अंकेक्षित लेखा के अभाव में भारत सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सका

विभागीय संकल्प (फरवरी 2013) के अनुसार, झा.रा.खा.नि. तथा संबंधित धा.अ.के. को प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए अपने लेखा का अंतिम रूप देना है तथा राशि का अंकेक्षण करा लेना है। दो महीने के लिए आकस्मिक खर्च पर भुगतान किया गया ब्याज, जो भा.खा.नि. द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी उसे छोड़कर अंकेक्षित लेखा के आधार पर भुगतान किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति का दावा भारत सरकार के समक्ष रखा जाएगा। भारत सरकार से प्राप्त ब्याज की राशि को विभाग के सरकारी खजाने में प्राप्त शीर्ष (1456 - नागरिक आपूर्ति) में जमा किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झा.रा.खा.नि. के पास किसी भी ख.वि.मौ. का अंकेक्षित वार्षिक लेखा नहीं था। हालांकि, झा.रा.खा.नि. ने नकद क्रेडिट ऋण ₹ 135 करोड़ (मार्च 2012) और ₹ 255 करोड़ (फरवरी एवं अप्रैल 2013) के लिए क्रमशः ₹ 9.27 करोड़ और ₹ 7.92 करोड़ का ब्याज इस ऋणों के विरुद्ध भुगतान किया। ₹ 9.27 करोड़ की ब्याज की राशि में दो महीने का आकस्मिक खर्च ₹ 2.61 करोड़ की राशि शामिल था। इस प्रकार, ₹ 6.66 करोड़ (₹ 9.27 करोड़ - ₹ 2.61 करोड़) के शेष ब्याज के लिए दावा की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से किया जाना था। आगे, झा.रा.खा.नि. द्वारा ₹ 7.92 करोड़ ब्याज पर दो महीने के आकस्मिक खर्च पर ब्याज

⁸ ₹ 18.78x12 प्रतिशत x 2 = ₹ 4.50 करोड़

की गणना नहीं की गई थी। इसलिए, अंकेक्षित वार्षिक लेखा के अभाव तथा आकस्मिक खर्च की गणना में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 14.58 करोड़ के ब्याज का दावा झा.रा.खा.नि. द्वारा भारत सरकार से नहीं किया जा सका।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2016) में सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अंकेक्षित वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित जि.स.पदा. द्वारा आकस्मिक खर्च पर किए गए वास्तविक व्यय का विवरण देने में विफल रहने के कारण, नोडल एजेन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए दावा भारत सरकार से नहीं किया जा सका। हालांकि, सचिव ने सचिव सहकारी विभाग के साथ समन्वय स्थापित नहीं करने का कारण नहीं बताया जिसके चलते आकस्मिक शुल्क के खर्चों को प्राप्त नहीं करना और झा.रा.खा.नि. द्वारा अंकेक्षित वार्षिक लेखा तैयार नहीं करने से भारत सरकार के समक्ष दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। ।

3.2.2.5 ₹ 44.34 करोड़ के दावा विपत्र की माँग रखने में विफल रहने के अलावे ₹ 6.69 करोड़ के लंबित प्रतिपूर्ति।

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भा.खा.नि. को भारत सरकार द्वारा तय की गई लागत पत्र के अनुसार आवश्यक कागजात के साथ केन्द्रीय पूल में दिए गए क.मि.रा. के तुरंत बाद नियमानुसार संबंधित धा.अ.के. द्वारा भा.खा.नि. के मानदण्ड के अनुसार दावा विपत्र के विरुद्ध प्रतिपूर्ति करना था। हालांकि, दावा विपत्र प्रस्तुत करने के लिये कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दिया गया था।

धा.अ.के. द्वारा ₹ 44.34 करोड़ का विपत्र का दावा नहीं किया गया था और भा.खा.नि. द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाने वाला 6.69 करोड़ का विपत्र लंबित था

लेखापरीक्षा ने झा.रा.खा.नि. में पाया कि 2011-15 के दौरान, भा.खा.नि. को दी गई ₹ 730.08 करोड़ के क.मि.रा. में से, संबंधित धा.अ.के. ने अक्टूबर 2016 तक केवल ₹ 685.74 करोड़ के विपत्र का ही दावा किया। इस प्रकार, चार ख.वि.मौ. पूरा करने के बावजूद भी धा.अ.के. द्वारा ₹ 44.34 करोड़ का विपत्र का दावा नहीं किया गया था। आगे, यह पाया गया कि ₹ 685.74 करोड़ विपत्र के लिए किए गए दावों में से, भा.खा.नि. ने मात्र ₹ 679.05 करोड़ का ही प्रतिपूर्ति किया और ₹ 6.69 करोड़ का विपत्र आवश्यक कागजात के अभाव में प्रतिपूर्ति के लिए अक्टूबर 2016 तक लंबित रहा (परिशिष्ट-3.2.2)।

इस प्रकार, जि.स्त.अ.स., धा.अ.के. को भा.खा.नि. के मानदंडों के अनुसार सभी अनिवार्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा का विपत्र के लिए अनुशरण करवाने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, भा.खा.नि. ने दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की थी (नवम्बर 2016)।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अगस्त 2016) किया और धा.अ.के. द्वारा दावा विपत्रों को बनाने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने के लिए सहमति जताई। हालांकि, इस संबंध में आगे की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया (नवम्बर 2016)।

3.2.2.6 धान के कम प्रेषण के लिए धा.अ.के. से ₹ 30.69 करोड़ के वसूली में विफलता

धान के कम प्रेषण के लिए धा.अ.के. से ₹ 30.69 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी

लेखापरीक्षा ने झा.रा.खा.नि. में पाया कि ख.वि.मौ. 2012-13 में 24 जिलों में 886 धा.अ.के. ने 31.59 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्त किया। इसमें से, 28.81 लाख क्विंटल धान 84 संयोजित चावल मिलों को दिया गया। शेष 2.78 लाख क्विंटल धान मूल्य ₹ 34.77 करोड़ (प्रति क्विंटल ₹ 1250 के दर पर) तीन साल से अधिक समय तक से संबंधित धा.अ.के. के पास पड़ा रहा। इसमें से, ₹ 4.09 करोड़ की वसूली अगस्त 2016 तक बताई गई, जबकि अगस्त 2016 तक ₹ 30.69 करोड़ की वसूली नहीं की गई। हालांकि, ₹ 4.09 करोड़ की वसूली से संबंधित सूचना का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि वसूली के समर्थन में अभिलेख संबंधित जि.स.पदा. कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। आगे, जि.स.पदा. भी पूर्ण रूप से अधिप्राप्त धान को मिलों में भेजने के निगरानी करने में विफल रहा।

सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अक्टूबर 2016) किया और कहा कि वास्तव में धा.अ.के. द्वारा धान का कम प्रेषण कर दुर्विनियोग किया गया और सचिव सहकारिता विभाग से धा.अ.के. वसूली में तेजी लाने का अनुरोध किया गया था। आगे की कार्रवाई अपेक्षित थी (नवम्बर 2016)।

3.2.2.7 चावल मिलों से ₹ 83.43 करोड़ की वसूली में विफलता

झा.रा.खा.नि. के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 82 संयोजित चावल मिलों द्वारा ख.वि.मौ. 2012-13 का 8.30 लाख क्विंटल क.मि.रा. मूल्य ₹ 152.69 करोड़ भा.खा.नि. को नहीं दिया गया था। इसमें से ₹ 83.16 करोड़ बाद में (जून 2014) में वसूल कर लिया गया था जबकि संबंधित जि.स.पदा. द्वारा अनुश्रवण में कमी रहने के कारण संबंधित चावल मिलों से ₹ 69.53 करोड़ की वसूली अगस्त 2016 तक नहीं हुई थी। ऐसा विभाग को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों (सितम्बर 2014) के बावजूद क.मि.रा. की मात्रा को धान की मात्रा में बदल कर बकाया राशि को किस्तों में 31 दिसम्बर 2014 तक वसूली के लिए, करना था।

₹ 83.43 करोड़ की वसूली मिलों से किया जाना था

परिणामस्वरूप, जनवरी 2015 से बकाया राशि ₹ 69.53 करोड़ पर 12 प्रतिशत⁹ की दर से ₹ 13.90 करोड़¹⁰ का ब्याज नहीं लगाया गया। इस प्रकार ₹ 83.43 करोड़ (₹ 69.53 करोड़ जोड़ ब्याज ₹ 13.90 करोड़) की वसूली मिलों से किया जाना था (नवम्बर 2016)।

सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2016) कि झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अप्राप्त क.मि.रा. की मात्रा की लागत को धान की बराबर मात्रा के दर से वसूली किया जाना था। हालांकि वसूली न करने के लिए कोई कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

⁹ विभाग के निदेशानुसार (मार्च 2013)

¹⁰ 20 महीने का ब्याज: ₹ 69.53x12x20/1200 = ₹ 13.90 करोड़

3.2.2.8 ₹ 8.93 करोड़ के सरकारी राशि का अवरूद्धीकरण

प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए झा.रा.खा.नि. को धान अधिप्राप्ति और क.मि.रा. देने के लिए धा.अ.के. तथा चावल मिलों के उपयोग के लिए बोरा (94x57 सी.भी. वजन का 665 ग्राम, क्षमता 50 किलो) की आपूर्ति संबंधित जिला प्रबंधक/डी.एस.ओ. के माध्यम से सुनिश्चित करना था। इन बोरों को किसानों से अधिप्राप्ति किए गए धान को भरने तथा मिलों द्वारा क.मि.रा. भेजने में आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि झा.रा.खा.नि. ने 26,600 गाँठ¹¹ जूट बोरों की आपूर्ति के लिए महानिदेशालय, आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.डी.) कोलकाता को आदेश (जनवरी 2012 एवं फरवरी 2013 के बीच) दिया और नवम्बर 2011 और फरवरी 2013 के बीच ₹ 49.42 करोड़¹² का अग्रिम भुगतान किया। हालांकि, डी.जी.एस.डी. ने मार्च 2016 तक ₹ 40.48 करोड़ मूल्य के केवल 22,716 गाँठ बोरों की आपूर्ति किया जबकि ₹ 8.93 करोड़ (3,884 गाँठों) मूल्य के बोरों की आपूर्ति डी.जी.एस.डी. द्वारा अक्टूबर 2016 तक नहीं किया गया। इस प्रकार तीन वर्ष और छः महीने से अधिक समय से डी.जी.एस.डी. के पास ₹ 8.93 करोड़ अवरूद्ध रहा।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अगस्त 2016) किया और कहा कि लेखों का समाधान करने के बाद डी.जी.एस.डी. कोलकाता से ₹ 8.93 करोड़ की राशि की वसूली शुरू किया गया था। आगे कार्रवाई की अपेक्षित (नवम्बर 2016) है।

3.2.2.9 अनुपयोगी एवं और खराब बोरे: ₹ 12.30 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.रा.खा.नि. ने ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान धान/क.मि.रा. को भरने के लिए जिला प्रबंधक, रा.खा.नि. के माध्यम से चावल मिलों को आपूर्ति करने के लिए 103.83 लाख बोरे डी.जी.एस.डी. से प्राप्त किया। इनमें से, 103.33 लाख बोरे संबंधित जिलों के 10 जिला प्रबंधकों¹³ को वितरित किया गया।

यह देखा गया कि ख.वि.मौ. 2014-15 तक 74.29 लाख बोरों का उपयोग 37.15 लाख क्विंटल क.मि.रा. को भा.खा.नि. को भेजने के लिए उपयोग किया गया और ₹ 11.35 करोड़¹⁴ लागत के शेष 29.54 लाख बोरे (लगभग 29 प्रतिशत) अगस्त 2016 तक चावल मिलों के पास अप्रयुक्त रहा। नमूना-जाँचित आठ जिलों में से तीन¹⁵ में चावल मिलों के पास ₹ 2.85 करोड़ मूल्य के 7.40 लाख अप्रयुक्त बोरे शामिल है जिसे तालिका-3.2.2 में दिखाया गया है।

¹¹ 500 बैगों का एक गाँठ : ख.वि.मौ. 2011-12: 11600 गाँठ और ख.वि.मौ. 2012-13: 15,000 गाँठ

¹² ख.वि.मौ. 2011-12: ₹ 20.59 करोड़ (नवम्बर 2011 और जून 2012 के बीच) तथा ख.वि.मौ. 2012-13: ₹ 28.83 करोड़ (नवम्बर 2012 और फरवरी 2013 के बीच)

¹³ चाईबासा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, राँची और साहेबगंज

¹⁴ ₹ 38.43 प्रति नग की दर से

¹⁵ धनबाद, हजारीबाग और राँची

डी.जी.एस.डी. के विरुद्ध तीन वर्ष छः महीने से अधिक समय से ₹ 8.93 करोड़ का बकाया है

चावल मिलों के पास ₹ 11.35 लाख मूल्य के 29.54 लाख बोरा का अनुपयोगी पड़ा रहा

तालिका-3.2.2: अप्रयुक्त बोरों की स्थिति

ख.वि.मौ.	जिला	चावल मिलों को जारी किए गए बोरों की संख्या	भा.खा.नि. को भेजे गए क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. भेजने के लिए उपयोग किए गए बोरों की संख्या	शेष बोरा	₹ 38.43 प्रति बोरे की दर से बोरों की लागत
2011-12 से 2014-15	हजारीबाग	1409000	466864.82	933730	475270	18264626
2011-12 से 2012-13	धनबाद	683000	297638.14	595277	87723	3371195
2011-12 से 2012-13	राँची	635000	229220.81	458442	176558	6785124
योग		2727000	993723.77	1987449	739551	28420945

(स्रोत: संबंधित जिलों के जि.स.पदा. और जिला प्रबंधक)

आगे, झा.रा.खा.नि. में लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच जिलों में, धा.अ.के./चावल मिलों के पास ₹ 94.92 लाख¹⁶ मूल्य के 2.47 लाख नग बोरे के बारे में सूचित किया गया कि ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान वर्षा, नमी, दीमक और बोरों के अनुचित भंडारण से यह खराब हो गया। (परिशिष्ट-3.2.3 में वर्णित)

परिणामस्वरूप अप्रयुक्त बोरों के कारण बकाया वसूली ₹ 11.35 करोड़ का रहा। इसके अलावे बोरे खराब हो जाने के कारण ₹ 94.92 लाख की हानि हुई।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2016) में सचिव ने कहा कि चावल मिलों के पास ₹ 11.35 करोड़ मूल्य के अप्रयुक्त बोरे के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नोडल एजेन्सी द्वारा दिए गए डाटा/सूचना/अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया था। आगे, विभाग ने ₹ 94.92 लाख के खराब बोरे के कारण हुई हानि का कोई उत्तर नहीं दिया।

3.2.2.10 (क) किसानों का भुगतान में देरी: ₹ 11.37 करोड़

विभाग ने ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान धान अधिप्राप्ति के तीन दिनों के भीतर और इसी तरह ख.वि.मौ. 2015-16 के दौरान 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए (नवम्बर 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन नमूना-जाँचित जिलों¹⁷ में से 12 धा.अ.के. ने 2,445 किसानों को ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान ₹ 11.37 करोड़ का भुगतान 10 और 210 दिनों के विलम्ब से किया गया (परिशिष्ट-3.2.4)। इस तरह की भुगतान में देरी किसानों को अन्य खरीददारों को न्यू.स.मू. के नीचे बिक्री करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे किसानों से सीधे अधिप्राप्ति कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

किसानों को 10 से 210 दिनों के विलम्ब से भुगतान

¹⁶ ₹ 38.43 प्रति नग की दर से

¹⁷ धनबाद(5), हजारीबाग(4) और जमशेदपुर(3)

निकास सम्मेलन में, सचिव ने कहा (अगस्त 2016) कि संबंधित जिला प्रबंधक, रा.खा.नि., तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी से तथ्यों की पुष्टी की जाएगी। आगे, कार्रवाई अपेक्षित थी (नवम्बर 2016)।

(ख) अनधिकृत पराक्रम्य साधन पर भुगतान: ₹ 1.04 करोड़

बोकारो के चिलगड्डा पैक्स में किसानों को अदाता खाता चेकों के जगह पर अनधिकृत पराक्रम्य साधन के द्वारा ₹ 1.04 करोड़ का भुगतान

प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा जारी संकल्प/अधिसूचना के अनुसार, किसानों को केवल अकाउंट पेयी चेकों के माध्यम से ही भुगतान किया जाना है। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी धा.अ.के. के निरीक्षण के समय संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं ताकि किसी प्रकार की अनियमितता का पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि बोकारो जिला के अन्तर्गत चिलगड्डा पैक्स ने ख.वि.मौ. 2011-12 के दौरान 9606.00 क्विंटल धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध 509 किसानों को ₹ 1.04 करोड़ का भुगतान किया। लेकिन भुगतान अनधिकृत पराक्रम्य साधन के माध्यम से किया गया जिन्हें चेक मान लिया गया। साधन पर “चिलगड्डा प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक लिमिटेड, फिक्सड डीपोजिट डिवीजन, चिलगड्डा, जरीडिह, बोकारो” छपा था। इस तरह के भुगतान के मामले में पहले धा.अ.के. द्वारा किसानों को साधन सौंपा जाता था, लेकिन किसान इसे किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में नकदीकरण के लिए पेश नहीं कर सकता था क्योंकि ये वैध साधन नहीं थे। पैक्स अपने बैंकरो (बैंक ऑफ इंडिया) से नकद आहरण करने के बाद इसे संबंधित किसानों को वितरित करते थे और लेने-देने को अपने खाता बही में दर्ज करा देते थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन कर किसानों को अंततः नकद में भुगतान किया गया। इस तरह के क्रिया को रोकने के लिए जिला/प्रखण्ड स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति जिसमें जिला एवं प्रखण्ड सहकारी पदाधिकारी शामिल होते हैं, कि लापरवाही दर्शाता था।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अगस्त 2016) किया और आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी। आगे की कार्रवाई अपेक्षित (नवम्बर 2016) था।

3.2.3 धान की अधिप्राप्ति एवं भंडारण

नोडल एजेन्सी अपने जिला प्रबंधकों को अग्रिम प्रदान करता है, जो इसे अग्रिम के रूप में जिला सहकारिता पदाधिकारियों के अधीन गठित धा.अ.के. को किसानों से धान की अधिप्राप्ति के लिए स्थानान्तरण करता है।

3.2.3.1 धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य एवं उपलब्धि

कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए बुवाई क्षेत्र के संबंध में प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए विभाग ने न्यू.स.मू. पर धान अधिप्राप्ति के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण किया। धान अधिप्राप्ति, भंडारण, उठाव, किसानों को

भुगतान और धान का मिलिंग के लिए झारखण्ड सरकार प्रतिवर्ष न्यू.स.मू. के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर अधिसूचना/आदेशों को जारी करती है। ये निर्देश धान अधिप्राप्ति और क.मि.रा. को भेजने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करते हैं (परिशिष्ट-3.2.5)। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अनियमितताओं पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की जा रही है।

ख.वि.मौ. 2011-16 के दौरान धान अधिप्राप्ति के लिए धा.अ.के. का लक्ष्य एवं उपलब्धि तालिका-3.2.3 में दिखाया गया है।

तालिका-3.2.3 उपलब्धि में कमी को दिखाई गयी विवरणी

ख.वि.मौ.	लक्ष्य (मी.ट.)	उपलब्धि (मी.ट.)	उपलब्धि में कमी (मी.ट.)	उपलब्धि में कमी का प्रतिशत	लागू करने वाले जिलों की संख्या
2011-12	5,00,000.00	3,93,819.16	1,06,180.84	21.24	24
2012-13	4,00,000.00	3,15,990.19	84,009.81	21.00	24
2013-14	4,00,000.00	485.16	3,99,514.84	99.88	02
2014-15	-	6,153.99	-	-	01
2015-16	2,20,000.00 ¹⁸	1,29,920.04	90,079.96	40.95	13
योग	15,20,000.00	8,46,368.54	6,79,785.45		

(स्रोत : झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची)

खरीफ 2011-16 के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति में कमी 21 और 99.88 प्रतिशत के बीच थी

तालिका-3.2.3 से यह देखा जा सकता है कि ख.वि.मौ. 2011-16 के दौरान 15.20 लाख मी.ट. धान अधिप्राप्ति की लक्षित मात्रा के विरुद्ध, सरकार ने केवल 8.46 लाख मी.ट.¹⁹ धान की अधिप्राप्ति की थी। वर्षवार लक्ष्य के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति में कमी 21 से 99.88 प्रतिशत के बीच थी जो भा.खा.नि. के लिए क.मि.रा. की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य में विफलता प्रकट करता है। आगे, विभाग ने ख.वि.मौ. 2014-15 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

3.2.3.2 ख.वि.मौ. 2013-15 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विफलता

2013-15 के दौरान पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम लागू नहीं किया गया था

धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम विभाग द्वारा परिक्रमि निधि बनकर और नोडल एजेन्सी द्वारा सहकारी बैंक से कैश क्रेडिट ऋण लेकर लागू किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल एजेन्सी द्वारा किसी भी ख.वि.मौ. के लिए धान अधिप्राप्ति की गतिविधियों का अंकेक्षित वार्षिक लेखा को बनाया/अंतिम रूप नहीं दिया गया। हालांकि, नोडल एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा/सूचनाओं के आधार पर, लेखापरीक्षा ने केवल धान अधिप्राप्ति अग्रिम और भा.खा.नि. द्वारा की गई प्रतिपूर्ति पर विचार करते हुए ख.वि.मौ. 2011-15 के लिए निधि की स्थिति का

¹⁸ विभाग ने पूरे राज्य के लिए छह लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें से 2.20 लाख मीट्रिक टन की धान की अधिप्राप्ति राज्य के 13 जिलों में झा.रा.खा.नि. के माध्यम से तथा शेष भा.खा.नि. के माध्यम से निर्धारित की गई।

¹⁹ 8,46,368.54 मी. ट. - 6,153.99 मी. ट.

गणना किया। इस के आधार पर धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य, अपेक्षित निधि और उपलब्ध निधि को तालिका-3.2.4 में दिखाया गया है।

तालिका-3.2.4 निर्धारित लक्ष्य, अपेक्षित निधि और निधि की उपलब्धता का विवरण

(₹ करोड़ में)

ख.वि.मौ.	निर्धारित लक्ष्य मी.ट. में (लाख में)	न्यू.स.मू. प्रति मी.ट.	अपेक्षित निधि	निधि की उपलब्धता			ख.वि.मौ. की समाप्ति पर निधि की उपलब्धता
				परिक्रमि निधि	कैश क्रेडिट ऋण	योग	
2011-12	5.00	10800	540.00	318.96	135.00	453.96	21.74
2012-13	4.00	12500	500.00	21.74	255.00	276.74	(-)50.60
2013-14	4.00	13100	524.00	(-)50.60	0	(-)50.60	(-)38.70
2014-15	-	-	-	(-)38.70	0	(-)38.70	37.03

तालिका-3.2.4 से यह देखा जा सकता है कि ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान नौ लाख मी.ट. धान की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 1,040 करोड़ की आवश्यकता थी। हालांकि, केवल ₹ 730.70 करोड़ उपलब्ध था। आगे, ख.वि.मौ. 2013-14 के दौरान, चार लाख मी.ट. धान अधिप्राप्ति के लिए ₹ 524 करोड़ आवश्यकता के विरुद्ध, कोई निधि उपलब्ध नहीं था क्योंकि नोडल एजेन्सी ने ख.वि.मौ. 2013-14 में कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त नहीं किया जबकि ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान परिक्रमि निधि से दिए गए सभी अग्रिमों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी थी।

इस प्रकार, अधिप्राप्ति लक्ष्य की पूर्ति के लिए समुचित निधि के प्रावधान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप ख.वि.मौ. 2013-14 एवं 2014-15 में कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ जबकि ख.वि.मौ. 2015-16 में, विभाग ने अधिप्राप्ति के मानदंडों में संशोधन कर दिया।

निकास सम्मेलन में सचिव ने अन्य बातों के अलावा कहा (अगस्त 2016) कि ख.वि.मौ. 2012-13 के लिए चावल मिल्स/धा.अ.के. से लंबित बकाया राशि की वसूली में विफलता तथा इसके अलावे दावों की माँग और भा.खा.नि. से प्रतिपूर्ति में विफलता आदि, के कारण खा.वि.मौ. 2013-15 के दौरान पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सका।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ₹ 178.96 करोड़²⁰ की लंबित राशि धान लक्षित की मात्रा की अधिप्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। विभाग ने पूरे राज्य में कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आवश्यक निधि की उपलब्धता या कैश क्रेडिट ऋण लेना सुनिश्चित नहीं किया था; इसके अलावे इसने लंबित राशि की वसूली को भी कार्यान्वित नहीं किया।

²⁰ ख.वि.मौ. 2012-13 के लिए चावल मिल्स से वसूली - ₹ 69.53 करोड़, धा.अ.के. द्वारा विपत्र नहीं देने - ₹ 44.34 करोड़, ख.वि.मौ. 2012-13 के दौरान धा.अ.के. द्वारा धान का कम निर्गत होना - ₹ 30.69 करोड़, बीज खरीद के लिए रोकी गयी राशि - ₹ 18.78 करोड़, डी.जी.ए. एवं डी. के पास अवरुद्ध राशि - ₹ 8.93 करोड़, और भा.खा.नि. से लंबित प्रतिपूर्ति - ₹ 6.69 करोड़

3.2.3.3 भूमि लगान रसीद के बिना ₹ 52.17 करोड़ की धान अधिप्राप्ति

प्रत्येक ख.वि.मौ. में विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार किसानों का डाटा बेस तैयार किया जाना था और धा.अ.के. को इस तरह के डाटा बेस के साथ अद्यतन भूमि कर रसीद जिसमें भूमि का विवरण जैसे खाता, भूखण्ड संख्या, भूमि के क्षेत्र आदि शामिल हो के आधार पर धान अधिप्राप्ति करना था। सभी नमूना-जाँचित जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि किसानों का डाटा बेस तैयार नहीं किया गया था।

धनबाद में 2011-13 के दौरान बिना भूमि रसीद लिए हुए 4.58 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति

धनबाद जिला में लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर के निर्देश का उल्लंघन करते हुए जि.स्त.अ.स. के प्रमुख डी.सी. धनबाद ने बिना भूमि लगान रसीद प्राप्त किए 62 धा.अ.के.²¹ द्वारा ख.वि.मौ. 2011-13 के लिए 4.58 लाख क्विंटल²² धान की अधिप्राप्ति का आदेश दिया (फरवरी 2012 और मार्च 2013)। इसके लिए किसानों को न्यू.स.मू. के तहत ₹ 52.17 करोड़ (2011-12 में ₹ 32.29 करोड़ और 2012-13 में ₹ 19.88 करोड़) का भुगतान किया गया। यद्यपि जि.स्त.अ.स. ने विभाग को इस संबंध में सूचित किया था, फिर भी संकल्प के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, भूमि अभिलेखों के अभाव में बिचौलियों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने कहा (अगस्त 2016) कि इस संदर्भ में संबंधित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति से सूचना मांगी जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति ने भूमि रसीद के बिना अधिप्राप्ति के संबंध में विभाग को सूचना दे दी थी जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथापि, बाद में सचिव ने किसानों के डाटाबेस के साथ उनके भूमि विवरण तैयार करने के लिए सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

3.2.3.4 उत्पादन से अधिक ₹ 7.49 करोड़ मूल्य के 0.60 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति

(अ) जिला सहकारिता पदाधिकारी धनबाद और देवघर कार्यालय में लेखापरीक्षा ने पाया कि 78 धा.अ.के. द्वारा ख.वि.मौ. 2012-13 के दौरान प्रतिवेदित 4.73 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई थी यद्यपि सांख्यिकी विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 4.24 लाख क्विंटल धान का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार, उन दो जिलों में ₹ 6.13 करोड़ (1,250 प्रति क्विंटल दर पर) मूल्य के 0.49 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति धान के उत्पादन से अधिक किया गया था। यह अधिप्राप्ति के नेटवर्क में बिचौलियों की संभावित संलिप्तता को इंगित करता है। तालिका-3.2.5 में विवरण दिया गया है।

²¹ ख.वि.मौ 2011-12: 35 और ख.वि.मौ 2012-13: 27

²² ख.वि.मौ 2011-12 में: 2.99 लाख क्विंटल और ख.वि.मौ 2012-13: 1.59 लाख क्विंटल

तालिका-3.2.5 उत्पादन से अधिक धान अधिप्राप्ति दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा क्विंटल में)

जिला	धान अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या	ख.वि. मौ.	सांख्यिकी विभाग के अनुसार धान का उत्पादन	विभाग के अनुसार धान की अधिप्राप्ति	उत्पादन से अधिक अधिप्राप्ति
धनबाद	27	2012-13	149540	159412.54	9872.54
देवघर	51	2012-13	274260	313939.68	39679.78
कुल	78		423800	473352.22	49552.32

(स्रोत: सांख्यिकी विभाग एवं संबंधित जिला सहकारिता कार्यालय)

(ब) इसी तरह, जिला कृषि पदाधिकारियों (हजारीबाग एवं राँची) द्वारा प्रस्तुत धान उत्पादन की प्रखण्डवार विवरणी के साथ क्रय-पंजी/लगान रसीद के तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि हजारीबाग एवं राँची जिलों में 2011-14 के दौरान ₹ 2.78 करोड़ मूल्य के 0.23 लाख क्विंटल धान हजारीबाग²³ के सात प्रखण्डों के 11 क्रय केन्द्रों तथा राँची के एक प्रखण्ड (नामकुम) द्वारा अधिप्राप्ति की गई जबकि जिला कृषि पदाधिकारी (हजारीबाग एवं राँची) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित उपज दर के अनुसार उस अवधि में धान का उत्पादन केवल 0.12 लाख क्विंटल (परिशिष्ट-3.2.6) ही था। इस प्रकार, प्रतिवेदित 0.11 लाख क्वि. धान जिसका मूल्य ₹ 1.36 करोड़ था की अधिप्राप्ति उपज दर पर आधारित उत्पादन से अधिक था।

खरीफ विपणन मौसम 2011-14 के दौरान चार जिलों में ₹ 7.49 करोड़ मूल्य के 0.60 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति उत्पादन से अधिक हुई

इस प्रकार, 0.60 लाख क्विंटल (0.49 लाख + 0.11 लाख) धान की अधिप्राप्ति जिलों/प्रखण्डों के बाहर बिचौलियों के माध्यम से होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने की योजना की उद्देश्य में विफल रहा।

निकास सम्मेलन में सचिव ने कहा (अगस्त 2016) कि मामले को संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों तथा जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों द्वारा देखा जाएगा। तथ्य यही रहा कि, उन जिला प्रबंधको/जिला सहकारिता पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो प्रामाणिक आँकड़ों पर आधारित अधिप्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर पाए। आगे की कोई कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया (नवम्बर 2016)

3.2.3.5 ख.वि.मौ. 2015-16 के दौरान क.मि.रा. अग्रिम के विरुद्ध धान का अधिक उठाव

विभाग द्वारा जारी (नवम्बर 2015) दिशानिर्देश की धारा 15 के अन्तर्गत ख.वि.मौ. 2015-16 के लिए धान अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम क.मि.रा. पद्धति लागू की गयी थी। यह उल्लेखित है कि प्रतिभूति के रूप में सर्वप्रथम चावल मिलों को क.मि.रा. सुपुर्द करना है, और इसके बाद ही एकरारनामा के अनुसार 68 प्रतिशत उत्पादन की सामानुपातिक धान की मात्रा संयोजित पैक्सों से उठाव की जाएगी। जिला स्तर पर जि. स. पदा. एवं जिला प्रबंधक तथा प्रखण्ड स्तर पर संबंधित क्रय केन्द्रों के प्रखण्ड

²³ हजारीबाग प्रखण्ड - इचाक, चौपारण, चुरचु, बड़कागांव, केरेडारी, कटकमसांडी एवं सदर

सहकारी पदाधिकारियों द्वारा भा.खा.नि. को संयोजित चावल मिलों द्वारा क.मि.रा. की अग्रिम सुपुर्दगी के समानुपातिक धान की मात्रा के उठाव पर लगातार नजर रखते हुए अनुश्रवण करना था।

ख.वि.मौ. 2015-16 में
स्वीकार्य मात्रा से ₹
18.05 करोड़ मूल्य के
1.28 लाख क्विंटल धान
का अधिक उठाव किया

लेखापरीक्षा ने आठ में से तीन²⁴ नमूना-जाँचित जि.स.पदा. के कार्यालयों में पाया कि 24 संयोजित चावल मिलों ने अग्रिम क.मि.रा. पद्धति का उल्लंघन करते हुए ₹ 12.74 करोड़ मूल्य के 0.53 लाख क्वि. क.मि.रा. भा.खा.नि. को सुपुर्द किया तथा 0.78 लाख²⁵ क्विंटल धान के बजाय 2.06 लाख क्विंटल धान का उठाव किया। इस प्रकार, चावल मिलों द्वारा ₹ 18.05 करोड़ मूल्य के 1.28 लाख क्विंटल धान का स्वीकार्य मात्रा से अधिक उठाव किया गया, जिससे उठाव में कदाचार रोकने के उद्देश्य से किया गया संशोधित कार्यक्रम विफल हुआ। जि.स.पदा./जिला प्रबंधक एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, अग्रिम क.मि.रा. पद्धति के उद्देश्य को नजरअंदाज करते हुए चावल मिलों द्वारा धान के उठाव का अनुश्रवण करने में विफल रहे, जिसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की गई।

निकास सम्मेलन में सचिव ने कहा कि (अगस्त 2016) संबंधित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के साथ तथ्य को सत्यापित किया जा रहा है। तथापि, तथ्य यही रहा कि स्वीकार्य मात्रा से अधिक धान की मात्रा के उठाव को रोकने में विफल रहे जि.प्र./जि.स.प. के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई।

3.2.3.6 धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर आधारभूत संरचना की कमी

विभाग द्वारा प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, पर्याप्त भंडारण वाले धा.अ.के. का चयन धान अधिप्राप्ति के लिए किया जाना था। आगे अधिप्राप्त धान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण मापक जैसे कि पावर क्लीनर, नमी मापक मीटर एवं विश्लेषण किट, इत्यादि सभी धा.अ.के. को मुहैया कराना था जिससे कि ऐसा धान लिया जा सके जो अशुद्धी, धूल, क्षतिग्रस्त एवं नमी से मुक्त हो।

नमूना-जाँचित जिलों के जि.स.प. के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 70 में से 17 धा.अ.के. के पास उनके गोदाम नहीं थे एवं अधिप्राप्ति किए गये धानों को सामुदायिक/पंचायत भवनों या अपने खर्च से भाड़े में लिए गए जगहों पर रखा गया था। अतः संबंधित जि.स.प. ने धान अधिप्राप्ति के लिए सत्रहों धा.अ.के. को अनियमित रूप से चयन किया।
- ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान, सभी नमूना-जाँचित 70 धा.अ.के. के पास आवश्यक नमी मापक मीटर, विश्लेषण कीट एवं पावर क्लीनर नहीं थे। गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों के अभाव में, निर्धारित गुणवत्ता के धान की अधिप्राप्ति करने में धा.अ.के. विफल रहे, परिणामस्वरूप चावल मिलों द्वारा मिलिंग के लिए, धान के

²⁴ बोकारो, देवघर एवं दुमका

²⁵ $100 \times 0.53 / 68 = 0.78$ अभी $2.06 - 0.78 = 1.28$

प्राप्ति के समय वजन में कटौती की गई। ख.वि.मौ. 2015-16 में, 35 धा.अ.के. में केवल नमी मापक मीटर दिया गया था।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने तथ्य को स्वीकार (अगस्त 2016) किया एवं आश्वासन दिया कि संबंधित जि.स्त.अ.स. को भविष्य में धा.अ.के. का उचित चयन करने के लिए निर्देशित किये जा रहे थे। सचिव ने यह भी कहा कि भविष्य में निर्धारित गुणवत्ता वाले धान की अधिप्राप्ति के लिए सभी धा.अ.के. को गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। हालांकि, किस समय सीमा के अंदर इसे किया जाएगा, यह लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।

3.2.3.7 आंतरिक नियंत्रण में प्रक्रियात्मक विफलताएं

अधिसूचना के अनुसार, धा.अ.के. को किसानों का नाम, पिता का नाम, किसान का पता, पहचान पत्र, धान की मात्रा एवं क्रय की तिथि, किसान के भूमि के अद्यतन लगान रसीद, चेक सं. तथा दिनांक, संबंधित किसान एवं धा.अ.के. के क्रय पदाधिकारियों का हस्ताक्षर इत्यादि दर्ज करने के लिए एक क्रय पंजी का संधारण करना है। प्रविष्टियों को संबंधित प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना है। जि.स.पदा. को धा.अ.के. में धान की क्रय तथा भण्डार पंजी, भुगतान पंजी, अद्यतन भूमि लगान रसीदों आदि का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।

धा.अ.के. द्वारा किसानों से प्राप्त किए गए भूमि लगान रसीद के साथ धान क्रय पंजी के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित आंतरिक नियंत्रण के विफलताओं को पाया गया।

- संपूर्ण आठ नमूना-जाँचित जिलों में, या तो पूर्ण विवरण क्रय पंजी में प्रविष्टि नहीं की गई थी या धान की मात्रा के आंकड़ों के काट/छांट/मिटाना/उपरी लिखावट को संबंधित जि.स.पदा./ प्र.स.प. द्वारा प्रमाणीकृत/सत्यापित नहीं किया गया था। आगे, धान अधिप्राप्ति के लिए धा.अ.के. द्वारा संधारित रोकड़ पंजी की प्रविष्टियों को जि.स.प./प्र.स.प. द्वारा प्रमाणीकृत एवं सत्यापित नहीं किया गया था।

चार नमूना-जाँचित जिलों²⁶ के 10 धा.अ.के.(32 में से) में, 200 किसानों के द्वारा प्रस्तुत भूमि लगान रसीदों के जाँच से उद्घटित हुआ कि 191 भूमि रसीद में से 112 में किसानों के नाम जो भूमि रसीद में अंकित थे वो क्रय पंजी में प्रविष्टि किए गए किसानों के नाम से भिन्न थे। इस तरह से जमीन मालिक के रूप में किसानों का सही व्यक्ति होने की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं हो सकी।

निकास सम्मेलन में सचिव ने कहा (अगस्त 2016) कि धान अधिप्राप्ति नियमों के मापदण्डों का शत प्रतिशत पालन करने हेतु जि.स्त.अ.स. को निर्देशित किया जा रहा था ताकि प्रक्रियात्मक विफलताओं से बचा जा सके।

²⁶ बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग एवं रांची

3.2.4 कस्टम मिल्ड राईस की सुपुर्दगी

विभाग के दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2011) जि.स्त.अ.स. चावल मिलों की क्षमता एवं उचित निरीक्षण के बाद चावल मिलों को धान का मिलिंग करने के लिए धा.अ.के. के साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि राज्य में कोई मिलिंग नीति नहीं बनाई गई थी। मिलिंग नीति के अभाव में, मिलिंग गतिविधियों में निम्नलिखित कमियाँ थी:

3.2.4.1 अनधिकृत चावल मिलों का चयन

विभाग के दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2014) वैसे चावल मिलों को मिलिंग के लिए संयोजित नहीं करना है जिनके पास पिछले ख.वि.मौ. की वसूली लंबित है।

लेखापरीक्षा ने हजारीबाग जिले में पाया कि के छः चावल मिलों को जि.स्त.अ.स. हजारीबाग ने ख.वि.मौ. 2013-14 में धान के मिलिंग के लिए संयोजित किया था जिनके विरुद्ध ख.वि.मौ. 2012-13 के दौरान क.मि.रा. को भा.खा.नि. तक नहीं करने/कम सुपुर्दगी के कारण ₹ 35.59 करोड़²⁷ का वसूली बकाया था। यह जि.स्त.अ.स. द्वारा दोषी चावल मिलों को अनुचित लाभ की ओर संकेत करता है।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने तथ्य को स्वीकारा (अगस्त 2016) एवं कहा कि विभाग के निर्देश का उल्लंघन करते हुए हजारीबाग जिले में स्थित पाँच अनधिकृत चावल मिलों का चावल मिलिंग हेतु पुनर्चयन करने के लिए जि.स्त.अ.स., हजारीबाग को कारण पृच्छा किया गया है। आगे की कार्रवाई अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

3.2.4.2 चावल मिलों का अनुचित चयन

आठ नमूना-जाँचित जिलों में से चार²⁸ में लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना उचित निरीक्षण के 13 चावल मिलों को संयोजित/चयन किया गया क्योंकि ये उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार से पंजीकृत नहीं थे और बन्द पाये गये एवं चावल मिल के रूप में चलाने के लिए झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी संचालन के लिए सहमति (सी.टी.ओ.) और स्थापना के लिए सहमति (सी.टी.ई) आदि के लिए उनके पसा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। आगे, बायलर निरीक्षक, बोकारो एवं धनबाद अंचल झारखण्ड से चावल मिलों में बायलर की स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना से यह उद्घटित हुआ कि तीन चावल मिलों²⁹ के पास बायलर नहीं था, जो कि चावल मिलों के लिए उसना चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक थे। फिर भी, ऐसे चावल मिलों को धान की मिलिंग के लिए ख.वि.मौ. वर्ष 2011-13 के दौरान

²⁷ 1. आदित्य राईस मिल्स: ₹10.49 करोड़, 2. गणपति राईस मिल्स: ₹ 7.87 करोड़ इसमें चतरा भी शामिल है (₹ 63.31 लाख), 3. हजारीबाग राईस मिल्स: ₹ 3.72 करोड़, 4. हेमकुन्ट राईस मिल्स: ₹ 0.65 करोड़, 5. संकट मोचन राईस मिल्स: ₹ 12.83 करोड़ एवं 6. रश्मि राईस मिल्स: ₹ 0.03 करोड़

²⁸ देवघर, दुमका, हजारीबाग एवं जमशेदपुर

²⁹ मेसर्स देवघर राईस मिल्स, देवघर, मेसर्स नदिया राईस मिल्स, लोहरदगा एवं मेसर्स माँ जानकी जपला राईस मिल्स, डाल्टनगंज

संयोजित किया गया था। अनियमितताओं की विवरणी परिशिष्ट-3.2.7 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, संबंधित जि.स्त.अ.स. द्वारा मिलों का चयन अनियमित था।

निकास सम्मलेन में, सचिव ने कहा (अगस्त 2016) कि आवश्यक दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना चावल मिलों का टैगिंग/चयन के कारणों को बताने के लिए संबंधित जिलों से पृच्छा किया जा रहा था। आगे कि कार्रवाई अपेक्षित थी (नवम्बर 2016)।

3.2.4.3 भा.खा.नि. में सी.एम.आर, सुपुर्दगी में विलम्ब

भा.खा.नि. को क.मि.रा. 11 से 61 दिनों के विलम्ब से सुपुर्द किया गया

विभाग द्वारा प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक धा.अ.के. को धान की मिलिंग के लिए राईस मिलों के साथ एकरारनामा करना आवश्यक है। मिलों द्वारा विभाग से अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के अन्दर मिलिंग कर पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुसार धान का 68 प्रतिशत क.मि.रा. सुपुर्द करना आवश्यक है।

सात जि.स.प. के माध्यम से संबंधित 42 धा.अ.के. के द्वारा प्रस्तुत दावा प्रपत्रों के लेखापरीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि 17 संयोजित चावल मिलों ने निर्धारित तिथि से 11 से 61 दिनों के विलम्ब से 0.49 लाख क्विंटल क.मि.रा., भा.खा.नि. को सुपुर्द किया (परिशिष्ट-3.2.8)।

धान/क.मि.रा का परिवहन संदिग्ध वाहनों के द्वारा किया जाना

निकास सम्मेलन में, सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अगस्त 2016) किया एवं धान अधिप्राप्ति के दौरान किसी भी लापरवाही/ढिलाई से बचने के लिए प्रक्रियागत सुधारों को विकसित करने एवं उचित बुनियादी ढांचे को बनाने का आश्वासन दिया। हालांकि तथ्य यही रहा कि क.मि.रा. की भा.खा.नि. में विलंबित सुपुर्दगी के लिए कोई कार्रवाई या विचार नहीं किया गया।

3.2.4.4 ₹ 3.28 करोड़ के धान/क.मि.रा. के परिवहन के संदिग्ध साधन

सभी आठ नमूना-जाँचित जिलों में, लेखा परीक्षा ने धान/क.मि.रा. का धा.अ.के. से चावल मिलों तक तथा चावल मिलों से भा.खा.नि. तक परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों का परिवहन विभाग के ऑनलाईन डाटाबेस के साथ सत्यापन किया।

229 मामलों में यह देखा गया कि ₹ 3.28 करोड़ मूल्य (परिशिष्ट-3.2.9) (अ. एवं ब.) 24015.18 क्विंटल धान/क.मि.रा. (धान: 18479.84 क्विंटल एवं क.मि.रा.: 5535.34 क्विंटल) का परिवहन बस, कार, मोटर साइकिल और तीन पहिए जैसे वाहनों से किया गया था और न कि ट्रक जैसे नियमित भारी वाहनों से। इस प्रकार, इन वाहनों के माध्यम से धान का परिवहन संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी जाँच की जरूरत है।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिला सहकारिता पदाधिकारी में आगे देखा कि भेजे गए/प्राप्त किए धान की वास्तविक मात्रा की पर्ची न तो धा.अ.के. के द्वारा न ही मिल द्वारा भेजा/प्राप्त किया गया था। धा.अ.के. में प्रखण्ड/जिला स्तरीय अधिकारियों

द्वारा प्रमाणीकृत धान की भण्डार पंजी संधारित नहीं थी। परिणामस्वरूप, धान अधिप्राप्ति या क.मि.रा. के भुगतान के संबंध में संदेह उठाई गई। इसके अलावे, धा.अ.के. द्वारा दावे के जाली विपत्रों को समर्पित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका। सरकारी पैसों के गबन की संभावना या धान/क.मि.रा. के परिवहन के भुगतान की झूठे/गलत दावों को खारिज करने के लिए इन मामलों की जाँच आवश्यक है। जि.स्त.अ.स. के जि.स.प./प्र.स.प. ने अधिकृत वाहनों के माध्यम से धान/क.मि.रा. का परिवहन सुनिश्चित करने में विफल रहे।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने कहा कि (अगस्त 2016) कि मामले को संबंधित जि.स्त.अ.स. के साथ उठाया गया है। आगे की कार्रवाई अपेक्षित थी (नवम्बर 2016)।

3.2.4.5 चावल मिलों के साथ एकरारनामों में कमियाँ

विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 2011-15 के प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिए धान की मिलिंग के लिए और क.मि.रा. की सुपुर्दगी के लिए धा.अ.के. और संयोजित चावल मिल के बीच विश्वास के उल्लंघन की रक्षा करने के लिए एकरारनामा क्रियान्वित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2011-13 के दौरान, आठ नमूना-जाँचित जिलों में यह पाया गया कि संयोजित चावल मिलों एवं धा.अ.के. के बीच हुए एकरारनामों के शर्तों में समानता नहीं था। प्रतिभूति जमा, क.मि.रा. के सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए जुर्माना एवं सरकारी हितों की सुरक्षा हेतु अन्य शर्तें एकरारनामों में शामिल नहीं थीं।
- जमशेदपुर जिले में एक ही ख.वि.मौ. के लिए किए गए एकरारनामा के विभिन्न प्रारूपों में भिन्न-भिन्न शर्तें पाई गईं।
- इस संबंध में जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए दुमका जिले में ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान ₹ 37.69 करोड़³⁰ मूल्य की 3.30 लाख³¹ क्विंटल धान के मिलिंग के लिए छः³² चावल मिलों को बिना किसी एकरारनामों के चयन/जोड़ा गया। यह स्पष्ट रूप से संबंधित जि.स्त.अ.स. के जि.स.प. की विफलता को दर्शाता है।
- प्रतिभूति जमा से संबंधित शर्तों को बहुत सारे एकरारनामों में निगमित/लागू नहीं किया गया जिससे मिलों द्वारा एकरारनामों का उल्लंघन करने से सरकारी हितों की रक्षा नहीं हो सकी तथा यह सरकारी क्षति का कारण बना। हालांकि, चार नमूना-जाँचित जिलों (राँची, देवघर, धनबाद एवं जमशेदपुर) में ₹ 50,000 की प्रतिभूति जमा की शर्तें निगमित थे पर लागू नहीं किए गए, जबकि चार नमूना-जाँचित

³⁰ ख.वि.मौ. 2011-12 ₹ 23.01 करोड़ और ख.वि.मौ. 2012-13 ₹ 14.68 करोड़

³¹ ख.वि.मौ. 2011-12 (213035.41क्वि.), ख.वि.मौ. 2012-13 (117414.44 क्वि.)

³² 1. आधुनिक राईस मिल, 2. बाबा राईस मिल, 3. श्री गणेश उद्योग, 4. शारदा माँ फूड प्रा. लि. 5. अन्नपूर्णा राईस मिल और 6. श्री गणेश अक्षत उद्योग

जिलों³³ में प्रतिभूति जमा की शर्तें निगमित नहीं थे। चावल मिलों से प्रतिभूति जमा नहीं करने का विवरण तालिका-3.2.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2.6 प्रतिभूति नहीं जमा करने की विवरणी

जिला	धा.अ.के. की संख्या		एकरारनामों के अनुसार प्रतिभूति जमा की राशि	प्रतिभूति जमा के लिए आवश्यक राशि	जमा की गई राशि
	2011-12	2012-13			
राँची	44	52	50,000	4800000	शून्य
देवघर	42	51	50,000	4650000	शून्य
धनबाद	35	27	50,000	3100000	शून्य
जमशेदपुर	33	35	50,000	3400000	शून्य
कुल	154	165		15950000	शून्य

इस प्रकार चावल मिलों से धा.अ.के. द्वारा ₹ 1.60 करोड़ को प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं करना चावल मिलों को अनुचित फायदा पहुंचाने और नियमों का उल्लंघन करने का मामला था।

- भा.खा.नि. को क.मि.रा. सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए 40 पैसे प्रति क्विंटल प्रति दिन जुर्माना का शर्त एकरारनामों में निगमित था। हालांकि तीन नमूना-जाँचित जिलों³⁴ में यह देखा गया कि चावल मिलों पर विलम्ब से क.मि.रा. (परिशिष्ट-3.2.10) पहुंचाने के लिए ₹ 1.96 लाख का जुर्माना नहीं लगाया गया था जबकि पाँच नमूना-जाँचित जिलों³⁵ में जुर्माने की शर्तें निगमित नहीं किए गए थे। संबंधित जि.स.प. चावल मिलों पर जुर्माना लगाने और दंड की राशि वसूली करने में विफल रहे।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने ख.वि.मौ. 2011-15 के दौरान विभिन्न प्रारूपों के एकरारनामों के उपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकारा (आगस्त 2016)। हालांकि, यह कहा गया कि विभाग द्वारा एकरारनामों का मानक प्रारूप ख.वि.मौ. 2015-16 के लिए निर्गत किया गया था। फिर भी, प्रतिभूति जमा नहीं लेने और चावल मिलों से विलम्ब से क.मि.रा. सुपुर्दगी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाने पर सचिव ने कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

3.2.5. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

राज्य स्तर पर धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के समग्र अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (रा.स्त.अ.स.) जिसमें सम्मिलित हैं सचिव, सहकारिता विभाग और खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग, प्रबंध निदेशक, झा.रा.ख.नि. (नोडल एजेंसी) एवं महा प्रबंधक, भा.खा. निगम, इत्यादि जिम्मेवार हैं।

³³ बोकारो, दुमका, गढ़वा एवं हजारीबाग,

³⁴ देवघर, धनबाद एवं राँची

³⁵ बोकारो, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग एवं जमशेदपुर

जिला स्तर पर, निधि की उपलब्धता, ससमय किसानों का भुगतान, किसानों को बैंक खाते में चेक के द्वारा भुगतान, धा.अ.के. का उचित चयन और चावल मिलों का संयोजन, चावल मिलों के साथ एकरारनामों को लागू करना, मिलिंग और भा.खा.नि. को क.मि.रा. की ससमय सुपुर्दगी, क.मि.रा. के मूल्य की भा.खा.नि. से अदायगी के लिए विपत्रों का प्रस्तुतीकरण, धा.अ.के. के दस्तावेजों का निरीक्षण एवं अधिप्राप्ति के गतिविधियों का समग्र पर पर्यवेक्षण करने हेतु उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला सहकारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी/जिला प्रबंधक, रा.खा.नि. एवं जिला कृषि पदाधिकारी इत्यादि से सम्मिलित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित थी जिसपर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी थी।

किसानों का डाटाबेस/रजिस्टर की तैयारी सुनिश्चित करना, अकाउंट पेयी चेक द्वारा किसानों को भुगतान की सुनिश्चितता, क्रय पंजी, भंडार पंजी, भुगतान पंजी का संधारण, धान का उचित भंडारण एवं धान/क.मि.रा. का चावल मिल/भा.खा.नि. को परिवहन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी एवं कृषि पदाधिकारी के साथ धा.अ.के. के अध्यक्ष/सचिव जिम्मेदार हैं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा कि:

- किसानों का डाटाबेस बनाने के अनुश्रवण में रा.स्त.अ.स. विफल रहा। बिना भूमि लगान रसीद के धान अधिप्राप्ति के मामलों के अनुश्रवण में जि.स्त.अ.स. भी विफल रहा जैसा कि **कंडिका 3.2.3.3** में चर्चा किया गया है।
- मिलों द्वारा विश्वास के किसी भी उल्लंघन के मामले में सरकारी हितों की रक्षा करने के लिए धा.अ.के. और चावल मिलों के बीच एकरारनामों के मानक प्रारूप प्रसारित करने में रा.स्त.अ.स. विफल रहा। इसके अलावे एकरारनामों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, प्रतिभूति जमा प्राप्ति तथा क.मि.रा को प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना वसूली करने में जि.स्त.अ.स. विफल रहा जैसा कि **कंडिका 3.2.4.5** में चर्चा किया गया है।
- क्रियाकलापों के विश्वसनीय एवं समेकित सूचना को उत्पन्न करने एवं प्रसार करने के लिए विभाग या नोडल एजेंसी ने कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित नहीं किया जिससे कि अनुश्रवण तंत्र को मजबूती प्रदान किया होता।
- उत्पादन से अधिक धान की अधिप्राप्ति के अनुश्रवण में जि.स्त.अ.स. विफल रहा जैसा कि **कंडिका 3.2.3.4** में चर्चा की गई है।
- ख.वि.मौ. 2015-16 के दौरान अग्रिम क.मि.रा. प्रणाली के अनुसार चावल मिलों द्वारा धान के उठाव का अनुश्रवण करने में जि.स्त.अ.स. विफल रहा जैसा कि **कंडिका 3.2.3.5** में चर्चा की गई है।

- अप्रयुक्त/क्षतिग्रस्त जूट बोरो की स्थिति एवं जुट बोरो के भण्डारण और वितरण पंजी के संधारण का अनुश्रवण करने में जि.स्त.अ.स. विफल रहा जैसा कि कंडिका 3.2.2.9 में चर्चा की गई है।
- किसानों को ससमय भुगतान तथा भुगतान सिर्फ अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से सुनिश्चित करने में जि.स्त.अ.स. विफल रहा जैसा कि कंडिकाएँ 3.2.2.10 (अ) और (ब) में चर्चा किया गया है।
- धा.अ.के. द्वारा सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ विपत्रों को प्रस्तुत कराने में जि.स्त.अ.स. विफल रहा जैसा कि कंडिका 3.2.2.5 में चर्चा किया गया है।
- प्रत्येक ख.वि.मौ. में जारी अधिसूचना के अनुसार धा.अ.के. द्वारा संपूर्ण विवरण के साथ अभिलेखों के रखरखाव के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण में प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी विफल रहे जैसा कि कंडिका 3.2.3.7 में चर्चा किया गया है।

निकास सम्मेलन में, सचिव ने तथ्य को स्वीकारा (अगस्त 2016) एवं कहा कि संबंधित जि.स्त.अ.स. को विभागीय संकल्प के आदेशों का सख्ती से पालन करने तथा जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, रा.स्त.अ.स. के विफलता पर सचिव ने जवाब नहीं दिया।

3.2.6 निष्कर्ष

- ख.वि.मौ. 2013-15 के दौरान पूरे राज्य में धान की अधिप्राप्ति कार्यक्रम लागू करने में विभाग विफल रहा, जैसे कि चार लाख टन धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा ₹ 524 करोड़ की निधि का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया था। जिसके कारण 2011-13 में कैश क्रेडिट ऋण नहीं लिया जा सका तथा देनदारों से ₹ 178.96 करोड़ की वसूलनीय राशि लंबित रही।
- ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान, कार्यक्रम में विचौलियों की मौजूदगी के प्रभाव के कम करने में विभाग विफल रहा, जैसे कि ₹ 59.66 करोड़ मूल्य का धान एक जिले के किसानों से बिना वैध लगान रसीद प्राप्त किया गया तथा चार जिलों में उत्पादन से अधिक अधिप्राप्ति की गई।
- ख.वि.मौ. 2011-13 में 2,445 किसानों को ₹ 11.37 करोड़ का विलम्ब से भुगतान एवं 2014-16 के दौरान ₹ 99.41 करोड़ के भुगतान में विफलता ने मजबूरी में उन्हें विचौलियों को धान की बिक्री करने से रोकने के उद्देश्य को विफल कर दिया।
- विभाग द्वारा मिलिंग नीति तय नहीं किया गया था एवं अपनी गतिविधियों की विश्वसनीय और समेकित जानकारी के प्रसार के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार नहीं किया गया था।

3.2.7 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि सरकार को

- मिलिंग नीति तय करना चाहिए एवं अपनी गतिविधियों की विश्वसनीय और समेकित जानकारी के प्रसार के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करना चाहिए;
- इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में धान का मूल्य सीधे हस्तांतरण के लिए धान अधिप्राप्ति अवधि के पहले ही किसानों का बैंक विवरण प्राप्त करना चाहिए;
- किसानों के डाटा बेस के साथ उनके प्रमाणीकृत वंशावली सहित भूमि विवरणी तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं
- दिशानिर्देश के अनुसार धान अधिप्राप्ति के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए।

गृह विभाग

3.3 सुरक्षा संबंधित व्यय की लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहयोग के उद्देश्य से, सुरक्षा संबंधित व्यय योजना का प्रारम्भ किया (अप्रैल 1996)। इस योजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद के फैलने के कारण से निपटने के मामले में राज्य सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना है। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

सुरक्षा संबंधित व्यय योजना का राज्य में ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया गया था क्योंकि विभाग ने आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया जिसके फलस्वरूप अनुमोदित योजना की तुलना में कुल ₹ 247.55 करोड़ का योजना मर्दों के अन्तर्गत विचलन किया गया था। इसके अलावा योजना में वामपंथी घटनाओं में कमी लाने हेतु स्थानीय युवाओं पर सुरक्षा संबंधित व्यय के कुल परिव्यय का अनुज्ञेय 20 प्रतिशत की तुलना में मात्र आधा प्रतिशत राशि शामिल किया गया था। इस प्रकार राज्य में सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के कार्यान्वयन में कमी रह गयी।

(कंडिकाएं 3.3.4.1 एवं 3.3.4.2)

सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण विभाग दावा की गई राशि ₹ 154.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका, इसने सुरक्षा संबंधित व्यय अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण पर व्यय किये गये देय स्वीकार्य राशि ₹ 5.55 करोड़ के लिए भी दावा नहीं किया एवं गोला बारूद क्रय से संबंधित ₹ 5.98 करोड़ का समर्पित अभिश्रव के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क नहीं किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार सुरक्षा संबंधित कोष के लाभप्रद प्रयोग में विफल रहा।

(कंडिकाएं 3.3.5.1, 3.3.8.1 एवं 3.3.9.1)

यद्यपि, विभाग द्वारा वाहन किराये पर लेने (₹ 52.68 करोड़) तथा विशेष पुलिस पदाधिकारियों के मानदेय पर (₹ 27.71 करोड़) पर कुल ₹ 80.39 करोड़ का व्यय किया गया जिसे गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य किया गया था, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन व्यय में सुरक्षा संबंधित व्यय के दिशानिर्देश का उल्लंघन किया गया था।

(कंडिकाएं 3.3.7.1, 3.3.7.2 एवं 3.3.10.1)

सुरक्षा संबंधित योजना का आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण कमजोर था। सुरक्षा संबंधित व्यय के लेखाओं का दिशानिर्देश के अनुसार लेखापरीक्षा नहीं किया गया था जिसके कारण गृह मंत्रालय दल द्वारा लेखाओं के जाँच करने के पश्चात भी दावों को विलम्ब से समर्पित किया गया। अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण अमान्य अवयवों/मर्दों पर लगातार व्यय होता रहा जिससे योजना का उद्देश्य विफल रहा।

(कंडिका 3.3.16)

3.3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों को सहयोग देने के उद्देश्य से सुरक्षा संबंधी व्यय योजना का प्रारम्भ किया (अप्रैल 1996)। इस योजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद के फैलने की वजह से सुरक्षा की स्थिति से निपटने में राज्य के वित्तीय बोझ को कम करना है। गृह मंत्रालय (गृ.मं.), भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा पहचान की गई 12 अवयवों¹ पर व्यय होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। मुख्य अवयवों में अनुग्रह अनुदान का भुगतान, रसद सहायता, प्रशिक्षण, सामुदायिक पुलिसिंग, गोला बारूद एवं पुलिस संसाधनों का सुदृढीकरण शामिल है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के पीछे का सिद्धान्त वामपंथी उग्रवाद जिलों में तैनात बलों के आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबन्धन विभाग (विभाग) योजना के क्रियांवयन के लिये नोडल विभाग है। झारखण्ड के कुल 24 जिलों में से 21 जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है। योजना का कार्यान्वयन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, (डी.जी. एवं आई.जी.पी.) झारखण्ड, के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, (आई.जी.पी. आंपरेशन एवं बजट एवं प्रावधान), की सहायता से राज्य स्तर पर, विशेष खुफिया स्कन्ध की सहायता से राज्य एवं जिला स्तर पर तथा पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) की सहायता से जिला स्तर पर किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक, (बजट एवं प्रावधान) व्यय के नियंत्रण के लिए एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने के लिए नोडल पदाधिकारी हैं।

सुरक्षा संबंधी योजना के 21 जिलों में से चयनित 10² जिलों के लिए वर्ष 2010 से 2016 तक की अवधि का लेखापरीक्षा मार्च 2016 से सितम्बर 2016 के मध्य किया गया जिसमें यह सुनिश्चित करना था कि योजना का कार्यान्वयन प्रभावी था, सुरक्षा संबंधी व्यय के दिशानिर्देश में अंकित मापदण्ड के अनुसार व्यय किया गया था एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित दावा प्रतिपूर्ति सही था। लेखापरीक्षा द्वारा

¹ (i) नक्सली वारदातों में सुरक्षा कर्मी/आम नागरिक के मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान; (ii) राज्य में नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध पदास्थापित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (के.स.पु.ब.) के लिए परिवहन/संचार एवं अन्य रसद समर्थन के लिए प्रावधान; (iii) नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा प्रयोग किये गये गोला बारूद; (iv) राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण; (v) सामुदायिक पुलिसिंग; (vi) ग्राम रक्षा समिति/नागरिक सुरक्षा समिति द्वारा किया गया व्यय; (vii) विशेष पुलिस पदाधिकारियों को मानदेय; (viii) हार्डकोर एवं भूमिगत नक्सली कार्यकर्ताओं के पुनर्वास; (ix) नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिस कर्मियों की बीमा का प्रीमियम; (x) गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय की स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन आपात स्थितियों में हेलीकॉप्टरों और संचार उपकरणों सहित हथियारों/वाहनों की आवश्यकता आधारित किरायों पर व्यय; (xi) थानों/चेक पोस्ट/पुलिस आउट पोस्ट के सुदृढीकरण के लिए, विविध प्रकृति के व्यय एवं (xii) सरकार के विभिन्न कल्याण एवं विकास योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के प्रसार हेतु प्रचार सामग्री।


² चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, जमशेदपुर, लातेहार, पलामु एवं राँची

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक एवं चयनित पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गई। प्रत्येक चयनित जिला अंतर्गत दो थाना को भी, संचालन स्तर पर योजना कार्यान्वयन की जाँच के लिए चयनित किया गया था।

विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ 16 मार्च 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें योजना के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं लेखापरीक्षा के मानदण्डों पर विचार-विमर्श किया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ 17 नवम्बर 2016 को एक निकास सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विस्तार से चर्चा की गई। विभाग ने लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित जवाब समर्पित किया जाएगा परन्तु नवम्बर 2016 तक जवाब अप्राप्त था। तथापि, विभाग की टिप्पणी जैसा कि निकास सम्मेलन में दिया गया था, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.3.2 झारखण्ड का नक्सल प्रोफाइल



नवम्बर 2000 में झारखण्ड के अलग राज्य निर्माण के बाद उम्मीद थी कि सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा, किंतु इसके विपरीत नक्सली गतिविधि में वृद्धि हुई है। बाद की सरकार भी राज्य में नक्सलवाद के विस्तार को रोकने में विफल रहे हैं। झारखण्ड में कुल 24 जिलों में से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 18 से बढ़कर 21 हो गई है। विशेष शाखा, झारखण्ड के द्वारा दी गई सूचना (अक्टूबर 2016) के अनुसार झारखण्ड में कुल नौ उग्रवादी संगठन थे। जबकि एक स्वतंत्र एजेंसी बिन्दराई इन्टीच्यूट ऑफ रिसर्च स्टडी एवं एक्शन माइन्स मॉनिटरिंग सेंटर (बिरसा एम० एम० सी०) के अध्ययन (अगस्त 2015) में 24 जिलों में 28 उग्रवादी समूहों के अस्तित्व का खुलासा हुआ। झारखण्ड के जिलों में सक्रिय वामपंथी उग्रवाद एवं नक्सली समूहों को एक मानचित्र में नीचे दिखलाया गया है:



3.3.3 झारखण्ड में नक्सली गतिविधियां

विभिन्न एजेंसी के द्वारा संकलित नक्सली घटना एवं मृत्यु का आँकड़ा चार्ट-3.3.1 में दर्शाया गया है

चार्ट-3.3.1 झारखण्ड में नक्सली घटना एवं मृत्यु की संख्या



(स्रोत: गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं गैर-सरकारी संस्था बिरसा का सर्वेक्षण)

प्रतिवेदन चार्ट-3.3.1 के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिवेदन में अधिक संख्या में नक्सली घटनाओं एवं मृत्यु का पता चला जबकि राज्य सरकार ने कम प्रतिवेदित किया था। एक स्वतंत्र एजेन्सी के प्रतिवेदन में नक्सली घटना की प्रकृति बढ़ते क्रम में एवं नक्सल मृत्यु की प्रकृति मिले जुले क्रम में देखी गई। इस प्रकार राज्य सरकार की प्रस्तुति एवं अन्य एजेन्सी के निष्कर्ष में विरोधाभास था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.4 योजना

3.3.4.1 योजना में कमी

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना का दिशानिर्देश चिन्हित किए गये अवयवों के व्यय के लिए मानदण्ड के साथ-साथ उनके अवयवों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा संबंधी व्यय की समीक्षा समिति, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित एवं समर्पित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर विस्तृत घटकों के अनुसार राशि अनुमोदित करता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार अनुमोदित योजना के आधार पर अनुमोदित राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम के रूप में विमुक्त करता है एवं शेष 75 प्रतिशत, गृह मंत्रालय दल की अनुशंसा जो राज्य के सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के लेखा की प्रत्येक छमाही जाँच करता है, एवं सुरक्षा संबंधी समीक्षा समिति द्वारा व्यय के अनुमोदन के पश्चात विमुक्त करता है। विभाग अपना दावा गृह मंत्रालय दल के द्वारा लेखा सत्यापन के पश्चात प्रस्तुत करता है।

राज्य सरकार, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए राज्य सरकार के बजट शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2055 पुलिस, 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा 2070-गृह, कारा एवं आपदा प्रबन्धन विभाग (गृह) के माध्यम से निधि उपलब्ध कराता है। अनुग्रह अनुदान के भुगतान का प्रावधान शीर्ष 2235 (आम नागरिक के लिए) और शीर्ष 2070 (पुलिसकर्मी के लिए) है जबकि अन्य घटकों के लिए शीर्ष 2055-001-12-0759 सुरक्षा एवं अन्य प्रभारों पर व्यय के अंतर्गत है। सुरक्षा संबंधी व्यय के बजट में सुरक्षा संबंधित व्यय के अतिरिक्त अन्य प्रभारों पर व्यय का प्रावधान भी शामिल है। इस परिस्थिति में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सिर्फ सुरक्षा सम्बन्धी व्यय हेतु ही बजट प्रावधान किय गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने वर्ष 2010-15 के दौरान 12 अवयवों में से चार³ पर अनुमोदित योजना ₹ 225.05 करोड़ के विरुद्ध ₹ 357.72 करोड़ व्यय कर दिया। इस प्रकार अनुमोदित योजना से ₹ 132.67 करोड़ अधिक व्यय कर दिया गया जो 16.87 प्रतिशत से लेकर 94.80 प्रतिशत रहा। शेष आठ अवयवों के अन्तर्गत ₹ 114.88 करोड़ कम व्यय किया गया (अनुमोदित योजना ₹ 193.67 करोड़ के विरुद्ध ₹ 78.79 करोड़)। कम व्यय का प्रतिशत 14.63 प्रतिशत से 97.61 प्रतिशत रहा (**परिशिष्ट-3.3.1**)।

अनुमोदित योजना से
₹ 132.67 करोड़
अधिक व्यय, जो
16.87 प्रतिशत से
94.80 प्रतिशत के
मध्य था

³ केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए रसद समर्थन गोला बारूद बीमा एवं थानों/पुलिस केन्द्र/पुलिस पिकेट

यह विचलन सभी वर्षों में देखा गया एवं व्यय राज्य तथा जिला स्तरीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा विमुक्त अवयव वार आवंटन के अन्तर्गत था।

इस प्रकार, विभाग वार्षिक कार्य योजना को लागू करने के लिए अवयव-वार वास्तविक आवश्यकताओं का सही आकलन नहीं कर सका।

3.3.4.2 स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जाना

सुरक्षा संबंधी व्यय के दिशानिर्देश के अनुसार, ग्राम सुरक्षा समिति (ग्रा.सु.स.) का गठन करना है जिसमें स्थानीय युवकों को नक्सलवाद के खिलाफ जनता की राय बनाने के लिए तथा नक्सलवाद के प्रभाव से युवाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करना है। चयनित ग्राम जहाँ ग्रा.सु.स. का गठन किया जाना है उसमें एक सभा गृह का निर्माण करना है जिसमें सभायें, चर्चा एवं कार्यक्रम आयोजित हो। इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति ग्राम दो लाख रुपये की सीमा तक, ऐसे सभी व्यय प्रतिपूर्ति योग्य हैं एवं राज्य के सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय का 25 प्रतिशत विभिन्न ग्रामों के लिए व्यय किया जा सकता है। सुरक्षा संबंधी व्यय दिशानिर्देश 2012 के मद संख्या 6 (ए) के अनुसार प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कुल परिव्यय का 25 प्रतिशत से बदल कर 20 प्रतिशत की गई थी।

विभाग नक्सल समस्या को रोकने हेतु स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सका, यद्यपि सुरक्षा संबंधी व्यय के अन्तर्गत इसका अत्यंत महत्व दिया गया था

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-16 के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय के कुल योजना ₹ 545.21 करोड़ में से ग्राम सुरक्षा समिति की हिस्सेदारी महज ₹ 2.40 करोड़ थी जो कुल योजना के आधा प्रतिशत से कम थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि दस चयनित जिला के अन्तर्गत 20 थाना में से चार⁴ जिला अन्तर्गत छः थानों में मात्र 21 ग्रा.सु.स. का गठन किया गया था। इसके अलावा, वांछित सभा गृह के निर्माण चयनित किसी भी ग्राम (जहाँ ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया था) में इस आधार पर नहीं किया गया था कि दो लाख रुपये का प्रावधान पर्याप्त नहीं है।

इस प्रकार, विभाग नक्सल समस्या को रोकने में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सका, यद्यपि, सुरक्षा संबंधी व्यय के अन्तर्गत इस पर अत्यन्त महत्व दिया जाना था। इसके अलावा, विभाग ऐसे ग्राम में वांछित सभा गृह का निर्माण नहीं कर सका जहाँ सुरक्षा समिति का गठन किया गया था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया गया था।

⁴ चतरा-चतरा सदर (7) एवं जोरी (8); देवघर- मोहनपुर (1); धनबाद- टुण्डी (3) एवं लातेहार- हेरहंज (1) एवं बालुमाथ (1)

3.3.5 वित्तीय प्रबन्धन

3.3.5.1 व्यय एवं प्रतिपूर्ति

वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान अनुमोदित योजना, विभाग द्वारा व्यय की दावेदारी एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमान्य एवं प्रतिपूर्ति राशि तालिका-3.3.1 में दी गई है :

तालिका-3.3.1 अनुमोदित योजना, व्यय एवं प्रतिपूर्ति की विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना	गृ. मं दल द्वारा लेखापरीक्षित व्यय	गृ. मं दल द्वारा स्वीकृत राशि	राज्य सरकार द्वारा दावा की गई राशि	भारत सरकार द्वारा प्रति पूर्ति की गई राशि
2010-11	53.42	76.23	67.80	76.24	70.94
2011-12	78.34	79.17	61.36	81.05	55.22
2012-13	91.25	84.01	61.65	83.70	55.49
2013-14	96.85	88.67	66.95	90.28	60.25
2014-15	98.85	106.77	77.71	105.23	39.68
उप योग	418.71	434.85	335.47	436.50	281.58
2015-16	126.50	113.35	96.72	दावा किया जाना है	31.62 (अग्रिम)
कुल योग	545.21	548.20	432.19		313.20

(स्रोत: महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं प्रतिपूर्ति संबंधित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के अभिलेख)

तालिका-3.3.1 से वर्ष 2010-15 के दौरान देखा जा सकता है कि:

- विभाग ने अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना ₹ 418.71 करोड़ के विरुद्ध ₹ 436.50 करोड़ का दावा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया। इस प्रकार, विभाग सुरक्षा संबंधित व्यय हेतु अनुमोदित योजना की सीमा के अन्तर्गत बजट प्रावधान करने में वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं कर सका जबकि झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 11 बतलाता है कि नियंत्री पदाधिकारी को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय सुनिश्चित करना चाहिए तथा उसी वस्तुओं पर व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए राशि का प्रावधान किया गया था।
- विभाग दावा किए गये राशि में से ₹ 154.92 करोड़⁵ (35.49 प्रतिशत) एवं गृह मंत्रालय दल के द्वारा अनुमति प्राप्त राशि ₹ 53.89 करोड़ (16.06 प्रतिशत) की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर पाया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि विभाग ने राज्य सरकार के दावे से कम प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से पुनर्विचार हेतु आग्रह नहीं किया था।

विभाग, के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना ₹ 418.71 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार, गृह मंत्रालय को ₹ 436.50 करोड़ का दावा समर्पित किया। इसके अतिरिक्त विभाग दावा किये गये राशि में से ₹ 154.92 करोड़ एवं गृह मंत्रालय द्वारा अनुज्ञेय ₹ 53.89 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका

⁵ ₹ 436.50 करोड़ का दावा घटाव (-) ₹ 281.58 करोड़ प्रतिपूर्ति

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, महानिरीक्षक (प्रावधान) लेखापरीक्षा ने निष्कर्षों को स्वीकार किये एवं राज्य द्वारा दावा की गई राशि एवं गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि के बीच का अन्तर कम करने का आश्वासन दिया।

- विभाग ने गृह मंत्रालय दल द्वारा दी गई अनुज्ञेय राशि से ₹ 101.03 करोड़⁶ अधिक प्रतिपूर्ति का दावा किया था। लेखापरीक्षा विश्लेषण में खुलासा हुआ कि गृह मंत्रालय दल ने अदेय मदों पर व्यय राशि को नकार दिया जैसे; बिना गृह मंत्रालय के अनुमोदन से हेलीकॉप्टर किराये पर लेना, जेनरेटर सेट का वार्षिक अनुरक्षण, अदेय मदों पर प्रशिक्षण, पक्का सिविल निर्माण कार्य एवं सामुदायिक पुलिसिंग के लिए अदेय मदों में क्रय। इसके अलावा, विभाग द्वारा, गृह मंत्रालय दल को गोला-बारूद क्रय पर किये गये व्यय, अभिश्रव एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहने के कारण व्यय के प्रतिपूर्ति को नकार दिया गया।

इस प्रकार, विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा व्यय की अनुमति नहीं देने के कारण को संज्ञान में नहीं लिया एवं सुरक्षा संबंधी व्यय के अन्तर्गत केवल देय मदों पर व्यय के लिए सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश को लगातार नजर अंदाज करता रहा जिसपर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है। निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में महानिरीक्षक (प्रावधान) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं भुगतान तथा अदेय मदों के सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया।

- विभाग ने ₹ 1.65 करोड़ के प्रतिपूर्ति का दावा किया किंतु इसे गृह मंत्रालय के समक्ष सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जबकि सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश के तहत यह आवश्यक था।

3.3.5.2 प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्मिलान नहीं किया जाना

झारखण्ड बजट मैनुअल के नियम 134 के अनुसार, विभागीय लेखों की प्राप्ति और भुगतान के गलत वर्गीकरण की संभावना से बचने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) के खाते के साथ पुनर्मिलान किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के अभिलेखों के अनुसार 2010-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति/प्रदत्त अग्रिम ₹ 301.27 करोड़ था जबकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 313.20 करोड़ था।

इस प्रकार, दोनों अभिलेखों में ₹ 11.93 करोड़ का अन्तर था जिसका नवम्बर 2016 तक पुनर्मिलान नहीं किया गया था।

निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड, राँची के अभिलेखों के साथ आंकड़ों का पुनर्मिलान करने का आश्वासन दिया।

⁶ ₹ 436.50 करोड़ का दावा घटाव (-) ₹ 335.47 करोड़ गृह मंत्रालय के दल द्वारा अनुमोदित

योजना का क्रियान्वयन

3.3.6 अनुग्रह राशि

3.3.6.1 अनुग्रह राशि का कम दावा

गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षा व्यय के तहत किए गए खर्च का सत्यापन गृह मंत्रालय दल द्वारा किया जाना है।

विभाग, गृह मंत्रालय दल द्वारा अनुमति दिए गए अनुग्रह अनुदान के अनुज्ञेय भुगतान व्यय, ₹ 41 लाख से वंचित हो गया था

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि 2010-15 के दौरान गृह मंत्रालय दल अनुग्रह राशि के रूप में ₹ 6.71 करोड़ की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी थी लेकिन विभाग ने इस पर केवल ₹ 6.30 करोड़ का दावा किया था। लेखापरीक्षा इसके कारणों का पता नहीं लगा सका क्योंकि संबंधित अभिश्रव एवं अभिलेख माँगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

इस प्रकार विभाग को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए ₹ 41 लाख की प्रतिपूर्ति से वंचित कर दिया गया।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.3.6.2 अनुग्रह राशि के दावों के निपटान में विलम्ब

सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद 5 के साथ पठित 2012 के अनुच्छेद मद संख्या-01 के अनुसार अनुग्रह राशि आम नागरिक के नक्सली हिंसा में मारे जाने पर उनके निकट परिजनों को भुगतान है। प्रतिपूर्ति की दर शत प्रतिशत होगी एवं इसकी अधिकतम सीमा प्रति नागरिक ₹ एक लाख होगी। परन्तु दिशानिर्देश में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

दावे के प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए मारे गए नागरिक की पहचान संबंधित उपायुक्त द्वारा संबंधित थानों एवं अंचल अधिकारियों के सत्यापन के आधार पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 10 जिलों में 2010-16 के दौरान 502 नागरिकों ने अनुग्रह राशि भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत किया था लेकिन 82 नागरिकों के (16 प्रतिशत) दावे के निष्पादन में 3 से 60 महीने का विलम्ब हुआ। विलम्ब अंचल एवं जिला दोनों स्तरों⁷ पर था।

मृतक नागरिकों के परिजनों के अनुग्रह राशि के दावे के निष्पादन में विलम्ब नक्सलवाद का मुकाबला करने में समुदाय की भागीदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

⁷ आम नागरिकों के संबंधियों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान अंचल एवं जिला स्तर पर किया जाता है जबकि पुलिस कर्मियों को जिला स्तर से ही किया जाता है।

3.3.7 संभार समर्थन

3.3.7.1 वाहनों के अनियमित रूप से किराये पर लिया जाना

सुरक्षा सम्बन्धी व्यय योजना के दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद 7.2 एवं 7.6 के अनुसार विभिन्न प्रकार के निजी वाहनों को भाड़ा पर लिए जाने के लिए संबन्धित उपायुक्तों द्वारा खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी। इस प्रकार तय किया गया दर सभी जिला कार्यालयों जिसमें पुलिस एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल शामिल है, पर लागू हैं। प्रतिस्पर्धी दरों को अंतिम रूप देने तक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर वाहनों को भाड़ा पर लिया जा सकता है।

नमूना जांचित जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने वर्ष 2010-16 के दौरान उद्धरण/ नामांकन के आधार पर अनियमित रूप से किराये पर लिए गये 483 निजी वाहनों पर ₹ 52.33 करोड़ का भुगतान एजेन्सी को किया

लेखापरीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वित्त विभाग ने सिर्फ कार (एम्बेसडर, मारुति वैन एवं इंडिका) को भाड़ा पर लिए जाने के लिए दर की अधिसूचना जारी की थी (अगस्त 2002)। अधिसूचना में उपयोगिता वाहनों को भाड़े पर लेने के सम्बन्ध में कोई दर निर्धारित नहीं था और न ही कोई प्रावधान किया गया था। नमूना जाँच किए गए 10 जिलों में से सिर्फ एक जिला (लातेहार) के पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त लातेहार को (अगस्त से नवम्बर 2011 के बीच) निजी वाहनों जिसमें उपयोगिता वाहन शामिल थे, को भाड़ा पर लेने के दर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए अनुरोध किया था चूँकि सरकारी दर (सिर्फ कार के लिए) पुराने थे और एजेन्सियाँ पुराने/कम अधिसूचित दर पर नक्सल अभियान के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक नहीं थी। हालांकि नक्सल अभियान के लिए वाहन भाड़े पर लेने के लिए राज्य सरकार और उपायुक्त दोनों में से किसी ने दर निर्धारण के लिए अन्तिम निर्णय नहीं लिया और न ही अधिसूचित किया। किसी दर के अभाव में नमूना जाँच किए गए जिलों के पुलिस अधीक्षक ने 483 निजी वाहनों को 2010-16 के दौरान कोटेशन/नामांकन के आधार पर भाड़े पर लिया एवं एजेन्सियों को ₹ 52.33 करोड़ का भुगतान किया (परिशिष्ट-3.3.2)।

इस प्रकार, विभाग ने निजी वाहनों को भाड़ा पर लेने के लिए सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। कोटेशन के अभाव में विभाग प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ भी नहीं ले सका। इसके अलावा एजेन्सियों को कोटेशन/नामांकन के आधार पर वाहनों की आपूर्ति करने के कारण अनुचित लाभ प्रदान किए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.3.7.2 सुरक्षा सम्बन्धी व्यय से संबंधित वाहनों का अनियमित उपयोग

सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद सात के साथ पठित एवं 2012 के दिशानिर्देश मद 2 के अनुसार परिवहन और अन्य संभार समर्थन केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (के.अ.सै.ब.) और राज्य पुलिस एवं के.अ.सै.ब. के संयुक्त टीम को नक्सल विरोधी अभियान के लिए स्वीकार्य है।

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि 2015-16 के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक राँची द्वारा नौ वाहनों जो राँची शहर के अन्दर स्थानीय यात्रा के लिए वायु सेना कर्मियों

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने 2010-16 के दौरान नौ वाहन के किराये प्रभार के रूप में जो वायु सेवा कर्मियों के राँची के अन्तर्गत स्थानीय दौरे के लिए उपयोग किया गया था। इस पर ₹ 34.99 लाख भुगतान किया

द्वारा उपयोग में लाये गये के भाड़ा पर ₹ 34.99 लाख का भुगतान किया गया। व्यय भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति कर दिया गया यद्यपि वायु सेना कर्मियों की स्थानीय यात्रा पर व्यय सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश के तहत देय नहीं था।

वरीय पुलिस अधीक्षक राँची द्वारा उत्तर में कहा गया कि (अगस्त 2016) वाहन चूँकि पुलिस विभाग में उपलब्ध नहीं था इसलिए सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के कोष से विशेष परिस्थिति में वाहन भाड़ा पर लिया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विशेष परिस्थिति में भी सुरक्षा सम्बन्धी व्यय कोष से इस उद्देश्य के लिए व्यय अनुज्ञेय नहीं है, चूँकि यहाँ सुरक्षा संबंधी व्यय दिशानिर्देश के दायरे से बाहर था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.3.7.3 वार्षिक अनुरक्षण प्रभार

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद 17.1 के साथ पठित दिशानिर्देश 2012 के मद संख्या 02 के अनुसार, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के संभार सहायता के तहत प्रकाश व्यवस्था हेतु ईंधन खपत के लिए भुगतान अनुज्ञेय है। हालांकि जेनरेटर सेट का वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (वा.अ.प्र.) के लिए दिशा निर्देशों में कोई उल्लेख नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वरीय पुलिस अधीक्षक राँची ने थानों एवं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के शिविरों में अधिष्ठापित 59 से 72 जेनरेटर सेट पर वर्ष 2010-16 के दौरान कुल ₹ 67.99 लाख व्यय वा.अ.प्र. में किये। वार्षिक अनुरक्षण प्रभार में कल पुर्जों की आपूर्ति एवं मरम्मति, लुब्रीकैंट एवं मरम्मति कार्य का प्रावधान शामिल था।

इसके अलावे अवलोकन में पाया गया कि वार्षिक अनुरक्षण प्रभार नामांकन एवं कोटेशन के आधार पर चयनित किया गया था यद्यपि झारखण्ड वित्तीय नियमावली के तहत खुली निविदा आवश्यक थी। भारत सरकार द्वारा भी व्यय को अमान्य कर दिया गया क्योंकि यह सुरक्षा संबंधित व्यय के तहत प्रतिपूर्ति मदों के दायरे में नहीं था।

इस प्रकार, झारखण्ड वित्तीय नियम के पालन किये बिना ₹ 67.99 लाख का व्यय किया गया था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का जवाब नहीं दिया गया था।

3.3.8 गोला बारूद

विभाग, देय प्रतिपूर्ति
₹ 5.98 करोड़ का अभिश्रव
समर्पित करने में असफल
रहने एवं भंडार प्राप्ति के
पश्चात दावा के प्रति
तत्पर नहीं रहने के
कारण, प्राप्त नहीं कर
सका

3.3.8.1 संगत दस्तावेज के अभाव में दावे का प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना दिशानिर्देश वर्ष 2010 के अनुच्छेद 8.1 के साथ पठित 2012 के मद संख्या 3 के अनुसार नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध राज्य पुलिसकर्मियों द्वारा प्रयुक्त गोला बारूद पर व्यय प्रतिपूर्ति के लिए अनुमान्य है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि गोला-बारूद के खरीद पर 2011-12 में ₹ 25 लाख तथा 2013-14 में ₹ 5.84 करोड़ का विभाग द्वारा दावा किया गया यद्यपि गृह मंत्रालय के लेखापरीक्षा दल द्वारा दावा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि विभाग संगत अभिश्रवों (2011-12) एवं भंडार प्राप्ति का प्रमाण (2013-14) प्रस्तुत करने में विफल रहा। बाद में ₹ 5.73 करोड़ मूल्य का भंडार प्राप्ति किया गया था (अगस्त 2014) परन्तु विभाग द्वारा आगे कोई दावा करने का प्रयास नहीं किया गया।

जाँच के दौरान आगे यह पता चला कि 2011-12 में 50.79 लाख गोला-बारूद⁸ का क्रय नहीं किया गया जो आवश्यक था, इसके अलावा वर्ष 2012-16 में 1.26 करोड़ गोला-बारूद⁹ आवश्यकता से कम खरीदा गया था।

इस प्रकार भंडार प्राप्ति के बाद तथा सभी अभिश्रवों की प्रस्तुति के अभाव में विभाग ₹ 5.98 करोड़ की स्वीकार्य प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यय योजना निधि के तहत जो गोला-बारूद क्रय के लिए अनुमान्य था उसका लाभ विभाग नहीं ले सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.3.9 प्रशिक्षण

3.3.9.1 परिहार्य भार

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना दिशानिर्देश वर्ष 2010 के अनुच्छेद 9.1 एवं वर्ष 2012 के मद संख्या 4 के अनुसार - (i) यात्रा और प्रशिक्षुओं का दैनिक भता (ii) किसी संस्थान द्वारा लिया गया कोर्स शुल्क एवं (iii) अन्य उपयोगी प्रशिक्षण सामग्री (पुलिस आधुनिकीकरण योजना में शामिल मदों को छोड़कर) जिसे राज्य के अन्दर या बाहर विशेष प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण पर किया जाने वाला व्यय अनुमान्य है।

⁸ 5.56 एम.एम. इन्सास एल.एम.जी. राईफल के लिए संख्या 4591901, 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. के लिए संख्या 208302, 7.62x32 एम.एम. ए.के. 47 के लिए संख्या 308219 एवं 9 एम.एम. कारबाईन/स्टेन गन/पिस्टल के लिए संख्या 30942

⁹ 5.56 एम.एम. इन्सास एल.एम.जी. राईफल, 7.62x32 एम.एम. ए.के. 47 एवं 9 एम.एम. कारबाईन/स्टेन गन/पिस्टल

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुलिस महानिरीक्षक विशेष कार्य बल (वि.का.ब.) ने विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान में झारखण्ड विशेष कार्य बल 'जगुआर' के 144 पुलिस कर्मियों के विशिष्ट प्रशिक्षण पर ₹ 5.55 करोड़ का व्यय किया। यह व्यय सुरक्षा संबंधी व्यय कोष से नहीं किया गया यद्यपि इसके अन्तर्गत अनुमान्य था।

इस प्रकार विभाग सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण पर स्वीकार्य व्यय का दावा करता तो राज्य के खजाने पर ₹ 5.55 करोड़ रुपये के बोझ से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा अवलोकन पर विभाग द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.3.10 मानदेय

3.3.10.1 अप्राधिकृत व्यय

सुरक्षा संबंधी व्यय के दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कार्यरत विशेष पुलिस पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान विशेष पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति, भारत सरकार गृह मंत्रालय के सुरक्षा संबंधी व्यय हेतु स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन एवं उचित सत्यापन के आधार पर अनुमान्य है।

विशेष पुलिस पदाधिकारियों को जिनकी नियुक्ति, व्यक्तिगत सत्यापन एवं सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति के अनुमोदन के बिना किया गया उन्हें अप्राधिकृत रूप से ₹ 27.71 करोड़ का भुगतान किया गया था

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में विशेष पुलिस पदाधिकारियों का स्वीकृत बल साल दर साल बदलते रहा। नमूना-जाँचित 10 जिलों में विशेष पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति थाना के द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिले के उपायुक्त के द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन देने के पश्चात हुआ था। किंतु सुरक्षा संबंधी व्यय के स्थायी समिति से किसी भी मामले में दिशानिर्देश के तहत वांछित, अनुमोदन नहीं लिया गया था। इन विशेष पुलिस पदाधिकारियों का वर्ष 2010-16 के दौरान भुगतान किये गये ₹ 27.71 करोड़¹⁰ मानदेय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा कर दी गई थी।

इस प्रकार सुरक्षा संबंधी व्यय के स्थायी समिति के अनुमोदन एवं उचित जाँच के बिना विशेष पुलिस पदाधिकारियों को अप्राधिकृत रूप से ₹ 27.71 करोड़ का भुगतान हुआ।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का जवाब नहीं दिया गया था।

¹⁰ चाईबासा ₹ 4.27 करोड़, चतरा ₹ 3.28 करोड़, देवघर ₹ 3.18 लाख, धनबाद ₹ 1.78 करोड़, गढ़वा ₹ 1.68 करोड़, हजारीबाग ₹ 1.67 करोड़, जमशेदपुर ₹ 2.25 करोड़, लातेहार ₹ 1.28 करोड़, पलामु ₹ 5.83 एवं राँची ₹ 5.64 करोड़

3.3.10.2 मानदेय का अधिक भुगतान

नक्सल प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अगस्त 2010 के प्रभाव से विशेष पुलिस पदाधिकारियों के मानदेय की राशि ₹ 1500 से बढ़ाकर ₹ 3000 प्रतिमाह कर दिया।

विभाग, सुरक्षा संबंधी व्यय के मानदण्ड की सीमा से अधिक ₹ 36.05 लाख मानदेय का भुगतान किया

लेखापरीक्षा ने पाया की विभाग स्वयं ऐसे मानदेय की बढ़ोतरी का आदेश राज्य में अप्रैल 2010 से दिया। विभाग के आदेशानुसार 10 में से तीन नमूना-जाँचित जिलों में ₹ 36.05 लाख¹¹ अधिक भुगतान किया गया था। अधिक राशि की गणना अप्रैल 2010 से 15 अगस्त 2010 तक ₹ 1500 प्रति माह की दर से की गई है। यद्यपि अधिक भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा की गई थी।

इस प्रकार विभाग ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के शर्त से ₹ 36.05 लाख अधिक मानदेय का भुगतान किया।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का जवाब नहीं दिया गया था।

3.3.10.3 संभावित दुर्विनियोजन

लेखापरीक्षा अवलोकन में पाया गया कि पुलिस अधीक्षक लातेहार ने 24 विशेष पुलिस पदाधिकारियों के अप्रैल 2010 से जून 2010 तक तीन माह के भुगतान के लिए ₹ 3000 की दर से ₹ 2.16 लाख मजाना प्रभारी को उपलब्ध कराया। तथापि, थाना प्रभारी ने मानदेय राशि का वितरण अप्रैल से सितम्बर 2010, छः माह के लिए ₹ 1500 प्रति माह की दर से विशेष पुलिस पदाधिकारियों को भुगतान किया।

पुलिस अधीक्षक, लातेहार ने पुनः उसी थाना प्रभारी को 24 विशेष पुलिस पदाधिकारियों के लिए जुलाई से अक्टूबर 2010, चार माह के लिए ₹ 2.88 लाख उपलब्ध कराया किंतु जुलाई से सितम्बर 2010 तक ₹ 2.16 लाख की अगली किस्त के भुगतान के वितरण से संबंधित कुछ भी अभिलेख में दर्ज नहीं था, जो सामान्य पूर्व अवधि के भुगतान से भी संबंधित था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पुलिस अधीक्षक, लातेहार ने बालूमाथ थाना में नियुक्त 29 विशेष पुलिस पदाधिकारियों के लिए ₹ 3000 प्रति माह के दर पर ₹ 3.48 लाख का आहरण दो विपत्रों के माध्यम से दो बार किया था (मार्च 2011)। प्रथम विपत्र नवम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक चार माह के लिए तथा दूसरा विपत्र दिसम्बर 2010 से मार्च 2011 तक चार माह के लिए आहरित किया था। इस प्रकार, ₹ 2.61 लाख¹² दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 तक उसी तीन माह के लिए दोबारा आहरित किया गया था।

प्रथम किस्त ₹ 3.48 लाख मार्च 2011 में एवं द्वितीय किस्त ₹ 3.48 लाख अप्रैल 2011 में थाना प्रभारी, बालूमाथ को उपलब्ध कराया गया था। विशेष पुलिस

¹¹ चाईबासा ₹ 10.47 लाख, गढ़वा ₹ 8.57 लाख एवं राँची ₹ 17.01 लाख

¹² ₹ 3000/- प्रति महीना 29 एस.पी.ओ. को 3 महीना के लिए।

पदाधिकारियों को उसी माह के लिए दुबारा मानदेय भुगतान के संबंध में दिखाने हेतु अभिलेख में कुछ भी दर्ज नहीं था।

इस प्रकार, भुगतान से संबंधित अभिलेख के अभाव में ₹ 4.77 लाख (₹ 2.16 लाख ₹ 2.61 लाख) के दुर्विनियोजन किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई जवाब नहीं दिया गया था।

3.3.11 ग्राम सुरक्षा समिति

3.3.11.1 अदेय मदों पर व्यय

10 जिलों में से 9 जिलों में ₹ 53.11 लाख अदेय मदों पर जैसे टॉर्च का क्रय, बैटरी, जूते मोजे, छाते, एवं जाड़े में पहने जाने वाले वस्त्रों पर व्यय किये थे

सुरक्षा संबंधी व्यय दिशानिर्देश के अनुच्छेद 11.1 के अनुसार ग्राम सुरक्षा पर सुरक्षा संबंधित आधारभूत संरचना के लिए प्रति ग्राम शत प्रतिशत राशि जिसकी अधिकतम सीमा ₹ दो लाख तक होगी, प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञेय था। चयनित ग्राम में सभागृह के निर्माण पर ₹ दो लाख तक व्यय किया जाएगा (जो ग्राम सुरक्षा संरचना के रूप में भी कार्य करेगा) जिसमें सभा, चर्चा तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 में से नौ¹³ जिलों में अदेय मदों जैसे टॉर्च, बैटरी, जूते, मोजे, छाते, थर्मोवेस्टकोट एवं सर्दियों में पहनने वाले कपड़े के क्रय पर ₹ 53.11 लाख का व्यय किए गए थे, जो सुरक्षा संबंधित व्यय के दिशानिर्देश के प्रावधान के विरुद्ध है तथा जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अस्वीकार्य कर दिया गया था।

निकास सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा (नवम्बर 2016) कि सभी पुलिस अधीक्षक को सही प्रक्रिया बताया जायेगा ताकि अदेय मदों पर व्यय न किया जाय।

3.3.12 पुनर्वास

3.3.12.1 अप्रभावी कार्यान्वयन

विभाग, ₹ 48 लाख की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका यद्यपि इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रावधान अनुमोदित था

सुरक्षा संबंधित व्यय दिशा-निर्देश 2012 के मद 7 के अनुसार कट्टर एवं भूमिगत नक्सली जो राज्य सरकार के विस्तृत समर्पण एवं पुनर्वास (स.एवं.पु.) नीति के तहत समर्पण करते हैं उनको पुनर्वास लागत भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए जारी किए गए समर्पण सह पुनर्वास (स. सह पु.) योजना के अनुसार अनुज्ञेय है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के स. सह पु. योजना जो अप्रैल 2013 से प्रभावी है, के अनुसार समर्पणकर्ता के पुनर्वास पर किए गए व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय है। उच्च स्तर के वामपंथी उग्रवादी के लिए अधिकतम सीमा ₹ 2.5 लाख एवं निचले

¹³ चाईबासा ₹ 8.95 लाख, देवघर ₹ 1.99 लाख, धनबाद ₹ 3.93 लाख, गढ़वा ₹ 6.71 लाख, हजारीबाग ₹ 5 लाख, जमशेदपुर ₹ 2 लाख, लातेहार ₹ 7 लाख पलामु ₹ 10.91 लाख एवं राँची ₹ 6.62 लाख।

स्तर के वामपंथी उग्रवादी के लिए अधिकतम सीमा ₹ 1.5 लाख है तथा शस्त्रों एवं गोला बारूद के लिए प्रतिपूर्ति दिशानिर्देश की कंडिका 4¹⁴ के अनुसार देय है। समर्पणकर्ता को व्यापार/व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए प्रति माह ₹ 4000 का प्रतिवृत्ति भी दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 36 महीने होगी। आगे राज्य सरकार के वि.स.एवं.पु. नीति 2009 के तहत ₹ 2.5 लाख तक अनुग्रह राशि दो वर्षों में तीन किस्तों में देय होगा।

इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए ₹ 50,000, शस्त्रों एवं गोला बारूद लौटाने के लिए प्रोत्साहन राशि एवं वजीफा के रूप में ₹ 5000 बारह महीने तक व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए भी देय है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य दिशानिर्देश के अनुसार 2013-15 के दौरान विभाग 26 निचले स्तर के समर्पणकर्ताओं को ₹ 56.32 लाख¹⁵ का भुगतान किया। यद्यपि विभाग ने ₹ 2 लाख प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जबकि अनुमोदित योजना ₹ 50 लाख की थी।

इस प्रकार विभाग ₹ 48 लाख की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका जबकि भारत सरकार द्वारा योजना के तहत इसे अनुमोदित किया गया था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.3.13 सामुदायिक पुलिसिंग

3.3.13.1 निर्धारित सीमा से ऊपर एवं अस्वीकार्य मदों पर व्यय

विभाग द्वारा अदेय मदों पर (₹ 95.96 लाख) तथा निर्धारित सीमा से बाहर (₹ 32.97 लाख) कुल ₹ 1.29 करोड़ अदेय व्यय किया गया जिसका गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं हुआ था

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद 10.1 के साथ पठित दिशानिर्देश 2012 के मद 5 के अनुसार, सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में, ग्राम में स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद सामग्री का वितरण, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन तथा आदिवासी त्योहारों में भागीदारी शामिल हैं। प्रत्येक वामपंथी जिला के लिए शत प्रतिशत व्यय ₹ पाँच लाख प्रति वर्ष की सीमा तक अनुज्ञेय थी जो अप्रैल 2013 से बढ़कर ₹ 10 लाख हो गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 में से सात¹⁶ नमूना जाँच किए गए जिलों में 2010-16 के दौरान ₹ 95.96 लाख अदेय मदों जैसे साइकिल, धोती, साड़ी, टी.भी., कुर्सिया, कंबल और कॉपी के क्रय पर व्यय किया गया था।

¹⁴ शस्त्र और गोला-बारूद के लिए अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि बैंक में समर्पणकर्ता के नाम से सावधिक जमा के रूप में रखा जाएगा जो समर्पणकर्ता के द्वारा तीन वर्ष के अवधि के पश्चात निकाला जा सकता है बशर्ते की संबंधित राज्य के नामित अधिकारी द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रमाणपत्र उसे दिया गया है।

¹⁵ 2013-14: ₹ 18.50 लाख एवं 2014-15: ₹ 37.82 लाख

¹⁶ चाईबासा: ₹ 18.36 लाख, देवघर: ₹ 12.17 लाख, धनबाद: ₹ 6.87 लाख, गढ़वा: ₹ 11.44 लाख, लातेहार: ₹ 8.87 लाख, पलामु: ₹ 12.01 लाख एवं राँची: ₹ 26.24 लाख

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि 10 में से सात¹⁷ नमूना जाँच किए गए जिलों में प्रतिवर्ष ₹ पाँच लाख या ₹ 10 लाख की भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹ 32.97 लाख का व्यय किया गया था।

इस प्रकार विभाग ने अदेय मदों (₹ 95.96 लाख) एवं निर्धारित सीमा से अधिक (₹ 32.97 लाख) कुल ₹ 1.29 करोड़ का अदेय व्यय कर दिया जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नहीं की गयी थी।

निकास सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा (नवम्बर 2016) कि संबंधित पुलिस अधीक्षक को सही प्रक्रिया बताया जायेगा ताकि अन्य मदों पर व्यय करने की गलती न हो जिससे प्रतिपूर्ति दावों की अमान्यता हो।

3.3.14 हथियारों और हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता आधारित हायरिंग

3.3.14.1 पूर्व अनुमोदन के बगैर व्यय

विभाग, सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश का पालन नहीं करते हुए राज्य के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर पर ₹ 16.91 करोड़ का व्यय किया और दावा अंततः अस्वीकृत कर दिया गया था

सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश 2010 के खंड 15 एवं 2012 के मद 9 के अनुसार, आपात स्थिति में आवश्यकता आधारित हथियार या वाहन जिसमें हेलीकॉप्टर या संचार उपकरण शामिल हैं पर किया गया व्यय अनुमान्य है बशर्ते इसके लिए गृह मंत्रालय की सुरक्षा सम्बन्धी व्यय समिति की पूर्व अनुमति ली गयी हो। इस तरह के मामलों को विशेष रूप से गृह मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर पर 2010-16 के दौरान ₹ 16.91 करोड़ का व्यय गृह मंत्रालय सुरक्षा सम्बन्धी व्यय समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बगैर कर दिया गया। व्यय ईंधन, आवास और बोर्डिंग, यात्रा विपत्र, प्रशिक्षण एवं पायलट के मोबाइल चार्ज, हैंगर के विद्युत एवं पानी के खर्च तथा हेलीकॉप्टर के रख-रखाव पर किया गया।

विभाग के अपर मुख्य सचिव ने (अप्रैल 2015) गृह मंत्रालय को ध्रुव हेलीकॉप्टर के रख-रखाव एवं परिचालन लागत को सुरक्षा सम्बन्धी व्यय योजना के तहत रखने के लिए अनुरोध किया था। प्रस्ताव भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया (सितम्बर 2016) चूँकि सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश के अनुसार व्यय करने के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति नहीं ली गयी थी।

आगे लेखापरीक्षा ने उड़ान के विवरण की माँग की जो सिर्फ जनवरी से 20 अक्टूबर 2016 तक की अवधि का उपलब्ध कराया गया। उड़ान के विवरण से यह देखा गया की कुल 40 उड़ानों में से 15 उड़ानों (37 प्रतिशत) का उपयोग मंत्रियों एवं

¹⁷ चाईबासा: ₹ 5.0 लाख, चतरा: ₹ 2.0 लाख, गढ़वा: ₹ 2.0 लाख, जमशेदपुर: ₹ 2.0 लाख, लातेहार: ₹ 6.0 लाख, पलामु: ₹ 2.0 लाख एवं राँची: ₹ 13.97 लाख

अधिकारियों द्वारा नक्सल अभियान उद्देश्यों से अलग हटकर किया गया जिसमें जनवरी से मार्च 2016 के सात उड़ान शामिल थे।

इस प्रकार, विभाग ने राज्य के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर पर ₹ 16.91 करोड़ के व्यय में सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया एवं दावा अंततः अस्वीकृत कर दिया गया।

निकास सम्मेलन में पुलिस महानिरीक्षक (प्रावधान) ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2016) कि नक्सल अभियान और अन्य उद्देश्यों के लिए किए गए यात्राओं को अलग-अलग किया जाएगा। भारत सरकार के समक्ष खर्च का दावा प्रस्तुत करने के पूर्व ध्रुव हेलीकॉप्टर द्वारा किए गए यात्राओं को नक्सल अभियान और अन्य उद्देश्य के रूप में अलग किया जाएगा। यद्यपि सही प्रक्रिया सभी पुलिस अधीक्षकों को समझाया जाना है ताकि दावों की अमान्यता के लिए इस प्रकार की गलती नहीं हो।

3.3.15 पुलिस थानों/चौकियों/वाहय चौकियों का सुदृढीकरण

3.3.15.1 पक्का कार्यों पर व्यय

सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश 2010 के अनुच्छेद 16 के साथ पठित 2012 के मद 10 के अनुसार पुलिस थानों/पुलिस लाइन में अतिरिक्त निर्माण पर व्यय जो पूँजीगत कार्यों की प्रकृति का है और पुलिस आधुनिकीकरण योजना के दायरे में है, सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के तहत अनुमान्य नहीं है। दिशानिर्देश के अनुसार कांटेदार तार का बाड़ लगाने एवं छत के ऊपर मोर्चा निर्माण अनुमान्य है।

लेखापरीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सभी नमूना जाँच किए गए 10 जिलों में अदेय मदों जैसे रसोई घर, शौचालय एवं पुलिस थानों/पुलिस लाइन/पुलिस वाहय चौकियों में अतिरिक्त कमरे के पक्का निर्माण पर ₹ 13.69 करोड़¹⁸ संबन्धित पुलिस अधीक्षक के आदेश से व्यय किया गया। यह कार्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के अनुमोदित योजना का हिस्सा नहीं था एवं पुलिस आधुनिकीकरण योजना के दायरे में आता है। खर्च को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी व्यय दिशानिर्देश के नियमों कि अवहेलना कर ₹ 13.69 करोड़ का अदेय व्यय किया गया।

निकास सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा (नवम्बर 2016) कि सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रक्रियात्मक गलतियों को समझा दिया जाएगा जिसके कारण दावे को अमान्य कर दिया गया।

¹⁸ चाईबासा ₹ 2.38 करोड़, चतरा ₹ 77.33 लाख, देवघर ₹ 57.96 लाख, धनबाद ₹ 1.71 करोड़, गढ़वा ₹ 45.26 लाख, हजारीबाग ₹ 1.26 करोड़, जमशेदपुर ₹ 74.31 लाख, लातेहार ₹ 69.28 लाख, पलामु ₹ 1.75 करोड़ एवं राँची ₹ 3.36 करोड़

3.3.15.2 अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षक को (मार्च 2013) आदेश दिया कि जमीन पर बाड़ लगाने के कार्य को ₹ 1,117 प्रति मीटर एवं दीवार पर बाड़ लगाने के कार्य को ₹ 803 प्रति मीटर के दर पर दो नामित संवेदकों के माध्यम से कराया जाए जिनका दर खुली निविदा के आधार पर अंतिम रूप से तय किया गया था।

पुलिस अधीक्षक चाईबासा, ने संवेदक को भुगतान करने से पूर्व वास्तविक निष्पादन सुनिश्चित नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 65.34 लाख अधिक भुगतान हुआ

लेखापरीक्षा के क्रम में यह देखा गया कि पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने पंच टेप कंसटीना बाड़ लगाने का कार्य¹⁹ (जमीन एवं दीवार) 2014-15 में नौ पुलिस थानों/वाह्य चौकी/कैम्प में करने के लिए दो संवेदकों को आवंटित किया जो पुलिस मुख्यालय द्वारा नामित संवेदकों से भिन्न था। यहाँ तक कि कार्य आवंटित करने के लिए नयी निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। संवेदकों को (जनवरी एवं फरवरी 2015) जमीन पर 7667 मीटर बाड़ लगाने एवं दीवार पर 2698 मीटर बाड़ लगाने के कार्य के लिए ₹ 1.07 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा के क्रम में यह देखा गया कि संवेदकों ने वास्तव में ₹ 41.42 लाख का कार्य किया जबकि भुगतान ₹ 1.07 करोड़ किया गया। पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने संवेदकों को अधिक भुगतान की गयी राशि ₹ 65.39 लाख को जमा करने का निर्देश दिया (जुलाई 2015)। राशि अब तक (नवम्बर 2016) वसूल नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने संवेदकों को भुगतान करने के पूर्व किए गए वास्तविक कार्य को सुनिश्चित नहीं किया जिसके कारण ₹ 65.39 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.3.16 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

3.3.16.1 अंकेक्षित लेखाओं का अभाव

विभाग, दावे के अन्तिम निपटान के लिए सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय को अंकेक्षित लेखा समर्पित करने में असफल रहा

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए व्यय पर विचार अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर किया जाता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य लेखाओं के विलम्ब से अंकेक्षण के कारण प्रभावित न हो, तदर्थ विमुक्ति गृह मंत्रालय दल द्वारा लेखाओं के अवलोकन के पश्चात कर दी जाती है जिसका समायोजन अन्तिम रूप से अंकेक्षित लेखाओं के समर्पण के पश्चात होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा 2010-16 के दौरान नहीं कराया। गृह मंत्रालय दल द्वारा समय-समय पर विभाग के लेखाओं का सत्यापन किया गया परन्तु विभाग ने गृह मंत्रालय दल के अनुशंसा का पालन नहीं किया एवं 2010-15 के दौरान ₹ 335.47 करोड़ अनुज्ञेय राशि के विरुद्ध ₹ 436.50 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया।

¹⁹ गोल आकार कर्सीना तार जो दीवार एवं जमीन पर सुरक्षा उद्देश्य से घेरा जाता है।

इस प्रकार, विभाग, दावे के अन्तिम रूप से निपटाने के लिए, गृह मंत्रालय को अंकेक्षित लेखा समर्पित करने में सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश का पालन करने में विफल रहा।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का जवाब नहीं दिया गया था।

3.3.16.2 दावा समर्पण में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि गृह मंत्रालय दल द्वारा सुरक्षा संबंधी लेखे का वर्ष में दो बार सत्यापन किया गया किंतु विभाग द्वारा 2012-13 से 2014-15 तक के दावों को, गृह मंत्रालय दल द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं का सत्यापन करने के बाद 5 माह से 15 माह तक विलम्ब से समर्पित किया गया था।

प्रतिपूर्ति का विलम्ब से विमुक्त किए जाने का कारण, विलम्ब से दावों का समर्पण था। वर्ष 2015-16 का दावा भारत सरकार को समर्पित (नवम्बर 2016) नहीं किया गया था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का जवाब नहीं दिया गया था।

3.3.16.3 अनुश्रवण तंत्र का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुश्रवण तंत्र लागू नहीं किया। अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण अदेय मदों पर लगातार व्यय हुआ एवं कार्यकारी एजेन्सी उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा।

विभाग, ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अनुश्रवण तंत्र की स्थापना नहीं किया

3.3.17 निष्कर्ष

- सुरक्षा संबंधी व्यय योजना राज्य में उचित ढंग से कार्यावित नहीं हुआ था क्योंकि विभाग ने आवश्यकता आधारित वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया जिसके फलस्वरूप अनुमोदित योजना की तुलना में सुरक्षा संबंधी व्यय राशि में ₹ 247.55 करोड़ का आंतरिक मदों में विचलन हुआ था। इसके अलावे इस मद के अन्तर्गत नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध स्थानीय युवाओं के लिए योजना में कुल परिव्यय का अनुमान्य सीमा 20 प्रतिशत के तुलना में सिर्फ आधा प्रतिशत शामिल किया गया था। इस प्रकार राज्य में सुरक्षा संबंधी योजना के कार्यान्वयन में कमी रह गयी थी।
- जब कि विभाग, सुरक्षा संबंधित दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण दावा की गई ₹ 154.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर पाया, यह पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण पर व्यय ₹ 5.55 करोड़ का दावा एवं गोला-बारूद क्रय के ₹ 5.98 करोड़ के अभिश्रव को गृह मंत्रालय के पास दावा/समर्पित के लिए प्रयास नहीं किया यद्यपि यह प्रतिपूर्ति सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत देय था। इस प्रकार राज्य सुरक्षा संबंधी व्यय कोष के लाभदायक उपयोग करने में विफल रहा।
- यद्यपि विभाग द्वारा वाहन किराया (₹ 52.68 करोड़) एवं विशेष पुलिस पदाधिकारियों के मानदेय के भुगतान (₹ 27.71 करोड़) पर कुल ₹ 80.39 करोड़

व्यय किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गयी थी, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह व्यय सुरक्षा संबंधी व्यय के दिशानिर्देश के विरुद्ध किया गया था।

- सुरक्षा संबंधी व्यय योजना का आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण कमजोर था। सुरक्षा संबंधी व्यय के लेखाओं का अंकेक्षण नहीं किया गया था जबकि सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश के तहत यह वांछित था, जिसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय दल द्वारा लेखों के सत्यापन के बावजूद दावा समर्पण में विलम्ब हुआ। अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण अदेय मदों पर लगातार व्यय हुआ जिससे योजना उद्देश्य की प्राप्ति में हास हुआ।

3.3.18 अनुशंसाएँ

राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- आवश्यकता आधारित वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाय जिससे कि सुरक्षा संबंधी व्यय योजना का समुचित कार्यान्वयन हो सके;
- सुरक्षा संबंधी निधि का योजना दिशानिर्देश का पालन करते हुए लाभप्रद उपयोग हो सके और
- सुरक्षा संबंधी व्यय योजना का समुचित अनुश्रवण होना चाहिए जिससे कि अदेय मदों पर व्यय से बचा जा सके।

कल्याण विभाग

3.4 मेसो क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

मेसो क्षेत्र में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों पर वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक लेखापरीक्षा की गई थी जिसे 31 मार्च 2012 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था। निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसाएं की गई थीं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया था। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि क्या कल्याण विभाग ने स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया एवं सुधारात्मक उपायों द्वारा त्रुटियों को दूर किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निम्न परिणाम हैं:

- यद्यपि सरकार ने प्रस्तावित समेकित जनजाति विकास योजनाओं (स.ज.वि.यो.) के पुनर्गठन एवं मेसो क्षेत्र में जनजाति उपयोजना का समेकन की लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया था, अनुवर्ती लेखापरीक्षा में हमने पाया कि किसी भी समेकित जनजाति विकास अभिकरण (स.ज.वि.अ.) ने गाँव अथवा जनजाति जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार नहीं किया। अतः, स्वीकृत अनुशंसा को कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4.2)

- निधियों का समय पर उपयोग तथा अंतिम उपयोग के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने की अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार की थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि ज.उ.यो. के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) तथा संविधान की अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान अव्यवहृत रहा। अतः स्वीकृत अनुशंसा को कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4.3)

- सरकार ने ज.उ.यो. के लिए वि.के.स. एवं संविधान की अनुच्छेद 275 (1) के अधीन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की अनुशंसा को स्वीकार किया था। परन्तु जनजाति उप योजना (ज.उ.यो.) के लिए वि.के.स. के तहत कुल 127 योजनाओं में से मात्र 39 योजनाओं को पूर्ण किया गया। इसी प्रकार, संविधान की अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत कुल 268 कार्यों में से मात्र 211 कार्य को पूर्ण किया गया। अतः स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसा को कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कंडिकाएं 3.4.4.1 एवं 3.4.4.2)

- यद्यपि सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने की लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया था, किंतु अनुवर्ती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँचित स.ज.वि.अ. में 31 प्रतिशत पद रिक्त थे।

(कंडिका 3.4.5)

• सरकार के द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित करने से संबंधित अनुशंसा का कार्यान्वयन नहीं किया गया क्योंकि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था और किसी भी स्तर पर निरीक्षण की अनुसूची तय नहीं थी।

(कंडिका 3.4.6)

3.4.1 प्रस्तावना

मेसो क्षेत्र¹ में जनजाति कल्याण कार्यक्रम पर 2007-12 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था (दिसम्बर 2012)। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे:

- समेकित जनजाति विकास अभिकरण का प्रस्तावित पुर्नगठन दिसम्बर 2012 तक नहीं किया गया था। मेसो क्षेत्र के लिए संदर्श योजना तैयार नहीं किया गया था।
- वर्ष 2011-12 के दौरान विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा नहीं किए जाने के कारण ₹ 19.47 करोड़ के केन्द्रीय निधि की निकासी नहीं की जा सकी, ₹ 91.81 करोड़ को वैयक्तिक जमा खाते में जमा किया गया तथा अंतिम उपयोग सुनिश्चित किए बिना ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) भेज दिए गये।
- दिसम्बर 2012 तक मेसो क्षेत्र में 353 स्वीकृत योजनाओं (2006-12) में से 271 अपूर्ण योजनाओं (77 प्रतिशत) के मामले थे। चयनित स.ज.वि.अ. में प्रोटो टाईप के अंतर्गत 181 स्वीकृत योजनाओं में से 167 योजनाएँ (92 प्रतिशत) अपूर्ण थे।
- मानव संसाधन की कमी एक बाध्यता थी; विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत 90 पदों के विरुद्ध 50 प्रतिशत पद रिक्त थे। अपर परियोजना निदेशक (अ.प.नि.) तथा सहायक परियोजना प्रबंधक के पद रिक्त थे।

¹ भारत सरकार के द्वारा जनजाति उपयोजना (ज.उ.यो.) के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में जनजाति आबादी के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए राशि उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में ज.उ.यो. को 14 समेकित जनजाति विकास परियोजना (स.ज.वि.प.) में बाँटा गया था। स.ज.वि.प. द्वारा आच्छादित क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था जिसे स्थानीय स्तर पर मेसो (माइक्रो इकोनोमिक सोशल ऑरगेनाईजेशन) क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि जनजाति जनसंख्या के विस्तृत विकास योजनाओं को चलाने के लिए किया गया।

- राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था। परियोजना निदेशक (प.नि.) के द्वारा कार्य स्थल के निरीक्षण के लिए सरकार ने कोई अनुसूची तय नहीं की थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 में स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को किस स्तर तक कार्यान्वयन किया गया।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि को आच्छादित करते हुए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई जिसमें सचिवालय, कल्याण विभाग तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त (राज्य स्तर) का कार्यालय तथा 14² में पाँच³ स.ज.वि.अ. के अभिलेखों का नमूना-जाँचित किया गया। परंतु योजनाओं के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा अनुवर्ती लेखापरीक्षा के क्षेत्र में नहीं था। कुछ योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया। कल्याण विभाग के सचिव के साथ 8 अप्रैल 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा किया गया। कल्याण विभाग के सचिव के साथ 25 नवम्बर 2016 को एक निकास सम्मेलन हुआ जिसमें अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। सचिव ने अनुशंसाओं के कार्यान्वयन नहीं किए जाने की बात स्वीकार की तथा भविष्य में इसके कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

अनुशंसा संख्या 1: सरकार को मेसो क्षेत्र में विस्तृत योजना के लिए स.ज.वि.प. का प्रस्तावित पुनर्गठन एवं ज.उ.यो. का समेकन पूर्ण करना चाहिए। प्रदान द्वारा तैयार किये गए डाटा को अद्यतन करना चाहिए।

3.4.2 योजना में लगातार अपर्याप्तता

वर्ष 2012 की लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि किसी भी नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. में ज.उ.यो. के विस्तृत योजना एवं समेकन के लिए प्रस्तावित स.ज.वि.प. का सुदृढीकरण एवं उनका पुनर्गठन नहीं किया गया। पुनः सरकार ने बिना स.ज.वि.अ. से प्रस्ताव लिए वार्षिक योजना बनाई तथा निधियों का आवंटन किया गया तथा प्रदान (एक गैर सरकारी संस्था) के द्वारा वर्ष 2005 में जनजाति क्षेत्रों का सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था जिसे सरकार के द्वारा योजना तैयार करने के लिए उपयोग में लाया गया, को विगत सात वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया था।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसा की गई थी कि सरकार को स.ज.वि.प. का प्रस्तावित पुनर्गठन एवं मेसो क्षेत्र में विस्तृत योजना के लिए ज.उ.यो. का समेकन पूर्ण करना चाहिए। प्रदान द्वारा तैयार किए गए डाटाबेस को

² दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम

³ दुमका, गुमला, लातेहार, राँची एवं सरायकेला खरसाँवा

अद्यतन करना चाहिए तथा योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने वाले लक्षित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर ही योजना का अंतिमीकरण किया जाना चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स.ज.वि.अ. का गठन किया गया था और सभी तत्कालीन मेसो क्षेत्र में काम कर रहे थे। परन्तु किसी ने अपने अधीन गाँव अथवा जनजाति जनसंख्या का सामाजिक-आर्थिक डाटाबेस तैयार नहीं किया था। इसके अलावा रणनीति/कार्य-योजना/परियोजनाओं/परिप्रेक्ष्य योजना जो कि इसके पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य था तैयार नहीं किए गए।

स.ज.वि.अ. के सामाजिक तथा आर्थिक डाटाबेस तैयार नहीं किया गया। सरकार द्वारा स.ज.वि.अ. से बगैर सूचना प्राप्त किए वार्षिक योजना तैयार की गई

स.ज.वि.अ. द्वारा बताया गया कि ज.उ.यो. के तहत वि.के.यो. तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत योजनाओं को विभाग के द्वारा चिह्नित किया गया तथा तदनुसार निधियों का आवंटन किया गया। स.ज.वि.अ. से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं किया गया। विभाग के द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए बजट निर्माण तथा आवंटन वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना केन्द्रीयकृत रूप से सतत जारी रखा गया।

अतः स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसा का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। विकास सम्मेलन (नवंबर 2016) में सचिव, कल्याण विभाग ने स्वीकार किया कि अनुशंसाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया तथा भविष्य में इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा संख्या 2- सरकार को निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और निधियों के अंतिम उपयोग के आधार पर उ.प्र.प. जमा किया जाना चाहिए।

3.4.3 अनुदान का बचत तथा अप्रयुक्त निधि का सतत उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जाना

वर्ष 2012 के लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सरकार ने योजना निधियों के वास्तविक उपयोग सुनिश्चित किये बिना ही, आदिवासी कल्याण आयुक्त (आ.क.आ.) को राशि निर्गत करने के आधार पर ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत किया। यह भी पाया गया कि आ.क.आ. के पास 31 मार्च 2012 तक ₹ 57.75 करोड़ अव्यहृत शेष के रूप में था। इसके अलावा नमूना-जाँचित किए गए स.ज.वि.अ. के पास 31 जुलाई 2012 तक ₹ 57.14 करोड़ अव्यहृत था।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर यह अनुशंसा की गई थी कि सरकार को निधियों का समय पर उपयोगिता सुनिश्चित करना चाहिए तथा निधियों के अंतिम उपयोग के आधार पर उ.प्र.प. प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इसे कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

3.4.3.1 निधियों के व्यय नहीं होने के कारण बचत

नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. में ज.उ.यो. के अंतर्गत वि.के.स. तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में सतत बचत

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-16 के दौरान आ.क.आ. स्तर पर ज.उ.यो. अंतर्गत वि.के.स. तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत क्रमशः कुल 281.72 करोड़ एवं ₹ 238.08 करोड़ में से क्रमशः ₹ 104.90 करोड़ तथा ₹ 86.83 करोड़ का बचत हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.1** में दिखाया गया है। नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. में वर्ष 2013-16 के दौरान ज.उ.यो. अंतर्गत वि.स.यो. के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि (₹ 148.79 करोड़) में से ₹ 95.57 करोड़ (उपलब्ध निधि का 64 प्रतिशत) तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत कुल उपलब्ध ₹ 62.50 करोड़ में से ₹ 13.18 करोड़ (उपलब्ध निधि का 21 प्रतिशत) अवयहृत थे जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.2** में बताया गया है। नमूना जाँचित स.ज.वि.अ. में ज.उ.यो. के अंतर्गत वि.के.स. की योजना में ₹ 12.06 करोड़ से ₹ 23.98 करोड़ एवं अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत ₹ 0.74 करोड़ से ₹ 4.98 करोड़ का प्रत्येक वर्ष लगातार सतत बचत किया जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.2** में दर्शाया गया है।


इस प्रकार लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवंटित निधि का कम व्यय हुआ जो आदिवासियों को इच्छित लाभ से वंचित होने का कारण हो सकता है।

3.4.3.2 बगैर खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया

पुनः लेखापरीक्षा में पाया कि आ.क.आ. द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र में बैंक/वैयक्तिक खाता में अवरुद्ध निधि भी शामिल थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

कार्यालय	वर्ष	अनुच्छेद 275(1) में खर्च	उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी	ज.उ.यो. के अंतर्गत वि.के.स. में खर्च	उ.प्र.प. जारी
आ.क.आ.	2013-14	7.33	92.80	70.58	121.87
	2014-15	106.37	98.73	83.81	95.71
	2015-16	37.54	122.03	22.43	100.00



इस प्रकार पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित अव्यहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की प्रथा सतत रूप से जारी थी तथा इस अनियमितता को सुधारा नहीं गया था।

3.4.3.3 व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का अनियमित जमा

वैयक्तिक जमा खाते में निधि का अनियमित जमा

बैंक शेष के अलावा लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2013-16 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आ.क.आ. द्वारा ₹ 127.16 करोड़ की राशि आहरित कर झारखंड राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (झा.रा.अ.जा.वि.नि.) के खाते में अगले साल के आवंटन में कमी से बचने के लिए वैयक्तिक जमा खाते में जमा किया गया। नतीजतन वर्ष 2011 से 2016 के दौरान ₹ 163.59 करोड़ की राशि अव्यहृत शेष के रूप में वैयक्तिक जमा खाते में जमा की गई (मार्च 2016) जिसके फलस्वरूप जनजाति समुदाय को इच्छित लाभ से वंचित रखा गया।

इस प्रकार स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा अनुशंसा का कार्यान्वयन नहीं किया गया। निकास सम्मेलन (नवंबर 2016) में सचिव, कल्याण विभाग ने लेखापरीक्षा अनुशंसा का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुशंसा संख्या-3: सरकार को योजनाओं का क्रियान्वयन तेज करना चाहिए एवं परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.4.4 योजनाओं के पूरा होने में सतत विलंब

2012 के लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने सभी स.ज.वि.अ. को कुल 353 प्रोटोटाइप योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ₹ 255.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। स.ज.वि.अ. द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 187.78 करोड़ रुपये जारी किये गये, जिनमें से ₹ 173.23 करोड़ की राशि व्यय की गई। इस प्रकार स.ज.वि.अ. द्वारा ₹ 67.22 करोड़ रुपये कम जारी किए जाने तथा प्रोटोटाइप योजनाओं को विलम्ब से प्रारम्भ करने के कारण, 353 स्वीकृत इकाइयों में से सिर्फ 82 इकाइयाँ (23 प्रतिशत) पूर्ण हो पाईं।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसा की गई थी कि सरकार को योजनाओं का क्रियान्वयन तेज करना चाहिए एवं परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

3.4.4.1 जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सरकार द्वारा प्रोटोटाइप योजनाओं के अर्न्तगत फेज III से VII⁴ के कार्यों के लिए नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. को

जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अर्न्तगत लिए गए 127 इकाइयों में से सिर्फ 39 इकाई ही पूर्ण हो पाया। इसी तरह अनुच्छेद 275(1) के अर्न्तगत लिए गए 268 इकाइयों में से 57 इकाई ही पूर्ण हो पाया

⁴ फेज III: 2007-08 से 2009-10, फेज IV: 2010-11 से 2012-13, फेज V: 2011-12 से 2013-14, फेज VI: 2012-13 से 2014-15, फेज VII: 2013-14 से 2015-16

₹ 91.08 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। लिए गए 127 इकाइयों में से सिर्फ 39 इकाई ही पूर्ण हो पाया (31 प्रतिशत) और 88 इकाईयाँ अपूर्ण रह गई (विस्तृत परिशिष्ट-3.4.3 में)।

3.4.4.2 अनुच्छेद 275 (1) के तहत योजनाएं

नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. में अनुच्छेद 275 (1) के ली गई तहत योजनाओं के लिए संधारित अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि 2009-10 से 2015-16 के बीच 268 कार्य लिया गया, जिनमें ₹ 33.78 करोड़ रुपये व्यय से जुड़े 57 कार्य आज तक (जुलाई 2016) अपूर्ण हैं (विस्तृत परिशिष्ट-3.4.4 में)।

इस प्रकार स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया। निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, सचिव, कल्याण विभाग ने यह स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ क्रियान्वित नहीं की गईं।

अनुशंसा सं.-4: सरकार को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन मुहैया कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.4.5 मानव संसाधन का सतत अभाव

लेखापरीक्षा ने 2012 में यह पाया कि विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध महत्वपूर्ण पदों में बड़ी रिक्तियाँ थीं। नमूना जाँचित जिलों में यह देखा गया कि अतिरिक्त परियोजना निदेशक तथा सहायक परियोजना प्रबंधक का पद स.ज.वि.अ. आरंभ होने के समय फरवरी 2009 से रिक्त पड़ा हुआ था।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसा की गई कि सरकार को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन मुहैया कराना सुनिश्चित करना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. में 31 प्रतिशत पद रिक्त पड़ा हुआ है, जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
97	67	30 (31 प्रतिशत)

इसके अलावा, सभी नमूना-जाँचित स.ज.वि.अ. में यह पाया गया कि सहायक परियोजना प्रबंधक का पद, जो कि योजनाओं को बनाने, निगरानी तथा तकनीकी विशिष्टताओं के लिए जिम्मेदार है, रिक्त पड़ा था (परिशिष्ट-3.4.5)।

स.ज.वि.अ. ने मानव संसाधन की कमी की पुष्टि की और कहा कि इससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

इस प्रकार स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया। निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में सचिव, कल्याण विभाग ने यह स्वीकार किया

नमूना-जाँचित
स.ज.वि.अ. में 31
प्रतिशत पद खाली
रहना

कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया, लेकिन यह आश्वासन दिया कि इसे पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुशंसा सं.- 5 : योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर निर्धारित एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.4.6 निगरानी मानक निर्धारित नहीं

लेखापरीक्षा द्वारा 2012 में यह पाया गया कि निगरानी एवं मूल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था क्योंकि कोषांग में प्रभारी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। एक प्रशिक्षण अधिकारी और दो सहायकों को जुलाई 2008 से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, जो सिर्फ विभाग के डाटाबेस का प्रबन्धन करते थे। यहाँ तक कि एम.आई.एस. अधिकारी का पद जो मई 2009 से खाली था, को फरवरी 2011 तक नहीं भरा गया था। विगत तीन वर्षों से कोषांग कार्यरत नहीं था, जिसे पुर्नगठित (फरवरी 2011 में) किया गया जिसमें सचिव, कल्याण विभाग को अध्यक्ष, आदिवासी कल्याण आयुक्त (आ.क.आ.) को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी और उप सचिव/अवर सचिव, कल्याण विभाग को सदस्य और पाँच तकनीकी सलाहकार तथा पाँच कार्यालय कार्यकारी सम्मिलित थे। परन्तु, कोषांग कार्यरत नहीं किया जा सका क्योंकि सलाहकार और कार्यालय कार्यकारी की नियुक्ति दिसम्बर 2012 तक नहीं की गई थी।

स.ज.वि.अ. के स्तर पर, परियोजना कार्यान्वयन समिति (प.का.स.) को योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण समीक्षा बैठक 60 दिनों के नियमित अंतराल पर (वर्ष में छह बार) राज्य सरकार के आदेशानुसार (नवम्बर 2005) करना था। वर्ष 2007-12 के दौरान योजनाओं के प्रगति के अनुश्रवण से संबंधित निर्धारित 30 बैठकों के विरुद्ध केवल 24 समीक्षा बैठकें प्रत्येक प.का.स. के द्वारा आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, परियोजना निदेशक स्तर पर सरकार द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं बनाया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर निर्धारित एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया था।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग राज्य स्तर पर कार्यरत नहीं किया गया था (नवम्बर 2016)। कोषांग में अनुबंध पर नियुक्त, प्रशिक्षण पदाधिकारी तथा दो सहायक, विभाग के डाटाबेस का कार्य प्रबंधन, बिना अनुश्रवण कार्य किए, संभाल रहे थे जबकि एम.आई.एस. पदाधिकारी का पद मई 2009 से रिक्त था (नवम्बर 2016)।

पुनः विभाग योजनाओं के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए निर्धारित कार्यक्रम को परियोजना स्तर पर अंतिम रूप देने में विफल रहा। नमूना-जाँचित पाँच स.ज.वि.अ.

किसी भी स्तर पर निरीक्षण के लिए आवर्ती कार्यक्रम निर्धारित नहीं था

में निर्धारित 90 बैठकों के विरुद्ध केवल 29 प.का.स.⁵ बैठकों का आयोजन किया गया। बताए जाने पर स.ज.वि.अ. ने कहा कि विभाग/आ.क.आ. द्वारा कोई निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था लेकिन विशेष केन्द्रीय सहायता जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए तथा अनुच्छेद 275 (1) की योजनाओं का समय-समय पर स्थल निरीक्षण एवं योजनाओं का निरीक्षण किया जा रहा था। लेकिन जाँच अथवा स्थल निरीक्षण का कोई दस्तावेजी प्रमाण साक्ष्य के रूप में नहीं रखा गया। स.ज.वि.अ. के द्वारा यह भी बताया गया कि प.का.स. की बैठक प.का.स. के अध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। प्रभावी अनुश्रवण तंत्र का अभाव योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी का एक कारण था।

इस प्रकार स्वीकार किए गए लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया। निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में सचिव, कल्याण विभाग ने यह स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया। सचिव ने आगे यह आश्वासन दिया कि निगरानी एवं मूल्यांकन कोषांग जल्द ही कार्यात्मक बनाया जाएगा तथा अनुशंसाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा।

3.4.7 लाभार्थी सर्वेक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन

लेखापरीक्षा ने स.ज.वि.अ. के कर्मियों तथा गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ 19 प्रोटोटाइप योजनाओं का भौतिक सत्यापन (मई तथा जुलाई 2016) किया। भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सरायकेला-खरसावाँ में, कुचई प्रखण्ड के तिलोपड़ा गाँव में आग के कारण मलबरी वृक्षारोपण नष्ट हो गया था।
- राँची में बागवानी योजना के लिए चयनित स्थल अत्यंत जोखिम भरा था क्योंकि हाई टेंशन तार स्थल के उपर से गुजर रहा था।



आग के कारण मलबरी वृक्षारोपण नष्ट:
सरायकेला-खरसावाँ में, कुचई प्रखण्ड के तिलोपड़ा गाँव



बागवानी योजना के लिए चयनित स्थल गाम -
केरकेटा, राजाउलहातू, नामकुम, राँची

⁵ 2013-16 के दौरान प.का.स., दुमका: 6 बैठक; प.का.स., गुमला: 5 बैठक; प.का.स.लातेहार: 6 बैठक; प.का.स., राँची: 4 बैठक; और प.का.स., सराईकेला: 8 बैठक

- संयुक्त रूप से सत्यापित सभी शेष 17 योजनाएं अधूरी पाई गईं।

लाभार्थी सर्वेक्षण

योजनाओं के कार्यान्वयन से होने वाले लाभों को लक्षित लोगों से सीधे जानने के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया।

- लातेहार के जालिमखुर्द, बनहरदी और पाण्डेयपुरा में डेयरी विकास योजना के आच्छादित 63 लाभुकों में से 40 लाभुकों का विकास पदाधिकारी के साथ संयुक्त साक्षात्कार किया गया। योजना के अन्तर्गत पाया गया कि गौशाला का निर्माण किया गया था लेकिन गाय का वितरण लाभुकों के बीच नहीं किया गया। हालांकि, साक्षात्कार किए गए सभी लाभुकों ने कहा कि उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- गुमला में बताया गया कि कुल 367 व्यक्ति लाभुक हैं, जिनमें से 99 का साक्षात्कार किया गया, जिसमें से बागवानी के 61 लाभुक ने बताया कि उनकी आय में वृद्धि होना अभी भी बाकी है, जबकि उद्वह सिंचाई, जल संचयन एवं भूमि समतलीकरण योजना से संबंधित 38 लाभार्थियों ने कहा था कि योजनाओं के चालू होने के कारण उनके आय में वृद्धि हुई है।
- सरायकेला-खरसावाँ के सरायकेला प्रखण्ड के मांगुडीह गाँव के पोस्ट-कोकन योजना के 10 लाभार्थियों ने कहा कि योजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण उनके आय में वृद्धि नहीं हुई है। कुचई प्रखण्ड के कारालोर ग्राम के मलबेरी वृक्षारोपण योजना के आठ लाभार्थियों ने भी यही बात दोहराई।
- बहु स्तरीय फसल योजना से सम्बन्धित राँची के 90 में से 42 लाभार्थियों ने आय वृद्धि में संतोष व्यक्त किया।

3.4.8 निष्कर्ष और अनुशंसा

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में यह पता चला कि सरकार ने 2012 में स्वीकार्य अनुशंसाओं में से किसी भी अनुशंसा को लागू नहीं किया क्योंकि योजनाएँ बिना निचले स्तर से सूचना प्राप्त किए विभागीय स्तर पर बननी जारी रही। विभाग ने उपलब्ध राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित नहीं किया तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय सुनिश्चित किए बिना भारत सरकार को भेजना जारी रखा। योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा था क्योंकि वर्ष 2007-08 में ली गई योजनाएँ अभी तक अपूर्ण थीं। मानव संसाधन की कमी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक थी तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए कोई सुगठित संरचना का प्रयास नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा तथा विभाग द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन में ज्यादातर योजनाएँ अपूर्ण पाई गईं।

मेसो क्षेत्र में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिसम्बर 2012 में स्वीकार्य किए गए अनुशंसाओं का कार्यान्वयन सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय संरचना के अनुपालन लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियाँ तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के नियमों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत पाये गये। इनको विस्तृत उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

3.5.1 अनुत्पादक व्यय

कृषि महाविद्यालय की स्थापना में असफलता के कारण ₹ 18.21 करोड़ का अनुत्पादक व्यय

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार ने गढ़वा में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए ₹ 34.01 करोड़ की स्वीकृति दी जिसके लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा ₹ 20.09 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों तथा कर्मचारी आवासों इत्यादि के निर्माण लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (मार्च 2009)। कार्य उपनिदेशक (कार्य एवं प्लांट) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बि.कृ.वि.), कांके, रांची द्वारा कार्यान्वित किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में उद्घटित हुआ कि दिसम्बर 2012 में संवेदकों को ₹ 18.21 करोड़ (प्रशासनिक अनुमोदन का 90.64 प्रतिशत) का भुगतान किया गया। लेकिन नवम्बर 2016 तक बि.कृ.वि. द्वारा भवन का प्रभार नहीं लिया गया था और महाविद्यालय संचालन में नहीं था।

निदेशक, योजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण (यो.का.अ.) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यालय में अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2012-13 से कार्य करना था और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को चलाने के लिए 45 शैक्षणिक और 61 गैर-शैक्षणिक पद की स्वीकृति के लिए विभाग को बार-बार पत्राचार¹ किये गये थे। लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं मिली। यदि विभाग द्वारा सत्र 2012-13 से महाविद्यालय के संचालन के लिए प्रयास किया गया होता तो आज तक (नवम्बर 2016) 50 विद्यार्थी कृषि में स्नातक की उपाधि प्राप्त किए होते और 200 विद्यार्थी विभिन्न सेमेस्टर में अध्ययनरत होते। इस प्रकार विभाग की उदासीन दृष्टिकोण के कारण महाविद्यालय को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका और इस महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का

¹ ई 39-350/07-08 बी.ए.यू. (यो.का.अ.)-2683 दिनांक 16 जून 2010, ई 39-350/07-08 बी.ए.यू. (यो.का.अ.)-187 दिनांक-21 अप्रैल 2012, ई 39-350/07-08 बी.ए.यू.(यो.का.अ.)-01 दिनांक-06 अप्रैल 2013, एफ 39-432/12 बी.ए.यू.(यो.का.अ.)-07/सी. दिनांक 29 जनवरी 2014, ई 39-350/07-08 बी.ए.यू.(यो.का.अ.)-19 दिनांक 06 मई 2014.

वांछित लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा भवन की जीर्णता, चोरी और अनधिकृत कब्जा की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, सरकार की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा ₹ 18.21 करोड़ का किया गया व्यय अनुत्पादक एवं निरुद्ध बना रहा और जनता को शैक्षणिक सुविधा से वंचित होना पड़ा।

सरकार द्वारा कहा गया (जुलाई 2016) कि प्रारंभ में संस्थान को सरकारी-निजी भागीदारी रीति के अंतर्गत संचालित किया जाना था लेकिन निजी संस्थान द्वारा रुचि नहीं दिखाई गई। आगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (जून 2016) में महाविद्यालय को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई के रूप में संचालित करने और शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पदों के सृजन की प्रक्रिया की भी योजना थी और तब तक भवन का उपयोग कौशल विकास केन्द्र के रूप में किया जाना था।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि अक्टूबर 2015 में संशोधित झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के अनुसार, झारखण्ड लोक/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित और चयन के उपरांत वैध रूप से स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुलपति द्वारा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तथापि, स्वीकृत बल पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया (नवम्बर 2016)। आगे, तथ्य यह है कि दिसम्बर 2012 में निर्माण पूर्ण होने के बाद से भवन खाली पड़ा रहा और इसे कौशल विकास केन्द्र में उपयोग करने का दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया था (नवम्बर 2016)।

भवन एवं सड़क निर्माण विभाग

3.5.2 सरकार को हानि

खनन नियम के अनुपालन न होने के कारण सरकार को ₹ 9.68 करोड़ की हानि

झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली (झा.ल.ख.रि.नि.) 2004 के नियम 55 के अनुसार, लघु खनिजों की खरीदारी केवल पट्टेदारी अधिकृत डीलरों, परमिट धारकों से ही की जा सकती है जिसके लिए परिवहन चालान के साथ प्रपत्र 'ओ'² और 'पी'³ प्रस्तुत करना आवश्यक है। दावे के भुगतान में स्रोतों जहाँ से खनिज का क्रय किया गया हो और क्रय की मात्रा एवं भुगतान के मूल्य का विवरण शामिल रहेगी। विपत्र के भुगतान के लिए फार्म 'ओ' एवं 'पी' अनिवार्य है। यदि संवेदक द्वारा फार्म जमा नहीं किया जाता है तो प्रमंडल द्वारा विपत्र स्वीकार नहीं किया जाना था। प्राप्त प्रपत्र 'ओ' एवं 'पी' की छायाप्रति कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सत्यापन के लिए खनन विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। खनन विभाग द्वारा सत्यापन होने तक

² 'ओ' का संबंध 'ओथ' (शपथ)।

³ 'पी' का संबंध 'परटिकुलर' (व्योरा)।

संवेदक के विपत्र से दोगुनी दर पर रॉयल्टी को रोका जाना चाहिए था। यदि प्रस्तुत किया गया विवरण आंशिक या पूर्ण रूप से असत्य पाया जाता है तो धारा 54 (i) एवं (viii) के तहत वैसे प्राप्त खनिज अवैध खनन किया हुआ माना जाएगा और उपयोगकर्ता अभिकरण अवैध खनन के लिए जिम्मेदार होगा और खनिजों के लागत तक दण्ड भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) के दो प्रमण्डलों⁴ के अन्तर्गत दो पथ⁵ और पुल कार्य और भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) के एक प्रमंडल⁶ के अंतर्गत दो भवन⁷ कार्य की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि ₹ 9.68 करोड़ मूल्य के 78,033.32 घन मीटर (मी³) धातु, 64,594.1 मी³ पत्थर चिप्स, 9,688.69 मी³ बोल्टर, 40,249.28 मी³ बालू और 4,333.98 मी³ स्थानीय बालू संवेदकों ने उपरोक्त कार्यों को कार्यान्वित करने में उपयोग किया। यह पता चला कि संवेदकों द्वारा फार्म 'ओ' एवं 'पी' प्रस्तुत नहीं किये गये थे। फलस्वरूप, अधिकृत खदान से खरीद की स्रोतों का पता नहीं लगाया जा सका और संवेदकों द्वारा प्रस्तुत विपत्रों को प.नि.वि. एवं भ.नि.वि. के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। हालाँकि, नियमानुसार धारा 54 (i एवं viii) के तहत दण्ड जैसा ग्राह्य हो, अवैध खनन स्थल पर लगने वाले भाड़ा/करों के साथ खनिज के मूल्य तक ₹ 9.68 करोड़ संवेदकों पर आरोपित नहीं किया गया।

इस प्रकार, खनन नियम का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण सरकार को खनिजों के लागत स्वरूप ₹ 9.68 करोड़ की हानि हुई। (परिशिष्ट-3.5.1 (i) एवं (ii))

लेखापरीक्षा में आपत्ति उठाये जाने पर (मई 2016 एवं जुलाई 2016) कार्यपालक अभियंताओं ने अपने जवाब में बताया कि संवेदक को प्रपत्र 'ओ' एवं 'पी' प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रपत्र 'ओ' एवं 'पी' के बिना भुगतान के लिए संवेदकों द्वारा प्रस्तुत विपत्रों को स्वीकार करने में कार्यपालक अभियंता की कार्यवाही झा.ल.ख.रि. नियमों का उल्लंघन था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2016) था; जिसका उत्तर स्मार पत्रों⁸ के बावजूद अप्राप्त था (नवम्बर 2016)।

⁴ पथ निर्माण प्रमण्डल, लातेहार एवं राँची।

⁵ लातेहार-सरयू-कोटम (गारू) पथ 0 किमी से 32 (एम.डी.आर. 249) का निर्माण एवं भंडार चौक (एन.एच.-75) से बुड़मु पथ (0 से 14.80 किमी) का पुनर्निर्माण।

⁶ विशेष कार्य प्रमंडल, भ.नि.वि., राँची

⁷ राँची में नया हाई कोर्ट का निर्माण एवं झारखण्ड विधिक एकेडमी का निर्माण

⁸ स्मार पत्र सं.- रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2015-16/235 दिनांक: 07 सितम्बर 2016 और 268 दिनांक: 04 अक्टूबर 2016

3.5.3 परिहार्य व्यय

शासकीय आदेशों के उल्लंघन से सड़क कार्य के पूर्णता के लिए अत्यधिक समय की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सड़क कार्य के पूर्णता की अनुसूचि के निर्धारण के लिए भारतीय सड़क कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार ने एक आदेश जारी किया (अगस्त 2007) कि योजनामद के अंतर्गत 15 कि.मी. के लम्बाई तक की सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 10 महीनों से अधिक का समय नहीं होगा एवं निर्धारित समय के विचलन की अनुमति नहीं होगी। पुनः, पथ निर्माण विभाग ने निर्णय लिया (नवम्बर 2007) कि यदि कोई मूल्य समायोजन हो तो यह केवल उस प्रोजेक्ट तक सीमित होगा जिसका मूल्य ₹ 2.50 करोड़ से अधिक हो एवं जिसकी पूर्णता की अनुसूचि एक वर्ष से अधिक हो। यह भी निर्णय लिया गया कि इन नियमों को स्टैंडर्ड बिडिंग डौक्यूमेंट (एस.बी.डी.) व्यवस्था में शामिल किया जाय।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, लातेहार के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2016) से उद्घटित हुआ कि चंदवा-महुआमिलान-मैकलुस्कीगंज (चं.म.मै.) सड़क, खण्ड-I (कि.मी. 0 से 8 कि.मी तक), खण्ड-II (कि.मी. 9 से कि.मी 16 तक) और चं.म.मै. सड़क खण्ड-III (कि.मी. 17 से कि.मी. 23.8 तक) की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना में प्राक्कलित राशि ₹ 8.78 करोड़ से ₹ 12.37 करोड़ के बीच थी और उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यों की पूर्णता के लिए समयावधि 15 महीना और 18 महीना निर्धारित की गई। कार्यपालक अभियंता ने एक संवेदक के साथ ₹ 37.10 करोड़ के तीन एस.बी.डी. एकरारनामा निष्पादित किये (फरवरी 2014 से मार्च 2014 के बीच), जिसमें मूल्य समायोजन शर्त शामिल था। संवेदक को ₹ 39.58 करोड़ का भुगतान हुआ (खण्ड-I: ₹ 16.58 करोड़, खण्ड-II: ₹ 12.32 करोड़, खण्ड-III: ₹ 10.68 करोड़) जिसमें ₹ 2.52 करोड़ का मूल्य समायोजन शामिल था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय निविदा समिति ने सरकार (प.नि.वि.) द्वारा सड़क कार्य के लिए निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया। आगे, अनुमत्य समय सीमा से विचलन को न्यायोचित ठहराने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं था।

इस प्रकार, निविदा आमंत्रित करते समय सड़क कार्यों की पूर्णता हेतु शासकीय आदेश के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ का मूल्य समायोजन का परिहार्य भुगतान हुआ (परिशिष्ट-3.5.2)।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि वामपंथ अतिवादी (वा.अ.) जिलों में कार्यान्वित किए जाने वाले पथ कार्य हेतु समयावधि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया गया था जिसमें पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु आवश्यक संचालित समय को शामिल करते हुए 18 दिन प्रति कि.मी. के साथ अधिकतम 24 महीना निर्धारित था।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देश पर आधारित समय सीमा जिसपर टिप्पणी की गयी है, उसे झारखण्ड सरकार द्वारा फरवरी 2014 में अंगीकृत किया गया जबकि कार्य के लिए निविदा सूचना नवम्बर 2012 से फरवरी 2013 के मध्य निर्गत की गयी जिसमें 2007 के नियमानुसार 15 कि.मी. तक के पथ के निर्माण के लिये 10 महीना का अनुमत्य समय प्रभावी था। यद्यपि, पूर्णता हेतु समय अभियंता प्रमुख द्वारा संदर्भित विभागीय पत्र के अनुसार संगणित है, दिए गए समय को उचित सिद्ध नहीं करता है।

यह मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जून 2016); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

3.5.4 निष्फल व्यय

भूमि अधिग्रहण किए बिना कार्य प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप ठप पुल पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय

झारखण्ड लोक कार्य विभाग (झा.लो.का.वि.) की संहिता के नियम 132 के अनुसार, अत्यावश्यक कार्य जैसे कि दरारों के मरम्मत आदि को छोड़कर कोई कार्य उस भूमि पर आरम्भ नहीं करना चाहिए जिसे एक उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिगृहित नहीं कर लिया गया हो। पुनः, जब तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया गया हो, निधि का आवंटन सुनिश्चित किया गया हो एवं भूमि अधिगृहित किया गया हो, तभी निविदा⁹ की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। एस.बी.डी. अनुबन्ध की शर्त के खण्ड 21.1 भी संवेदक को स्थल के सभी भागों के अधिकार देने के लिए नियोक्ता को आदेश प्रदान करता है।

वर्ष 2012-13 में खौरी महुआ-धनवार-सरिया पथ पर 26 वें कि.मी. में बटलोहिया नदी पर 24 मीटर के पाँच पाटों के 123.04 मीटर लम्बाई के उच्च स्तरीय पुल का निर्माण का कार्य लिया गया था। कार्य के लिए उप-सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) झारखण्ड, राँची द्वारा ₹ 6.10 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया (फरवरी 2013) और मुख्य अभियंता (मु.अ.) केन्द्रीय आरेख संगठन (के.आ.सं.) प.नि.वि., राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (फरवरी 2013)। प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार 500 डिसमील भूमि अधिगृहित किया जाना था।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ प्रमण्डल कोडरमा के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ (जनवरी 2016) कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, कोडरमा द्वारा भूमि अधिग्रहण किए बिना ₹ 6.26 करोड़ के प्राक्कलित लागत के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी (जुलाई 2013)। विभागीय निविदा समिति

⁹ कैबिनेट सचिवालय और समन्वय विभाग (सतर्कता प्रकोष्ठ) के प्रावधान (जापन सं. 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 के अनुच्छेद 4.5 और 7.5) के अनुसार बि.लो.का.वि. संहिता में शामिल।

के अनुमोदन पर मई 2014 तक कार्य पूर्ण करने के लिए ₹ 6.16 करोड़ पर एक संवेदक को कार्य आवंटित किया गया (अगस्त 2013)।

संवेदक को कार्यादेश (नवम्बर 2013) निर्गत करने के पश्चात कार्यपालक अभियंता ने उपायुक्त (डी.सी.) गिरीडीह को 2.07 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया (दिसम्बर 2013)। बाद में, सहायक अभियंता, बिरनी अनुमण्डल ने कार्यपालक अभियंता को सूचित किया (जनवरी 2014 और मार्च 2014) कि स्तंभ कार्य के कार्यान्वयन के बाद जनवरी 2014 से कार्य रोक दिया गया था क्योंकि रैयती भूमि को अधिग्रहित नहीं किया जा सका था। यह भी पाया गया कि संवेदक द्वारा रैयती के बाधाओं का सामना किए जाने के बारे में कार्यपालक अभियंता को बार-बार सूचित¹⁰ किया गया। जुलाई 2015 में यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्य 15 महीने तक रोका गया था।

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नवम्बर 2013 से जनवरी 2016 तक संवेदक को ₹ 1.18 करोड़ का भुगतान किया गया जो निष्फल बना रहा।

उत्तर में कार्यपालक अभियंता ने कहा कि पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया जायगा, जो कुछ पहलुओं में प्रगति के अधीन है।

कार्यपालक अभियंता का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि भूमि अधिग्रहण किए बिना कार्य प्रारंभ करना झारखण्ड लोक कार्य विभाग संहिता तथा संविदा की शर्तों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, कार्य में रुकावट और पुल निर्माण के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।



खोरी-महुआ-धनबार-सरिया पथ के 26वें कि.मी. में बटलोहिया नदी पर उच्चस्तरीय अपूर्ण पुल को दर्शाती तस्वीर

¹⁰ पत्र दिनांक 12 फरवरी 2014, 30 अगस्त 2014, 23 सितम्बर 2014, 03 नवम्बर 2014, 15 जनवरी 2015

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था(जून 2016); स्मार पत्रों¹¹ के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

कल्याण विभाग

3.5.5 निष्फल व्यय

त्रुटिपूर्ण वि.प.प्र. (डी.पी.आर.) के अनुमोदन के कारण राँची में महिला पॉलिटिकल के निर्माण में ₹ 8.00 करोड़ का निष्फल व्यय

सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (अ.का.मं.), भारत सरकार (भा.स.) ने राँची के थड़पखना में एक महिला पॉलिटिकल ₹ 12.30 करोड़¹² के कुल लागत पर जिसमें ₹ 8.00 करोड़ असैनिक कार्य एवं ₹ 4.30 करोड़ ऊपस्कर, मशीन, पुस्तक आदि के लिए सम्मिलित है, निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) दिया (मार्च 2012)। इसके आलोक में राज्य सरकार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के मापदंड एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप महिला पॉलिटिकल के अधिष्ठापन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) तैयार करना अपेक्षित था। प्र.अ. के अनुसार, यदि लागत निर्धारित लागत से 10 प्रतिशत अधिक विचलित होता है तो राज्य सरकार को वि.प.प्र. के साथ पुनरीक्षित अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजना होगा, जो श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के परामर्श से जाँचित होगी और अंतिम निर्णय अधिकार प्रदत्त समिति की होगी जो अ.का.मं. के द्वारा गठित होगा, इसके बाद ही निविदा प्रकाशित की जाएगी।

जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने कार्य कार्यान्वित करने लिए उपायुक्त (डी.सी.), राँची को ₹ 12.30 करोड़¹³ स्वीकृत एवं आवंटित (सितम्बर 2012) किया। स्वीकृति के आधार पर उपायुक्त राँची ने कार्य कार्यपालक अभियंता (का.अ.) जिला परिषद (जि.प.), राँची को सौंपा (अक्टूबर 2012) जिसने ₹ 12.30 करोड़ का वि.प.प्र. तैयार किया (दिसम्बर 2012)। मुख्य अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी गई (दिसम्बर 2012)। इसमें प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण संबंधी भवन समूह के निर्माण लिए ₹ 8.00 करोड़ और कार्यशाला के निर्माण लिए ₹ 4.30 करोड़ सम्मिलित थे। इस प्रकार, भा.स. और राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के उल्लंघन में ₹ 8.00 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध असैनिक कार्य के लिए ₹ 12.30 करोड़ स्वीकृत की गई।

¹¹ स्मार पत्र सं.- रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2015-16/120 दिनांक: 03 अगस्त 2016, 231 दिनांक: 06 सितम्बर 2016 और 273 दिनांक: 23 अक्टूबर 2016

¹² ₹ 11.31 करोड़ भारत सरकार के द्वारा और ₹ 0.98 करोड़ कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के द्वारा प्रदत्त।

¹³ प्रथम किस्त (17 जुलाई 2013) ₹ 6.15 करोड़ और द्वितीय किस्त (19 अगस्त 2015) ₹ 6.15 करोड़ क्रमशः

संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि का.अ., जि.प. ने स्वीकृत वि.प.प्र., विशेष सचिव, कल्याण विभाग को अग्रेसित (दिसम्बर 2012) किया। यद्यपि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की कि वि.प.प्र. में कार्य का स्वीकृत लागत, भारत सरकार और झारखण्ड सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप था। त्रुटिपूर्ण वि.प.प्र. और तकनीकी स्वीकृति पर आधारित का.अ., जि.प., राँची ने ₹ 12.58 करोड़ के असैनिक कार्य हेतु एक संवेदक के साथ एकररानामा निष्पादित किया (जून 2013)। इस प्रकार, असैनिक कार्य, भारत सरकार और राज्य सरकार से दी गयी स्वीकृति से ₹ 4.58 करोड़ अधिक था। यद्यपि, इसे पुनरीक्षित अनुमोदन हेतु अ.का.मं के पास भेजा जाना अपेक्षित था, असैनिक कार्यों के अत्यधिक प्रावधान को नियमित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये (जून 2016)।

इसी दौरान, ₹ 8.00 करोड़ से अधिक की राशि निर्गत करने से कल्याण विभाग ने इनकार कर दिया जिसके कारण संवेदक ने ₹ 8.32 करोड़ का असैनिक कार्य पूरा कर आगे का कार्य रोक दिया (अक्टूबर 2015)। उपायुक्त, राँची ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया, किन्तु नवम्बर 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, का.अ., जि.प., राँची के द्वारा त्रुटिपूर्ण डी.पी.आर. तैयार करने और कल्याण विभाग के द्वारा समय पर इसका सुधार करने में विफल होने के परिणामस्वरूप कार्य बीच में ही रूक गया, परिणामतः, अपूर्ण कार्य पर ₹ 8.00 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ और कार्य अवरूद्ध पड़ा रहा।

यद्यपि, सरकार ने गलती स्वीकार की (अगस्त 2016) और कहा (सितम्बर 2016) कि अ.का.मं के अधिकार प्रदत्त समिति के द्वारा निर्धारित शर्तों को विशेष रूप से उल्लेख किये बिना, प्रारम्भिक चरण में ही भवन के निर्माण के लिए गलत स्वीकृति पत्र निर्गम के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2015 से कार्य में रुकावट आयी। आगे, यह कहा गया कि विभाग ने भवन को ₹ 12.30 करोड़ के लागत पर पूर्ण करने का निर्णय लिया था जिसे पैन आई.आई.टी. के साथ (एक अलाभकारी संगठन) संयुक्त उपक्रम कंपनी की तरह चलाया जाएगा।

तथ्य, हालाँकि, वही है कि समापन की अधिसूचित तिथि से 20 महीनों से अधिक बीत जाने के बाद भी भवन पूरा नहीं किया गया था और साथ ही छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा मुहैया करने के अभिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग

3.5.6 निरर्थक व्यय

वि.प.प्र. के त्रुटिपूर्ण तैयारी एवं अनुमोदन के फलस्वरूप पुल का परित्याग एवं ₹ 5.60 करोड़ का निरर्थक व्यय।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने गम्हरिया ब्लॉक के गांजियाघाट में एक उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु ₹ 13.37 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) प्रदान किया (अक्टूबर 2010)। मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने कार्य की तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्रदान की (दिसम्बर 2010) एवं कार्यपालक अभियंता (का.अ.) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (ग्रा.वि.वि.प्र.) सरायकेला ने दिसम्बर 2012 तक कार्य को पूरा करने हेतु एक संवेदक के साथ ₹ 13.03 करोड़ का एकरारनामा संपादित किया (दिसम्बर 2010)।

ग्रा.वि.वि.प्र., सरायकेला के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) से उद्घटित हुआ कि संवेदक ने ₹ 5.60 करोड़ का कार्य संपादित किया था (अगस्त 2012) और इसके पश्चात का.अ. को पहुँच पथ हेतु जमीन, संशोधित रेखांकन एवं नक्शा प्रदान करने के अनुरोध¹⁴ के साथ कार्य बंद कर दिया। कार्य पूर्ण कराने हेतु संवेदक के साथ पत्राचार¹⁵ एवं एक प्रेस विज्ञप्ति (मई 2014) के बावजूद संवेदक ने कार्य को दुबारा से प्रारंभ नहीं किया। परिणामस्वरूप, संवेदक को सूचित करते हुए कार्य की अंतिम मापी ले ली गयी (मई 2014) एवं एकरारनामा रद्द कर दिया गया (जून 2014)।

संवीक्षा से आगे उद्घटित हुआ कि निर्माणाधीन पुल का स्थल खरकई बैराज के प्रस्तावित स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर धारा के प्रवाह की ओर स्थित था। केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.), नई दिल्ली ने गांजिया में खरकई



संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान प्राप्त परित्यक्त पुल की तस्वीर

बैराज का निरीक्षण किया (जून 2014) और कहा कि बैराज से प्रवाह पुल की नींव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान

¹⁴ दिनांक 30 जुलाई 2011, 17 जुलाई 2012, 29 नवम्बर 2012, 26 अप्रैल 2013

¹⁵ पत्र सं. 994 दिनांक: 13 जुलाई 2012; पत्र संख्या 1116 दिनांक: 11 अगस्त 2012; पत्र सं. 1433 दिनांक: 19 अक्टूबर 2012; पत्र सं. 1567 दिनांक: 23 नवम्बर 2012; 666 दिनांक: 02 अप्रैल 2013

केन्द्र (के.ज.वि.अ.के), पुणे ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2014) कि पुल के पायों का संरेखन बैराज के प्रवाह से तिर्यक था, जिसके कारण अपरदित गहराई में आगे वृद्धि होती जायेगी। यह आगे प्रतिकूल स्थितियाँ पैदा कर सकती है एवं इस प्रकार पुल के नींव की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। परिणामस्वरूप, अभियंताओं की एक संयुक्त बैठक¹⁶ (मई 2015) के पश्चात सरकार द्वारा जनवरी 2016 में पुल को परित्यक्त घोषित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि गांजिया में खरकई नदी पर बैराज का निर्माण सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना के तहत 1982 में प्रस्तावित किया गया था एवं बैराज की एक विन्यास योजना का केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन ने 1983 में सुझाव दिया था। फिर भी, इस उच्चस्तरीय पुल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) को तैयार करते समय इन मुद्दों को न तो परामर्शी द्वारा अभिलेखित किया गया और न ही पुल कार्य की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व विभाग द्वारा सत्यापित किया गया। परिणामस्वरूप, वि.प.प्र. का त्रुटिपूर्ण तैयारी एवं अनुमोदन हुआ जिसके कारण पुल कार्य का परित्याग करना पड़ा और पुल निर्माण पर किया गया संपूर्ण व्यय ₹ 5.60 करोड़ निरर्थक हो गया।

ग्रा.वि.वि. (ग्रामीण कार्य मामले) (ग्रा.का.मा.) ने कहा (सितम्बर 2016) कि के.ज.आ. के अनुशंसाओं के आलोक में पुल का परित्याग किया गया चूंकि खरकई बैराज के निर्माण के कारण पुल की सुरक्षा खतरे में थी। पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा परित्यक्त पुल के स्थान पर एक नये पुल के निर्माण हेतु एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा था एवं व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प.नि.वि. द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

सरकार का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इसमें वि.प.प्र. की तैयारी एवं अनुमोदन में उन महत्वपूर्ण विवरणियों को शामिल करने में विफलता रहा जिससे कि एक अनुपयुक्त स्थल पर पुल निर्माण प्रारंभ करने से पहले संसूचित निर्णय ली जा सके, इन लापरवाही के मुद्दों को जबाब में संबोधित नहीं किया गया।

¹⁶ मु.अ, सुवर्णरेखा परियोजना इंचा गालूडीह; मु.अ, अ.अ. एवं का.अ., ग्रा.वि.वि.प्र., अ.अ. एवं का.अ. खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर द्वारा उपस्थिति।

3.5.7 निष्फल व्यय

संपूर्ण पहुँच पथों को पूर्ण किये बिना पुल के निर्माण के फलस्वरूप ₹ 4.31 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता¹⁷ विस्तृत प्राक्कलन के अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रिया के समाप्त होने से पहले भूमि अधिग्रहण का प्रावधान करता है एवं तकनीकी स्वीकृति से पहले भूमि अधिग्रहण पर जोर देता है।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), झारखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (मु.म.ग्रा.से.यो.) के अंतर्गत साहेबगंज के बरहरवा प्रखंड में आंग्लोई एवं बड़ा चांदपुर के मध्य गुमानी नदी के आर पार उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु ₹ 4.25 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) प्रदान किया (मार्च 2012)। मुख्य अभियंता, (ग्रा.वि.वि.) ने कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2012) जिसमें 233 मीटर का पहुँच पथ (124 मीटर आंग्लोई की ओर एवं 109 मीटर चांदपुर की ओर) भी सम्मिलित था एवं इस पर कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (ग्रा.वि.वि.प्र.), साहेबगंज ने अप्रैल 2014 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक संवेदक के साथ ₹ 4.47 करोड़ का एक एकरारनामा संपादित किया (नवम्बर 2012)।

ग्रा.वि.वि.प्र. साहेबगंज के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2015) में उद्घटित हुआ कि ₹ 4.31 करोड़ खर्च करने के पश्चात भी अगस्त 2015 तक पुल का निर्माण एवं 233 मीटर पहुँच पथ के प्रावधान के विरुद्ध 90 मीटर पहुँच पथ (60 मीटर चांदपुर की ओर एवं 30 मीटर आंग्लोई की ओर) का निर्माण ही पूर्ण किया गया था। अनुमोदित वि.प.प्र. के अनुसार कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए का. अ. द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

आगे, उपायुक्त, साहेबगंज के आदेश पर लेखापरीक्षा एवं कनीय अभियंता (क.अ.), ग्रां.वि.वि.प्र., साहेबगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरहरवा एवं बरहेट द्वारा संपादित कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2016 एवं अगस्त 2016) के दौरान यह पाया गया कि चांदपुर की ओर पहुँच पथ¹⁸ एक घर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था जिससे पथ अनुपयोगी हो चुका था जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है।

¹⁷ परिशिष्ट 'अ'- मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सतर्कता प्रकोष्ठ) संकल्प सं.- 948, दिनांक 16 जुलाई 1986; बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 4.5 एवं 7.5 जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया।

¹⁸ 109 मीटर के विरुद्ध मात्र 60 मीटर पहुँच पथ का निर्माण किया गया।

आगे, भौतिक सत्यापन के आधार पर उपायुक्त, साहेबगंज ने भी प्रतिवेदित किया (अगस्त 2016) कि घर को हटाये बिना एवं संपूर्ण पहुँच पथ को पूर्ण किये बिना पुल से वाहनों का उचित आवागमन संभव नहीं था।



संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पुल के पहुँच पथ की ली गई तस्वीर

इस प्रकार, वि.प.प्र. के अनुसार पहुँच पथ को पूर्ण करने में विफलता से नागरिकों को

उनके ग्रामों, आंग्लोई एवं चांदपुर को पुल के द्वारा संपर्कता प्रदान करने के अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी एवं अब तक किये गये खर्च ₹ 4.31 करोड़ भी निष्फल हो गया।

ग्रा.वि.वि. (ग्रामीण कार्य मामले) (ग्रा.का.मा.) ने कहा (अगस्त 2016) कि पुल पहुँच पथों के साथ पूर्ण किया जा चुका है एवं पुल से आवागमन जारी है। विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि उपायुक्त, साहेबगंज के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (अगस्त 2016) के अनुसार घर को हटाये बिना एवं संपूर्ण पहुँच पथ को पूर्ण किये बिना पुल से वाहनों का उचित आवागमन संभव नहीं था।

3.5.8 परिहार्य व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के अनियमित उन्नयन के परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ का परिहार्य व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.ग्रा.स.यो.) के परिचालन नियमावली (प.नि.) की कंडिका 1.6.4 के अनुसार, सड़क द्वारा केवल एकमात्र संपर्कता प्रदान की जानी थी। यदि एक निवास स्थल दूसरे निवास स्थल से (अथवा एक बारहमासी सड़क से) एक बारहमासी सड़क द्वारा पहले से ही जुड़ा हुआ है, तब प्र.ग्रा.स.यो. के तहत आगे कोई कार्य नहीं लिया जा सकता है। फिर भी, उपरोक्त की कंडिका 3.3.3 के अनुसार यदि एक जिला में नई संपर्कता प्रदान करने हेतु कोई सड़क लिया जाना शेष न हो तो वैसी सड़कों को उन्नयन हेतु लिया जा सकता है जो 10 वर्ष से पुरानी हैं।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल (ग्रा.का.प्र.), चक्रधरपुर द्वारा करायकेला से ओटार के बीच का सड़क कार्यान्वयन हेतु आवंटित किया गया (अगस्त 2008)। संवीक्षा (मई 2015) में उद्घटित हुआ कि ₹ 1.17 करोड़ खर्च करने के पश्चात कार्य मार्च 2012 में पूर्ण हो गया। पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों के लिए

(2012-17) क्षतिनिवारण उत्तरदायित्व अवधि (क्ष.नि.उ.अ.) में होने के कारण संवेदक को स्वयं के खर्च पर इसका रख-रखाव करना था।

झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (झा.रा.ग्रा.स.वि.प्रा.) ने कंडिका 3.3.3 का उल्लंघन करते हुए प्र.ग्रा.स.यो. के 12वें चरण के अंतर्गत इसी सड़क के उन्नयन कार्य का प्रस्ताव दिया (नवम्बर 2013)। यद्यपि यह सड़क अभी 10 वर्षों से पुरानी नहीं हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने ₹ 5.36 करोड़ पर उन्नयन कार्य की मंजूरी प्रदान की (फरवरी 2014)। झा.रा.ग्रा.स.वि.प्रा. ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी निगम (ने.प्रो.कं.कं.नि.), राँची को कार्य का आवंटन किया जिसने एक संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया (जून 2014) और इस कार्य पर जुलाई 2016 तक ₹ 3.87 करोड़¹⁹ का खर्च किया गया।

इस प्रकार, करायकेला ओटार सड़क का उन्नयन प्र.ग्रा.स.यो. के दिशानिर्देशों के साथ-साथ संविदित क्ष.नि.उ.अ. दोनों का अतिक्रमण था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ एवं पूर्ववर्ती संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जिसको सड़क के रख-रखाव पर खर्च करना पड़ता।

उत्तर में, ग्रा.वि.वि. (ग्रामीण कार्य मामले) (ग्रा.का.मा.) ने कहा (सितम्बर 2016) कि पूरे प्रकरण का अनुसंधान क्षेत्रीय प्रबंधक, ने.प्रो.कं.कं.नि. द्वारा की जा रही थी एवं अनुसंधान प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। की गयी कार्रवाई, यदि कोई थी, से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था (नवम्बर 2016)।

3.5.9 निष्फल व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पुल के निर्माण के परिणामस्वरूप बीच में ही कार्य का बंद हो जाना एवं ₹ 1.64 करोड़ का निष्फल व्यय।

झारखण्ड लोक निर्माण विभागीय (लो.नि.वि.सं.) संहिता के नियम 132 के अनुसार, आकस्मिक कार्य, जैसे दरारों की मरम्मत इत्यादि को छोड़कर कोई भी कार्य वैसे भूमि पर प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदायी असैनिक पदाधिकारी द्वारा सही प्रकार से उपलब्ध न करायी गयी हो।

चंदनकियारी मुनिडीह (गंसाडीह-सुईयाडीह सड़क) में दामोदर नदी पर पहुँच पथ के साथ एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु ₹ 4.46 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने प्रदान किया (मार्च 2009)। इस पर मुख्य अभियंता (मु.अ.), ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र (ग्रा.वि.वि.प्र.), राँची ने तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्रदान की (फरवरी 2009)। नवम्बर 2010 तक कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रामीण

¹⁹ 11वाँ चलन्त लेखा विपत्र

विकास विशेष प्रमंडल (ग्रा.वि.वि.प्र.), धनबाद द्वारा एक संवेदक के साथ ₹ 4.41 करोड़ का एकरारनामा संपादित किया गया (अगस्त 2009)।

का.अ, ग्रा.वि.वि.प्र., धनबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2016) में उद्घटित हुआ कि पुल का अवेटमेंट, एप्रोच स्लैब एवं पहुँच पथ निजी भूमि में पड़ता था। संवेदक ने का.अ. से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था (मार्च 2012) लेकिन का.अ. ऐसा करने में विफल रहे। संवेदक ने ₹ 1.64 करोड़²⁰ का खर्च करने के पश्चात कार्य को बंद कर दिया (जून 2011)। सरकार द्वारा संवेदक को एकरारनामा की शर्तों से मुक्त कर दिया गया (जुलाई 2012)। सरकार द्वारा संविदा बंद कर दिया गया (जुलाई 2012)।

आगे यह भी पाया गया (मई 2015) कि पुल निर्माण का स्थल तत्कालीन का.अभि. द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के मुनिडीह-गंसाडीह-सुईयाडीह सड़क से परिवर्तित कर मुनिडीह-सुईयाडीह सड़क कर दिया गया था।

इस प्रकार, का.अ. द्वारा पुल के स्थल में अनियमित परिवर्तन, उनके द्वारा पहुँच पथ की भूमि का अधिग्रहण करने में विफलता एवं आवश्यक भूमि अधिग्रहण को सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप कार्य बीच में ही बंद हो गया एवं ₹ 1.64 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि पहुँच पथ के निजी भूमि में पड़ने एवं ग्रामीणों द्वारा पुल निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के कारण एकरारनामा बंद कर दिया गया। सरकार ने यह भी कहा कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बि.प्रौ.सं.), मेसरा, राँची द्वारा पुल के निरीक्षण के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया था एवं अंचलाधिकारी, धनबाद से निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (अ.प्र.प.) प्राप्त किया जा चुका था। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन दो का.अ. के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जा चुकी थी। आगे यह भी कहा गया कि उसी संरचना पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव है इसलिए ₹ 1.64 करोड़ का व्यय निष्फल नहीं रह जाएगा (अगस्त 2016)।

जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अंचलाधिकारी, धनबाद ने सरकारी भूमि के अधिग्रहण हेतु अ.प्र.प. प्रदान किया था न कि निजी भूमि हेतु जो पहुँच पथ के निर्माण हेतु आवश्यक था। इस प्रकार, निजी भूमि के अधिग्रहण के बिना किस प्रकार से पुल का निर्माण पूर्ण होगा, इसे उत्तर में संबोधित नहीं किया गया था।

²⁰ 7वें चलंत लेखा विपत्र तक, दिनांक 06 जून 2011

3.5.10 निष्फल व्यय

संवेदक को अनियमित आवंटन एवं अनुचित लाभ पहुँचाए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ का निष्फल व्यय।

निविदा आमंत्रण सूचना की कंडिका 1.15, निविदादाता को ₹ एक करोड़ के ऊपर के कार्य हेतु चालू हालत²¹ में सड़क निर्माण उपकरणों का उनके पास स्वामित्व रखने का अधिदेश देता है। आगे, उपरोक्त की कंडिका 1.18 के अनुसार निविदादाताओं के लिए चालू हालत वाली सड़क निर्माण उपकरणों एवं मिट्टी प्रसारक उपकरणों के वास्तविक स्वामित्व से संबंधित प्राधिकृत वैध प्रमाणपत्र अपने निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

राज्य संपोषित योजना के तहत पी डब्ल्यू डी सड़क रंगारबेरा से उरुसिया हवाईपट्टी (4.975 कि.मी) और पी.डब्ल्यू.डी. सड़क मेरोमसाई से तोडांगहातु (6.50 कि.मी.) के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (मु.अ.), ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) द्वारा प्रदान की गयी (जनवरी 2011) एवं क्रमशः ₹ 1.13 करोड़ एवं ₹ 1.83 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) ग्रा.का.वि. झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किया गया (जून 2011) था। निविदा की पूर्णता पर (अगस्त 2011) दोनों कार्यों को सितम्बर 2012 तक पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता (का.अ.), ग्रा. का. प्र. चाईबासा द्वारा एक संवेदक के साथ क्रमशः ₹ 1.11 करोड़ एवं ₹ 1.81 करोड़ का एकरारनामा संपादित किया गया (सितम्बर 2011) था।

का.अ., ग्रामीण कार्य प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा में (दिसम्बर 2015) उद्घटित हुआ कि चयनित संवेदक ने चालू हालत वाली सड़क निर्माण उपकरणों के स्वामित्व से संबंधित वैध प्रमाण पत्र जो कि निविदा में अर्हता प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त थी, जमा नहीं किया था। संवेदक द्वारा जमा किये गये तुलन पत्र भी इसी तथ्य की पुष्टि करते थे। इस प्रकार, संवेदक अयोग्य था, लेकिन अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), चाईबासा अंचल की अनुशंसाओं के आधार पर मु.अ. द्वारा संवेदक के पक्ष में निविदा को अनुमोदित कर दिया गया (अगस्त 2011)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संवेदक ने दोनों सड़कों का कार्य केवल वाटर बाउन्ड मेकाडेम (वा.बा.मे.) के ग्रेड-III स्तर तक ही संपादित किया और बिना कारण ही कार्य के आगे का कार्यान्वयन बंद कर दिया था (अगस्त 2012)। का.अ. ने ₹ 1.53 करोड़²² के भुगतान कर कार्य बंद होने के 22 महीनों के उपरान्त समीक्षा समिति के आदेश (जून 2014) पर एकरारनामाओं को समाप्त कर दिया (जुलाई 2014)। का.अ. ने संवेदक को काली सूची में डालने की भी अनुशंसा कर दी। फिर भी दोषी संवेदक के

²¹ (i) डीजल रोड रॉलर (2 संख्या), (ii) मीनी हॉट मिक्स प्लान्ट (1 संख्या), (iii) तार व्यायलर (1 संख्या) एवं (iv) भाइब्रैटरी रोड रॉलर (1 संख्या)

²² (i) रंगारबेरा से उरुसिया हवाईपट्टी:- ₹ 66.25 लाख (ii) मेरोमसाई से तोडांगहातु:- ₹ 86.69 लाख

जोखिम एवं लागत पर अन्य संवेदक द्वारा शेष कार्य को कार्यान्वित कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार, ग्रेड-III स्तर तक निर्मित सड़कें यातायात के परिचालन एवं मौसम की अनिश्चितताओं के कारण खराब होने की ओर प्रवण थीं। इस प्रकार, किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि वा.बा. में सड़कें इच्छित परिवहन गुणवत्ता नहीं प्रदान कर सकीं और इस प्रकार, गुणवत्ता सुधार का अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

इंगित किये जाने पर का.अ. ने जवाब दिया (नवम्बर 2016) कि पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया था एवं इसके अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था (नवम्बर 2015) जो अभी प्रतिक्षित है (नवम्बर 2016)।

जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एक अयोग्य संवेदक को संविदा आवंटित की गयी थी जिसने बीच में ही कार्य को अधूरा छोड़ दिया, परिणास्वरूप अपूर्ण कार्यों पर किया गया ₹ 1.53 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2016); स्मार पत्रों²³ के बावजूद उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2016)।

3.5.11 निष्फल व्यय

त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्माण के कारण बिना पुल का सड़क निर्माण होने से ₹1.24 करोड़ का निष्फल व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.ग्रा.स.यो.) के परिचालन नियमावली (फरवरी 2005) की कंडिका 7.2.3 एवं 7.3.1 के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) को तैयार करने का उत्तरदायित्व कार्यकारी एजेन्सी एवं खासकर, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (प.का.इ.) का है। यह आवश्यक है कि वि.प.प्र. की पूर्ण रूप से जाँच विभिन्न स्तरों पर की जाय जिसकी शुद्धता की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता (का.अ.) की होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (रा.ग्रा.स.वि.प्रा.), भारत सरकार (भा.स.) ने प्र.ग्रा.स.यो. के 11वें चरण के अंतर्गत अंधेरीगादर से छबेल बदिया तक की सड़क, जिसकी लंबाई 2.965 किमी थी (सड़क संख्या एल 036), के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2013) गई। वि.प.प्र. को एक परामर्शी द्वारा तैयार किया गया था एवं का.अ. द्वारा जाँच की गयी (फरवरी 2013) थी जिसकी संवीक्षा राज्य तकनीकी प्राधिकारी (रा.त.प्रा.) द्वारा की गयी (मार्च 2013)। का.अ. द्वारा फॉर्म एफ 9ए में एक प्रमाणपत्र दिया गया (फरवरी 2013) कि वि.प.प्र. का 100 प्रतिशत स्थल पर सत्यापन किया गया। झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (झा.स.ग्रा.स.वि.प्रा.) के मुख्य अभियंता (मु.अ.) द्वारा ₹ 1.46 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी

²³ स्मार पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2015-16/74, दिनांक 14 जुलाई 2016, 124 दिनांक 17 अगस्त 2016 एवं 248 दिनांक 19 सितम्बर 2016

(जुलाई 2013)। दिसम्बर 2014 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक संवेदक के साथ ₹ 1.37 करोड़²⁴ का एक एकरारनामा संपादित किया गया (दिसम्बर 2013)।

का. अ., ग्रामीण कार्य प्रमंडल (ग्रा.का.प्र.), देवघर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (अगस्त 2015) कार्य को संपन्न करने हेतु ₹ 1.24 करोड़ का भुगतान उद्धटित हुआ (दिसम्बर 2014)।

सड़क के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2015) में यह ज्ञात हुआ कि चेनेज 2180 से 2380 के मध्य 200 मीटर सड़क फैलाव का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि इस फैलाव में रंगाजोरिया नाला स्थित था जहाँ एक पुल के निर्माण की आवश्यकता थी, लेकिन वि.प.प्र. में पुल का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार, वि.प.प्र. को पर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अथवा स्थल पर सत्यापन किये बिना ही तैयार किया गया।

वि.प.प्र. को तैयार करने एवं संवीक्षा करने में लापरवाही एवं का.अ. द्वारा गलत प्रमाणपत्र जारी करने के कारण छबेल बढिया को योजनानुसार अंधेरीगादर से संपर्कता प्रदान नहीं की जा सकी एवं सड़क निर्माण पर ₹ 1.24 करोड़ का व्यय लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) ने कहा (अगस्त 2016) कि सड़कों के प्रस्तावों के साथ सड़कों के आरेखन में पड़ने वाले पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को समर्पित करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र²⁵ की जानकारी के अभाव में परामर्शी ने पुल का प्रस्ताव तैयार किये बिना ही वि.प.प्र. को तैयार कर दिया था। इसके लिए परामर्शी को पैनल से हटा दिया गया था एवं परामर्शी शुल्क को रोक दिया गया था। नाला पर पुल के निर्माण हेतु वि.प.प्र. तैयार कर लिया गया है एवं अनुमोदन के पश्चात निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, सरकार द्वारा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, लापरवाही युक्त एवं असत्य प्रतिवेदन समर्पित करने के जिम्मेदार संबंधित कर्मचारियों/ परामर्शियों के विरुद्ध कोई जवाबदेही तय नहीं की गयी थी (नवम्बर 2016)।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.5.12 निष्फल व्यय

राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) में शिक्षण भवन समूह के व्यर्थ पड़े रहने पर ₹ 4.72 करोड़ का निष्फल व्यय

राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के प्रबंधन समिति ने शिक्षण हेतु भवन समूह के निर्माण को अनुमोदित किया जिस पर मुख्य अभियंता, झारखण्ड पुलिस भवन निगम, राँची के द्वारा ₹ 5.08 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति

²⁴ निर्माण व्यय ₹ 1.31 करोड़ एवं रखरखाव खर्च ₹ 6 लाख

²⁵ परिपत्र संख्या 04/2011, दिनांक 28.4.2011

प्रदान की गयी (जून 2005)। ₹ 4.72 करोड़ के व्यय पर भवन पूर्ण हुआ और रिनपास को हस्तांतरित कर दिया गया (अगस्त 2007)।

निदेशक, रिनपास के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2016) में उद्घटित हुआ कि नए शैक्षणिक भवन समूह में कोई शिक्षण निष्पादित नहीं हो रहा था और यह विगत नौ वर्षों से व्यर्थ पड़ा था। जून 2009 से जनवरी 2013 के दौरान भवन समूह को वातानुकूलक, फर्नीचर आदि से सुसिज्जत करने हेतु अब तक ₹ 43.30 लाख का व्यय किया गया।



व्याख्यान कक्ष-1



व्याख्यान कक्ष-3



व्याख्यान कक्ष-4

निदेशक, रिनपास ने जवाब दिया (मार्च 2016) कि भवन, मुख्य रिनपास अस्पताल से एक किलोमीटर दूर में अवस्थित होने के कारण शैक्षणिक भवन समूह अगस्त 2007 से निरर्थक पड़ा है। उसने आगे कहा कि नये शैक्षणिक भवन का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका चूँकि मरीज मुख्य अस्पताल में रहते हैं और इसलिए प्राध्यापक एवं छात्र नए शैक्षणिक भवन समूह जाने में अनिच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें लगातार उनके सम्पर्क में रहना जरूरी है जो कि मनोचिकित्सा और रोगविषयक मनोविज्ञान उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावे, रिनपास का केन्द्रीय पुस्तकालय भी मुख्य अस्पताल भवन में अवस्थित है जो प्राध्यापक एवं छात्रों को नए भवन की ओर जाने की इच्छाओं को रोकता है।

आगे, नये शैक्षणिक भवन को इसके हस्तांतरण से क्रियाशील बनाने हेतु रिनपास के निदेशक द्वारा की गयी कार्रवाई पर लेखापरीक्षा पृच्छा (अगस्त 2016) के जवाब में निदेशक ने कहा कि भवन का उपयोग कभी-कभी अधिवेशन/ सेमिनार के प्रयोजन और अन्य छोटी अवधि कार्यक्रम, जैसे छात्रों के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा, एड्स/ एच.आई.वी. आदि के लिए सलाह कार्यक्रम के लिए किया जा रहा था और यह भी कहा कि 9 अगस्त 2016 से नए शैक्षणिक भवन समूह में कक्षाएँ ली जा रही थीं। कक्षाओं की अनुसूची जवाब के साथ संलग्न थी। यह जवाब सरकार द्वारा संपुष्ट थी।

निदेशक के जवाब को सत्यापित करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा उप निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, रोगविषयक मनोविज्ञान (जिसने कक्षाओं की अनुसूची निर्गत की थी) के साथ भवन का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया और पाया कि भवन में 31 कमरे थे, सभी कमरे खाली पड़े थे और रिनपास के द्वारा उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे और एक कमरा, जो एन.जी.ओ., उमंग के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था को छोड़कर सभी कमरे खाली थे। अतः, निदेशक का जवाब गलत था और नये शैक्षणिक

भवन समूह नौ वर्षों से व्यर्थ पड़े हुए थे और इसके निर्माण में किया गया ₹ 4.72 करोड़ का व्यय निष्फल था।

3.5.13 निष्फल व्यय

ए.एन.एम. भवन के निर्माण के साथ-साथ प्राध्यापक एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति समक्रमिक होने में विफलता के कारण बेकार पड़े ए.एन.एम. भवन पर ₹ 2.09 करोड़ का निष्फल व्यय

सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पाकुड़ में एग्जीलरी नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.) स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (मार्च 2007) किया गया और मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन (ग्रा.अ. सं.) संथाल परगना के द्वारा ₹ 2.09 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गई (दिसम्बर 2007)। उपायुक्त, पाकुड़ को निर्माण कार्य के लिए विभाग ने ₹ 2.09 करोड़ आबंटित (2006-08) किया, जिसने जून 2008 तक पूरा करने के लिए कार्य जिला अभियंता (जि.अ.), जिला परिषद, पाकुड़ को सौंप दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.अ.के द्वारा ₹ 2.09 करोड़ की लागत से ए.एन.एम. भवन पूरा कर लिया गया (2011) और असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ.श.चि. सह मु.चि.प.) पाकुड़ को 2011 में हस्तांतरित कर दिया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने ए.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय को चलाने हेतु प्रशिक्षक सहित शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों²⁶ की स्वीकृति (जून 2013) दी। फिर भी इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ नहीं की गयीं। इसके परिणामस्वरूप विभाग के द्वारा विद्यालय को क्रियाशील बनाने हेतु निधि विमुक्त नहीं की गई। इसके कारण ए.एन.एम. विद्यालय भवन 2011 से बेकार पड़ा रहा।

आगे, भवन जो पूर्ण होने के बाद पाँच वर्षों से बेकार पड़ा हुआ था, की भौतिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिये लेखापरीक्षा ने ए.एन.एम. भवन, पाकुड़ का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (17 जून 2016)। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खिड़की के पैन और भवन के दीवारों के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो चुके थे। आगे की क्षति को रोकने एवं अभिष्ट उद्देश्य हेतु भवन को संचालित करने के लिए इन क्षतियों की शीघ्र मरम्मत करने की आवश्यकता थी।

²⁶ कुल 20 पद: प्राचार्य(1), महोपकारिका शिक्षक (5), लिपिक (1), चौकीदार (2), चपरासी (2), सफाई वाला (1) स्वच्छता कर्मी (3), रसोईया (3), संरक्षक (1) और चालक (1)



ए.एन.एम. भवन, पाकुड़ का बाहरी भाग



ए.एन.एम. भवन, पाकुड़ का आंतरिक भाग

इस प्रकार, भवन को क्रियाशील बनाने हेतु भवन के निर्माण के साथ-साथ प्राध्यापक और अन्य कर्मियों की नियुक्ति को समक्रमिक करने की विफलता के कारण ए.एन.एम. भवन के हस्तांतरित होने के बाद से पाँच वर्षों तक, 30 ए.एन.एम. प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने के अभीष्ट उद्देश्य को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अप्रैल 2016) और जवाब में सरकार ने स्वीकार किया (सितम्बर 2016) कि अन्य पदों एवं प्रशिक्षकों के जरूरी पदों को सृजित नहीं किया गया। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2016)।

3.5.14 निष्फल व्यय

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जो ₹ 1.15 करोड़ की लागत से निर्मित था, को अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जाना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा. एवं प.क.वि.) झारखण्ड सरकार ने धनबाद जिले के प्रधानखंडा (बलियापुर) में प्रा.स्वा.के. भवन के निर्माण के लिए ₹ 1.15 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसम्बर 2008)। विभाग ने नमूना आरेखन एवं रूपांकण के आधार पर कार्य को कार्यपालक अभियंता (का.अ.) स्वा. एवं प.क.वि., उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सौंप दिया (नवम्बर 2009)।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ.श.चि.सह मु.चि.प.), धनबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2015) और आगे एकत्रित सूचना (जुलाई 2016) ने उद्घटित किया कि प्रा.स्वा.के. भवन पूर्ण कर दिया गया (अक्टूबर 2010) और जनवरी 2012 में हस्तांतरित कर दिया गया। प्रा.स्वा.के. को चलाने के लिए भवन पर अधिकार लेने के बाद एक ए.एन.एम. एवं एक बहुदुयेशीय कर्मचारी (ब.क.) और एक औषधज्ञ को प्रतिनियुक्त किया गया (जनवरी 2012) लेकिन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.) ने अप्रैल 2013 में प्रा.स्वा.के. भवन को अधिकार में ले लिया और नवम्बर 2016 तक भवन उनके कब्जे में रहा।



के.रि.पु.ब. द्वारा अधिकार में लिया गया प्रा.स्वा.के. भवन, प्रधानखांटा (बलियापुर)

अ.श.चि. सह मु.चि.प., धनबाद ने कहा (जून 2015) कि भवन प्राप्त करने के 15 महीनों बाद के.रि.पु.ब. द्वारा कब्जा कर लिया गया। विभाग ने पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/उपायुक्त, धनबाद को प्रा.स्वा.के. भवन खाली कराने हेतु अनुरोध किया (मार्च 2015) किन्तु यह नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्रा.स्वा.के. भवन के के.रि.पु.ब. के अधिकार में लेने से प्रधानखांटा के 6266 निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा जिन्हें चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए प्रधानखांटा से बलियापुर लगभग 10 किमी की दूरी तय करनी पड़ती थी।

इस प्रकार, गृह विभाग एवं जिला प्रशासन धनबाद के उदासीन रवैये के कारण प्रा.स्वा.के. भवन खाली नहीं कराया जा सका और चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अभिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सका। ₹ 1.15 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि प्रधानखांटा के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। सरकार को प्रा.स्वा.के. भवन खाली कराने हेतु इस मामले को डी.जी.पी. झारखण्ड के साथ उठाना चाहिए अन्यथा के.रि.पु.ब. से या तो निर्माण लागत की वसूली या उचित कर का निर्धारण सुनिश्चित करना चाहिए।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2016) था; बार-बार स्मार पत्रों²⁷ (नवम्बर 2016) के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

गृह एवं भवन निर्माण विभाग

3.5.15 निष्फल व्यय

चक्रधरपुर में 300 कैदियों के लिए अपूर्ण उप-कारा (गैर-आवासीय भाग) पर ₹ 4.68 करोड़ का निष्फल व्यय

चक्रधरपुर में 300 कैदियों के लिए एक उप-कारा (गैर-आवासीय भाग) के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा ₹ 10.16 करोड़ के प्रशासनिक

²⁷ स्मार: पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2015-16/250 दिनांक 19 सितम्बर 2016 और 279 दिनांक 20 अक्तूबर 2016.

स्वीकृति (प्र.स्वी.) (सितम्बर 2010) पर तकनीकी अनुमोदन²⁸ (त.अ.) (जुलाई 2009) दिया गया। तथापि, कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति (त.अ.) प्रदान नहीं की गई। कार्य को नवम्बर 2012 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 10.29 करोड़ के एकरारित²⁹ मूल्य पर एक ठेकेदार को आवंटित (मार्च 2011) किया गया।

झारखण्ड लोक निर्माण कार्य विभाग (झा.लो.नि.का.वि.) संहिता के नियम 121, अनिवार्य एवं जटिलता की स्थिति में किसी कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व तकनीकी अनुमोदन की अनुमति देता है किन्तु उल्लेखनीय है कि निविदा आमंत्रण या कार्य के वास्तविक प्रारंभ के पूर्व विस्तृत अनुमानित व्यय की तकनीकी स्वीकृति का अधिदेश देता है। पुनः झारखण्ड लोक निर्माण कार्य विभाग संहिता के नियम 126 बताता है कि छोटे-मोटे कार्य को छोड़कर प्रत्येक कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। यह गारंटी देता है कि प्रस्तावित कार्य तकनीकी रूप से संभव, संरचनात्मक रूप से मजबूत तथा कार्य की अनुमानित व्यय की सही गणना की गई है और पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, चाईबासा के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ (अगस्त 2015) कि कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, ठेकेदार को भूमि प्रावधान सहित कार्यकारी संरचनात्मक आरेखन एवं प्रारूपण प्रदान करने में 23 माह (जून 2013) विलम्ब हुआ था। परिणामस्वरूप, तकनीकी अनुमोदन के चार वर्ष बाद फरवरी 2013 में कार्य प्रारंभ किया जा सका। तथापि, ₹ 5.03 करोड़ मूल्य के कार्य सम्पादित करने के बाद संवेदक ने दिसम्बर 2014 में कार्य रोक दिया। संवेदक को ₹ 4.68 करोड़ का भुगतान किया गया (जून 2014)। तैयारी अग्रिम के विरुद्ध बैंक गारंटी (बी.जी.) के रूप में ₹ 75 लाख के सुरक्षित जमा के बावजूद संविदा के प्रावधान के उल्लंघन में ₹ 35 लाख के तैयारी अग्रिम की वसूली नहीं³⁰ की गई। यह पाया गया कि बी.जी. जुलाई 2016 में व्यपगत हो गया।

बाद में, कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य का अनुमानित व्यय ₹ 21.12 करोड़ तक पुनरीक्षित किया गया जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा अगस्त 2016 में प्रदान की गयी और महानिरीक्षक कारा को प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) के लिए भेजा गया, जो अभी तक (अक्टूबर 2016) प्रतीक्षित था। इस प्रकार, वांछित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ और तकनीकी स्वीकृति की अनुमति प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.68 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चाईबासा ने कहा (अगस्त 2016) कि पुराने अनुसूचित दर पर संवेदक कार्य करने में असमर्थ था, अभियंता प्रमुख के आदेश पर

²⁸ सं.-2/का.वि.-405/2009/357 दिनांक: 20 सितम्बर 2010

²⁹ एकरारनामा संख्या-01/2011-12 दिनांक: 11 मई 2011

³⁰ समायोजित: 03^{रा} चालू विपत्र ₹ 20 लाख, 04^{था} चालू विपत्र ₹ 10 लाख, 5^{वाँ} चालू विपत्र ₹ 5 लाख और 6^{वाँ} चालू विपत्र ₹ पाँच लाख, कुल ₹ 40 लाख।

कार्य बन्द किया गया और पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया। पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन महानिरीक्षक (कारा) से अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित था और अंतिम विपत्र से ₹ 35 लाख का तैयारी अग्रिम की वसूली की जाएगी।

तथ्य वही है कि कार्य पूर्णता हेतु अनुसूचित तिथि से चार वर्षों के बाद भी उप कारा भवन पूर्ण नहीं किया जा सका और कार्य पर ₹ 4.68 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जून 2016); स्मार पत्रों³¹ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3.5.16 निष्फल व्यय

तीन से आठ वर्ष तक उपयोग में नहीं लाने के कारण ₹ 4.35 करोड़ का मोबाइल भैन किट का बेकार पड़ा रहना

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत माप एवं तौल झारखण्ड विधिक माप-विद्या (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 23(6) के अनुसार शासित होता है जो बताता है कि पाँच सौ किलोग्राम या अधिक क्षमता के तौल उपकरण के प्रयोगकर्ता को विधिवत जाँचित एवं मुहरांकित तौल की ऐसी संख्या जो क्षमता के एक तिहाई जाँच और मुहरांकित उपकरण से अधिक नहीं हो, विधिक माप विद्या पदाधिकारी को इसके सत्यापन या पुनर्सत्यापन के लिए प्रदान करेगा। इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माप एवं तौल के उपयोगकर्ताओं का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद सभी संबंधित उपयोगकर्ताओं को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

संयुक्त निदेशक, कृषि सह नियंत्रण, माप एवं तौल के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) से उद्घटित हुआ कि विभाग द्वारा राज्य में 885 तौल सेतुओं की मोबाइल जाँच के लिए उपभोक्ता मामले, भारत सरकार से ₹ 4.35 करोड़³² मूल्य के उपकरण किट सहित छः मोबाइल भैन किट प्राप्त किये गये³³। मानदंडों के अनुसार तौल सेतुओं को दो वर्षों में एक बार अंशांकन किए जाते हैं। वर्तमान में अंशांकन शारीरिक श्रम द्वारा किया जाता है जो वजन उठाता है और तुलन की शुद्धता की जाँच करता है। मोबाइल भैन किट मूलतः ट्रक आधारित क्रेन है, जिसे यदि उपयोग किया जाए तो इससे वजन को यांत्रिक विधि द्वारा उठाया जाएगा और यह प्रक्रिया आसान और तेज हो जायगी।

³¹ स्मार पत्र सं.- रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2015-16/76 दिनांक: 14 जुलाई 2016, 126 दिनांक: 17 अगस्त 2016 और 247 दिनांक: 19 सितम्बर 2016

³² 1: ₹ 53.82 लाख, 2: ₹ 65.67 लाख और 3: ₹ 315.28 लाख

³³ सितम्बर 2008 से नवम्बर 2013

तथापि, यह देखा गया कि न तो किट के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था की गई और न ही मोबाइल भैन किट का रखरखाव एवं सुरक्षा के लिए कोई जगह उपलब्ध करायी गयी। आगे छः किटों की प्राप्ति (सितम्बर 2008) से आज तक इसकी सहायता से एक भी जाँच नहीं की गई और वे प्रकृति के प्रकोप के बीच खुले में बेकार पड़े रहे (फरवरी 2016)। परिणामस्वरूप विगत आठ वर्षों से खुले में (बिना गैरेज)³⁴ स्थिर वाहन का नुकसान और वाहन के पुर्जों की चोरी से इनकार नहीं किया जा सकता। यह उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका जिसके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था और उनके क्रय पर किए गए ₹ 4.35 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया।

विभाग के सचिव ने कहा (अगस्त 2016) कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित विधिक माप विद्या (साधारण) नियम 2011 में रोड इन मोसन वे ब्रिज का प्रावधान नहीं किया गया था, हालांकि मोबाइल भैन किट द्वारा इसका सत्यापन उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से भविष्य में मोबाइल भैन किट का उपयोग करने हेतु आवश्यक प्रावधान शामिल करने के लिए पत्राचार किया जा रहा था।

सचिव का उत्तर था कि “मोबाइल भैन किट रोड इन मोसन वे ब्रिज की जाँच के लिए उपयोगी है जो निकट भविष्य में मोबाइल भैन किट नियमों में आवश्यक संशोधन के साथ झारखण्ड में स्थापित होने जा रहा था”, गलत था, क्योंकि स्थिर तौल सेतुओं का यांत्रिक अंशांकन में शारीरिक अंशांकन से अधिक वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जा सकता था जबकि शारीरिक अंशांकन वर्तमान में लागू है। इसके अलावा विभाग द्वारा स्थिर तौल सेतुओं के यांत्रिक अंशांकन की योजना आज तक नहीं बनायी गयी थी क्योंकि चालक पद की मंजूरी दिया जाना अभी बाकी था (नवम्बर 2016)।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

3.5.17 स्रोत पर कर कटौती नहीं किया जाना

मीडिया हाउस पर स्रोत पर कर कटौती कम किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की हानि

आयकर अधिनियम की धारा 194 ‘सी’ का प्रावधान संवेदकों के भुगतान से कर कटौती का निर्देश केवल तभी देता है जब संविदा या तो एक “कार्य संविदा” हो या “कार्य संविदा हेतु श्रम आपूर्ति के लिए संविदा हो”। 194 ‘सी’ की धारा में “कार्य” शब्द जैसा परिभाषित है, में (क) विज्ञापन (ख) प्रसारण के लिए कार्यक्रम के निर्माण सहित प्रसारण और दूरदर्शन के लिए प्रसारण शामिल है। धारा के प्रावधान के

³⁴ हजारीबाग और राँची (कृषि भवन, काँके रोड) में

अनुसार, अक्टूबर 2009 से प्रभावी स्रोत पर कर कटौती की दर व्यक्तिगत/हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए एक और अन्य के लिए दो प्रतिशत निर्धारित है।

सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय में अभिलेखों³⁵ की संवीक्षा (अगस्त 2015) में उद्घटित हुआ कि 2009-14 की अवधि में मीडिया हाउस को ₹ 12.49 करोड़ के भुगतान में से ₹ 2.49 करोड़ (दो प्रतिशत की दर से) कटौती योग्य राशि के विरुद्ध ₹ 1.37 करोड़ (1.1 प्रतिशत की दर से) स्रोत पर कर-कटौती के रूप में वसूल की गयी। परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर की कटौती के रूप में ₹ 1.12 करोड़ की कम कटौती की गयी जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.3** में ब्यौरा दिया गया है।

प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार ने कहा (जुलाई 2016) कि विभाग द्वारा 1.10 प्रतिशत की दर से कर कटौती की जा रही थी, लेकिन लेखापरीक्षा में आपत्ति किए जाने के बाद अब दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया हाउस का वित्तीय वर्ष के अन्त में आयकर विवरणी दाखिल करते समय शेष राशि³⁶ आयकर विभाग में जमा करना होगा। इस प्रकार कम की कटौती की स्थिति नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि संबंधित मीडिया हाउस द्वारा शेष कर को जमा करने से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था (नवम्बर 2016), जबकि यह लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई थी (अगस्त 2016)।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

3.5.18 निष्फल व्यय

मार्ग के अधिकार निर्धारण की विफलता के कारण परित्यक्त जलापूर्ति योजना पर किया गया ₹ 2.12 करोड़ का निष्फल व्यय

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल (पे.ज. एवं स्व.वि.) जामताड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ (जनवरी 2015) कि चिन्हित गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की एक योजना ₹ 1.99 करोड़ की लागत से पूरा हुआ और दिसम्बर 2008 से अप्रैल 2010 तक लक्षित निवासियों को पेयजल आपूर्ति की गई। करमडाहा - नारायणपुर - धरमपुर - पोसाई - सतसाल - बागडाहा मोड़ - मुर्गाबाणी मोड़ - फतेहपुर - निचितपुर - दुमका की ओर से गुजरने वाली सड़क के किनारे पाईप लाईन बिछाना कार्य में सम्मिलित था।

³⁵ मीडिया हाउस का भुगतान विपत्र

³⁶ आयकर विभाग द्वारा वास्तविक आयकर की गणना एवं विभाग द्वारा कटौती के बीच अन्तर।

संवीक्षा ने आगे उदघटित किया कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (ए.डी.बी.) परियोजना के अंतर्गत उपरोक्त सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित होने के कारण पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से उपयोग बदलाव³⁷ के लिए आग्रह किया (जनवरी 2010)। सड़क चौड़ीकरण ने मौजूदा जलापूर्ति योजना के आरोही-मुख्य एवं वितरण-मुख्य को प्रभावित किया। प.नि.वि. ने का.अ., पे.ज. एवं स्व. प्रमण्डल, जामताड़ा को ₹ 1.18 करोड़ उपलब्ध कराया, जिसने मौजूदा पाईप लाईनों और नए चापानलों को हटाने में ₹ 67.03 लाख³⁸ खर्च किये (सितम्बर 2010)। उसके बाद का.अ. ने कार्य को रोक दिया (मई 2010) क्योंकि पाईप लाईनों के स्थानान्तरण के लिए जरूरी, मार्ग के अधिकार को अंतिम रूप देने में का.अ., पथ निर्माण प्रमण्डल, जामताड़ा और उप निदेशक, ए.डी.बी. विफल रहे।

इस प्रकार, ₹ 1.99 करोड़ खर्च किये जाने के बाद भी लक्षित गाँवों को पाईप के माध्यम से जल उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य असफल रहा (मई 2010 से)।



जामताड़ा में गोविन्दपुर-साहेबगंज उच्च पथ खण्ड
जहाँ से सी.आई. पाईप हटाया गया था।



नारायणपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना से हटाये
गये पाईप

का.अ., पे.ज. एवं स्व. प्रमण्डल, जामताड़ा ने कहा (मार्च 2016) कि इस प्रकार, पाईप का स्थानान्तरण प्रारंभ नहीं किया जा सका चूँकि सड़क के नये संरेखन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और प.नि.प्र. द्वारा नहीं बताया गया था।

इस प्रकार, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग और पथ निर्माण विभाग के बीच तालमेल की कमी के कारण नारायणपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना नवम्बर 2016 तक अपूर्ण रही। इसके साथ ही ₹ 2.12 करोड़³⁹ का व्यय निष्फल रहा और ₹ 51.04 लाख अवरूद्ध रहा। इसके अलावे पाईप जलापूर्ति के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने का अभीष्ट उद्देश्य सफल नहीं हुआ।


³⁷ नारायणपुर जलापूर्ति योजना अंतर्गत आरोही मुख्य: 3.60 किमी और वितरण मुख्य: 3.80 किमी पाईपलाईन और नलकूप=189

³⁸ पाईप हटाने का= ₹ 13.04 लाख और नलकूप= ₹ 53.99 लाख

³⁹ नारायणपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना: ₹ 1.99 करोड़ और सी. आई. पाईप हटाने का ₹ 13.04 लाख।


मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अप्रैल 2016); स्मार पत्रों⁴⁰ के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

राँची
दिनांक : 16 फरवरी 2017


(सी. नेडुन्नेलियन)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 17 फरवरी 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁴⁰ स्मार: पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2015-16/52 दिनांक 17 जून 2016, 89 दिनांक 21 जुलाई 2016 और 141 दिनांक 24 अगस्त 2016.

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भित कंडिका 1.1.6; पृष्ठ 4)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, कंडिकाओं एवं निहित राशियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामाजिक क्षेत्र				आर्थिक एवं सामान्य क्षेत्र			
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुभाग 'अ'	अनुभाग 'ब'	संबद्ध राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुभाग 'अ'	अनुभाग 'ब'	संबद्ध राशि
2003-04	38	72	233	46.73	35	66	46	71.30
2004-05	38	36	159	108.21	125	198	238	2274.88
2005-06	110	100	452	429.35	162	197	538	935.48
2006-07	202	397	706	601.04	201	265	725	528.47
2007-08	179	355	657	277.71	207	340	815	4316.43
2008-09	192	159	847	368.64	247	413	836	2709.28
2009-10	211	148	1077	530.02	164	143	597	1497.15
2010-11	218	231	1034	1170.26	206	251	827	1504.03
2011-12	226	134	1192	2092.33	109	145	714	456.57
2012-13	197	69	1234	1724.36	84	124	589	752.84
2013-14	224	167	1353	2766.7	127	114	669	8568.73
2014-15	168	64	1184	2030.46	132	127	624	1684.79
2015-16	199	81	1153	5556.49	102	140	173	2427.92
कुल	2202	2013	11281	17702.3	1901	2523	7515	27727.87

परिशिष्ट-1.1.2

(संदर्भित कंडिका 1.1.6; पृष्ठ 4)

लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के प्रकार को दर्शाती विवरणी

सामाजिक क्षेत्र-I

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	विवरण										कुल
		गबन, दुरुविनियोजन/ हाजि/ चोरी	वसूली योग्य कर का गैर कटौती	आधिक्य भुगतान/ सहायता	ठेकेदारों को अनुचित	आधिक्य भुगतान	निष्फल एवं अपव्यय	निधियों का विचलन	निधियों का प्रतिधारण	उद्देश्यों की अपूर्णता	क्रियान्वयन में विलम्ब	
2003-04	38	19	15	20	19	34	56	30	17	16	79	305
2004-05	28	14	16	15	23	19	22	15	8	9	36	177
2005-06	89	41	38	25	62	69	71	45	40	34	94	519
2006-07	84	38	28	23	41	49	41	43	37	40	93	433
2007-08	83	24	27	16	35	43	44	48	44	32	49	362
2008-09	86	20	18	17	20	34	38	20	25	25	64	281
2009-10	127	49	40	37	56	52	69	55	61	62	129	610
2010-11	150	65	39	39	53	52	68	69	63	59	130	637
2011-12	150	51	50	33	77	80	79	71	85	58	133	717
2012-13	106	31	37	32	50	62	74	47	61	35	137	566
2013-14	143	48	40	35	62	83	84	63	80	84	200	779
2014-15	105	45	40	29	31	60	76	73	61	76	183	674
2015-16	156	47	53	63	62	97	97	93	106	110	286	1014
कुल	1345	492	441	384	591	734	819	672	688	640	1613	7074

सामाजिक क्षेत्र -II

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	दुरुविनियोजन, गबन/हाजि	वसूली योग्य/आधिक्य भुगतान	ठेकेदारों को अनुचित सहायता	आधिक्य भुगतान/दालने योग्य व्यय	निष्फल व्यय	नियमों का गैर अनुसरण/अनियमित व्यय/ बैंक का गैर कटौती/अधियों का असमायोजन	निधियों का अवरोध एवं अप्रयुक्त निधि	लक्ष्य की गैर प्राप्ति/बिना काम का भुगतान	निम्न स्तर का योजना एवं विलंब से योजनाओं का क्रियान्वयन	विविध	कुल
2004-05	10	0	0	0	1	11	1	1	0	0	4	18
2005-06	21	0	2	2	2	13	3	2	3	6	0	33
2006-07	118	0	7	5	13	165	150	8	12	10	300	670
2007-08	96	0	25	8	17	135	155	22	11	27	250	650
2008-09	106	0	22	7	12	181	172	9	7	8	307	725
2009-10	84	0	18	13	8	146	158	8	7	7	250	615
2010-11	68	0	15	7	5	153	155	10	5	7	271	628
2011-12	76	0	17	15	13	142	148	15	13	17	229	609
2012-13	91	0	23	19	11	165	171	9	8	9	322	737
2013-14	81	0	15	20	17	153	161	28	9	11	327	741

2014-15	63	0	22	14	9	135	73	33	7	13	268	574
2015-16	43	0	2	10	9	118	21	11	5	6	38	220
कुल	857	0	168	120	117	1517	1368	156	87	121	2566	6220

आर्थिक एवं सामान्य क्षेत्र

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	कुल कंडिकाएँ	निष्फल व्यय	व्यर्थ व्यय	दायित्वों का सृजन	कार्यों का संदेहपूर्ण क्रियान्वयन/खरीद	अनियमित व्यय/खरीद	अग्रिमों का असमायोजन/अस्थायी अग्रिम	अवैध खनन/पेड़ की कटाई/अतिक्रमण/चराई	कार्य का अपूर्ण होना/धीमी प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2003-04	35	112	11	7	3	4	5	3	7	3
2004-05	125	436	21	7	8	9	16	7	25	7
2005-06	162	735	39	25	29	35	37	15	44	21
2006-07	201	933	33	20	17	19	34	20	31	24
2007-08	207	1077	64	19	20	24	69	23	48	25
2008-09	247	1220	70	28	15	19	50	25	51	22
2009-10	164	734	40	14	18	14	35	13	30	14
2010-11	206	1034	60	20	22	19	44	15	45	21
2011-12	109	838	32	14	20	14	26	6	29	14
2012-13	84	687	72	24	23	25	57	23	56	9
2013-14	127	731	50	19	10	17	50	6	11	7
2014-15	132	734	33	15	17	14	23	11	18	6
2015-16	102	787	35	17	17	16	24	15	20	7
कुल	1901	10058	560	229	219	228	470	182	415	180

वर्ष	मांग नहीं करना/कम मांग करना/क्षतिपूर्क वनाच्छादन एवं निवल वर्तमान मूल्य के लिए मांग की गैर	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना कार्य संपादन	अनियमित वापसी	कार्य की अनियमित प्रदेयता/ठेकेदारों को अनुचित लाभ	मोबिलाइजेशन अग्रिम का असमायोजन	आधिक्य व्यय/भ्रुगतान	कम/गैर कटौती स्वामित्व कर की उगाही/आयकर/बिक्री कर/मजदूर उपकर	संदेहास्पद दुर्विनियोग/दुरुपयोग	निधियों का अवरोधन	अन्य
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2003-04	4	2	3	3	2	5	2	3	5	40
2004-05	11	11	10	6	6	14	9	8	4	257
2005-06	26	14	15	24	16	29	28	17	20	301
2006-07	29	18	31	11	11	16	12	25	14	569
2007-08	44	15	11	21	11	33	26	27	27	570
2008-09	41	9	10	20	11	36	21	19	21	752
2009-10	28	11	9	11	8	20	19	12	17	421

2010-11	33	9	12	15	10	19	17	19	21	633
2011-12	27	9	16	17	14	17	19	15	180	369
2012-13	52	13	17	27	13	38	27	19	20	172
2013-14	39	17	21	20	14	29	7	6	8	400
2014-15	26	15	20	8	6	12	8	3	3	496
2015-16	29	19	22	9	8	15	10	5	6	513
कुल	389	162	197	192	130	283	205	178	346	5493

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भित कंडिका 2.1.5; पृष्ठ 13)

चयनित जिलों में सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. और स्वा.उ.के. की सूची

क्र. सं.	चयनित जिलों का नाम	क्र.सं.	चयनित सा.स्वा.के. का नाम	क्र.सं.	चयनित प्रा.स्वा.के.	क्र. सं.	प्रा.स्वा.के. से संबंधित सहयोगी स्वा.उ.के. का नाम		
1	दुमका	1	जामा	1	बारापलासी	1	बारापलासी		
						2	बिरजपुर		
						3	लीलाकड़ी		
				2	चिकनिया	1	भैरवापुर		
						2	चिकनिया		
						3	चोरकड़ा		
		2	शिकारीपाड़ा	3	धनधारा	1	धनधारा		
						2	झूनरी		
						3	कजाराडाह		
				4	माल्टी	1	बटकान्दर		
						2	बेंगसिया		
						3	माल्टी		
2	गुमला	3	भरनो	5	दूरिया	1	दूरिया		
						2	डोम्बा		
						1	बारासिली		
				6	जूरा	1	जूरा		
						2	अटाकोरा		
						3	मोरगाँव		
		4	सिसई	7	कुरगी	1	चेगरी		
						2	मकुन्डा		
						3	पोहरा		
		5	पालकोट	8	बिलिंगबेरा	1	बंगरू		
						2	पिथारटोली		
						3	सोल्गा		
		3	गिरिडीह	6	डुमरी	9	भाण्डरो	1	अटकी
								2	भाण्डरो
								3	नरायणपुर
10	निमिघाट					1	गलगी		
						2	पोरडाग		
						3	रोसनटुण्डा		
7	बगोदर			11	सरिया	1	बागोडीह		
						2	मैनड्रोमो		
						3	नगर केशवाई		
				12	अटका	1	अटका		
						2	डारगहली		
						3	मुण्डरो		
8	बिरनी	13	बरमसिया	1	चितनकहरी				
				2	शीतलटोला				

क्र. सं.	चयनित जिलों का नाम	क्र.सं.	चयनित सा.स्वा.के. का नाम	क्र.सं.	चयनित प्रा.स्वा.के.	क्र. सं.	प्रा.स्वा.के. से संबंधित सहयोगी स्वा.उ.के. का नाम
						3	खरखरी
				14	तुलाडीह	1	बेलगोह
						2	बेदापहाड़ी
						3	पासम
4	जामताड़ा	9	नाला	15	बिन्दापाथर	1	बिन्दापाथर
						2	धातुला
						3	मोहनबैंक
		10	कुंडहित	16	गेरिया	1	गेरिया
						2	मोहनपुर
						3	राँगसोला
	17	अम्बा	1	चरकमारा			
			2	हरिनारायणपुर			
			3	सटकी			
	18	फतेहपुर	1	बाबुपुर			
			2	भवनबंठी			
			3	फतेहपुर			
5	पश्चिमी सिंहभूम	11	टोन्टो	19	टोन्टो मुख्यालय	1	जैकिलता
						2	पदमपुर
						3	सेरंगसिया
		20	टोन्टोग्राम	1	लुईया		
				2	टेन्सरा		
				3	टोन्टो		
	12	मनोहरपुर	21	आनन्दपुर	1	आनन्दपुर	
					2	खटंगबेड़ा	
					3	समीज	
	22	जेराईकेला	1	मकरणडा			
			2	पंचपहिया			
			3	तिरिलपोशी			
	13	चक्रधरपुर	23	हथिया	1	देगाँव	
					2	धनगाँव	
					3	मेरमेरा	

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भित कंडिका 2.1.6; पृष्ठ 14)

प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेखों की सूची

क्र.सं	जिलों का नाम	अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची
1	राज्य स्तर पर	सुविधावार चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों, पारामेडिकल्स की स्वीकृत एवं कार्यरत बल
2		मशीन एवं उपकरण, ड्रग्स एवं दवाओं की भंडार पंजी
3		निविदा संचिका, छपाई पंजी, पम्पलेट्स, बुकलेट्स इत्यादी से संबंधित संचिका
4		एम्बुलेंस की प्राप्ति एवं रख रखाव से सम्बन्धित संचिका
5		भी.एच.एस.एन.सी की स्थिति और गठन से संबंधित संचिका
6		लेखापरीक्षा को बैंक लेखे की सूची प्रस्तुत नहीं किये जैसा कि परिशिष्ट-2.8.1 (ब) में विस्तृत
1	दुमका	वर्ष 2011-16 की अवधि का एफ.एम.आर. की कॉपी
2		वर्ष 2011-16 से राज्य को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र
3		वर्ष 2011-16 से सहिया ओर जे.एस.वाई. लाभुको को भुगतान की गई राशि से संबंधित अभिलेख
4		सहिया और जे.एस.वाई लाभुको का बकाये भुगतान से संबंधित अभिलेख
5		जिला स्वास्थ्य कार्य योजना एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य कार्य योजना की तैयारी से संबंधित संचिका
6		चिकित्सकों/ए.एन.एम./सहिया/डी.पी.एम./डी.ए.एम. को दिए गए मॉड्युलवार विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध
1	गिरिडीह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों बगोदर एवं डूमरी का स्टोर लेजर से संबंधित
1	गुमला	एम.एम.यू. की अनुश्रवण संचिका
2		दवा के क्रय से संबंधित निविदा संचिका
3		एम.एम.यू. के साथ संलग्न चिकित्सा प्रमाणपत्र
4		जिला स्वास्थ्य कार्य योजना और प्रखण्ड स्वास्थ्य कार्य योजना से संबंधित संचिका
1	जामताड़ा	वर्ष 2011-16 की अवधि का एन.एच.एम और राज्य निधि से दवा, मशीन एवं उपकरण की सूची
1	पश्चिमी सिंहभूम	वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित राज्य योजना निधि का रोकड़ पंजी
2		वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए रा.स्वा .मि. और राज्य योजना के अन्तर्गत मशीन एवं उपकरण तथा दवा का भाउचर एवं भंडार पंजी
3		जे.एस.एस.के. के तहत दवा क्रय की भंडार पंजी
4		वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए एफ.एम.आर.
5		जिला स्वास्थ्य कार्य योजना एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य कार्य योजना की तैयारी से संबंधित संचिका

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भित कंडिका 2.1.8.1; पृष्ठ 17)

राज्य पी.आई.पी. और आर.ओ.पी. के अनुमोदन में विलम्ब

किस तिथि को झा.शा.स्वा.मि.सो. द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।	झा.शा.स्वा.मि.सो. द्वारा एस.पी.आई.पी. के अनुमोदन की तिथि	झा.शा.स्वा.मि.सो. द्वारा रा.प.नि.नि. का अनुमोदन में विलम्ब	किस तिथि को आर.ओ.पी. को रा.प.नि.नि. द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।	रा.प.नि.नि. द्वारा आर.ओ.पी. के अनुमोदन की तिथि	रा.प.नि.नि. द्वारा आर.ओ.पी. के अनुमोदन में विलम्ब
1	2	3 (2-1)	4	5	6 (5-4)
15-01-2011	20-02-2011	36	31-03-2011	05-05-2011	35
15-01-2012	20-03-2012	65	31-03-2012	26-05-2012	56
15-01-2013	13-08-2013	210	31-03-2013	16-05-2013	46
15-01-2014	22-08-2014	219	31-03-2014	13-10-2014	196
15-01-2015	22-05-2015	127	31-03-2015	12-08-2015	134

परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भित कंडिका 2.1.9; पृष्ठ 18)

स्वा.प्र.सू.प. का स्वास्थ्य और मूल अभिलेखों का सेवावार अंतर

क्र.सं.	सेवा का नाम	जिला अस्पताल			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			स्वास्थ्य उपकेन्द्र		
		स्वास्थ्य सुविधा के अभिलेख में आँकड़ा उपलब्ध	स्वा.प्र.सू.प. पोर्टल में सम्मिलित आँकड़ा	अंतर	स्वास्थ्य सुविधा के अभिलेख में आँकड़ा उपलब्ध	स्वा.प्र.सू.प. पोर्टल में सम्मिलित आँकड़ा	अंतर	स्वास्थ्य सुविधा के अभिलेख में आँकड़ा उपलब्ध	स्वा.प्र.सू.प. पोर्टल में सम्मिलित आँकड़ा	अंतर	स्वास्थ्य सुविधा के अभिलेख में आँकड़ा उपलब्ध	स्वा.प्र.सू.प. पोर्टल में सम्मिलित आँकड़ा	अंतर
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)
1	ए.एन.सी. पंजीकरण की संख्या	8795	6383	2412	18736	15854	2882	2443	2652	(-) 209	6317	6364	(-) 47
2	प्रसव की संख्या	34207	34341	(-) 134	10932	13612	(-) 2680	597	1105	(-) 508	869	678	191
3	सी-सेक्शन प्रसव की संख्या	468	557	(-) 89	26	24	2	0	0	0	0	0	0
4	एम.टी.पी. की पूर्ण की गई संख्या	443	442	1	189	215	(-) 26	0	0	0	0	0	0
5	जे.एस.वाई. लाभुकों की संख्या	59220	59163	57	14368	10894	3474	1254	2108	(-) 854	5303	5616	(-) 313
6	आई.यु.डी सन्निविष्टी की संख्या	4011	2652	1359	1125	1125	0	113	113	0	0	0	0
7	मातृत्व मृत्यु की संख्या	43	0	43	113	23	90	1	0	1	113	14	99
8	बाल मृत्यु की संख्या	69	18	51	40	8	32	2	0	2	127	4	123
		107256	103556	3700	45529	41755	3774	4410	5978	(-) 1568	12729	12676	53

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.2; पृष्ठ 19)

वर्ष 2011-16 के दौरान अधिक/कम निधि का निर्गत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश			राज्यांश			प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन		
	देय	निर्गत किया गया	कमी (प्रतिशत)	देय	निर्गत किया गया	अधिक/कमी (प्रतिशत)	देय	निर्गत किया गया	कमी (प्रतिशत)
2011-12	458.88	366.48	92.40 (20)	80.98	151.43	70.45 (87)	0	0	0
2012-13	555.83	282.43	273.40 (49)	185.28	115.00	-70.28 (38)	0	0	0
2013-14	485.89	314.82	171.07 (35)	179.96	200.00	20.04 (11)	53.99	0	53.99 (100)
2014-15	510.53	326.74	183.79 (36)	189.08	1.55	-187.53 (99)	56.73	0	56.73 (100)
2015-16	444.04	372.66	71.38 (16)	164.46	227.53	63.07 (38)	49.34	0	49.34 (100)
कुल	2455.17	1663.13	792.04 (32)	799.76	695.51	-104.25 (13)	160.06	0	160.06 (100)

(स्रोत: एन.पी.सी.सी. द्वारा अनुमोदित बजट परिव्यय, भारत सरकार का निर्गत पत्र, राज्य सरकार का आवंटन आदेश)

परिशिष्ट-2.1.6

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.3; पृष्ठ 20)

उपयोगिता प्रमाण पत्र में अर्जित ब्याज की राशि का प्रकट किया गया ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सी.ए. प्रतिवेदन के अनुसार ब्याज की राशि प्रकट किया गया	उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज की राशि	ब्याज की राशि का अन्तर (सी.ए. प्रतिवेदन उपयोगिता प्रमाण पत्र)
2011-12	12.2	1.03	11.17
2012-13	12.72	0.98	11.74
2013-14	18.77	2.81	15.96
2014-15	12.32	0	12.32
2015-16	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध
कुल	56.01	4.82	51.19

(स्रोत: झा.शा.स्वा.मि.सो., सी.ए. प्रतिवेदन और उपयोगिता प्रमाणपत्र)

परिशिष्ट-2.1.7

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.3; पृष्ठ 20)

बचत खाते में अर्जित ब्याज से व्यय

(राशि ₹ में)

जिलों का नाम	वर्ष	अर्जित ब्याज	व्यय	विवरण
दुमका	2011-12	2924649	662166	मलेरिया किट, नाला की मरम्मती, सदर अस्पताल का संधारण
	2012-13	4447037	240109	ए.एन.एम. की नियुक्ति पत्र का वितरण, ए.सी.एम.ओ. की गाड़ी की मरम्मत, अनुबंध चालक का वेतन
	2013-14	6507320	368708	अनुबंध चालक का वेतन, एक्ट की क्रय के लिए डी.एम.ओ. को ऋण, और एस.एस.जी. इंजेक्शन
	2014-15	7628647	190720	आर.सी.एच. फ्लेक्सी पुल, एन.आर.एच.एम. फ्लेक्सी पुल, अनुबंध चालक का वेतन
उप योग		21507653	1461703	
गुमला	2013-14	4077847	2129622	चुनाव विज्ञापन के लिए दवा
	2014-15	4705836	130752	उपलब्ध नहीं
उप योग		8783683	2260374	
जामताड़ा	2011-12	1219655	262316	चालक का वेतन
	2013-14	2559252	397975	चालक का वेतन
उप योग		3778907	660291	
पश्चिमी सिंहभूम	2011-12	4038702	905956	होमगार्ड एवं स्वीपर वेतन
	2012-13	5061157	4200454	होमगार्ड एवं स्वीपर वेतन, विज्ञापन, आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र, ट्रांसफॉर्मर क्रय, गाड़ी की मरम्मती
	2013-14	7568461	693254	होमगार्ड एवं स्वीपर वेतन, विज्ञापन, आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र, ट्रांसफॉर्मर क्रय, गाड़ी की मरम्मती, चालक का वेतन
	2014-15	8407264	159527	चालक का वेतन
उप योग		25075584	5959191	
कुल योग		59145827	10341559	

परिशिष्ट-2.1.8 (अ)
(संदर्भित कंडिका 2.1.10.4; पृष्ठ 20)
बैंक लेखों का समाधान नहीं किये जाने का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	31 मार्च 2016 का अवशेष	31 मार्च 2015 का अवशेष	31 मार्च 2014 का अवशेष	31 मार्च 2013 का अवशेष
1	बैंक ऑफ इंडिया, कोकर	499310110007808	166649398.81	90000000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2	इंडियन बैंक, कडरू	828646759	41392312.00	40034301.00	32959.00	अनुपलब्ध
3	आन्धा बैंक	47810100022975	6912579.00	6643642.00	6548285.00	अनुपलब्ध
4	बैंक ऑफ बड़ौदा, हरमू	32740100004461	473000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	यूको बैंक, राँची	1410110025604	100000000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, काँके	3363304200	189207584.00	30000000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7	कैनरा बैंक, डोरण्डा	1642101021220	429660903.00	204591314.00	10057687.00	अनुपलब्ध
8	इलाहाबाद बैंक	50006722756	511608.00	491688.00	472595.00	954243.00
9	इंडियन ओवरसीज बैंक	6720100099999	79280790.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10	सिंडिकेट बैंक	75202200004927	29418.98	28330.54	27230.49	26173.15
11	सिंडिकेट बैंक	75222200023663	16162.66	15590.35	14985.04	14403.18
12	कैनरा बैंक	2670101009409	23948251.00	50000000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
13	पंजाब नेशनल बैंक	3044000100098790	354750666.56	254105722.69	480590564.24	40586675.09
14	इलाहाबाद बैंक	20266192665	358166829.31	174463966.31	307121972.31	192687854.31
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोरण्डा	32841463602	44503546.00	97533972.00	59947561.00	278713586.00
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामकुम	30066006978	204809639.00	92373209.00	77789934.00	अनुपलब्ध
17	कोटेक महिन्द्रा बैंक	5811379970	941068.00	8594583.00	2533177.00	अनुपलब्ध
18	कोटेक महिन्द्रा बैंक	639010030951	943795.74	9912337.85	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19	एक्सिस बैंक	106010100253130	731104.00	21692101.00	1001.00	961.00
20	इंडस इंड बैंक	150004440444	589355.37	561267.12	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21	इंडस इंड बैंक	150004440000	41136959.13	38762176.42	100065747.95	अनुपलब्ध
22	विजया बैंक	840401101000006	878135.00	50000000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23	एचडीएफसी	50100077539750	28542480.50	58633000.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
कुल बैंक अवशेष			2074075586.06	1228437201.28	1045203699.03	512983895.73
रोकड़ पंजी अवशेष			1354145897.50	805392326.50	540155532.18	484763608.06
अन्तर			719929688.56	423044874.78	505048166.85	28220287.67

परिशिष्ट-2.1.8 (ब)

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.4; पृष्ठ 20)

लेखापरीक्षा को विस्तृत बैंक लेखा/विवरणी प्रस्तुत नहीं किया जाना

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या
1	इलाहाबाद बैंक, लालपुर	50009379495
2	इलाहाबाद बैंक, नामकुम	50021268098
3	एक्सिस बैंक	10601010022242
4	एक्सिस बैंक	103010100182119
5	सेन्ट्रल बैंक, बुटी मोड़	3447901494
6	एचडीएफसी	1501000068681
7	इंडियन बैंक, कडरू	789306009
8	इंडस इंड बैंक	15000070000
9	पंजाब नेशनल बैंक, महावीर चौक	1091000100252412
10	पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड	3044000191014638
11	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामकुम	30284010067
12	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामकुम	30035854223
13	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामकुम	31715984651
14	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हरमू	30725232492
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपर बाजार	30725177347
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेपाल हाउस	30846707048

परिशिष्ट-2.1.8 (स)

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.4; पृष्ठ 21)

बैंक शेष और अन्तिम शेष का ब्यौरा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	तिथि	रोकड़ पंजी का अन्त शेष	कुल बैंक शेष	असंगत राशि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5 (4-3)
1	31.03.2012	112.54	अनुपलब्ध	----
2	31.03.2013	48.48	51.30	2.82 (6)
3	31.03.2014	54.02	104.52	50.50 (94)
4	31.03.2015	80.54	122.84	42.30 (53)
5	31.03.2016	135.41	207.41	72.00 (53)

(स्रोत: झा.ग्रा.स्वा.मि.सो. रोकड़ पंजी और बैंक विवरणी)

परिशिष्ट-2.1.9

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.5; पृष्ठ 22)

मार्च 2016 तक, पार्टियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध बकाये अग्रिम और न्यूनतम स्वीकार्य ब्याज का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	किस दलों/अधिकारियों को अग्रिम भुगतान किए गए	चार वर्षों से अधिक			चार वर्षों			तीन वर्षों			दो वर्षों			एक वर्षों			कुल	
		मामलों की सं.	राशि	5 वर्षों के लिए 4 % की दर से साधारण ब्याज	मामलों की सं.	राशि	4 वर्षों के लिए 4 % की दर से साधारण ब्याज	मामलों की सं.	राशि	3 वर्षों के लिए 4 % की दर से साधारण ब्याज	मामलों की सं.	राशि	2 वर्षों के लिए 4 % की दर से साधारण ब्याज	मामलों की सं.	राशि	1 वर्षों के लिए 4 % की दर से साधारण ब्याज	मामलों की सं.	राशि
1	दलों	28	5.3	1.06	7	32.95	5.272	3	2.51	0.3012	10	2.74	0.2192	2	4.37	0.1748	50	47.87
2	अधिकारियों/कर्मचारियों	7	0.017	0.0034	7	0.089	0.01424	9	0.083	0.00996	8	0.035	0.0028	24	0.086	0.00344	55	0.31
	कुल	35	5.317	1.0634	14	33.039	5.28624	12	2.593	0.31116	18	2.775	0.222	26	4.456	0.17824	105	48.18

परिशिष्ट-2.1.10

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.5; पृष्ठ 22)

मार्च 2016 तक, पार्टियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध बकाये अग्रिम का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	राशि (₹ में)
1	आनन्द कुमार पाण्डेय	120000
2	अनिल कुमार सिन्हा, बजट एवं वित्त पदाधिकारी	78000
3	अनुग्रह नारायण पाठक	5000
4	बाबू साहेब झा (सचिव के निजी सहायक)	10400
5	रंजीत रंजन पाठक	63900
6	अरविन्द कुमार, वित्तीय सलाहकार	62400
7	चन्द्रा उदयी	40000
8	धर्मेन्द्र कुमार सिंह	12000
9	देसाई यादव	5000
10	देवाशीष जन	12000
11	केशवर लोहरा, चालक	1000
12	मदन प्रसाद	20000
13	मंगल टोप्पो	73106
14	मनोज कुमार महतो	150036
15	मिथिलेश कुमार सिंह	29800
16	नीलरंजन सिंह	14315
17	पी. मुखर्जी	780000
18	प्रमोद कुमार, रिजिरीग्रेटर	2500
19	राजेश कुमार	11000
20	राजेश कुमार, चालक	4000
21	रामबहादुर राम	49441
22	राकेश कु. माली	7610
23	रनधीर कुमार	36000
24	निवेदिता सिन्हा	16800
25	विजय कुमार धर, लेखा पदाधिकारी, आर.एन.टी.सी.पी.	105900
26	संजीव कुमार, यान क्लर्क, जी.भी.आई. (₹ 10000 + ₹ 4500)	14500
27	संजीत कुमार	15000
28	श्री टोवियस रूपडा	110205
29	शक्ति नाथ झा, निदेशक	368500
30	शयमा नाथ (चालक)	43900
31	सुब्रत राय	10000
32	सुखदेव उराँव	33954
33	सुरेश कुमार मंडल	12000
34	उमेश प्रसाद	79387
35	दीपक तुबिद	66500
36	योगेन्द्र कुमार	90000
37	मनोज कुमार महतो, कम्प्यूटर ऑपरेटर	40000
38	पवन कुमार, ई.ए.ए.	8000
39	जैकर टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड	6972
40	डॉ. टेम्ब्रोम	55000

क्र.सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	राशि (₹ में)
41	डॉ मंजू कुमारी	31200
42	बालचन्द लोहरा	12020
43	टोविक रूण्डा	15000
44	डॉ राज मोहन	80000
45	सिप्रा दास	20000
46	डॉ. विद्या गुप्ता	50000
47	डॉ अनुज कुमार मंडल	20000
48	आशीफ इकराम	25000
49	डॉ अब्दुल नूमेम	5340
50	बसन्त कुमार भट्टाचार्य	50000
51	अजय मिंज	12000
52	अमित एक्का	15000
53	शंभु कुमार सिंह	15000
54	कर्मचारी को अग्रिम या व्यय	35000
55	मनीर अहमद	60000
कुल		3109686

परिशिष्ट-2.1.11

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.6; पृष्ठ 22)

सदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अन्टायड निधि का अनियमित निर्गत

(राशि ₹ में)

जिलों का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष
अनटायड फण्ड (यू.एफ.)						
दुमका	2011-12	0	50000	50000	30007	19993
	2012-13	19993	0	19993	19749	244
	2013-14	244	50000	50244	49821	423
	2014-15	423	0	423	0	423
	2015-16	423	0	423	0	423
उपयोग			100000		99577	
जामताड़ा	2011-12	0	50000	50000	50000	0
	2012-13	0	50000	50000	50000	0
	2013-14	0	0	0	0	0
	2014-15	0	0	0	0	0
	2015-16	0	0	0	0	0
उपयोग			100000	100000	100000	0
पश्चिमी सिंहभूम	2011-12	0	50000	50000	50077	-77
	2012-13	-77	50000	49923	43106	6817
	2013-14	6817	50000	56817	56710	107
	2014-15	107	50000	50107	50000	107
	2015-16	107	0	107	0	107
उपयोग			200000		199893	
कुल (अ)			400000		399470	
वार्षिक मरम्मत अनुदान (ए.एम.जी.)						
दुमका	2011-12	822	100000	100822	56600	44222
	2012-13	44222	0	44222	43699	523
	2013-14	523	0	523	0	523
उपयोग			100000		100299	
जामताड़ा	2011-12	291961	300000	591961	307573	284388
	2012-13	284388	150000	434388	330775	103613
	2013-14	103613	0	103613	170450	-66837
उपयोग			450000		808798	
पश्चिमी सिंहभूम	2011-12	0	100000	100000	99786	214
	2012-13	214	100000	100214	99683	531
	2013-14	531	100000	100531	100000	531
	2014-15	531	50000	50531	50000	531
उपयोग			350000		349469	
कुल (ब)			900000		1258566	
अस्पताल प्रबंधन समिति (एच.एम.एस.)						
दुमका	2011-12	260371	100000	360371	152594	207777
	2012-13	207777	0	207777	202593	5184

(राशि ₹ में)

जिलों का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष
	2013-14	5184	0	5184	0	5184
	2014-15	5184	200000	205184	0	205184
	2015-16	205184	0	205184	4720	200464
उपयोग			300000		359907	
पश्चिमी सिंहभूम	2011-12	-9440	200000	190560	0	190560
	2012-13	190560	100000	290560	289028	1532
	2013-14	1532	100000	101532	100759	773
	2014-15	773	100000	100773	100000	773
	2015-16	773	0	773	0	773
उपयोग			500000		489787	
कुल (स)			800000		849694	
कुल योग			2100000		2507730	

परिशिष्ट-2.1.12

(संदर्भित कंडिका 2.1.10.8; पृष्ठ 23)

वर्ष 2011-16 के दौरान लाभुकों को प्रोत्साहन देय का ब्यौरा

क्र.सं.	जिलों का नाम	वर्ष 2011-16 के दौरान संस्था गत प्रसव की संख्या	वर्ष 2011-16 के दौरान प्रोत्साहन का भुगतान किए गए लाभुकों की संख्या	वर्ष 2011-16 के दौरान प्रोत्साहन भुगतान नहीं किए गए मामलों (लाभार्थियों) की संख्या (प्रतिशत)	देय राशि (₹ लाख में)
1.	दुमका	76193	60224	15969 (21)	223.57
2.	गुमला ¹	70361	59273	11088 (16)	155.23
3.	गिरिडीह	112513	76862	35651 (32)	499.11
4.	जामताड़ा	49101	42940	6161 (13)	86.25
5.	पश्चिमी सिंहभूम	100120	81891	18229 (18)	255.21
	कुल	408288	321190	87098 (21)	1219.37

¹ लाभार्थियों को केवल 2015-16 में दिए गए प्रोत्साहन का उपलब्ध अंक

परिशिष्ट-2.1.13

(संदर्भित कंडिका 2.1.11.1 (ii एवं iii); पृष्ठ 25)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पताल में बिस्तर क्षमता की आवश्यकताओं का विवरणी

क्र. सं.	चयनित जिलों का नाम	चयनित सा.स्वा.के. एवं अ.अ. का नाम	भा.लो.स्वा.मा. के मापदंडों के अनुसार सा.स्वा.के. एवं अ.अ. में बिस्तर आवश्यकताओं की संख्या	सा.स्वा.के. एवं अ.अ. में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या	कमी (बिस्तरों की संख्या/प्रतिशत)
1	दुमका	जामा	30	15	15 (50)
		शिकारीपाड़ा	30	10	20 (67)
2	गिरिडीह	बागोदर	30	03	27(90)
		बिरनी	30	06	24(80)
		डुमरी	30	10	20(67)
3	गुमला	भरनो	30	5	25 (83)
		पालकोट	30	5	25 (83)
4	जामताड़ा	कुण्डहित	30	5	25 (83)
5	पश्चिमी सिंहभूम	मनोहरपुर	30	16	14 (47)
		टोन्टो	30	3	27 (90)
6	पश्चिमी सिंहभूम	अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर	50	42	8 (16)

(स्रोत: जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति)

परिशिष्ट-2.1.14 (अ)

(संदर्भित कंडिका 2.1.11.3; पृष्ठ 28)

आई.ए.पी. के तहत अभिसरण के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य उप केन्द्रों का विवरणी

प्रखण्ड का नाम	एकीकृत कार्य योजना के तहत स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण					एन.आर.एच.एम के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण				राज्य योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण			
	नाम	राशि	समझौते की तिथि	तारीख जिस पर पूर्ण किया जाना था	पूर्ण होने की तिथि	नाम	अनुमोदन की तिथि	राशि	पूर्ण होने की तिथि	नाम	अनुमोदन की तिथि	राशि	पूर्ण होने की तिथि
मंझारी	पिलका	21.25	27-04-2011	27-12-2011	दिसम्बर-11	पिलका	2013-14	21.41	मार्च-15	-	-	-	-
झिंगपानी	केलेन्डे	21.20	27-04-2011	26-12-2011	दिसम्बर -11	केलेन्डे	2013-14	22.68	मार्च -15	-	-	-	-
टांटनगर	चिटमिट्टी	21.25	27-04-2011	26-12-2011	दिसम्बर -11	चिटमिट्टी	2013-14	23.25	मार्च -15	-	-	-	-
टोन्टो	पुरनापानी	21.25	29-04-2011	29-12-2011	दिसम्बर -11	-	-	-	-	पुरनापानी	12-08-2014	29.73	मार्च -15
मनोहरपुर	मरकन्डा	21.39	01-04-2011	30-11-2011	दिसम्बर -11	-	-	-	-	-	-	-	-
मनोहरपुर	मरकन्डा	21.39	31-03-2011	30-11-2011	दिसम्बर -11	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		127.73						67.34				29.73	

परिशिष्ट-2.1.14 (ब)

(संदर्भित कंडिका 2.1.11.3; पृष्ठ 28)

आई.ए.पी. के तहत अभिसरण के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का विवरणी

प्रखण्ड का नाम	एकीकृत कार्य योजना के तहत स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण					एन.आर.एच.एम के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण				राज्य योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण			
	नाम	राशि	समझौता की तिथि	तारीख जिस पर पूर्ण किया जाना था	पूर्ण की तिथि	नाम	अनुमोदन की तिथि	राशि	पूर्ण होने की तिथि	नाम	अनुमोदन की तिथि	राशि	पूर्ण होने की तिथि
कुमारडुंगी	कुसमिता	9.63	01-04-2011	01-10-2011	अपूर्ण	कुसमिता	2013-14	22.75	मार्च -15	-	-	-	-
खुँटपानी	-	-	-	-	-	पुरनिया	2013-14	24.12	मार्च -15	पुरनिया	12-08-2014	8.33	अपूर्ण
बंदगाँव	-	-	-	-	-	नकटी	2011-12	22.15	मार्च -15	नकटी	12-08-2014	14.34	अपूर्ण
मनझारी	पुटासिया	18.25	28-04-2011	27-12-2011	दिसम्बर-11	-	-	-	-	पुटासिया	12-08-2014	14.34	अपूर्ण
कुल		27.88						69.02				37.01	

परिशिष्ट-2.1.15

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.1; पृष्ठ 29)

नमूना-जाँचित जिला अस्पताल में अनिवार्य उपकरण की आवश्यकता और उपलब्धता

क्र.सं.	सेवाओं के आवश्यक उपकरणों के लिए आवश्यक अश्वासन दिया	आवश्यकता	दुमका	गिरिडीह	गुमला	जामताड़ा	पश्चिमी सिंहभूम
1	इमेजिंग उपकरण	5	2	2	2	3	2
2	एक्स-रे रूम एक्सेसरिस	8	5	5	6	4	0
3	कॉर्डियोपलमोनरी उपकरण	16	0	6	8	5	5
4	प्रसूति क्रिया, नवजात देखभाल विशेष नवजात की देखभाग	28	4	19	21	13	12
	(अ) वि.न.दे.ई. के लिए सामान्य उपकरण	12	0	0	10	0	2
	(ब) विशेष नवजात केयर यूनिट की कीटाणु शोधन के लिए उपकरण	12	0	0	9	0	6
	(स) विशेष नवजात की देखभाल में व्यक्तिगत रोगी का उपकरण	14	0	0	12	0	7
5	टीकाकरण उपकरण	25	5	11	12	12	7
6	नाक कान गला	20	0	1	0	0	0
7	आँख	27	18	15	21	0	10
8	दन्त उपकरण	43	3	0	8	0	11
9	ऑपरेशन थियेटर उपकरण	39	9	0	10	10	12
10	प्रयोगशाला उपकरण	87	59	14	26	अनुपलब्ध	7
	कुल	336	105	73	145	47	81
	कमी (संख्या/प्रतिशत)		231 (69)	263 (78)	191 (57)	289 (86)	255 (76)

परिशिष्ट-2.1.16

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.1; पृष्ठ 29)

नमूना-जाँचित अनुमंडलीय अस्पताल में अनिवार्य उपकरण की आवश्यकता और उपलब्धता

क्र.सं.	सेवाओं के आवश्यक उपकरणों के लिए आवश्यक अश्वासन दिया	आवश्यकता	अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर
1	इमेजिंग उपकरण	3	0
2	एक्स-रे रूम एक्सेसरिस	6	0
3	कॉर्डियोपलमोनरी उपकरण	5	0
4	प्रसूति कक्ष, नवजात देखभाल	14	4
5	टीकाकरण उपकरण	16	11
6	नाक कान गला	17	0
7	आँख	22	0
8	दन्त उपकरण	4	0
9	ऑपरेशन थियेटर उपकरण	18	7
10	प्रयोगशाला उपकरण	27	6
	कुल	132	28
	कमी (संख्या/प्रतिशत)		104 (79)

परिशिष्ट-2.1.17

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.1; पृष्ठ 30)

नमूना-जाँचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध और आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता

क्र. सं.	सेवा का नाम	आवश्यकता	टोन्टो	मनोहरपुर	सिसई	पालकोट	भरनो	जामा	शिकारी पाड़ा	बागोदर	बिरनी	डुमरी	कुंडहित	नाला
1	स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट-I	32	16	20	16	25	13	12	14	22	21	20	0	13
2	स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट-II	33	10	15	13	12	7	3	8	11	19	0	0	17
3	आई.यू.डी इनसर्शन किट	19	13	16	9	14	13	10	15	0	19	0	0	15
4	स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट-III	17	8	13	7	5	6	7	10	0	3	0	0	10
5	सामान्य प्रसव	12	12	10	7	0	8	7	9	11	23	0	0	11
6	स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट-IV	16	7	0	5	16	4	4	3	0	0	0	0	10
7	स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट-V	21	0	0	5	13	0	0	3	0	0	0	0	0
8	स्टैंडर्ड सर्जिकल सेट-VI	11	4	0	0	10	5	0	5	1	0	0	4	5
9	विविध	4	1	2	0	3	1	1	2	2	1	0	0	1
10	एनेस्थेसिया के लिए उपकरण	17	0	1	4	6	1	1	2	7	4	0	2	0
11	नवजात पुनर्जीवन के लिए उपकरण	25	6	18	6	16	3	0	11	10	12	0	4	14
12	रूधिर संचरण के लिए किट सामग्री	15	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ओटी के लिए उपकरण	13	0	9	10	0	0	2	5	0	1	0	7	11
14	प्रसव कक्ष के लिए उपकरण	14	5	10	8	0	0	5	8	0	9	24	3	14
15	रेडियोलॉजी के लिए उपकरण	9	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	8
16	टीकाकरण के लिए उपकरण	4	3	3	4	0	0	1	1	0	3	0	0	4
17	कोल्ड चैन	2	1	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	15
	कुल	264	86	125	105	120	61	54	100	64	117	44	20	148

परिशिष्ट-2.1.18

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.2; पृष्ठ 30)

आर.बी.एस.के. के क्रय के कारण एजेंसी को आधिक्य भुगतान किए गए दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	आदेश संख्या	विपत्र संख्या	एजेंसी का नाम	कुल मात्रा	प्रति युनिट दर	आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	पी.आई.पी. के आधार पर अनुमोदित दर	अधिक भुगतान
01	152/4.7.14	3303/23.08.14	मे. हिन्द आर्ट एण्ड सप्लाइ, राँची	50000	2.97/इकाई	148500	1.50/इकाई	73500
	163/22.07.14	3308/03.09.2014		50000		148500		73500
02	182/16.8.14	3313/03.09.2014	50000	148500		73500		
03	184/21.08.2014	3319/20.09.2014	50000	148500		73500		
कुल				200000		594000		294000

परिशिष्ट-2.1.19

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.2; पृष्ठ 31)

नमूना-जाँचित जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पताल में अव्यवहृत मशीन और उपकरण

क्र. सं.	स्विधा का नाम	ऑटोमेटिक केमेस्ट्री एनालिजर	पाथ फास्ट	ब्लड गैस एनालाइजर	अल्ट्रासाउंड	ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर	बेबी वार्मर	शेडो लेस लैम्प	मल्टी पारामीटर पेसेन्ट मॉनीटर	थ्री चैनल इ.सी.जी मशीन	सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	पोर्टेबल एक्स-रे मशीन (100 ए.एम.ए. 100)	टीएमटी मशीन	बिलिरुबीन मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जिला अस्पताल जामताड़ा	1/ 3.2011	1/ 5.2011	1/ 4.2011	6/ 11.2011	1/ 12.2014	0	0	0	0	0			
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला	0	1/ 5.2011	1/ 4.2011	1/ 6.2011	1/ 3.2012	1/ 4.2016	जनवरी-15	1/ 6.2011	1/ 6.2011	0			
3	सा.स्वा. केन्द्र, कुंडहित										0			
4	जिला अस्पताल, दमका	1/ 4.2011	1/ 4.2011	1/ 4.2011					1/ 4.2011			1/ 9.2012	1/ 4.2011	1/ 4.2011
5	सा.स्वा.केन्द्र, जामा	0	0	1/ 6.2012	0	0	1/ 1.2016	0	0	0	1/ 6.2013			
6	सा.स्वा.केन्द्र, शिकारीपाड़ा													
7	जिला अस्पताल, पश्चिमी सिंहभूम				1/ 3.2013							1	1	
8	अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर			1/ 11.2011	1/ 4.2016									
9	जिला अस्पताल, गमला		1/ 3.2012	9/11.2012					1/ 4.2014	1/ 4.2013				
10	सा.स्वा.केन्द्र, डुमरी						4 /2.2014							
	संख्या	2	3	14	9	2	6	1	3	3	1	3	2	1
	दर	5500000	1325000	472500	270000	181000	55400	43920	179000	40000		110577		
	राशि	11000000	3975000	6615000	2430000	362000	486700	43920	537000	120000	0	331731	0	0

क्र. सं.	सुविधा का नाम	सी.बी.सी. मशीन	बायो सेफ्टी मशीन	माइक्रोटोम मशीन	जेनसेट 160 के.भी.ए.	ए.सी. 1.5 टोन	डेफाइक्टर के साथ कार्डियक मॉनीटर	इंसीनरेटर	ऑटोकलेव	डायथर्मि मशीन	प्रिंटर के साथ इलीसा रीडर	शेकर के साथ ब्लडल कलेक्शन मॉनीटर	ट्यूब स्केलर	भेन्टीलेटर
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	जिला अस्पताल जामताड़ा													
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला													
3	सा.स्वा. केन्द्र, कुंडहित													
4	जिला अस्पताल, दमका	1/ 4.2011	1/ 4.2011	1/ 4.2011	1/ 4.2011	2/ 4.2011								02-05-2012
5	सा.स्वा.केन्द्र, जामा													
6	सा.स्वा.केन्द्र, शिकारीपाड़ा													
7	जिला अस्पताल, पश्चिमी सिंहभूम						1/ 3.2012		1/ 9.2015	2/ 3.2011	1/ 3.2015	3	2	
8	अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर							1/ 1.2013						
9	जिला अस्पताल, गुमला													
	संख्या	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	3	2	
	दर						320250	2998750		630000		123900	110250	
	राशि	0	0	0	0	0	320250	2998750	0	1260000	0	371700	220500	0

कुल: ₹ 3,10,72,551.00

परिशिष्ट- 2.1.20

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.3 पृष्ठ 32)

च.चि.इ. के गतिविधियों के लिए मार्ग चार्ट का अनियमित तैयारी

गैर सरकारी संस्थान के नाम	च.चि.इ. का पंजीकरण संख्या	कैम्प की तिथि	प्रखण्ड सा. स्वा. केन्द्र प्रा. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कैम्प का स्थान
दुमका					
विकास भारती, विष्णुपुर	जे.एच. 01 V/ 4787	दिसम्बर 2015 से अब तक	रामगढ़	धोवा	सा. स्वा. केन्द्र
			रामगढ़	डान्डो	प्रा.स्वा.केन्द्र
			काठीकुण्ड	काठीकुण्ड	स्वा.उपकेन्द्र
			गोपीकान्दर	गोपीकान्दर	सा.स्वा.केन्द्र
			शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	सा.स्वा.केन्द्र
		दिसम्बर 2014 से नवंबर 2015	काठीकुण्ड	तैलिया चौक बाजार	सा.स्वा.केन्द्र
			गोपीकान्दर	गोपीकान्दर	सा.स्वा.केन्द्र
			शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	वही
		जून 2013	रामगढ़	डान्डो	वही
			काठीकुण्ड	पन्डानपहाड़ी	वही
			शिकारीपाड़ा	गन्द्रकपुर	वही
			गोपीकान्दर	ओरमो	वही
		जून 2012 से मई 2013	रामगढ़	डान्डो	वही
			काठीकुण्ड	पन्डानपहाड़ी	वही
			शिकारीपाड़ा	गन्द्रकपुर	वही
			गोपीकान्दर	ओरमो	वही
गुमला					
होली क्रॉस लिमेंसी अस्पताल, रामपुर	जे.एच.01 ए.ए. 4883	08.08.14	चैनपुर	दासुदारगाँव	दासुदारगाँव
वही		11.08.14	वही	कुरुमगढ़	कुरुमगढ़
वही		14.08.14	वही	टोनगो	टोनगो
वही		22.08.14	रायडीह	कोन्डा	कोन्डा
वही		02.06.14	चैनपुर	केरंग	केरंग
वही		20.06.14	रायडीह	रमजा	रमजा
वही		21.06.14	वही	कोनकेल	कोनकेल
वही		27.06.14	रायडीह	पोगरा	पोगरा
वही		23.04.14	वही	रमजा	रमजा
वही		24.04.14	वही	कोनकेल	कोनकेल
वही		04.04.14	चैनपुर	लोराकुबा	लोराकुबा
वही		09.12.15	चैनपुर	लोराकुबा	लोराकुबा
वही		21.12.15	रायडीह	कोनकेल	कोनकेल
वही		21.12.15	वही	कोन्डा	कोन्डा
वही		06.01.16	चैनपुर	कैठकही	कैठकही
वही		09.01.16	वही	दात्रा	दात्रा

गैर सरकारी संस्थान के नाम	च.चि.इ. का पंजीकरण संख्या	कैम्प की तिथि	प्रखण्ड सा. स्वा. केन्द्र प्रा. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कैम्प का स्थान
वही		19.01.16	रायडीह	हेसाग	हेसाग
सेंट माइकल स्वास्थ्य केन्द्र राजावाल	जे.एच.01 ए.ए. 4838	08.05.14	डूमरी	कुटलू	कुटलू
वही	वही	21.05.14	वही	जूरमू	जूरमू
वही	वही	25.05.14	वही	मझगाँव	मझगाँव
वही	वही	05.05.14	पालकोट	सरुवेरा	सरुवेरा
वही	वही	11.05.14	वही	उमराह	उमराह
वही	वही	13.05.14	डूमरी	रातासिल्ली	रातासिल्ली
वही	वही	21.05.14	वही	जूरमू	जूरमू
वही	वही	25.05.14	वही	मझगाँव	मझगाँव
वही	वही	05.05.14	पालकोट	सरुवेरा	सरुवेरा
वही	वही	04.06.14	वही	नाथपुर	नाथपुर
वही	वही	05.06.14	वही	पिथरटोली	पिथरटोली
वही	वही	11.06.14	वही	गुरमा	गुरमा
वही	वही	12.06.14	वही	सटखारी	सटखारी
वही	वही	13.06.14	डूमरी	जैरागी	जैरागी
वही	वही	04.06.14	पालकोट	नाथपुर	नाथपुर
वही	वही	05.06.14	पालकोट	पिथरटोली	पिथरटोली
वही	वही	12.06.14	वही	सटखारी	सटखारी
वही	वही	02.06.14	डूमरी	भागीटोली	भागीटोली
वही	वही	15.07.14	वही	नटवाल	नटवाल
वही	वही	08.07.14	वही	खेतली	खेतली
वही	वही	13.07.14	वही	जैरागी	जैरागी
वही	वही	04.07.14	पालकोट	बेंगरू	बेंगरू
वही	वही	05.07.14	वही	पिथरटोली	पिथरटोली
वही	वही	11.07.14	वही	गुरमा	गुरमा
वही	वही	12.07.14	वही	सैटकहरी	सैटकहरी
वही	वही	01.12.15	डूमरी	मझगाँव	मझगाँव
वही	वही	09.12.15	वही	खेतली	खेतली
वही	वही	12.12.15	वही	कुटलू	कुटलू
वही	वही	18.12.15	पालकोट	गुरमा	गुरमा
वही	वही	19.12.15	वही	मरदा	मरदा
वही	वही	21.12.15	वही	सारुवेरा	सारुवेरा
वही	वही	23.12.15	वही	सटखारी	सटखारी
वही	वही	07.12.15	डूमरी	जैरागी	जैरागी
वही	वही	09.12.15	वही	खेली	खेली
वही	वही	13.12.15	वही	कुटलू	कुटलू
वही	वही	18.12.15	पालकोट	गुरमा	गुरमा
वही	वही	19.12.15	वही	मरदा	मरदा
वही	वही	21.12.15	वही	सारुवेरा	सारुवेरा

गैर सरकारी संस्थान के नाम	च.चि.इ. का पंजीकरण संख्या	कैम्प की तिथि	प्रखण्ड सा. स्वा. केन्द्र प्रा. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कैम्प का स्थान
वही	वही	18.11.15	वही	गुरमा	गुरमा
वही	वही	24.01.16	डूमरी	बन्धुआ	बन्धुआ
वही	वही	01.11.15	वही	मझगाँव	मझगाँव
वही	वही	07.11.15	वही	जैरागी	जैरागी
वही	वही	13.11.15	वही	कुटलू	कुटलू
वही	वही	19.11.15	पालकोट	मरदा	मरदा
वही	वही	22.11.15	वही	सुन्दरपुर	सुन्दरपुर
वही	वही	23.11.15	वही	सटखारी	सटखारी
विकास भारती	जे.एच. 01 V/ 4789	01.05.14	गुमला	आसनी	आसनी
वही	वही	03.05.14	वही	कुमहारिया	कुमहारिया
वही	वही	04.05.14	वही	फोटी	फोटी
वही	वही	07.05.14	वही	कोटम	कोटम
वही	वही	15.05.14	बिसुनपुर	बीटी	बीटी
वही	वही	18.05.14	वही	सखुआपाणी	सखुआपाणी
वही	वही	19.05.14	वही	जोभिपाथ	जोभिपाथ
वही	वही	22.05.14	वही	मंझिरा	मंझिरा
वही	वही	01.05.14	गुमला	आसनी	आसनी
वही	वही	03.05.14	वही	कुमहारी	कुमहारी
वही	वही	07.05.14	वही	कोटम	कोटम
वही	वही	13.05.14	घाघरा	नावडीह	नावडीह
वही	वही	13.06.14	वही	नावडीह	नावडीह
वही	वही	01.06.14	गुमला	आसनी	आसनी
वही	वही	03.06.14	वही	कुमहारिया	कुमहारिया
वही	वही	04.06.14	वही	फोटी	फोटी
वही	वही	07.06.14	वही	कोटम	कोटम
वही	वही	15.06.14	बिसुनपुर	बीटी	बीटी
वही	वही	18.06.15	वही	सखुआपाणी	सखुआपाणी
वही	वही	19.06.14	वही	जोभिपाथ	जोभिपाथ
वही	वही	22.06.14	वही	मंझिरा	मंझिरा
वही	वही	01.07.14	गुमला	आसनी	आसनी
वही	वही	04.07.14	वही	फोटी	फोटी
वही	वही	07.07.14	वही	कोटम	कोटम
पश्चिमी सिंहभूम					
विकास भारती	जे.एच. 01 V/8309	08.07.15	टोन्टो	पुरानापाणी	पुरानापाणी
		14.07.15	वही	सैरेगसिया	सैरेगसिया
		16.07.15	झिंकपानी	भेलेनडिया	भेलेनडिया
		22.07.15		नयागाँव	नयागाँव
		24.07.15	मंझारी	कुन्डरूगुट	कुन्डरूगुट
		26.07.15		इपिलसिंगी	इपिलसिंगी
		27.07.15		महावुरु	महावुरु

गैर सरकारी संस्थान के नाम	च.चि.इ. का पंजीकरण संख्या	कैम्प की तिथि	प्रखण्ड सा. स्वा. केन्द्र प्रा. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कैम्प का स्थान
झारखण्ड स्टेप-इन ट्रस्ट वाड़ाजामदा	जे.एच. 01 ए.ए./4832	05.07.14	वाड़ाजामदा	करमपादा	करमपादा
		25.07.14	मझगाँव	अमवैमर्चा	अमवैमर्चा
		27.07.14		अधिकारी	अधिकारी
		29.07.14		वालीवैन्ड	वालीवैन्ड
	जे.एच. 01 ए.जी./9579	12.07.14	मनोहरपुर	छोटानागरा	छोटानागरा
		26.07.14		मरकन्दा	मरकन्दा
		29.07.14		पंचपहिया	पंचपहिया
		23.07.14		मैमर	मैमर
रिंची ट्रस्ट अस्पताल, राँची	जे.एच.01ए.ए.4864	10.06.16	चक्रधरपुर	टोकलो	टोकलो
		06.06.16	खूटपानी	गलूरावासा	गलूरावासा
		07.06.16		अजेन्दवेरा	अजेन्दवेरा
			वन्दगाँव	टेवो	टेवो
जामताड़ा					
सिटिजन फाउन्डेशन	जे.एच.01ए.जी.9586	जनवरी से जून 2014	नारायणपुर	झिलुआ	झिलुआ
				मोहनपुर	मोहनपुर
				कोरीडीह	कोरीडीह
				चरकीपहाड़ी	चरकीपहाड़ी
				जगरनाथपुर	जगरनाथपुर
				घंटी	घंटी
				वगरुडीह	वगरुडीह
				वुधुडीह	वुधुडीह
				कालीपहाड़ी	कालीपहाड़ी
				झिलुआ	झिलुआ
				फुकपंडी	फुकपंडी
				केन्दुवाडीह	केन्दुवाडीह
				बाँसपहाड़ी	बाँसपहाड़ी
				मन्डरौं	मन्डरौं
भगवानपुर	भगवानपुर				
शिमला	शिमला				
मंझलाडीह	मंझलाडीह				
लोहिया भिकलांग सेवा समिति	जे.एच-01- ए.जी.9603	जुलाई से दिसम्बर 2015	कुंडहित	फतेहपुर	फतेहपुर
				अम्बा	अम्बा
				शंकरपुर	शंकरपुर
				तुलसीचक	तुलसीचक

गैर सरकारी संस्थान के नाम	च.चि.इ. का पंजीकरण संख्या	कैम्प की तिथि	प्रखण्ड सा. स्वा. केन्द्र प्रा. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कैम्प का स्थान
				हरिनारायणपुर	हरिनारायणपुर
				नगरी	नगरी
				सटकी	सटकी
				वावूपुर	वावूपुर
				भेलाडीह	भेलाडीह
				चरकमारा	चरकमारा
				गेपाथर	गेपाथर
				बोराबाद	बोराबाद
				धसनियाँ	धसनियाँ
				जमजोरी	जमजोरी
				बागडेहरी	बागडेहरी
				चलवेरिया	चलवेरिया
				कुंडहित	कुंडहित
				चरकमारा	चरकमारा
				रसुनपुर	रसुनपुर
				जोगपहाड़ी	जोगपहाड़ी
				खजूरी	खजूरी
				बेनूडीह	बेनूडीह
				खैरबानी	खैरबानी
				सुरचीपुर	सुरचीपुर
डायनेमिक तरंग	जे.एच. 01 ए.ए./4834	जुलाई से दिसंबर 2015	जामताड़ा	शिवलीवाड़ी	शिवलीवाड़ी
				खुशवेदिया	खुशवेदिया
				चन्द्रदीपा	चन्द्रदीपा
				मेझीया	मेझीया
				सुपैडीह	सुपैडीह
				गोपालपुर	गोपालपुर
				अलगचुआँ	अलगचुआँ
				टेटबन्धा	टेटबन्धा
				नावाडीह	नावाडीह
				चलना	चलना
लोहिया विकलांग समिति	जे.एच. 01 ए.जी./9603	दिसंबर 2013	कुंडहित	जमजोरी	जमजोरी
				अम्बा	अम्बा
				बावूपुर	बावूपुर
				शुद्रचीपुर	शुद्रचीपुर
				आमलाडोही	आमलाडोही
				भेलाडीह	भेलाडीह
				पालजोरी	पालजोरी
				बाँगनडीह	बाँगनडीह

गैर सरकारी संस्थान के नाम	च.चि.इ. का पंजीकरण संख्या	कैम्प की तिथि	प्रखण्ड सा. स्वा. केन्द्र प्रा. स्वा. केन्द्र	उप स्वा. केन्द्र का नाम	कैम्प का स्थान
				गेपाथर	गेपाथर
				विक्रमपुर	विक्रमपुर
				खैरवानी	खैरवानी
				भेलुआ	भेलुआ

परिशिष्ट-2.1.21

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.3 पृष्ठ 33)

च.चि.इ. की आवश्यकता और उपलब्धता की विवरणी

क्र. स.	जिलों के नाम	एम.एम.यू. की आवश्यकता	एम.एम.यू. की उपलब्धता	कमी
1	दुमका	10	3	7
2	गिरिडीह	4	4	0
3	गुमला	6	4	2
4	जामताड़ा	6	5	1
5	पश्चिमी सिंहभूम	5	4	1
	कुल	31	20	11

परिशिष्ट-2.1.22

(संदर्भित कंडिका 2.1.12.4 पृष्ठ 33)

बी.एल.एस. और ए.ल.एस. एम्बुलेंस की क्रय के लिए अनुमोदन का विवरणी

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष (संख्या में)		एक वर्ष में अतिरिक्त एम्बुलेंस की संख्या (संख्या में)		क्रय के लिए आर.ओ.पी. में अनुमोदित कुल एम्बुलेंस की संख्या (संख्या में)	प्रारंभिक अवशेष (संख्या में)	एक वर्ष में अतिरिक्त राशि (लाख में)	आर.ओ.पी. में एम्बुलेंस की कुल के लिए अनुमोदित (संख्या में)	अभ्युक्ति
	बी.ए ल.एस	ए.ल.एस.	बी.ए ल.एस.	ए.ल.एस.					
1	2	3	4	5	कुल (4+5)	7	8	9	10
2012-13	-	-	160	40	200	0	2240	2240	₹ 10 लाख प्रति वी.एल.एस. एम्बुलेंस की दर और ₹ 16 लाख प्रति ए.एल.एस. एम्बुलेंस की दर
2013-14	160	40	0	0	200	2240	0	2240	
2014-15	160	40	74	0	274	2240	740	2980	
2015-16	234	40	95	0	369	2980	950	3930	

(स्रोत: राज्य एन.एच.एम.)

परिशिष्ट-2.1.23

(संदर्भित कंडिका 2.1.14.2 पृष्ठ 37)

वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में सहिया को प्रशिक्षण में कमी की विवरणी

वर्ष	सहिया की नियुक्ति की संख्या	सहिया का प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य	उपलब्धि	प्रशिक्षण में कमी (संख्या में/ प्रतिशत)
2011-12	40964	82300	45432	36868 (45)
2012-13	40964	118639	54803	63836 (54)
2013-14	40964	188168	45043	143125 (76)
2014-15	40964	146219	35977	110242 (75)
2015-16	40964	104754	30698	74056 (71)
कुल		640080	211953	428127 (67)

(स्रोत: राज्य एन.एच.एम.)

परिशिष्ट-2.1.24

(संदर्भित कंडिका 2.1.15 पृष्ठ 38)

जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकताओं के विरुद्ध डायग्नोस्टिक जाँच की कमी का विवरणी

क्र. स.	जिलों का नाम	आ.ई.पी.एच.एस. मापदंड के अनुसार आवश्यक डायग्नोस्टिक जाँच की सं.	उपलब्ध डायग्नोस्टिक जाँच की संख्या	डायग्नोस्टिक जाँच की कमी (संख्या में/ प्रतिशत)
जिला अस्पताल				
1.	दुमका	102	33	69 (68)
2.	गिरिडीह	102	27	75(74)
3.	गुमला	102	27	75 (74)
4.	जामताड़ा	102	36	66 (65)
5.	पश्चिम सिंहभूम	102	22	80 (78)
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र				
1.	बागोदर	33	10	23 (70)
2.	भरनो	33	11	22 (67)
3.	विरनी	33	14	19 (58)
4.	डूमरी	33	11	22 (67)
5.	जामा	33	6	27 (82)
6.	कुन्डहित	33	5	28 (85)
7.	मनोहरपुर	33	12	21 (64)
8.	नाला	33	13	20 (61)
9.	पालकोट	33	11	22 (67)
10.	शिकारीपाड़ा	33	9	24 (73)
11..	सिसई	33	19	14 (42)
12.	टोन्टो	33	5	28 (85)
अनुमंडलीय अस्पताल				
13.	चक्रधरपुर	48	9	39 (81)

(स्रोत: असेनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और सा.स्वा.के. के प्र.चि.प.)

परिशिष्ट-2.1.25

(संदर्भित कंडिका 2.1.16.1 पृष्ठ 39)

भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं उपलब्ध नहीं होना

(संख्या में)

क्र. स.	सुविधा का नाम	स्थान	भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार आवश्यकता दवाओं के प्रकार आवश्यक	उपलब्ध दवाओं के प्रकार	दवाओं के प्रकार की कमी	प्रतिशत
1	जिला अस्पताल	दुमका	493	88	405	82
2		गिरिडीह		124	369	75
3		गुमला		93	400	81
4		जामताड़ा		61	432	88
5		पश्चिमी सिंहभूम		61	432	88
1	अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	बगोदर	176	50	126	72
2		भरनो		33	143	81
3		विरनी		119	57	32
4		चक्रधरपुर		58	118	67
5		डुमरी		74	102	58
6		जामा		68	108	61
7		कुन्डहित		38	138	78
8		मनोहरपुर		44	132	75
9		नाला		70	106	60
10		पालकोट		60	116	66
11		शिकारीपाड़ा		48	128	73
12		सिसई		58	118	67
13		टोन्टो		31	145	82
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	अम्बा	173	अनुपलब्ध	-	-
2		अरका		61	112	65
3		आनन्दपुर		33	140	81
4		बरमासिया		62	111	64
5		भन्डरौं		55	118	68
6		बारापलासी		39	134	77
7		विलींगवेड़ा		अनुपलब्ध	-	-
8		विन्दापाथर		39	134	77
9		चिकनिया		39	134	77
10		धनधारा		65	108	62
11		दूरिया		32	141	81
12		फतेहपुर		अनुपलब्ध	-	-
13		गेरिया		39	134	77
14		हथिया		32	141	82
15		जराईकेला		30	143	83
16		जूरा		39	134	77

(संख्या में)

क्र. स.	सुविधा का नाम	स्थान	भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार आवश्यकता दवाओं के प्रकार आवश्यक	उपलब्ध दवाओं के प्रकार	दवाओं के प्रकार की कमी	प्रतिशत
17		कुर्गी		अनुपलब्ध	-	-
18		माल्टी		65	108	62
19		निमियाघाट		15	158	91
20		सुरिया		67	106	61
21		टोन्टोग्राम		यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं है।		
22		टोन्टो मुख्यालय				
23		तुलाडीह		56	117	68

परिशिष्ट-2.1.26

(संदर्भित कंडिका 2.1.16.1 पृष्ठ 39)

भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवा उपलब्ध नहीं होना

क्र. स.	जिला का नाम	स्वास्थ्य उप केंद्र का नाम	भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार आवश्यकता दवा के प्रकार आवश्यक	उपलब्ध दवाओं के प्रकार	दवाओं के प्रकार में कमी	प्रतिशत
1	दुमका	बारापलासी	18	10	8	44
2		बिरजपुर		6	12	67
3		लीलाटरी		13	5	28
4		भरोपुर		14	4	22
5		चिकनिया		13	5	28
6		चोटकट्टा		12	6	33
7		धनधारा		14	4	22
8		झुंकी		12	6	33
9		कडाराधा		14	4	22
10		बारटकान्दर		8	10	55
11		वेगासिया		12	6	33
12		मालूटी		14	4	22
13	गिरिडीह	आटकाडीह		12	6	33
14		अटकी		9	9	50
15		बागोडीह		12	6	33
16		वैदापहाड़ी		11	7	39
17		बालगो		13	5	28
18		भण्डरौ		अनुपलब्ध	-	-
19		चितनखारी		12	6	33
20		धारगुल्ली		12	6	33
21		गलगी		9	9	50
22		खड़खरी		12	6	33
23		मन्डरोमो		12	6	33
24		मुन्डरो		12	6	33
25		नारायणपुर		अनुपलब्ध	-	-
26		नगरकेशवारी		12	6	33
27		पेशम		12	6	33
28		पोरदाग		9	9	50
29		रोशनटुण्डा		अनुपलब्ध	-	-
30		शीतलटोला		14	4	22
31	गुमला	दूरिया		12	6	33
32		डोम्बा		9	9	50
33		मारसिल्ली		12	6	33
34		जुरा		10	8	44
35		अटकारा		11	7	39
36		मोरगाँव		10	8	44

क्र. स.	जिला का नाम	स्वास्थ्य उप केंद्र का नाम	भा.लो.स्वा.मा. के अनुसार आवश्यकता दवा के प्रकार आवश्यक	उपलब्ध दवाओं के प्रकार	दवाओं के प्रकार में कमी	प्रतिशत
37		चेगरी		7	11	61
38		माकुण्डा		9	9	50
39		पोहरा		8	10	55
40		बैंगरू		अनुपलब्ध	-	-
41		पीथरटोली		अनुपलब्ध	-	-
42		सोलगा		अनुपलब्ध	-	-
43		जामताड़ा	विन्धापाथर		10	8
44	धतुला			10	8	44
45	मोहनबैक			10	8	44
46	गेरिया			10	8	44
47	मोहनपुर			10	8	44
48	रौगासोला			10	8	44
49	चरकमारा			अनुपलब्ध	-	-
50	हरिनारायणपुर			अनुपलब्ध	-	-
51	सटकी			अनुपलब्ध	-	-
52	वाबुपुर			अनुपलब्ध	-	-
53	भमनबन्ठी			अनुपलब्ध	-	-
54	फतेहपुर			अनुपलब्ध	-	-
55	पश्चिमी सिंहभूम	मेरमेरा		7	11	61
56		धनगाँव		6	12	67
57		देवगाँव		3	15	83
58		टोन्टो		9	9	50
59		पदमपुर		7	11	61
60		जीकीलता		9	9	50
61		सैरेगसिया		10	8	44
62		लूइया		7	11	61
63		टेनसेरा		9	9	50
64		समीज		9	9	50
65		आनन्दपुर		8	10	56
66		खटंगवेरा		7	11	61
67		मकरन्डा		4	14	78
68		पंचपहिया		5	13	72
69		टिरीलपोशी		11	7	39

परिशिष्ट-2.1.27

(संदर्भित कंडिका 2.1.16.2 पृष्ठ 40)

दुमका और गिरिडीह जिलों में डायगनोस्टिक किटों के क्रय पर धोखाधड़ी कर आधिक्य भुगतान

इन्भायस के अनुसार विवरणी					किट वॉक्स के अनुसार विवरणी							अन्तर ₹ में (5-12)
क्र.स.	किट का नाम	कुल आपूर्ति मात्रा	वैट सहित प्रति दर किट (5%)	कुल भुगतान (₹ में)	किट का ब्रांड नाम	बैच सं.	बॉक्स के अनुसार एम.आर.पी.	प्रत्येक बॉक्स में किट की संख्या	एम.आर.पी. के अनुसार किट की दर	बैचवार आपूर्ति की मात्रा	एम.आर.पी. के अनुसार वास्तविक भुगतान की जाने की आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	टायफायड डिटेक्शन जाँच किट	5000	1603.35	8016750	इ.जेड डी.एक्स. (सालमोनेला टाईफी आई.जी.एम.)	एस.टी.एम. 09/0115	3200	10	320.00	3000	960000	6816750
					ओ.एस.सी.ए.आर. (टाइफॉयड आई.जी.एम./ आई.जी.जी.)	डी053	4800	40	120.00	2000	240000	
	उप योग(अ)	5000	1603.35	8016750						5000	1200000	
2	एच.आई.भी. स्क्रीनिंग जाँच किट	76000	98.18	7461300	रेपिटेस्ट एच.आई.भी. 1 एवं 2	एल.एफ.15 088	2000	30	66.67	36000	2400000	4632119
					रेपिटेस्ट एच.आई.भी. 1 एवं 2	एल.एफ.15 092	2000	30	66.67	5000	333333	

					रेपिटेस्ट	एल.एफ.15 019 ²	2000	30	66.67	35000	2333333	
		71020	98.18	6972388	रेपिटेस्ट	एल.एफ.14 026	2000	30	66.67	21020	1401403	
					रेपिटेस्ट	एल.एफ.15 127	2000	30	66.67	50000	3333500	
	उप योग(ब)	147020	98.18	14433688						147020	9801569	
3	यूरिन जाँच किट	53000	21.00	1113000	मिशन	यू.आर.एस.4090090	700	100	7.00	53000	371000	742000
4	एच.बी.एस.एजी टेस्ट किट (हेपेटाइटिस बी)	35000	44.63	1561875	रेपिटेस्ट	एल.एफ.14 079	600	30	20.00	20000	400000	1091615
		20340	44.63	907672	रेपिटेस्ट	एल.एफ.14 033	600	30	20.00	15000	300000	
		20340	44.63	907672	रेपिटेस्ट	एल.एफ.15 158	1000	30	33.33	20340	677932	
	उप योग(स)	55340	44.625	2469547						55340	1377932	
	कुल	260360		26032985						260360	12750501	13282484

² रिट बॉक्स से एम.आर.पी. नोचा हुआ

परिशिष्ट-2.1.28

(संदर्भित कंडिका 2.1.16.3 पृष्ठ 42)

दर अनुबंध के विरुद्ध आधिक्य भुगतान की विवरणी

जिलों	अनुमोदित अनुबंधित दर	अनुबंध दर का वर्ष	दवा का प्रकार	क्रय की मात्रा (दवा)	देय राशि (अनुबंध दर के अनुसार (₹ में)	वास्तविक भुगतान (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
रा.शा.स्वा.मि. निधि में							
दुमका	असैनिक शल्य चिकित्सक	2012-13	23	517880	1959037	3273826	1314789
पश्चिमी सिंहभूम	झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसायटी	2012-13	1	9200000	1246150	1702012	455862
जामताड़ा	असैनिक शल्य चिकित्सक	2012-13	10	1311382	881537	1168017	286480
कुल			34	11029262	4086724	6143855	2057131
राज्य निधि में							
दुमका	असैनिक शल्य चिकित्सक	2011-12	17	426580	888894	1203460	314566
पश्चिमी सिंहभूम	सी.एस. एवं डी.आई.सी.	2015-16	11	1467350	1159443	3074097	1914654
कुल			28	1893930	2048337	4277557	2229220
कुल योग			62	12923192	6135061	10421412	4286351

परिशिष्ट-2.1.29

(संदर्भित कंडिका 2.1.16.5 पृष्ठ 43)

सुविधाओं के स्तर पर एक्सपायर्ड दवाओं की विवरणी

जिला	सुविधा का नाम	दवा का नाम	मात्रा (भायल/गोली/बोतल)	समय समाप्ति की तिथि
दुमका	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा	सकसिनी आइकोलाइन	6	12/12
		नएस नॉमेल सलाइन	61	05/12
		इंजेक्शन डेक्सामेथासीन	175	06/12
		इंजेक्शन प्रोमेथाजिन	25	06/12
		इंजेक्शन फेनोबारवीटीन	35	06/12
		इंजेक्शन वैजाथिनेपेनेसिलिन	10	04/13
		इंजेक्शन फोटीफाइ प्रोफ्यून पेनीसीलिन	100	06/13
		इंजेक्शन हाईड्रकोर्टीसोन	25	04/13
		इंजेक्शन बैंजाइल पेनीसीलीन	400	07/13
		इंजेक्शन मिथाइलगोमेट्रीन	600	08/13
		इंजेक्शन सालबुटामोल नीयोनटल	500	06/13
		इंजेक्शन सोडीविकार्व	25	05/13
		इंजेक्शन पोटेशियम कोलेयूड ओरल	15	05/13
		इंजेक्शन बुभोकेनहाईड्रोक्लो	10	06/14
		इंजेक्शन न्योसटीगमिन 0.5 एम जी	100	06/14
		इंजेक्शन पेन्टोजोसिम	200	06/13
		इंजेक्शन थायोपेन्टोन	250	06/13
		इंजेक्शन पेन्सिजोमीन	100	06/13
इंजेक्शन जेन्टामाइसीन	158	07/14		
	कुल		2795	
गुमला	जिला अस्पताल गुमला	गेटीनीगजिन(भाइल)	500	04/15
		बेटावैथ्रोन(भाइल)	350	05/15
		एनाभिन हैभी	330	06/15
	कुल		1180	
पश्चिमी सिंहभूम	जिला अस्पताल चाईबासा	ओक्टरीजेम	10300	04/11
		मयूकस सकर	900	12/11
		प्रायमाजियून	5000	06/11
		प्रोमिडेन आयोडीन (बोतल)	89	04/11
		रिकॉल डी टेवलेट	34500	07/11
		इंजेक्शन जेन्टामाइसिन 80 एम जी (भाइल्स)	1110	06/11
		डॉक्सीसायक्लीन	12200	04/12
		ओमिप्रडजोल 200 एम जी	100	11/12
		इंजेक्शन डेक्सामेथासन	2549	04/12
		कामाडोल भाइल	2525	04/12
		रेनीटीडीन	400	04/12
		लिओहेवसक्यून 250 एम जी	13500	09/12
		क्लोरोमिन टेबलेट्स	3000	09/12

		सलायन सेट बोतल	300	05/12
		पार्टीनल	9000	06/13
		डिकालोफ्लेम 50 एम जी	1400	11/13
		पारासिटामोल 500 एम जी	43900	12/14
		इवसेपारा	500	01/14
	कुल		141273	
टोन्टो	सा. स्वा. केंद्र, टोन्टो	सेट्रिजिन 10 एम जी	100	अप्रैल-15
		ऑफलाक्ससिन	7270	अप्रैल-15
		ऑफलाक्ससिन+ ओ जेड	4400	मई-15
	कुल		11770	
	कुल योग		157018	

परिशिष्ट-2.1.30

(संदर्भित कंडिका 2.1.16.6 पृष्ठ 43)

सुविधा स्तर पर अनुपलब्ध दवाओं की विवरणी

वर्ष	जिला	सुविधा	मात्रा	स्टॉक से बाहर की अवधि या रेंज(सीमा)
2011-12	दुमका	जिला अस्पताल, दुमका	28	1 माह से 12 माह
2012-13			25	4 माह से 10 माह
2013-14			58	4 माह से 12 माह
2014-15			32	1 माह से 11 माह
2015-16			54	4 माह से 12 माह
2011-12	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा	25	4 माह से 11 माह
2012-13			15	2 माह से 7 माह
2013-14			23	2 माह से 6 माह
2014-15			26	2 माह से 8 माह
2015-16			46	7 माह से 11 माह
2012-13	गिरिडीह	जिला अस्पताल, गिरिडीह	2	2 माह से 8 माह
2013-14			5	2 माह से 11 माह
2011-12	गुमला	जिला अस्पताल, गुमला	24	2 माह से 42 माह
2012-13			31	1 माह से 35 माह
2013-14			22	1 माह से 25 माह
2014-15			12	2 माह से 21 माह
2011-12	जामताड़ा	जिला अस्पताल, जामताड़ा	21	1 माह से 11 माह
2012-13			20	1 माह से 8 माह
2013-14			24	28 दिन से 11 माह
2014-15			12	2 माह से 11 माह
2015-16			22	1 माह से 8 माह
2011-12	पश्चिमी सिंहभूम	जिला अस्पताल, चाईबासा	8	04/2011 से 10/2011
2012-13			7	04/2012 से 01/2013
2011-12		सा.स्वा.कें. टोन्टो	29	10/2011 से 03/2012
2012-13			17	3 माह से 10 माह
2013-14			17	7 माह से 11 माह

2011-12		सा.स्वा. केंद्र मनोहरपुर	81	2 माह से 12 माह
2012-13			18	2 माह से 8 माह
2013-14			29	11 माह से 12 माह
2014-15			32	4 माह से 11 माह
2015-16			26	2 माह से 12 माह
2011-12		अनुमंडलीय अस्पताल चक्रधरपुर	23	3 माह से 12 माह
2012-13			29	2 माह से 12 माह
2013-14			40	3 माह से 11 माह
2014-15			46	2 माह से 12 माह
2015-16			34	2 माह से 12 माह
कुल			963	

परिशिष्ट-2.1.31

(संदर्भित कंडिका 2.1.17.4; पृष्ठ 45)

जिला गुणवत्ता दर्लों की बैठकों और इसके कमियों की विवरणी

स्वास्थ्य सुविधा का नाम	जिला गुणवत्ता दल का गठन की अवधि	जिला गुणवत्ता दर्लों की तिथि से मार्च 2016 तक आवश्यक बैठकों की संख्या	बैठकों के आयोजन की संख्या	कमी की संख्या (प्रतिशत में)
जिला अस्पताल दुमका	मई 2014	23	9	14 (61)
जिला अस्पताल गुमला	अप्रैल 2014	24	3	21 (88)
जिला अस्पताल जामताड़ा	सितम्बर 2014	19	2	17 (89)
जिला अस्पताल पश्चिमी सिंहभूम	जुलाई 2014	21	4	17 (81)
कुल		87	18	69 (79)

परिशिष्ट-2.1.32

(संदर्भित कंडिका 2.1.19.1 (ii); पृष्ठ 49)

2011-16 के दौरान राज्य में प्रसवपूर्व देखभाल जांच की कमी का विवरण

वर्ष	कुल पंजीकृत गर्भवती महिला की संख्या	प्रसवपूर्व देखभाल जाँच के बाद गर्भवती महिला का पंजीकृत संख्या				प्रसवपूर्व देखभाल जाँच में कमी (संख्या प्रतिशत में)		
		पंजीकृत स्तर पर (प्रथम प्रसवपूर्व देखभाल)	दूसरा जाँच (2 प्रसवपूर्व देखभाल)	तीसरा जाँच (2 प्रसवपूर्व देखभाल)	चौथा जाँच (4 प्रसवपूर्व देखभाल)	दूसरा प्रसवपूर्व देखभाल (2-4)	तीसरा प्रसवपूर्व देखभाल (2-5)	चौथा प्रसवपूर्व देखभाल (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	734914	734914	157942	-	644663	576972 (79)	-	90251 (12)
2012-13	724839	724839	166895	-	474442	557944 (77)	-	250397 (35)
2013-14	801120	801120	225610	-	550093	575510 (72)	-	251027 (31)
2014-15	782667	782667	263626	-	523757	519041 (66)	-	258910 (34)
2015-16	707507	707507	255252	-	457582	452255 (64)	-	249925 (35)
कुल	3751047	3751047	1069325		2650537	2681722 (72)		1100510 (29)

(स्रोत: राज्य एन.एच.एम.)

परिशिष्ट-2.1.33

(संदर्भित कंडिका 2.1.19.1 (vi); पृष्ठ 51)

वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में नसबंदी के लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत में)	कमी (प्रतिशत में)
2011-12	235000	143187 (61)	91813(39)
2012-13	200000	146258 (73)	53742(27)
2013-14	170000	121922 (72)	48078(28)
2014-15	170000	120000 (71)	50000(29)
2015-16	200000	83991 (42)	116009(58)
कुल	975000	615358	359642(37)

(स्रोत: एन.एच.एम., झारखण्ड)

परिशिष्ट-2.1.34

(संदर्भित कंडिका 2.1.19.1(vi); पृष्ठ 51)

वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य में अंतरण के तरीकों का लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी

(लाख में)

वर्ष	आइ.यू.डी. इंनसरशन		कमी	ओरल गोलियों का वितरण		कमी	कंडोम का वितरण		कमी (प्रतिशत में)
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
2011-12	2.80	1.03	1.77(63)	329.99	10.34	319.65 (97)	1827.65	75.42	1752.22(96)
2012-13	2.00	1.01	0.98(49)	329.99	8.33	321.66 (97)	1827.65	48.24	1779.40(97)
2013-14	2.00	0.96	1.04(52)	अनुपलब्ध	0.34	अनुपलब्ध	370.64	41.92	328.71(89)
2014-15	2.00	1.08	0.92(46)	अनुपलब्ध	6.67	अनुपलब्ध	371.75	34.70	337.04(91)
2015-16	2.02	1.05	0.96(48)	45.90	5.70	40.20 (88)	72.00	29.24	42.75(59)
कुल	10.82	5.14	5.68(52)	705.88	31.38	674.51 (96)	4469.68	229.55	4240.13(95)

(स्रोत: एन.एच.एम., झारखण्ड)

परिशिष्ट-2.1.35

(संदर्भित कंडिका 2.1.19.1(vii); पृष्ठ 51)

मेडिकल सलाह के विरुद्ध छोड़ कर चले जाने के मामले की विवरणी

जिलों का नाम	सुविधा केंद्र का नाम	वर्ष	प्रसव के लिए लेबर वार्ड में भरती कराये गये आई.पी.डी. रोगियों की कुल संख्या	लामा मामले की कुल संख्या	लामा मामले का प्रतिशत
दुमका	जिला अस्पताल, दुमका	2014-15	3672	1543	42
		2015-16	3557	2849	80
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिकारीपाड़ा	2011-12	585	27	5
		2012-13	675	82	12
		2013-14	1222	115	9
		2014-15	1148	35	3
		2015-16	816	40	5
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जामा	2013-14	1851	7	0.4
		2014-15	2084	11	0.5
		2015-16	1752	15	1
गुमला	जि.अ., गुमला	2011-12	3269	7	0.3
		2012-13	4120	15	0.4
		2013-14	4507	58	1
पश्चिमी सिंहभूम	जिला अस्पताल, चाईबासा	2014-15	3474	482	13
		2015-16	3352	623	19
	अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर	2012-13	3639	55	2
		2013-14	3027	47	2
		2014-15	1505	36	2
		2015-16	762	17	2
			कुल	45017	6064

(स्रोत: जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी)

परिशिष्ट-2.2.1

(कंडिका-2.2.6.1 को संदर्भित; पृष्ठ 60)

विभिन्न मानदंडों पर झारखंड की स्थिति को दिखाती विवरणी

क्र. सं.	क्षेत्र	संदर्भ	राज्य की स्थिति
1	एक व्यवसाय स्थापित करना	नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में सूचनाओं की उपलब्धता, एक प्रभावी एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करना, कारोबार शुरू करने हेतु अन्य नीति समर्थक सुविधा प्रदान करना इत्यादि।	शीर्ष पाँच में नहीं
2	भूमि का आवंटन तथा निर्माण परमिट प्राप्त करना	भूमि की उपलब्धता, भूमि आवंटन, भवन परमिट, निर्माण योजना का अनुमोदन (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ से पहले), यातायात एवं समन्वय विभाग / प्रासंगिक यातायात प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ से पहले), ट्री प्राधिकरण/ उपयुक्त प्राधिकारी से पेड़ कटाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ करने के पूर्व), संपत्ति का पंजीकरण इत्यादि।	शीर्ष पाँच में नहीं
3	पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का अनुपालन	जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत स्थापित करने की सहमति, वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापित करने की सहमति, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989 के अन्तर्गत प्राधिकार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) नियम, 2000 के अन्तर्गत प्राधिकार, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत संचालन की सहमति, वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत संचालित करने की सहमति इत्यादि।	शीर्ष पाँच में नहीं
4	श्रम नियमों का अनुपालन	कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करना, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत योजना का अनुमोदन और निर्माण/ विस्तार/ या किसी इमारत को कारखाना के रूप में उपयोग की अनुमोदन, भारतीय बाँयलर अधिनियम, 1923 के तहत लाइसेंस, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत ठेकेदारों के लिए लाइसेंस, दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत प्रधान नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकरण इत्यादि।	शीर्ष स्थान पर
5	बुनियादी ढांचे से संबंधित उपयोगिता प्राप्त करना	उपयोगिता संयोजन के लिए समय-सीमा, बिजली का संयोजन प्राप्त करना, तूफान-पानी और जल निकासी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ से पहले), सीवेज विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ से पहले) अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ से पहले) इत्यादि।	शीर्ष पाँच में नहीं
6	पंजीयन और टैक्स प्रक्रियाओं का अनुपालन	वैट के लिए पंजीयन, सीएसटी, ऑनलाइन रिटर्न भरना इत्यादि।	शीर्ष पाँच में नहीं
7	निरीक्षण करना	वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) पंजीकरण के लिए व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण, निर्माण करने की अनुमति हेतु इमारत प्रस्ताव कार्यालय / प्रासंगिक एजेंसी द्वारा निरीक्षण, पेड़ों की कटाई के लिए पेड़ प्राधिकरण/ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण (निर्माण गतिविधियों के प्रारंभ से पहले), समान पारिश्रमिक अधिनियम, 197 के तहत निरीक्षण, कारखानों अधिनियम, 1948 के तहत निरीक्षण इत्यादि।	शीर्ष स्थान पर
8	अनुबंधों को लागू करना	वाणिज्यिक विवादों को हल करने हेतु, इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयों मौजूदा न्यायालयों में विशेष न्यायालय या वाणिज्यिक प्रॉमंडल की स्थापना, जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इत्यादि।	शीर्ष पाँच में नहीं

परिशिष्ट-2.2.2

(कंडिका-2.2.17 को संदर्भित; पृष्ठ 85)

2011-16 के दौरान विज्ञापन, कंसल्टेंसी और एकल खिड़की प्रणाली पर आवंटन और व्यय का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मद	अथ-शेष	आवंटन	अन्य पावतियाँ	व्यय	शेष	अभियुक्ति
2011-12	प्रचार और प्रकाशन	--	4.00		4.00	-	--
	एकल खिड़की प्रणाली	1.20	0.20	0.42	0.29	1.53	बचत
	परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी		0.75		0.75	-	
	कुल	1.20	4.95	0.42	5.04	1.53	
2012-13	प्रचार और प्रकाशन		5.00		4.22	0.78	प्रत्यर्पण
	एकल खिड़की प्रणाली	1.53	0.00	0.34	0.96	0.91	बचत
	परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी		0.10		0.10	-	
	कुल	1.53	5.10	0.34	5.28	1.69	
2013-14	प्रचार और प्रकाशन		6.00		2.29	3.71	प्रत्यर्पण
	एकल खिड़की प्रणाली	0.91	1.00	1.10	0.83	2.18	बचत
	परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी		0.50		0.50	-	
	कुल	0.91	7.50	1.10	3.62	5.89	
2014-15	प्रचार और प्रकाशन		4.00		2.56	1.44	प्रत्यर्पण
	एकल खिड़की प्रणाली	2.18	0.20	1.04	1.16	2.26	बचत
	परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी		1.28		1.28	-	
	कुल	2.18	5.48	1.04	5.00	3.70	
2015-16	प्रचार और प्रकाशन		4.00		3.93	0.07	प्रत्यर्पण
	एकल खिड़की प्रणाली	2.26	11.00	0.34	3.70	9.90	बचत
	परियोजना व्यवहार्यता और कंसल्टेंसी		1.00		0.70	0.30	प्रत्यर्पण
	कुल	2.26	16.00	0.34	8.33	10.27	
कुल योग			39.03	3.24	27.27	23.08	

(स्रोत: उद्योग निदेशालय)

परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भित कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 89)

लेखापरीक्षा दल द्वारा निरीक्षित गोदामों का विवरण

जिला	प्रखण्ड	गोदामों की संख्या	निरीक्षण की तिथि
देवघर	देवघर सदर	1	05.07.2016
	सारवाँ	1	
धनबाद	बरमसिया	1	13.05.2016
	गोविन्दपुर	3	
	झरिया	1	
पूर्वी सिंहभूम	साक्ची	1	21.07.2016
	घाटशिला	2	
	बर्मामाईन्स	1	
गढ़वा	गढ़वा	3	20.08.2016
	मेराल	2	
	रमना	1	
हजारीबाग	ईचाक	2	16.03.2016
	बरही	2	
	बिष्णुगढ़	2	17.03.2016
	बाजार समिति	2	
लोहरदगा	लोहरदगा	2	03.06.30216
	कुडु	1	
कुल		28	

परिशिष्ट-3.1.2

(संदर्भित कंडिका 3.1.2.3; पृष्ठ 91)

चयनित जिलों में गोदामों की कमी का विवरण

जिला	प्रखण्ड	उपलब्ध क्षमता (एम.टी.)	मासिक आवंटन (एम.टी.)	आवश्यकता (एम.टी.)	कमी (एम.टी.)
देवघर	देवघर	1250	992.30	1984.60	734.60
	मोहनपुर	250	768.72	1537.44	1287.44
	सारवाँ	250	385.89	771.78	521.78
	सोनारायथाड़ी	250	344.78	689.56	439.56
	देवीपुर	250	466.71	933.42	683.42
	मधुपुर	1250	759.65	1519.30	269.30
	सारठ	1250	729.18	1458.36	208.36
	पालाजोरी	250	684.36	1368.72	1118.72
	करौन	250	374.19	748.38	498.38
	मरगोमुण्डा	250	417.02	834.04	584.04
	कुल	5500	5922.80	11845.60	6345.60
धनबाद	धनसार	700	2353.69	4707.38	4007.38
	बरमसिया	2000	1194.44	2388.88	388.88
	सिन्दरी	500	789.60	1579.20	1079.20
	बाघमारा	1330	1049.92	2099.84	769.84
	टुण्डी	450	594.25	1188.50	738.50
	गोविन्दपुर	1350	924.47	1848.94	498.94
	निरसा एवं मैथन	1600	1486.56	2973.12	1373.12
	तोपचांची	1350	569.65	1139.30	-210.70
	कुल	9280	8962.58	17925.16	8645.16
पूर्वी सिंहभूम	बोरम	250	395.81	791.62	541.62
	पटमदा	350	419.80	839.60	489.60
	गोलमुरी-सह-जुगसलाई	1250	2369.05	4738.10	3488.10
	पोटका	350	728.98	1457.96	1107.96
	मोसाबनी	250	399.22	798.44	548.44
	डुमरिया	350	310.72	621.44	271.44
	धालभुमगढ़	350	293.53	587.06	237.06
	चकुलिया	350	528.49	1056.98	706.98
	घोड़ाबन्धा	250	226.69	453.38	203.38
	बहरागोड़ा	250	816.26	1632.52	1382.52
	घाटशिला	1350	514.96	1029.92	-320.08
	कुल	5350	7003.51	14007.02	8657.02
गढ़वा	गढ़वा	2250	861.23	1722.46	-527.54
	दन्दा	0	90.32	180.64	180.64

जिला	प्रखण्ड	उपलब्ध क्षमता (एम.टी.)	मासिक आवंटन (एम.टी.)	आवश्यकता (एम.टी.)	कमी (एम.टी.)
	मेराल	250	579.93	1159.86	909.86
	डन्डई	0	298.52	597.04	597.04
	मंझिआँव	250	325.78	651.56	401.56
	कान्दी	250	344.21	688.42	438.42
	बरडीहा	0	183.55	367.10	367.1
	रनका	1250	414.41	828.82	-421.18
	चिनिया	0	221.83	443.66	443.66
	रन्कन्डा	0	234.56	469.12	469.12
	भन्डरिया	1250	291.45	582.90	-667.1
	नगरउटारी	1250	448.20	896.40	-353.6
	रमना	250	306.50	613.00	363
	बिशुनपुरा	0	135.20	270.40	270.4
	भवनाथपुर	750	410.60	821.20	71.2
	करतार	0	270.25	540.50	540.5
	करौन्डी	0	247.25	494.50	494.5
	धुरकी	250	289.14	578.28	328.28
	संगमा	0	153.25	306.50	306.5
	कुल	8000	6106.18	12212.36	4212.36
	हजारीबाग	चूरू, दारी, दारू, टाटीझरिया	750	986.825	1973.65
सदर प्रखण्ड, कटकमसन्डी प्रखण्ड, कटकमदाग नगर पर्षद		750	1422.89	2845.78	2095.78
ईचाक		250	631.32	1262.64	1012.64
बरकागाँव		350	695.465	1390.93	1040.93
केरेडारी		350	452.16	904.32	554.32
बिष्णुगढ़		350	658.885	1317.77	967.77
बरही		1000	500.945	1001.89	1.89
पदमा		250	265.895	531.79	281.79
चौपारन		350	610.065	1220.13	870.13
बरकठा		500	631.005	1262.01	762.01
चलकुशा		250	207.265	414.53	164.53
कुल		5150	7062.72	14125.44	8975.44
लोहरदगा	लोहरदगा शहरी, ग्रामीण	2250	630.03	1260.06	-989.94
	सेन्हा	250	290.68	581.36	331.36
	भन्डरा	250	257.64	515.28	265.28
	किस्को	250	321.87	643.74	393.74
	पेसरार	0	177.31	354.62	354.62

जिला	प्रखण्ड	उपलब्ध क्षमता (एम.टी.)	मासिक आवंटन (एम.टी.)	आवश्यकता (एम.टी.)	कमी (एम.टी.)
	कुडू	250	430.76	861.52	611.52
	कैरो	0	205.80	411.60	411.60
	कुल	3250	2314.09	4628.18	1378.18

परिशिष्ट-3.1.3

(संदर्भित कंडिका 3.1.3.1; पृष्ठ 95)

निर्माण अभिकरण द्वारा निर्मित लेकिन विभाग को स्थान्तरित नहीं की गई गोदामों की सूची

जिला	वर्ष	गोदामो की संख्या	प्रत्येक गोदामों की क्षमता (एम.टी.)	कुल प्राक्कलित राशि (एक लाख ₹ में)	क्या पूर्ण है	क्या विभाग को स्थान्तरित है
गिरिडीह	2012-13	1	500	19.37	हाँ	नहीं
गोड्डा	2010-11	1	250	7.35	हाँ	नहीं
	2011-12	1	1000	21.36	हाँ	नहीं
सिमडेगा	2009-10	1	1000	21.04	हाँ	नहीं
	2009-10	3	250	21.83	हाँ	नहीं
	2010-11	6	250	44.09	हाँ	नहीं
बोकारो	2012-13	1	500	19.37	हाँ	नहीं
पश्चिमी सिंहभूम	2009-10	7	250	50.95	हाँ	नहीं
	2010-11	9	250	66.13	हाँ	नहीं
	2013-14	1	500	37.97	हाँ	नहीं
गढ़वा	2010-11	8	250	58.78	हाँ	नहीं
राँची	2010-11	2	250	14.70	हाँ	नहीं
सरायकेला	2010-11	1	250	7.35	हाँ	नहीं
पाकुर	2012-13	3	500	58.11	हाँ	नहीं
	2013-14	1	500	37.97	हाँ	नहीं
कुल		46		486.37		

परिशिष्ट-3.1.4

(संदर्भित कंडिका 3.1.3.2; पृष्ठ 97)

अव्यवहृत निर्मित गोदामों का विवरण

(₹ लाख में)

जिला	प्रखण्ड जहाँ गोदाम निर्मित किया गया	प्राक्कलित लागत	राशि रूपांतरण की तिथि	व्यय	पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
देवघर	देवघर (1000 एम.टी.)	21.11	10.02.2010	20.88	नहीं दिया गया	जंग खाया छत
	देवघर (250 एम.टी.)	7.63	10.02.2010	6.52	नहीं दिया गया	क्षतिग्रस्त छत, दिवार
	देवीपुर (250 एम.टी.)	7.63	10.02.2010	6.52	नहीं दिया गया	क्षतिग्रस्त छत
	पालाजोरी (250 एम.टी.)	7.63	10.02.2010	6.45	नहीं दिया गया	पहुँच पथ की कमी
धनबाद	झरिया 250 एम.टी.	7.32	29.03.2011	7.04	18.08.2013	क्षतिग्रस्त एवं पहुँच पथ की कमी
	झरिया 1000 एम.टी.	35.86	21.03.2013	32.13	24.02.2014	-वही-
	टुण्डी 1000 एम.टी.	23.03	18.03.2012	21.31	28.02.2013	-वही-
पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर सदर (250)	7.35	28.03.2011	6.26	नहीं दिया गया	-
	घाटशिला (1000)	21.36	16.11.2011	19.73	01.03.2014	पहुँच पथ की कमी
	जमशेदपुर (1000)	21.36	16.11.2011	21.97	नहीं दिया गया	-
	बोरम (250)	7.35	28.03.2011	6.31	नहीं दिया गया	-
हजारीबाग	कटकमसान्डी 250 एम.टी.	7.15	23.03.2009	5.49	12.08.2014	पहुँच पथ की कमी
	टाटीझरिया 250 एम.टी.	7.32	18.03.2011	6.91	28.06.2014	-वही-
	बिष्णुगढ़ 500 एम.टी.	19.37	03.02.2013	17.21	30.07.2014	-वही-
लोहरदगा	कैरो 250 एम.टी.	7.47	03.02.2011	6.33	27.06.2012	क्षतिग्रस्त छत
गढ़वा	दान्दा 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.32	मार्च 2012	क्षतिग्रस्त छत एवं अन्य खामियां

जिला	प्रखण्ड जहाँ गोदाम निर्मित किया गया	प्राक्कलित लागत	राशि रूपांतरण की तिथि	व्यय	पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
	दान्दी 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.40	मार्च 2012	-वही-
	बडिहा 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.32	मार्च 2012	-वही-
	चिनिया 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.40	मार्च 2012	-वही-
	रमकन्डा 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.40	दिसम्बर 2012	-वही-
	बिसुनपुरा 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.32	मार्च 2014	-वही-
	केतर 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.32	मार्च 2012	-वही-
	करौन्डी 250 एम.टी.	7.40	29.03.2011	7.40	दिसम्बर 2012	-वही-
	सकल योग	278.58		249.94		

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भित कंडिका 3.1.3.2, पृष्ठ 99)

गोदामों के विलम्बित निर्माण के कारण मूल्य वृद्धि का विवरण

जिला	प्रखण्ड (क्षमता एम.टी. में)	का. अ. भ.नि.वि. को पुस्तक अन्तरण (₹ लाख में)	पुस्तक अन्तरण की तिथि	पुनरीक्षित एवं स्वीकृत प्राक्कलन	स्वीकृति/तिथि	मूल्य वृद्धि
देवघर	देवघर (1000)	22.031	22.08.2011	31.93	9180 तिथि 25.09.2013	9.90
	मोहनपुर (1500)	104.10	21.03.2014, 17.03.2015	121.93	122 तिथि 11.01.2016	17.83
धनबाद	तोपचांची (1000)	21.30	21.10.2011	26.21	464 तिथि 25.03.2015	4.91
	धनबाद (1000)	21.30	28.02.2012	27.18	464 तिथि 25.03.2015	5.87
	टुण्डी (1000)	21.30	28.03.2012	23.03	464 तिथि 25.03.2015	1.72
	गोविन्दपुर (500)	37.96	उपलब्ध नहीं	47.66	डी.सी. पत्र 1439 तिथि 14.09.2015	9.69
पूर्वी सिंहभूम	बहरागोरा (250)	7.17	23.03.2010	9.73	4053 तिथि 17.08.2015	2.56
	डुमरिया (250)	7.17	23.03.2010	9.21	4053 तिथि 17.08.2015	2.04
	पटमदा (500)	19.37	28.03.2013	47.72	विभाग को अग्रप्रेषित	28.35
	बहरागोर (500)	19.37	28.03.2013	47.72	विभाग को अग्रप्रेषित	28.35
	जमशेदपुर सदर (1000)	35.86	28.03.2013	99.53	विभाग को अग्रप्रेषित	63.67
	पोटका (1000)	35.86	28.03.2013	99.36	विभाग को अग्रप्रेषित	63.50
गढ़वा	कान्दी (500 एम.टी.)	37.96	30.03.2014	44.14	विभाग को अग्रप्रेषित	6.18
	मझिआँव (500 एम.टी.)	37.96	25.02.16	44.14	विभाग को अग्रप्रेषित	6.18
हजारीबाग	कटकमदाग (250)	7.32	18.03.2011	13.96	2865 तिथि 05.08.2015	6.64
	दारु	7.32	18.03.2011	11.98	120 तिथि	4.66

जिला	प्रखण्ड (क्षमता एम.टी. में)	का. अ. भ.नि.वि. को पुस्तक अन्तरण (₹ लाख में)	पुस्तक अन्तरण की तिथि	पुनरीक्षित एवं स्वीकृत प्राक्कलन	स्वीकृति/तिथि	मूल्य वृद्धि
	(250)				11.01.2016	
	डाडी (250)	7.32	18.03.2011	11.98	120 तिथि 11.01.2016	4.66
लोहरदगा	पेसरार (250)	7.46	उपलब्ध नहीं	10.31	उपलब्ध नहीं	2.84
	लोहरदगा (1000)	21.63	उपलब्ध नहीं	26.33	उपलब्ध नहीं	4.70
	किस्को (500)	37.96	उपलब्ध नहीं	41.03	उपलब्ध नहीं	3.07
	कुल	517.721		795.08		277.32

परिशिष्ट-3.1.6

(संदर्भित कंडिका 3.1.3.2, पृष्ठ 99)

गोदाम निर्माण में विलम्ब के कारण संवेदक पर दण्ड आरोपित नहीं किये जाने का विवरण

जिला	गोदाम का नाम	वर्ष	प्राक्कलन	कार्यादेश की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	मार्च 2016 तक की विलम्ब	आरोपित की जाने वाली दण्ड (₹)
गढ़वा	गढ़वा/ 1000 एम.टी.	2011-12	2147200	24.08.2011	सितम्बर 2012	23.02.2012	7 महीने	214720
	रन्का/ 1000 एम.टी.	2011-12	2147200	25.8.2011	जुलाई 2013	24.02.2012	4 महीने	214720
	भन्डेरिया/ 1000 एम.टी.	2011-12	2147200	25.8.2011	जुलाई 2013	24.02.2012	4 महीने	214720
	कान्डी/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	23.06.2011	मार्च 2012	22.12.2011	2 महीने	73960
	केतर/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	मार्च 2012	02.11.2011	4 महीने	73960
	बिसुनपुर/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	मार्च 2014	02.11.2011	2 वर्ष 3 महीने	73960
	बरडीहा/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	मार्च 2012	02.11.2011	4 महीने	73960
	डान्डा/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	22.04.2011	मार्च 2012	21.10.2011	4 महीने	73960
	सगमा/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	मार्च 2014	02.11.2011	4 महीने	73960
	गढ़वा/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	दिसम्बर 2012	02.11.2011	1 महीने	73960
	नगरउतारी/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	दिसम्बर 2012	02.11.2011	1 महीने	73960
	मझियाँव/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	दिसम्बर 2012	02.11.2011	1 महीने	73960
	चिनिया/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	11.05.2011	दिसम्बर 2012	10.11.2011	1 महीने	73960
	रमकन्डा/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	03.05.2011	दिसम्बर 2012	02.11.2011	1 महीने	73960
	डन्डई/250 एम.टी.	2010-11	739600	11.05.2011	दिसम्बर 2012	10.11.2011	1 महीने	73960
	भन्डेरिया/ 250 एम.टी.	2010-11	739600	11.05.2011	दिसम्बर 2012	10.11.2011	1 महीने	73960
भवनाथपुर /500 एम.टी.	2012-13	1936500	30.3.2013	मार्च 2015	29.6.2013	1 वर्ष 1 महीने	193650	
							कुल	1799290
पूर्वी सिंहभूम	पोटका/ 250 एम.टी.	2010-11	734800	11.04.2012	28.09.2013	10.8.2012	7 महीने	73480
	जमशेदपुर/ 250 एम.टी.	2010-11	734800	30.01.2012	25.10.2012	24.03.2013	6 महीने	73480
	बोरम/ 250 एम.टी.	2010-11	734800	24.01.2012	चालू	23.6.2012	3 वर्ष 9 महीने	73480
	चकुलिया/ 250 एम.टी.	2010-11	734800	22.11.2011	22.12.2012	21.5.2012	6 महीने	73480
	घोड़ाबन्धा/ 250	2010-11	734800	12.11.2011	चालू	11.5.2012	3 वर्ष 10	73480

	एम.टी.						महीने	
	बरहागोड़ा/ 250 एम.टी.	2009-10	716600	19.03.2010	चालू	18.09.2010	5 वर्ष 6 महीने	71660
	डुमरिया/ 250 एम.टी.	2009-10	716600	08.03.2010	चालू	07.09.2010	5 वर्ष 6 महीने	71660
	जमशेदपुर/ 1000 एम.टी.	2011-12	2136200	03.03.2012	28.10.2013	02.07.2012	3 महीने	213620
	घाटशिला/ 1000 एम.टी.	2011-12	2136200	03.03.2012	09.03.2013	02.07.2012	8 महीने	213620
	पटमदा/ 500 एम.टी.	2013-14	3796500	15.07.2015	चालू	14.01.2016	2 महीने	379650
	बहरागोरा/ 500 एम.टी.	2012-13	1936500	27.02.2015	चालू	26.08.2015	7 महीने	193650
	पटमदा /500 एम.टी.	2012-13	1936500	25.02.2015	चालू	24.08.2015	7 महीने	193650
							कुल	1704910
देवघर	देवघर/ 1000 एम.टी.	2009-10	1466208	12.01.2010	23.09.2010	12.09.2010	11 दिन	146621
	मधुपुर/ 250 एम.टी.	2009-10	578219	12.01.2010	21.09.2010	12.07.2010	2 महीने 9 दिन	57822
	पालाजोरी/ 250 एम.टी.	2009-10	578219	11.01.2010	24.09.2010	10.07.2010	2 महीने 14 दिन	57822
	मोहनपुर/ 250 एम.टी.	2009-10	578222	06.01.2010	22.09.2010	05.07.2010	2 महीने 17 दिन	57822
	सारवाँ/ 250 एम.टी.	2010-11	578222	11.01.2010	21.09.2010	10.07.2010	2 महीने 11 दिन	57822
	देवघर/ 250 एम.टी.	2010-11	644416	18.03.2011	17.11.2011	17.09.2011	2 महीने	64442
	सारठ/ 250 एम.टी.	2010-11	644416	24.03.2011	29.03.2012	23.09.2011	6 महीने 6 दिन	64442
	देवीपुर/ 250 एम.टी.	2010-11	644416	24.03.2011	19.12.2011	23.09.2011	2 महीने 26 दिन	64442
	सोना राय थारी / 250 एम.टी.	2010-11	644416	09.05.2011	1.03.2012	08.11.2011	3 महीने	64442
	मारगोमुन्डा/ 250 एम.टी.	2010-11	644416	02.07.2011	21.03.2012	01.12.2011	3 महीने	64442
	देवघर/ 1000 एम.टी.	2011-12	3083090	12.10.2015	अपूर्ण	11.02.2016	4 महीने 19 दिन	308309
							कुल	1008428
							सकल योग	4512628

परिशिष्ट-3.1.7

(संदर्भित कंडिका 3.1.6.2, पृष्ठ 110)

**समर्थित अभिश्रव के बिना डी.एस.डी. के अन्तर्गत खाद्यान की ढुलाई पर भुगतान का
विवरण**

वर्ष	प्रखण्ड की संख्या	आदेश संख्या	अवधि	खाद्यान की मात्रा (एम.टी.)	समर्थित अभिश्रव के बिना ढुलाई लागत (₹)
2011-12	5	277 दिनांक 29-03- 2012	जनवरी 2012 से मार्च 2012	2743.900	7,68,292
2013-14	4	124 दिनांक 19.03.2014	जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013	6294.997	17,62,587
2013-14	5	985 दिनांक 14.12.2013	अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013	5154.491	14,43,364
			कुल	14193.388	39,74,243

परिशिष्ट-3.1.8

(संदर्भित कंडिका 3.1.6.2, पृष्ठ 111)

नजदीकी स्थान पर सुपुर्दगी के अन्तर्गत खाद्यान की कपटपूर्ण ढुलाई का विवरण


ढुलाई की तिथि	गाड़ी संख्या	पी.डी.एस. डीलर की संख्या एवं पता	योजना	ढुलाई की गई खाद्यान की मात्रा (क्विंटल)	गाड़ी का प्रकार	आदेश संख्या एवं तिथि
04.05.2013	जे.एच. 05 जी 5464	अरुण कु. गुप्ता, गालुडीह, घाटशीला प्रखण्ड, पूर्वी सिंहभूम	बी.पी.एल. चावल	23.45	टोयोटा कार	984 दिनांक 14.12.2013
18.05.2013	जे.एच. 05 ए.एस.1541	रेडरोस एम मंडल, गोपालपुर, घाटशीला	बी.पी.एल. चावल	12.60	कार आई 10	984 दिनांक 14.12.2013
08.05.2013	जे.एच. 05जी 5464	अशोत शीट, घाटशीला, पूर्वी सिंहभूम	बी.पी.एल. चावल	9.45	टोयोटा कार	984 दिनांक 14.12.2013
05.05.2013	जे.एच. 05 जी 5464	जन जलयान एम मंडल, गालुडीह, घाटशीला, पूर्वी सिंहभूम	बी.पी.एल. चावल	18.30	टोयोटा कार	984 दिनांक 14.12.2013
04.05.2013	जे.एच. 05जी 5464	अरुण कु. गुप्ता, गालुडीह, घाटशीला प्रखण्ड, पूर्वी सिंहभूम	ई.आ.यो. चावल	15.40	टोयोटा कार	985 दिनांक 14.12.2013
18.05.2013	जे.एच. 05ए.एस. 1541	रेडरोस एम मंडल, गोपालपुर, घाटशीला	ई.आ.यो. चावल	10.85	कार आई 10	985 दिनांक 14.12.2013
18.05.2013	जे.एच. 05जी 5464	अशोत शीट, घाटशीला, पूर्वी सिंहभूम	ई.आ.यो. चावल	8.75	टोयोटा कार	985 दिनांक 14.12.2013
25.05.2013	जे.एच. 05जी.5464	जन जलयान एम मंडल, गालुडीह, घाटशीला, पूर्वी सिंहभूम	ई.आ.यो. चावल	8.75	टोयोटा कार	985 दिनांक 14.12.2013
अप्रैल 2013	जे.एच. 05 ए.बी.0529	कान्ति चरण महतो, मोहनलिसिल, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम	ई.आ.यो. चावल	14.00	पैशन प्रो मोटर साईकिल	985 दिनांक 14.12.2013

अप्रैल 2013	जे.एच. 05ए.बी. 0529	कान्ति चरण महतो, मोहनलिसिल, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम	बी.पी.एल. चावल	4.90	पैशन प्रो मोटर साईकिल	984 दिनांक 14.12.2013
			कुल	126.45		

परिशिष्ट-3.2.1

(संदर्भित कंडिका 3.2.1 पृष्ठ 118)

धान अधिप्राप्ति, क.मि.रा. में रूपांतरण एवं भा.खा.नि. को सुपुर्दगी का फ्लो चार्ट



परिशिष्ट-3.2.2

(संदर्भित कंडिका 3.2.2.5 पृष्ठ 124)

खरीफ विपणन मौसमवार धान अधिप्राप्ति, क.मि.रा. सुपुर्दगी, प्रपत्रों की तैयारी के विरुद्ध लंबित अदायगी को दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा एम.टी. में एवं राशि ₹ में)

ख.वि.मौ.	अधिप्राप्ति किये गये धान कि मात्रा	भा.खा.नि. को सुपुर्द की जाने वाली रूपांतरित क.मि.रा. की मात्रा (68 प्रतिशत के दर से)	भा.खा.नि. को सुपुर्द की गई वास्तविक क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. का दर (₹/मीट.)	सुपुर्द की गई क.मि.रा. का मूल्य	सुपुर्द की जाने वाली शेष क.मि.रा. की मात्रा (का 3 - का 6)	शेष क.मि.रा. का मूल्य	सुपुर्द की गई क.मि.रा. के मात्रा के लिए विपत्र	भा.खा.नि. से भुगतान की अदायगी	बकाया अदायगी की राशि (का 9 - का 10)	धा.अ.के. द्वारा राशि का दावा नहीं किया गया (कॉलम 6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011-12	3,93,819.16	2,67,797.03	2,57,386.79	18,833.20	4,84,74,16,893.43	10,410.24	19,60,58,131.97	4,83,71,30,000.00	4,77,37,40,000.00 [#]	6,33,90,000.00	1,02,86,893.43
2012-13	3,15,990.19	2,14,873.33	1,13,183.76	21,470.00	2,43,00,55,327.20	1,01,689.57	2,18,32,75,067.90	1,99,71,10,000.00	1,99,71,10,000.00 [*]	0	43,29,45,327.20
2013-14	485.16	329.91	307.89	22,564.30	69,47,322.33	22.02	4,96,640.24	67,30,000.00	32,70,000.00 ^{\$}	34,60,000.00	2,17,322.33
2014-15	6,153.99	4,184.71	699.44	23,450.90	1,64,02,497.50	3,485.27	8,17,32,718.24	1,64,00,000.00	1,64,00,000.00 ^{\$}	0	2,497.50
कुल	7,16,448.50	4,87,184.98	3,71,577.88		7,30,08,22,040.46	1,15,607.10	2,46,15,62,558.35	6,85,73,70,000.00	6,79,05,20,000.00	6,68,50,000.00	44,34,52,040.46

स्त्रोत: एम.डी. झा.प.खा.आ.नि. राँची द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/सुचना

#- ₹ 477.374 करोड़ (ख.वि.मौ. 2011-12- ₹ 136.324 करोड़), (ख.वि.मौ. 2012-13- ₹ 334.245 करोड़), (ख.वि.मौ.-2013-14- ₹ 6.755 करोड़) और (ख.वि.मौ. 2015-16 में ₹ 0.050 करोड़) अदायगी हुई।

*- ₹ 199.711 करोड़ (ख.वि.मौ. 2013-14, ₹ 6.251 करोड़), (ख.वि.मौ. 2014-15, ₹ 75.400 करोड़) (ख.वि.मौ. 2015-16, ₹ 118.060 करोड़) और ₹ 32.70 लाख ख.वि.मौ. 2014-15 में अदायगी हुई।

\$- ₹ 1.64 करोड़ ख.वि.मौ. 2015-16 में अदायगी हुई।

परिशिष्ट-3.2.3

(संदर्भित कंडिका 3.2.2.9; पृष्ठ 127)

क्षतिग्रस्त बोरों की स्थिति दर्शाती हुई विवरणी

(जूट बोरों की मात्रा सं. में)

क्र.सं.	जि.प्र./ जि.ल.प. के नाम	ख.वि.मौ.	जि.प्र./जि.ल.प. द्वारा प्राप्त किये जूट बोरों की संख्या	भा.खा.नि. को क.मी.रा. आपूर्ति के लिये लैम्पस/पैक्स को वितरित	शेष जूट बोरे	टिप्पणी
1.	साहेबगंज	2011-12 एवं 2012- 13	270500	206727	63773	शेष जूट बोरे नमी, दीमक तथा चूहों से क्षतिग्रस्त हुए।
2.	जामताड़ा	2011-12 एवं 2012-13	163500	139321	24179	शेष जूट बोरे बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए।
3.	सिमडेगा	2011-12 एवं 2012- 13	150000	105198	44802	शेष जूट बोरे काम के लायक नहीं थे।
4.	हजारीबाग	2012-13	6500	-	6500	खुंटी से प्राप्त क्षतिग्रस्त जूट बोरे हजारीबाग के गोदामों में रखे गये थे।
5.	जमशेदपुर	2012-13	306500	199000	107500	शेष जूट बोरे भण्डारों में उचित ढंग से नहीं रखे गए थे।
	कुल		897000	650246	246754	

स्त्रोत: संबंधित जिलों के जि.स.प. और जिला प्रबंधक

परिशिष्ट-3.2.4
(संदर्भित कंडिका 3.2.2.10 (क); पृष्ठ 127)
किसानों को विलम्ब से हुई भुगतान को दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा किं. में एवं राशि ₹ में)

क्र. सं.	ख.वि. मौ.	जिला/प्रखण्ड	धा.अ.कं.	किसानों की संख्या	अधिप्राप्त की गई धान की मात्रा	राशि	किसानों की संख्या (विलम्ब से भुगतान)	अधिप्राप्त की मात्रा	अधिप्राप्ति की अवधि		भुगतान की निर्धारित तिथि	चेक निर्गत/भुगतान की अवधि		भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	न्यू.स.मू.	राशि
									से	तक		से	तक			
हजारीबाग																
1	2011-12	इचाक	अलौंजा	881	28950	31266000	96	6044.38	27.3.12	31.3.12	30.3.12 से 3.4.12	01.8.12	05.08.12	123-124	1080	6527930
2	2012-13	इचाक	अलौंजा	588	31765	39706250	319	22765	03.2.13	20.4.13	6.2.13 से 23.4.13	22.3.13	8.7.13	31-83	1250	28456250
3	2011-12	सदर	मेरु	727	20249.84	21869827	197	8396.54	20.3.12	31.3.12	23.3.12 से 3.4.13	22.8.12	20.10.12	150-210	1080	9068263
4	2012-13	सदर	मेरु	660	22631.85	28289812	63	2437.55	19.3.13	15.4.13	22.3.13 से 18.4.13	15.6.13	17.6.13	85 से 87	1250	3046937
5	2011-12	दारी	हेसालौंग	509	17121.10	18491447	356	11947.00	17.2.12	31.3.12	20.2.12 से 3.4.12	30.7.12	24.8.12	161 से 186	1080	12902760
6	2012-13	दारी	हेसालौंग	823	21351.32	26689150	603	15234.79	24.2.13	30.4.13	3.4.13	5.4.13	28.5.13	28	1250	19043488
7	2012-13	इचाक	बरियठ	571	14584.9	18231125	571	14584.90	05.2.13	30.4.13	8.2.13 से 3.5.13	18.2.13	28.5.13	10 से 25	1250	18231125
धनबाद																
8	2012-13	गोविंदपुर	बिराजपुर	522	14800	18500000	57	2052.31	28.4.13	30.4.13	1.5.13 से 3.5.13	15.5.13	22.6.13	44 से 82	1250	2565387
9	2011-12	बाघमारा	रायगंज	835	15180.6	16395048	15	561.68	13.3.12	13.3.12	16.3.12	30.8.12	30.8.12	167	1080	606614
10	2011-12	निरसा	निरसा व्यापार मंडल	289	10744.03	11603552	16	942.02	31.3.12	31.3.12	3.4.12	31.7.12	17.10.12	119 से 197	1080	1017382
11	2011-12	गोविंदपुर	गोविंदपुर व्यापार मंडल	525	20500	22140000	14	1099.48	30.3.12	30.3.12	3.4.12	28.8.12	29.8.12	147 से 148	1080	1187438
12	2011-12	टुण्डी	पुर्नाडिह	240	5243	5662440	5	79.93	16.3.12	17.3.12	19.3.12 से 20.3.12	4.5.12	13.8.12	46 से 119	1080	86324

जमशेदपुर																
13	2011-12	पटमदा	बंगुरदा	601	23020	24861600	11	554.75	30.12.11	31.3.12	3.1.12 से 3.4.12	13.1.12	12.11.12	10 से 192	1080	599130
14	2012-13	पटमदा	बंगुरदा	317	16300	20375000	25	4735.07	27.4.13	30.4.13	30.4.13 से 3.5.13	28.5.13	13.9.13	28 से 133	1250	5918837
15	2011-12	पटमदा	पटमदा	545	13100	14148000	77	2906.36	27.3.12	31.3.12	30.3.12 से 3.4.12	30.7.12	19.10.12	121 से 197	1080	3138869
16	2012-13	पटमदा	पटमदा	310	9720	12150000	14	917.18	29.4.13	30.4.13	2.5.13 से 3.5.13	3.6.13	28.8.13	32 से 117	1250	1146475
17	2012-13	पटमदा	बोराम	119	2880	3600000	6	165.28	25.4.13	30.4.13	28.4.13 से 3.5.13	14.6.13	25.7.13	47 से 83	1250	206600
			कुल				2445									113749809

परिशिष्ट-3.2.5

(संदर्भित कंडिका 3.2.3.1; पृष्ठ 129)

प्रत्येक ख.वि.मौ. के लिये धान की अधिप्राप्ति एवं सुपुर्दगी की निर्धारित समय सीमा दर्शाती हुई विवरणी

ख.वि.मौ.	धान अधिप्राप्ति की अवधि	क.मि.रा. को भा.खा.नि. में सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	ख.वि.मौ. की कुल अवधि
2011-12	01.11.2011 से 31.3.2012	30.6.2012 तक (15.02.2013 तक विस्तारित)	01.11.2011 से 15.02.2013
2012-13	22.12.2012 से 30.04.2013	31.10.2013 तक	22.12.2012 से 31.10.2013
2013-14	26.12.2013 से 31.03.2014	25.08.2014 तक	26.12.2013 से 25.08.2014
2014-15	15.01.2015 से 31.03.2015	30.06.2015 तक (15.09.2015 तक प्रसारित)	15.01.2015 से 15.09.2015
2015-16	01.12.2015 से 31.03.2016	30.09.2016 तक	01.12.2015 से 30.09.2016

परिशिष्ट-3.2.6

(संदर्भित कंडिका 3.2.3.4; पृष्ठ 132)

हजारीबाग और राँची में उत्पादन से अधिक अधिप्राप्ति की विवरणी

क्र.सं.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	ख.वि.मौ.	किसानों की संख्या	क्षेत्र एकड़ में	अधिप्राप्ति क्विं. में	मूल्य (₹ में)	हजारीबाग एवं राँची के द्वारा प्रस्तुत उपज दर के अनुसार क्विं. में उत्पादन	क्विं. में अधिक	भुगतान की गई अधिक राशि (₹ में)	न्यू.स.मू. (₹ में)	उपज दर (क्विं./एकड़)
1	हजारीबाग	इचाक	अलौंजा	2011-12	95	255.00	5889.89	6361081.20	3960.15	1929.74	2084119.20	1080	15.53
	हजारीबाग	इचाक	अलौंजा	2012-13	20	67.45	1599.87	1999837.50	505.20	1094.67	1368337.50	1250	7.49
2	हजारीबाग	चौपारण	दैहर	2012-13	57	180.15	3006.87	3758587.50	1349.32	1657.55	2071937.50	1250	7.49
3	हजारीबाग	इचाक	बरियठ	2012-13	85	270.88	3429.39	4286737.50	2028.89	1400.50	1750625.00	1250	7.49
4	हजारीबाग	चुरचु	चुरचु	2012-13	48	121.71	2443.94	3054925.00	851.97	1591.97	1989962.50	1250	7.00
5	हजारीबाग	बड़कागाँव	बड़कागाँव	2012-13	6	12.14	390.50	488125.00	114.07	276.43	345538.00	1250	10.24
6	हजारीबाग	केरेडारी	केरेडारी	2012-13	12	28.62	806.95	1008687.50	305.95	501.00	626250.00	1250	10.69
7	हजारीबाग	इचाक	लोहंडी	2011-12	10	21.00	498.15	538002.00	326.13	172.02	185781.60	1080	15.53
	हजारीबाग	इचाक	लोहंडी	2012-13	20	64.11	932.76	1165950.00	480.18	452.57	565720.10	1250	7.49
8	हजारीबाग	कटकमदाग	लुट्टा	2012-13	9	17.55	347.95	434937.50	138.47	209.48	261850.00	1250	7.89
9	हजारीबाग	सदर	मेरु	2013-14	20	37.39	1219.50	1597545.00	405.68	813.82	1066104.20	1310	10.85
	कुल				382	1076.00	20565.77	24694415.70	10466.01	10099.76	12316225.60		
1	राँची	नामकुम	रामपुर	2011-12	1	1.09	15.34	16567.20	13.39	1.95	2111.18	1080	12.28
	राँची	नामकुम	रामपुर	2012-13	4	3.21	89.53	111912.50	36.24	53.29	66611.38	1250	11.29
2	राँची	नामकुम	नामकुम	2011-12	35	42.03	1008.93	1089644.40	516.13	492.80	532225.70	1080	12.28
	राँची	नामकुम	नामकुम	2012-13	29	81.55	1481.28	1851600.00	920.7	560.58	700725.00	1250	11.29
	कुल				69	127.88	2595.08	3069724.10	1486.45	1108.63	1301673.26		
	कुल योग				451	1203.88	23160.85	27764139.80	11952.46	11208.39	13617898.86		

परिशिष्ट-3.2.7

(संदर्भित कंडिका 3.2.4.2; पृष्ठ 136)

चावल मिलों के अनियमित चयन को दर्शाती हुई विवरणी

क्र.सं.	के.एम.एस.	जिला	चावल मिलों के नाम	पाये गये अनियमितताओं के प्रकार
1	2011-12 एवं 2012-13	हजारीबाग	मे. हेमकुंट राईस मिल्स, हजारीबाग	स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.), 14 जुलाई 2014 को जारी हुई, इसी अनुसार कार्य करने की सहमति (सी.टी.ओ.) 21 अप्रैल 2015 में चावल मिलों को जारी हुई, जबकि इस चावल मिल को सी.टी.ई. सी.टी.ओ. जारी करने के पहले टैग किया गया था।
2	2014-15	हजारीबाग	मे. माँ कामख्या राईस प्लान्ट प्रा.लि., हजारीबाग	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) 12 अक्टूबर 2015 को जारी की गयी किंतु कार्य करने की सहमति मार्च 2016 तक जारी नहीं की गयी जो कि एक राईस मिल के लिए अनिवार्य था जबकि सी.टी.ई. जारी होने के पहले ही पाँच पैक्सो के साथ चावल मिलो का एकरारनामा कार्यान्वित हुआ और उन्हे टैग किया गया था।
3	2014-15 एवं 2015-16	हजारीबाग	मे. तृप्ती राईस मिल्स प्रा.लि., हजारीबाग	चावल मिल के लिए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी कार्य करने की सहमति एवं कारखाना निरीक्षक, अंचल-1, हजारीबाग के द्वारा जारी कारखाना अनुज्ञप्ति की समय सीमा क्रमशः जून 2015 एवं दिसम्बर 2015 को समाप्त हो गयी थी जबकि इन चावल मिलों को ख.वि.मौ. 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान टैग किया गया था। इसके अतिरिक्त, बाँयलर निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कालातीत पाया गया।
4	2011-12 एवं 2012-13	हजारीबाग	में रश्मी राईस मिल्स, हजारीबाग	मार्च 2016 तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा कार्य करने की सहमति (सी.टी.ओ.) जारी नहीं की गयी थी जबकि ख.वि.मौ. 2011-12 एवं 2012-13 में इस चावल मिल को टैग किया गया था। इसके अतिरिक्त, बाँयलर निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र कालातीत पाया गया।
5	2015-16	दुमका	श्री गणेश अक्षत उद्योग, दुधानी चौक, दुमका	प्रवाह उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) के निर्माण नहीं होने के कारण आज तक झारखण्ड राज्य नियंत्रण बोर्ड, दुमका द्वारा कार्य करने की सहमति (सी.टी.ओ.) चावल मिल को जारी नहीं किया गया था।
6	2015-16	दुमका	बाबा राईस मिल प्रा. लि.	प्रवाह उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) के निर्माण नहीं होने के कारण आज तक झारखण्ड राज्य नियंत्रण बोर्ड, दुमका द्वारा कार्य करने की सहमति (सी.टी.ओ.) चावल मिल को जारी नहीं किया गया था।

क्र.सं.	के.एम.एस.	जिला	चावल मिलों के नाम	पाये गये अनियमितताओं के प्रकार
7	2015-16	दुमका	गणेश उद्योग, बाबुपुर औद्योगिक क्षेत्र दुमका	प्रवाह उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) के निर्माण नहीं होने के कारण आज तक झारखण्ड राज्य नियंत्रण बोर्ड, दुमका द्वारा कार्य करने की सहमति (सी.टी.ओ.) चावल मिल को जारी नहीं किया गया था।
8	2011-12 एवं 2012-13	देवघर	निरंजन राईस मिल्स	यह चावल मिल उद्योग विभाग के साथ निबंधित नहीं थे।
9	2011-12 एवं 2012-13	देवघर	शिवा राईस मिल्स	यह चावल मिल उद्योग विभाग के साथ निबंधित नहीं था।
10	2011-12 एवं 2012-13	देवघर	बैद्यनाथ रियल फुड	यह चावल मिल उद्योग विभाग के साथ निबंधित नहीं था।
11	2011-12 एवं 2012-13	जमशेदपुर	भारत लक्ष्मी राईस एवं फ्लावर मिल्स, चाकुलिया	यह चावल मिल को जबकि मिलिंग के लिए 2011-12 और 2012-13 के दौरान टैग किया गया था, यह मिल 2010 से 2013 के बीच निरीक्षण के दौरान बन्द पाये गए और स्थापना के लिए सहमति भी चावल मिल को जारी नहीं की गयी थी।
12	2011-12 एवं 2012-13	जमशेदपुर	कमला राईस मिल्स, चाकुलिया	यह चावल मिल को जबकि मिलिंग के लिए 2011-12 और 2012-13 के दौरान टैग किया गया था, यह मिल 2010 से 2013 के बीच निरीक्षण के दौरान बन्द पाये गए और स्थापना के लिए सहमति भी चावल मिल को जारी नहीं की गयी थी।
13	2011-12	जमशेदपुर	हिन्द राईस मिल्स, चाकुलिया	यह चावल मिल को जबकि मिलिंग के लिए ख.वि.मौ. 2011-12 के दौरान टैग किया गया था, यह मिल 2011 से 2013 के बीच निरीक्षण के दौरान बन्द पाये गए और स्थापना के लिए सहमति भी चावल मिल को जारी नहीं की गयी थी।
14	2011-12	डाल्टनगंज	माँ जानकी जपला राईस मिल्स	बॉयलर निरीक्षक के द्वारा प्राप्त विवरणी के अनुसार, यह चावल मिल या तो निबंधित नहीं था अथवा चावल मिल में बॉयलर नहीं था जो कि उसना चावल के उत्पादन हेतु एक आवश्यक अवयव था।
15	2011-12 एवं 2012-13	देवघर	मे. देवघर राईस मिल्स, झोंसागड़ी, देवघर	कार्यालय निरीक्षक बोकारो के अधीन चावल मिल में बॉयलर के अधिस्थापन एवं स्थिति से संबंधित प्राप्त सूचनाओं का कार्यालय निरीक्षक धनबाद के द्वारा उपस्थापित विवरणी के तिर्यक जाँच से यह उद्घटित हुआ कि कथित राईस मिल का नाम विवरणी में नहीं था। इससे यह प्रमाणित होता है कि या तो यह राईस मिल अस्तित्व में नहीं था अथवा मिल में बॉयलर नहीं था। इसके अलावे, कारखाना निरीक्षक देवघर से प्राप्त सूचनाओं के तिर्यक जाँच से यह पता चला कि कथित मिल अकार्यान्वित थे और बंद पाये गए। आकार्यान्वित रहने की सटीक अवधि कारखाना

क्र.सं.	के.एम.एस.	जिला	चावल मिलों के नाम	पाये गये अनियमितताओं के प्रकार
				निरीक्षक, देवघर के दस्तावेजों में नहीं पायी गयी।
16	2011-12 एवं 2012-13	लोहरदगा	मे. नदिया राईस मिल्स, लोहरदगा	बॉयलर निरीक्षक द्वारा प्रदत्त विवरणी के अनुसार; यह चावल मिल या तो निबंधित नहीं था या चावल मिल के पास बॉयलर नहीं था जो कि उसना चावल के उत्पादन के लिए एक आवश्यक अवयव था।

परिशिष्ट-3.2.8

(संदर्भित कंडिका 3.2.4.3; पृष्ठ 136)

चावल मिलो द्वारा भा.खा.नि. को क.मि.रा. की सुपुर्दगी में विलम्ब दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा किं. में एवं विलम्ब दिनों में)

क्र.सं.	ख.वि.मौ.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	टैग की गई चावल मिलों के नाम	भा.खा.नि. को सुपुर्द की गई क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	क.मि.रा. सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि	क.मि.रा. की सुपुर्दगी में हुई विलम्ब (दिनों में)
1	2011-12	हजारीबाग	चलकुशा	चलकुशा	गणपति राईस मिल, हजारीबाग	1612.80	15 फरवरी 2013	9.3.13 से 10.3.13	24
2	2011-12	हजारीबाग	केरेडारी	बेगवारी	गणपति राईस मिल, हजारीबाग	1344.86	15 फरवरी 2013	8.3.13 से 15.3.13	23 से 30
3	2011-12	हजारीबाग	केरेडारी	केरेडारी	गणपति राईस मिल, हजारीबाग	2419.20	15 फरवरी 2013	11.3.13 से 13.3.13	24 से 26
4	2012-13	दुमका	रानेसर	चोपाबाथन	गणेश उद्योग राईस मिल, दुमका	1892.19	31 अक्टूबर 2013	20.11.13 से 30.12.13	20 से 60
5	2012-13	दुमका	दुमका	आसनसोल	आधुनिक अक्षत उद्योग, बाबुपुर, दुमका	537.42	31 अक्टूबर 2013	26.11.13 से 27.11.13	26 से 27
6	2012-13	दुमका	शिकारीपाड़ा	सरसजोले	अन्नपूर्णा राईस मिल्स, बाबुपुर, दुमका	809.73	31 अक्टूबर 2013	30.12.13 से 31.12.13	60 से 61
7	2012-13	दुमका	जामा	चिकनिया	आधुनिक अक्षत उद्योग, बाबुपुर, दुमका	1346.2	31 अक्टूबर 2013	17.12.13 से 31.12.13	47 से 61
8	2012-13	दुमका	जामा	लकड़ापहाड़ी	आधुनिक अक्षत उद्योग, बाबुपुर, दुमका	537.5	31 अक्टूबर 2013	5.12.13 से 30.12.13	35 से 60
9	2012-13	दुमका	जारमुण्डी	शारा	सहारा माँ फुड प्रा.लि., दुमका	1695.35	31 अक्टूबर 2013	13.11.13 से 23.12.13	13 से 53
10	2012-13	दुमका	गोपीकान्दर	गोपीकान्दर	श्री गणेश अक्षत उद्योग, दुधानी, दुमका	538.8	31 अक्टूबर 2013	22.12.13 से 30.12.13	52 से 60
11	2012-13	दुमका	रानेसर	असाबानी	गणेश उद्योग राईस मिल, दुमका	1252.17	31 अक्टूबर 2013	12.12.13 से 29.12.13	42 से 59

(मात्रा किं. में एवं विलम्ब दिनों में)

क्र.सं.	ख.वि.मौ.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	टैग की गई चावल मिलों के नाम	भा.खा.नि. को सुपुर्द की गई क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	क.मि.रा. सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि	क.मि.रा. की सुपुर्दगी में हुई विलम्ब (दिनों में)
12	2012-13	दुमका	जारमुण्डी	रायकिनारी	अन्नपुरा राईस मिल्स, बाबुपुर, दुमका	540.00	31 अक्टूबर 2013	10.12.13 से 12.12.13	42
13	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल,पालाजोरी	1617.86	31 अक्टूबर 2013	23.12.13 से 31.12.13	53 से 61
14	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	1888.96	31 अक्टूबर 2013	11.12.13 से 31.12.13	41 से 61
15	2012-13	हजारीबाग	कटकमडाग	लुडा	चंद्रवती राईस मिल, हजारीबाग	1612.8	31 अक्टूबर 2013	7.12.13 से 13.12.13	37 से 43
16	2012-13	हजारीबाग	चौपारन	दैहर	चंद्रवती राईस मिल, हजारीबाग	537.60	31 अक्टूबर 2013	27.12.13 से 30.12.13	57 से 60
17	2012-13	हजारीबाग	केरेडारी	बेंगावारी	गणपति राईस मिल, हजारीबाग	268.80	31 अक्टूबर 2013	11.12.13	41
18	2012-13	हजारीबाग	कटकमसाण्डी	कटकमसाण्डी	चंद्रवती राईस मिल, हजारीबाग	1075.2	31 अक्टूबर 2013	7.12.13 से 17.12.13	37 से 47
19	2012-13	हजारीबाग	चुरचु	चुरचु	आदित्य राईस मिल, हजारीबाग	1344.00	31 अक्टूबर 2013	13.12.13 से 19.12.13	43 से 49
20	2012-13	हजारीबाग	बड़कागाँव	नापोकला	गणपति राईस मिल, हजारीबाग	3494.40	31 अक्टूबर 2013	9.12.13 से 31.12.13	39 से 61
21	2012-13	राँची	लापुँग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि.,नगरी	1525.51	31 अक्टूबर 2013	1.12.13 से 30.12.13	30 से 60
22	2012-13	राँची	लापुँग	ककरिया	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि.,नगरी	880.22	31 अक्टूबर 2013	13.11.13 से 31.12.13	13 से 61
23	2012-13	राँची	लापुँग	माहिगाँव	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि.,नगरी	747.25	31 अक्टूबर 2013	11.11.13 से 27.12.13	36 से 57
24	2012-13	राँची	अड़की	सिंदरी	रानी सती फुड, रूक्का, राँची	1015.11	31 अक्टूबर 2013	20.12.13 से 23.12.13	50 से 53

(मात्रा किं. में एवं विलम्ब दिनों में)

क्र.सं.	ख.वि.मौ.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	टैग की गई चावल मिलों के नाम	भा.खा.नि. को सुपुर्द की गई क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	क.मि.रा. सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि	क.मि.रा. की सुपुर्दगी में हुई विलम्ब (दिनों में)
25	2012-13	राँची	ओरमाँड़ी	इरबा	रानी सती फुड, रूक्का, राँची	1392.13	31 अक्टूबर 2013	11.12.13 से 26.12.13	41 से 56
26	2012-13	गढ़वा	माझियाँव	ओबरा	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	1350.10	31 अक्टूबर 2013	6.12.13 से 20.12.13	36 से 50
27	2012-13	गढ़वा	नगरउटारी	बाड़ोडीह	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	539.82	31 अक्टूबर 2013	26.12.13 से 31.12.13	56 से 61
28	2012-13	गढ़वा	नगरउटारी	चिहा विश्राम	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	539.17	31 अक्टूबर 2013	26.12.13 से 27.12.13	56 से 57
29	2012-13	गढ़वा	सगमा	बीरबल	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	808.45	31 अक्टूबर 2013	11.11.13 से 28.11.13	11 से 28
30	2012-13	गढ़वा	बिशुनपुरा	पिपरीकला	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	539.90	31 अक्टूबर 2013	18.11.13	18
31	2012-13	गढ़वा	सगमा	सोण्डिहा	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	270.00	31 अक्टूबर 2013	16.11.13	16
32	2012-13	गढ़वा	बिशुनपुरा	बिशुनपुरा	प्रतीक एगो एक्सपर्ट प्रा.लि., राँची	539.51	31 अक्टूबर 2013	29.11.13 से 3.12.13	29 से 33
33	2012-13	बोकारो	चंदनकियारी	सबरा	शिव शम्भु एगो टैक प्रा.लि., रंगडीह, गोविन्दपुर, धनबाद	809.83	31 अक्टूबर 2013	17.12.13	17
34	2012-13	बोकारो	चंदनकियारी	लाघला नरकेरा	शिव शम्भु एगो टैक प्रा.लि., रंगडीह, गोविन्दपुर, धनबाद	2422.88	31 अक्टूबर 2013	28.11.13 से 31.12.13	28 से 61
35	2012-13	बोकारो	चास	डाबर पुंडरू	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	1616.41	31 अक्टूबर 2013	19.12.13 से 29.12.13	49 से 59

(मात्रा क्विं. में एवं विलम्ब दिनों में)

क्र.सं.	ख.वि.मौ.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	टैग्ड की गई चावल मिलों के नाम	भा.खा.नि. को सुपुर्द की गई क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	क.मि.रा. सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि	क.मि.रा. की सुपुर्दगी में हुई विलम्ब (दिनों में)
36	2012-13	बोकारो	चास	अलकुशा खमरबेंडी	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	539.50	31 अक्टूबर 2013	17.12.13 से 18.12.13	47 से 48
37	2012-13	बोकारो	चास	कुरा-दुधी-गजर	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	538.75	31 अक्टूबर 2013	18.12.13 से 20.12.13	48 से 50
38	2012-13	बोकारो	चंदनकियारी	चंद्रा	शिव शम्भु एग्रो टैक प्रा.लि., रंगडीह, गोविन्दपुर, धनबाद	2153.46	31 अक्टूबर 2013	13.11.13 से 26.12.13	13 से 56
39	2012-13	बोकारो	चंदनकियारी	झालबरदा	शिव शम्भु एग्रो टैक प्रा.लि., रंगडीह, गोविन्दपुर, धनबाद	1078.05	31 अक्टूबर 2013	26.12.13 से 29.12.13	56 से 59
40	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी, फतेहपुर	प्रिया राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	1616.93	31 अक्टूबर 2013	26.11.13 से 19.12.13	26 से 49
41	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	1618.92	31 अक्टूबर 2013	26.11.13 से 12.12.13	26 से 56
42	2013-14	हजारीबाग	कटकमसाण्डी	कटकमसण्डी	गणपति राईस मिल, हजारीबाग	147.78	25 अगस्त 2014	22.9.14	28
					कुल	49055.52			

परिशिष्ट-3.2.9 (अ)

(संदर्भित कंडिका 3.2.4.4; पृष्ठ 136)

धा.अ.कें. द्वारा चावल मिलों को धान के परिवहन में प्रयुक्त संदिग्ध-साधनों को दर्शाती हुई विवरणी

ख.वि.मौ.	जि.स.प.	धा.अ.कें. की संख्या	खोजे गए मामलों की संख्या	धान सुपुर्दगी की अवधि		सुपुर्दगी की मात्रा क्विं. में	मूल्य ₹ में
				से	तक		
2011-12 एवं 2012-13	राँची	4	18	27.01.2012	09.07.2013	2047.36	2405633.90
2011-12 एवं 2012-13	हजारीबाग	6	16	13.01.2012	05.05.2013	2229.24	2568766.40
2011-12 एवं 2012-13	धनबाद	6	29	28.01.2012	23.04.2013	4432.46	4821031.30
2011-12 एवं 2012-13	बोकारो	5	18	21.01.2012	11.12.2013	1667.70	1981605.00
2011-12 एवं 2012-13	गढ़वा	6	6	10.04.2012	18.03.2013	1147.74	1403225.00
2012-13	देवघर	9	40	05.02.2013	22.05.2013	1931.15	2413937.50
2011-12 एवं 2012-13	दुमका	6	76	30.12.2011	13.08.2013	5024.19	5643713.30
कुल		42	203			18,479.84	2,12,37,912.40
सकल योग		59	229			24,015.18	3,28,75,282.06

परिशिष्ट-3.2.9 (ब)

(संदर्भित कंडिका 3.2.4.4; पृष्ठ 136)

चावल मिलों द्वारा भा.खा.नि. के गोदामों को क.मि.रा. के परिवहन में प्रयुक्त संदिग्ध साधनों को दर्शाती हुई विवरणी

ख.वि.मौ.	जि.स.प.	धा.अ.कें. की संख्या	खोजे गए मामलों की संख्या	धान सुपुर्दगी की अवधि		सुपुर्दगी की मात्रा क्विं. में	मूल्य ₹ में
				से	तक		
2011-12 एवं 2012-13	राँची	5	6	22.05.2012	21.12.2013	839.82	1679542.82
2012-13	हजारीबाग	1	2	12.03.2013	05.09.2013	537.60	1154227.20
2011-12	धनबाद	1	1	11.10.2012		269.48	516905.76
2012-13	बोकारो	3	5	10.07.2012	17.12.2013	1280.55	2749340.85
2011-12	गढ़वा	1	1	21.06.2013		270.00	517903.20
2012-13	देवघर	4	4	27.08.2013	31.12.2013	944.77	2028421.19
2012-13	जमशेदपुर	1	5	19.11.2013	13.12.2013	854.50	1834611.50
2012-13	दुमका	1	2	04.09.2013	06.09.2013	538.62	1156417.14
कुल		17	26			5535.34	11637369.66
कुल योग		59	229			24015.18	32875282.06

परिशिष्ट-3.2.10

(संदर्भित कंडिका 3.2.4.5; पृष्ठ 138)

चावल मिलों द्वारा भा.खा.नि. को विलम्ब से सुपुर्दगी के लिए जुर्माना अधिरोपित नहीं करने को दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा क्विं. में एवं विलम्ब दिनों में)

क्र.सं.	ख.वि.मौ.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	टैग की गई चावल मिलों के नाम	भा.खा.नि. को सुपुर्दगी की गई क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	क.मि.रा. सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि	क.मि.रा. की सुपुर्दगी में हुई विलम्ब (दिनों में)	जुर्माना लगाया जाना था (₹ में)
1	2012-13	राँची	लापुंग	ककरिया	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	268.86	31.10.13	12.11.13	12	1290.53
2	2012-13	राँची	लापुंग	ककरिया	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	268.86	31.10.13	5.12.13	35	3764.04
3	2012-13	राँची	लापुंग	ककरिया	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	269.81	31.10.13	19.12.13	49	5288.27
4	2012-13	राँची	लापुंग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	270	31.10.13	11.12.13	41	4428.00
5	2012-13	राँची	लापुंग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	268.85	31.10.13	1.12.13	31	3333.74
6	2012-13	राँची	लापुंग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	270	31.10.13	20.12.13	50	5400.00
7	2012-13	राँची	लापुंग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	270	31.10.13	21.12.13	51	5508.00
8	2012-13	राँची	लापुंग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	270	31.10.13	23.12.13	53	5724.00
9	2012-13	राँची	लापुंग	फतेहपुर	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	175.51	31.10.13	30.12.13	60	4212.24
10	2012-13	राँची	लापुंग	महुगाँव	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	268.75	31.10.13	11.11.13	11	1182.50
11	2012-13	राँची	लापुंग	महुगाँव	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	269.05	31.10.13	6.12.13	36	3874.32
12	2012-14	राँची	लापुंग	महुगाँव	न्युट्रोलाईट एगो प्रोडक्ट प्रा.लि., नगरी	209.45	31.10.13	27.12.13	57	4775.46
13	2012-13	राँची	अड़की	सिंदरी	रानी सति फुड ग्रेन रुक्का, राँची	269.8	31.10.13	20.12.13	50	5396.00
14	2012-13	राँची	अड़की	सिंदरी	रानी सति फुड ग्रेन रुक्का, राँची	540	31.10.13	21.12.13	51	11016.00
15	2012-13	राँची	अड़की	सिंदरी	रानी सति फुड ग्रेन रुक्का, राँची	205.41	31.10.13	23.12.13	53	4354.69
16	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	270	31.10.13	26.11.13	26	2808.00
17	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	270	31.10.13	7.12.13	37	3996.00
18	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	270	31.10.13	9.12.13	39	4212.00
19	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	270	31.10.13	10.12.13	40	4320.00

(मात्रा क्विं. में एवं विलम्ब दिनों में)

क्र.सं.	ख.वि.मौ.	जिला	प्रखण्ड	धा.अ.कें.	टैग्ड की गई चावल मिलों के नाम	भा.खा.नि. को सुपुर्द की गई क.मि.रा. की मात्रा	क.मि.रा. सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि	क.मि.रा. सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि	क.मि.रा. की सुपुर्दगी में हुई विलम्ब (दिनों में)	जुर्माना लगाया जाना था (₹ में)
20	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	270	31.10.13	11.12.13	41	4428.00
21	2012-13	धनबाद	बाघमारा	राजगंज	जय हनुमान राईस मिल, कतरास	270	31.10.13	12.12.13	42	4536.00
22	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी फतेहपुर	प्रिय राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	269	31.10.13	26.11.13	26	2797.60
23	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी फतेहपुर	प्रिय राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	269	31.10.13	02.12.13	32	3443.20
24	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी फतेहपुर	प्रिय राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	269	31.10.13	16.12.13	46	4949.60
25	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी फतेहपुर	प्रिय राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	269	31.10.13	17.12.13	47	5057.20
26	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी फतेहपुर	प्रिय राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	270	31.10.13	19.12.13	49	5292.00
27	2012-13	धनबाद	टुण्डी	लटानी फतेहपुर	प्रिय राईस प्रोसेसर प्रा.लि., गोविन्दपुर	270	31.10.13	19.12.13	49	5292.00
28	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल, पालोजोरी	270	31.10.13	23.12.13	53	5724.00
29	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल, पालोजोरी	270	31.10.13	23.12.13	53	5724.00
30	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल, पालोजोरी	270	31.10.13	27.12.13	57	6156.00
31	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल, पालोजोरी	270	31.10.13	28.12.13	58	6264.00
32	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल, पालोजोरी	269	31.10.13	30.12.13	60	6456.00
33	2012-13	देवघर	पालाजोरी	जमुआ	बजरंग राईस मिल, पालोजोरी	269	31.10.13	30.12.13	61	6564.00
34	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	270	31.10.13	11.12.13	41	4428.00
35	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	270	31.10.13	11.12.13	41	4428.00
36	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	269	31.10.13	16.12.13	46	4949.60
37	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	271	31.10.13	18.12.13	48	5203.20
38	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	270	31.10.13	28.12.13	58	6264.00
39	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	269	31.10.13	30.12.13	60	6456.00
40	2012-13	देवघर	देवघर	देवपुर	चौधरी राईस मिल, देवघर	270	31.10.13	30.12.13	60	6480.00
	कुल									195775.80

परिशिष्ट-3.3.1

(संदर्भित कंडिका 3.3.4.1; पृष्ठ 146)

2010-15 के दौरान क्षेत्रवार स्वीकृत योजना एवं समर्पित दावा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अवयव का नाम	स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना	विभाग द्वारा दावा की गई राशि	अन्तर	अन्तर का प्रतिशत
1	सी.पी.एम.एफ	120.60	179.00	58.40	48.43
2	आयुध	14.00	21.22	7.22	51.57
3	बीमा	24.00	28.05	4.05	16.87
4	मजबूतीकरण	66.45	129.45	63.00	94.80
	उपयोग	225.05	357.72	132.67	
5	अनुग्रहण	16.84	6.30	10.54	62.58
6	प्रशिक्षण	17.50	7.11	10.39	59.40
7	सामुदायिक पुलिसिंग	7.05	5.30	1.75	24.84
8	भी.डी.सी./एन.एस.एस.	1.98	1.58	0.40	20.09
9	एस.पी.ओ.	85.97	41.16	44.81	52.13
10	पुनर्स्थापन	0.92	0.02	0.90	97.61
11	आवश्यकता आधारितक भाड़े पर लिया जाना	59.00	13.56	45.44	77.02
12	पुलिस प्रचार	4.41	3.76	0.65	14.63
	उपयोग	193.67	78.79	114.88	
	कुल	418.72	436.50		

परिशिष्ट-3.3.2

(संदर्भित कंडिका 3.3.7.1; पृष्ठ 151)

2010-16 के दौरान भाड़े पर रखे गये वाहनों का विवरण

(लाख ₹ में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	वाहनों की संख्या	राशि
1	चाईबासा	34	393.41
2	चतरा	52	475.11
3	देवघर	01	3.23
4	धनबाद	14	27.00
5	गढ़वा	14	202.61
6	हजारीबाग	16	98.52
7	जमशेदपुर	99	501.77
8	लातेहार	61	537.95
9	पलामू	19	397.13
10	राँची	173	2596.00
	कुल	483	5232.73

परिशिष्ट-3.4.1

(संदर्भित कंडिका 3.4.3.1; पृष्ठ 167)

केन्द्रीय निधि की प्राप्तियाँ और व्यय के संवितरण की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वि. के. स. से ज.उ.यो.					अनुच्छेद 275 (i) के अंतर्गत अनुदान				
	आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अंतिम शेष	आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	75.02	5.86	80.88	70.58	10.30	96.00	0.00	96.00	7.33	88.66
2014-15	10.30	86.06	96.36	83.81	12.55	88.66	107.84	196.50	106.37	90.13
2015-16	12.55	114.78	127.33	22.43	104.90	90.13	34.24	124.37	37.54	86.83
कुल		206.70		176.82			142.08		151.24	

स्रोत: आदिवासी कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट-3.4.2

(संदर्भित कंडिका 3.4.3.1; पृष्ठ 167)

अनुच्छेद 275 (i) के अंतर्गत ज.उ.यो. से वि.के.स. की प्राप्ति के संवितरण और प्राप्तियों का विवरणी

(₹ करोड़ में)

स.ज.वि.यो. का नाम	वर्ष	ज.उ.यो. से वि.के.स.					अनुच्छेद 275 (i) के अंतर्गत अनुदान				
		प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अंतिम शेष
दुमका	2013-14	19.69	7.79	27.48	3.80	23.69	2.83	0.48	3.31	0.83	2.48
	2014-15	23.69	4.06	27.75	3.81	23.94	2.48	3.68	6.16	1.14	5.02
	2015-16	23.94	3.82	27.76	4.40	23.36	5.02	0.58	5.60	1.48	4.12
	कुल		15.67		12.01			4.74		3.45	
लातेहार	2013-14	11.74	2.84	14.58	1.31	13.27	0.19	1.77	1.96	1.72	0.24
	2014-15	13.27	5.26	18.53	0.24	18.29	0.24	2.67	2.91	1.13	1.78
	2015-16	18.29	0.96	19.25	1.08	18.17	1.78	0.50	2.28	1.36	0.92
	कुल		9.06		2.63			4.94		4.21	
गुमला	2013-14	15.17	0.42	15.59	3.99	11.59	3.01	2.04	5.05	2.39	2.66
	2014-15	11.59	7.35	18.94	2.73	16.21	2.67	2.85	5.52	3.01	2.50
	2015-16	16.21	9.21	25.42	1.44	23.98	2.50	0.01	2.51	0.09	2.42
	कुल		16.98		8.16			4.90		5.49	
राँची	2013-14	6.10	12.80	18.9	4.29	14.61	9.65	0.00	9.65	3.23	6.42
	2014-15	14.61	5.03	19.64	4.05	15.60	6.42	3.55	9.97	4.56	5.41
	2015-16	15.6	3.22	18.82	6.77	12.06	5.41	1.75	7.16	2.18	4.98
	कुल		21.05		15.11			5.3		9.97	
सरायकेला खरसाँवा	2013-14	22.48	0.00	22.48	3.17	19.32	11.60	6.78	18.38	14.16	4.22
	2014-15	19.32	6.86	26.18	4.01	22.17	4.22	7.45	11.67	2.66	9.01
	2015-16	22.17	3.98	26.15	8.15	18.00	9.00	1.11	10.12	9.38	0.74
	कुल		10.84		15.33			15.34		26.20	
सकल योग		73.61		53.24			35.22		49.32		

स्रोत: नमूना जाँचित स.ज.वि.अ.

परिशिष्ट-3.4.3

(संदर्भित कंडिका 3.4.4.1; पृष्ठ 169)

ज.उ.यो. से वि.के.स. के अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं की विवरणी

स.ज.वि.अ.	प्रोटो टाईप फेज	योजनाओं की कुल संख्या	प्रोटोटाईप योजनाओं का नाम	क्लस्टर का नाम	अपूर्ण योजनाओं की कुल संख्या	लाभुकों की कुल संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को जारी की गई रकम (₹ लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए जारी की गई राशि/व्यय (₹ लाख में)		
दुमका	IV	28	जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	रामगढ़ प्रखण्ड	1	240	37.71	37.94	29.7		
			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	सरायहाट प्रखण्ड	1	60	28.07	18.74	10		
	V			वही	वही	1	50	21	17.85	6.3	
				वही	वही	1	50	26.07	17.18	7.82	
				जरमुंडी	जरमुंडी	1	50	18.9	16.06	5.85	
				बकरी वितरण एवं शेड निर्माण	मसलिया प्रखण्ड	1	240	31.44	31.44	16.24	
	VI			माइक्रो लिफ्ट और कुआँ द्वारा सिंचाई प्रणाली पर आधारित जल संसाधन	काठिकुंड	1	240	31.44	31.44	9.87	
					शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	1	25	10.24	10.24	4.55
					दुमका और सदर प्रखण्ड	दुमका और सदर प्रखण्ड	1	20	10.24	10.24	9.41
					काठिकुंड	काठिकुंड	1	30	10.24	10.24	3.4
					गोपिकांदर	गोपिकांदर	1	25	10.24	10.24	3.4
					शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	1	25	10.24	10.24	3.4
					गोपिकांदर	गोपिकांदर	1	25	10.24	10.24	3.4
					जामा	जामा	1	20	10.24	10.24	3.4
	गोपिकांदर	गोपिकांदर	1	20	10.24	10.24	0				
लातेहार	III	24	तसर पोस्ट कुकुन	मसलिया	1	125	227.84	227.82	30.18		
			डेयरी विकास	लातेहार और चंदवा	1	63	101.45	98.81	23.42		
			एक ईकाई बकरी पालन	महूआडांड और गारू	1	62	45.29	42.31	2.84		
				बरवाडीह	1	62	45.29	42.31	6.74		
				चंदवा एवं बालूमाथ	1	62	45.29	42.31	9.25		
				लातेहार और मनिका	1	62	45.29	42.31	7.45		
			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	हेरहंज और बारियातु	1	340	89.9	87.6	8.6		

स.ज.वि.अ.	प्रोटो टाईप फेज	योजनाओं की कुल संख्या	प्रोटोटाईप योजनाओं का नाम	क्लस्टर का नाम	अपूर्ण योजनाओं की कुल संख्या	लाभुकों की कुल संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को जारी की गई रकम (₹ लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए जारी की गई राशि/व्यय (₹ लाख में)	
			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	बरवाडीह	1	130	89.9	87.6	8.6	
			जल संचयन एवं कृषि सुधार के लिए 240 इकाई का निर्माण	लातेहार एवं चंदवा	1	96	54.15	50.72	3.67	
			वही	महुआडांड	1	173	54.15	50.72	3.67	
	IV			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	बरवाडीह	1	141	91.49	91.49	9.18
				जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	महुआडांड	1	370	91.49	91.49	9.18
				लाह कृषि	बालूमाथ	1	230	65.78	65.78	6.41
	V			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	चंदवा	1	136	91.49	76.53	9.18
				जल संचयन एवं कृषि सुधार	गारू	1	0	56.25	46.26	0
				एक ईकाई बकरी पालन	लातेहार	1	67	46.96	38.46	3.18
					बरवाडीह	1	67	46.96	38.46	13.89
				डेयरी विकास के लिए प्रजनन का उन्नयन	महुआडांड	1	0	101.44	98.81	0
				जनजातिय लोगों के लिए कृषि उत्पाद के लिए विपणन	बरवाडीह	1	0	25	25	0
				डेयरी विकास की एक इकाई	लातेहार	1	63	101.44	32.44	8.02
	VII			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	महुआडांड	1	360	91.49	233.31	1.18
				जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	लातेहार	1	155	91.49	233.31	1.18
सरायकेला खरसांवा	III	27	तसर प्री कुकुन	सरायकेला	1	113	74.06	74.06	52.08	
			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	चांडिल	1	352	90.81	90.81	87.48	
	मौजूदा पेड़ों पर रागिनी लाह		नीमडीह	1	145	65.78	65.78	54.15		
	तसर प्री कुकुन		कुचई	1	145	74.06	74.06	61.72		
	V		जल संचयन और भूमि विकास योजना		1	345	90.81	83.98	83.98	
			जमीन के उपरी भूभाग पर बागवानी और इमारती लकड़ी (बहुस्तरीय फसल)	चंदवा	1	188	79.44	70.54	70.54	

स.ज.वि.अ.	प्रोटो टाईप फेज	योजनाओं की कुल संख्या	प्रोटोटाईप योजनाओं का नाम	क्लस्टर का नाम	अपूर्ण योजनाओं की कुल संख्या	लाभुकों की कुल संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को जारी की गई रकम (₹ लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए जारी की गई राशि/व्यय (₹ लाख में)
			लकड़ी (बहुस्तरीय फसल)						
			शहतूत वृक्षारोपण		1	360	212.82	187.7	187.7
	VI		कुकुन के बाद तसर योजना		1	100	227.82	227.82	30
			तसर प्र-कुकुन	कुचाई	1	50	74.06	74.06	30
			जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना		1	0	225	225	151.26
					1	0	210	210	59.2
			बड़े तालाब का निर्माण/नवीनीकरण		1	0	500	500	435.84
गुमला	III	30	जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	चैनपुर	1	0	89.89	744.29	34.25
				घाघरा	1	0	89.89	0	38.04
				डुमरी	1	0	89.89	0	76.24
				भरनो	1	0	89.89	0	64
			बागवानी एवं इमारती लकड़ी का वाले वृक्षों का वृक्षारोपण	बसिया	1	0	73.56	0	55.63
			(115 एकड़ और 28 कुआँ)						
	IV		जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	डुमरी	1	0	90.81	89.74	60
				गुमला	1	0	90.81	89.74	77.78
				भरनो	1	0	90.81	89.74	51.91
			बागवानी एवं इमारती लकड़ी का वाले वृक्षों का वृक्षारोपण	सिसई	1	122	79.44	77.65	71.08
			(125 एकड़ पर 5 कुआँ और 4 नलकुप)						
	V		जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	बिशुनपुर	1	0	90.81	58.12	37
				पालकोट	1	0	90.81	58.12	1
			बागवानी एवं इमारती लकड़ी का वाले वृक्षों का वृक्षारोपण	भरनो	1	0	79.44	50.7	46.61
			(114 एकड़ और 15 कुआँ)						
			बागवानी एवं इमारती लकड़ी का वाले वृक्षों का वृक्षारोपण	कामडारा	1	0	79.44	50.7	49

स.ज.वि.अ.	प्रोटो टाईप फेज	योजनाओं की कुल संख्या	प्रोटोटाईप योजनाओं का नाम	क्लस्टर का नाम	अपूर्ण योजनाओं की कुल संख्या	लाभुकों की कुल संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को जारी की गई रकम (₹ लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए जारी की गई राशि/व्यय (₹ लाख में)
			(116 एकड़ 15 कुआँ और 4 नलकूप)						
			बकरी पालन	चैनपुर	1	180	46.96	28.95	35.95
				बसिया	1	180	46.96	28.95	35.95
				डुमरी	1	180	46.96	28.95	22
			मुर्गीपालन	गुमला	1	155	138.48	89.21	0
			मुर्गीपालन	रायडीह	1	155	138.48	89.21	97.15
	VII		जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	घाघरा	1	0	90.81	43.56	0
				डुमरी	1	0	90.81	43.56	5.09
			बागवानी एवं इमारती लकड़ी का वाले वृक्षों का वृक्षारोपण	सिसई	1	0	79.44	76.32	0
			बागवानी एवं इमारती लकड़ी का वाले वृक्षों का वृक्षारोपण	गुमला	1	0	79.44	76.32	0
			मुर्गी पालन	विशुनपुर	1	0	138.19	135.05	2.63
राँची	III	18	जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	मांडर, चान्हो, ओरमांझी, बुड़मू, कांके और रातु	1	162	988.79	988.79	915.9
	III		जमीन के उपरी भूभाग पर बागवानी और इमारती लकड़ी वाले वृक्षों का वृक्षारोपण (बहुस्तरीय फसल)	रातु और कांके	1	21	220.68	220.68	174.81
	IV		जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	अंगारा, कांके रातु, बुड़मू	1	48	365.96	335.87	244.22
	IV		वर्षा जल संचयन के साथ कृषि सुधार पैकेज	ओरमांझी और रातु	1	42	112.5	100.16	14.08
	IV		जमीन के उपरी भूभाग पर बागवानी और इमारती लकड़ी वाले वृक्षों का वृक्षारोपण (बहुस्तरीय फसल)	बेड़ो और मांडर	1	10	158.88	139.93	52.49
	IV		होमेस्ट्री पॉल्ट्री	रातु	1	144	138.48	120.79	72.8
	V		जल संचयन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	कांके, रातु, नामकुम, ओरमांझी और बुड़मू	1	72	525.18	480.47	456.66
	V		वर्षा जल संचयन के साथ कृषि सुधार के लिए पैकेज	कांके और बुड़मू	1	4	105.84	96.84	30.13
	V		जमीन के उपरी भूभाग पर बागवानी और इमारती लकड़ी वाले वृक्षों का वृक्षारोपण (बहुस्तरीय फसल)	नामकुम और नगड़ी	1	10	152.64	139.65	52.2

स.ज.वि.अ.	प्रोटो टाईप फेज	योजनाओं की कुल संख्या	प्रोटोटाईप योजनाओं का नाम	क्लस्टर का नाम	अपूर्ण योजनाओं की कुल संख्या	लाभुकों की कुल संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को जारी की गई रकम (₹ लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए जारी की गई राशि/व्यय (₹ लाख में)
	VI		जमीन के उपरी भूभाग पर बागवानी और इमारती लकड़ी वाले वृक्षों का वृक्षारोपण (बहुस्तरीय फसल)	नामकुम	1	5	37.95	37.95	25.56
	नया		जल संसाधन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	नामकुम, अनगड़ा, बेड़ो मांडर, चान्हो	1	10	112.8	112.8	9.28
	नया		डेयरी विकास के लिए प्रजनन का उन्नयन (दूसरे वर्ष की नयी योजना)	बुड़मू	1	72	98.81	93.27	53.02
	नया		कृषि विपणन उत्पादन के लिए आदिवासी को प्रोत्साहन, संवर्धन एवं समर्थन	नरकोपी	1	6	25	20.72	18.64
	नया		जल संसाधन, सिंचाई और भूमि विकास योजना	अनगड़ा, मांडर और बुड़मू	1	55	226	226	139.49
कुल		127			88	7357	9410.51	9107.68	4724.01

परिशिष्ट-3.4.4

(संदर्भित कंडिका 3.4.4.2 पृष्ठ 169)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं की विवरणी

स.ज.वि.अ.	क्रम संख्या.	योजना की कुल संख्या	कुल अपूर्ण योजना की संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को दी गई अनुदान	कार्यान्वित अभिकरणों को दी गई राशि/खर्च करने के लिए जारी की गई (₹ लाख में)	आरंभ का वर्ष	पूरा होने की नियत तिथि	कार्य की स्थिति
दुमका	1	31	अनुसूचित जनजाति प्राथमिक विद्यालय थानापुर, जामा में आवासों का निर्माण	25.00	25.00	6.94	2013-14		अपूर्ण
	2		अनुसूचित जनजाति प्राथमिक विद्यालय थानापुर, जामा में स्टाफ आवास का निर्माण	60.00	37.50	31.75	2013-14		वही
	3		शिकारीपाड़ा प्रखंड, बाराचपुरिया में पी.जी.टी. प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक आवास का निर्माण	25.00	25.00	0.00	2013-14		वही --
	4		शिकारीपाड़ा प्रखंड, बाराचपुरिया में पी.जी.टी. प्राथमिक विद्यालय में स्टाफ क्वार्टर आवास का निर्माण	60.00	40.00	40.00	2013-14		वही
	5		काठिकुण्ड, मेसो अस्पताल की मरम्मती	40.00	28.88	28.88	2013-14		वही
				कुल	210.00	156.38	107.57		
लातेहार	1	40	अनुसूचित जनजाति आवासिय उच्च विद्यालय महुआडांड में 50 बिस्तर वाले छात्रावास का निर्माण	56.15	28.37	25.20	2009-10		अपूर्ण
	2		महुआडांड प्रखंड के अंतर्गत नेतरहाट में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सांस्कृतिक विकास केन्द्र का निर्माण	40.00	14.27	22.61	2011-12		वही
	3		गारु प्रखंड के अंतर्गत गारु गांव में 100 बिस्तरों के छात्रावास का निर्माण	106.08	106.08	89.20	2011-12		वही
	4		महुआडांड प्रखंड के अंतर्गत नेतरहाट में 50 बिस्तर वाले छात्रावास का निर्माण	61.72	0.00	0.00	2011-12		कार्य आरंभ

स.ज.वि.अ.	क्रम संख्या.	योजना की कुल संख्या	कुल अपूर्ण योजना की संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को दी गई अनुदान	कार्यान्वित अभिकरणों को दी गई राशि/खर्च करने के लिए जारी की गई (₹ लाख में)	आरंभ का वर्ष	पूरा होने की नियत तिथि	कार्य की स्थिति
									नहीं हुआ
	5		डोमाखण्ड में आवासीय अनुसूचित जनजाति विद्यालय के लिए अतिरिक्त वर्ग का निर्माण	16.00	0.00	0.00	2011-12		अपूर्ण
	6		लातेहार प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति जनसमूह के लिए सांस्कृतिक विकास केन्द्र का निर्माण	40.00	24.00	29.21	2012-13		वही
	7		मानिका प्रखण्ड के अंतर्गत कुमनदीदा में स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण	27.00	13.50	13.50	2013-14		वही
			कुल	346.95	186.22	179.72			
सरायकेला खरसाँवा	1	106	गमदेसाई गाँव, बरीडीह में कला एवं सांस्कृतिक विकास केन्द्र का निर्माण	43.84	40.00	22.54	2011-12	2013-14	अपूर्ण
	2		गंगेरुली, सोसोडीह में 50 बिस्तर वाले ग्रामीण अस्पताल का निर्माण	189.00	120.00	86.32	वही	वही	वही
	3		राजनगर, गंगोसोली, सोसोडीह में जी.एन.एम. स्कूल का निर्माण	600.00	600.00	134.10	वही	वही	वही
	4		राजनगर, जुमल में न्यू एच.एस.सी. का निर्माण	24.80	24.80	7.96	वही	वही	वही
	5		राजनगर, श्यामसुंदरपुर में न्यू एच.एस.सी. का निर्माण	24.80	24.80	13.93	वही	वही	वही
	6		राजनगर, जामाडीह में न्यू एच.एस.सी. का निर्माण	24.80	24.80	11.32	वही	वही	वही
	7		गम्हरिया, उकाम में न्यू एच.एस.सी. का निर्माण	24.80	24.80	6.78	वही	वही	वही
	8		कुचई, आश्रम विद्यालय में 100 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण	152.00	106.08	51.82	वही	वही	वही
	9		चालियामा, राजनगर, कोल्हन इंटर कॉलेज में 100 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण	142.00	106.00	91.33	वही	वही	वही
	10		गमहरिया प्रखंड के बालिडीह, कंडरा में जनजातीय कला	40.00	20.00	27.29	2012-13	2014-15	वही

स.ज.वि.अ.	क्रम संख्या.	योजना की कुल संख्या	कुल अपूर्ण योजना की संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को दी गई अनुदान	कार्यान्वित अभिकरणों को दी गई राशि/खर्च करने के लिए जारी की गई (₹ लाख में)	आरंभ का वर्ष	पूरा होने की नियत तिथि	कार्य की स्थिति
	11		एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण						
	12		डुंगी में तिरंदाजी अकादमी का निर्माण	400.00	296.95	220.16	2013-14	2015-16	वही
			कुचाई में आई.सी.ई.आर.टी. अस्पताल का मरम्मत	40.00	28.88	7.97	वही	वही	वही
			कुल	1706.04	1417.11	681.52			
गुमला	1	58	गुमला जिला में 30 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	143.57	129.60	129.60	2010-11	2012-13	10 अपूर्ण योजना
	2		गुमला जिले के चापाटोली में आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण	60.32	56.94	26.63	2010-11	2012-13	अपूर्ण
	3		पालकोट प्रखंड में आर.सी.सी. ब्रिज का निर्माण	23.98	23.98	20.21	2010-11	2012-13	अपूर्ण
	4		चैनपुर प्रखंड में 50 बिस्तर वाले छात्रावास का निर्माण	70.38	60.00	31.85	2011-12	2013-14	अपूर्ण
	5		बासिया प्रखंड में एकलव्य मोडल विद्यालय का निर्माण	1400.80	658.62	658.62	2011-12	2013-14	अपूर्ण
	6		भरनो में न्यू एच.एस.सी का निर्माण	23.00	23.00	11.56	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	7		घाघरा में 100 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति के लड़कों का छात्रावास का निर्माण	141.69	44.66	44.66	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	8		रायडीह, मंझटोली में 100 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति लड़कों के छात्रावास का निर्माण	141.69	56.08	56.08	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	9		पालकोट प्रखंड के अंतर्गत सुंदरपुर में 100 बिस्तर वाले जनजाति लड़कों के छात्रावास का निर्माण	141.69	57.97	57.97	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	10		गुमला, करौंधा में 100 बिस्तर वाले जनजाति लड़कों के छात्रावास का निर्माण	141.69	40.46	40.46	2012-13	2014-15	अपूर्ण
			कुल	2288.81	1151.31	1077.64			
राँची	1	33	सोनचिपी में आवासिय उच्चविद्यालय में 100 बिस्तर वाले छात्रावास का निर्माण	144.62	94.28	92.60	2010-11	2012-13	अपूर्ण
	2		वी.आई.टी मेसरा में ऑटोमोबाईल सर्विस सेंटर के लिए	110.00	110.00	73.00	2010-11	2012-13	अपूर्ण

स.ज.वि.अ.	क्रम संख्या.	योजना की कुल संख्या	कुल अपूर्ण योजना की संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को दी गई अनुदान	कार्यान्वित अभिकरणों को दी गई राशि/खर्च करने के लिए जारी की गई (₹ लाख में)	आरंभ का वर्ष	पूरा होने की नियत तिथि	कार्य की स्थिति
			बुनियादी ढांचे का विकास						
	3		वी.आई.टी मेसरा में विद्युत सेवा केन्द्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	232.00	232.00	195.35	2010-11	2012-13	अपूर्ण
	4		ई.एम.आर.एस. तमाड़ में योग और ध्यान केन्द्र का निर्माण	68.99	60.00	52.23	2011-12	2013-14	अपूर्ण
	5		कांके में जनजातीय कला और सांस्कृतिक विकास केन्द्र का निर्माण	40.00	40.00	26.67	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	6		तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत सलगाडीह, इ.एम.आर.एस. में 100 बिस्तर का निर्माण	106.00	106.00	93.63	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	7		बेथेसादा महिला इंटर कॉलेज राँची में 100 बिस्तर वाले छात्रावास का निर्माण	106.08	106.08	90.07	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	8		संत जेवियर कॉलेज, राँची में 100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	106.08	106.08	83.39	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	9		उरसूलाईन इंटर कॉलेज के परिसर में 100 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण	106.08	106.08	75.27	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	10		राँची, करमटोली में 300 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति के लड़कों का छात्रावास निर्माण	318.24	318.24	278.24	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	11		हिंदपीढी में आदिवासी विकास के लिए बहुउद्देशीय हॉल सह प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	1585.00	100.00	0.00	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	12		विभिन्न प्रखण्डों में विभिन्न स्तर के पम्प, सेवन कुआँ सहित 10 लघु सिंचाई का निर्माण	130.00	60.00	0.00	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	13		माण्डर प्रखंड के अंतर्गत नावातराई, संत जौन्स स्कूल में 50 बिस्तर वाले छात्रावास का निर्माण	109.95	109.95	53.35	2012-13	2014-15	अपूर्ण
	14		नगराटोली के दिपिकक्षा अनुसूचित जनजाति बालिका	14.44	10.83	10.83	2013-14	2015-16	अपूर्ण

स.ज.वि.अ.	क्रम संख्या.	योजना की कुल संख्या	कुल अपूर्ण योजना की संख्या	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	स.ज.वि.अ. को दी गई अनुदान	कार्यान्वित अभिकरणों को दी गई राशि/खर्च करने के लिए जारी की गई (₹ लाख में)	आरंभ का वर्ष	पूरा होने की नियत तिथि	कार्य की स्थिति
			स्नातकोत्तर छात्रावास के चाहरदीवारी, नाली तथा पी.सी.सी. की मरम्मत						
	15		नगराटोली के दिपिकक्षा अनुसूचित जनजाति बालिका स्नातकोत्तर छात्रावास का मरम्मत	20.13	15.10	15.10	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	16		राँची, हातमा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास का मरम्मत	20.41	15.31	15.31	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	17		राँची, मोहराबादी, हातमा, वीरबुधु भगत अनुसूचित जनजाति छात्रावास नंबर 2 की मरम्मत	14.16	10.62	10.62	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	18		लापुंग प्रखंड के अंतर्गत काकरा कैम्पस में राज्य अनुदानित उच्च विद्यालय के परिसर में अनुसूचित जनजाति लड़कों के छात्रावास में पीने के पानी तथा विद्युतीकरण की सुविधा	17.43	13.07	2.38	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	19		तमाड़, सलगाडीह में आवासिय विद्यालय में शिक्षक आवास का निर्माण	25.00	25.00	17.96	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	20		ई.एम.आर.एस., तमाड़ में कर्मचारी आवासीय क्वार्टर का निर्माण	60.00	60.00	37.81	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	21		राँची विश्वविद्यालय के परिसर में 100 बिस्तर वाले अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण	142.00	142.00	0.00	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	22		केजरीवाल संस्थान नामकुम में 50 बिस्तर वाले अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण	94.00	94.00	72.33	2013-14	2015-16	अपूर्ण
	23		मेसो अस्पताल जोन्हा का मरम्मत	40.00	40.00	35.73	2013-14	2015-16	अपूर्ण
			कुल	3610.60	1974.64	1331.87			
सकल योग	57	268		8162.40	4885.66	3378.32			

परिशिष्ट-3.4.5

(संदर्भित कंडिका 3.4.5 पृष्ठ 169)

स्वीकृत और कार्यरत बल की विवरणी

क्रम सं.	पद का नाम	स.ज.वि.अ., दुमका			स.ज.वि.अ., लातेहार			स.ज.वि.अ., गुमला			स.ज.वि.अ., राँची			स.ज.वि.अ., सरायकेला खरसाँवा		
		स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	परियोजना निदेशक	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2	अपर परियोजना निदेशक	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
3	सहायक परियोजना प्रबंधक	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	सहायक अभियंता	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
5	कार्यालय अधीक्षक	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
6	लेखाकार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
7	लिपिक	2	2	0	2	2	0	7	5	2	24	24	0	2	2	0
8	आशुलिपिक	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
9	चपरासी	4	2	2	4	2	2	3	1	2	3	3	0	2	2	0
10	चालक	3	1	2	3	0	3	1	0	1	1	1	0	1	0	1
कुल		16	8	8	16	6	10	18	12	6	35	33	2	12	8	4

परिशिष्ट-3.5.1(i)

(संदर्भित कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 175)

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सामग्री की लागत जिसके लिए ओ. एवं पी. फार्म समर्पित नहीं किया गया की विवरणी

क्रम संख्या	विभाग	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	व्यवहृत मात्रा (मी ³)					
				मेटल	चिप्स	बोल्डर	बालू	ईंट (संख्या)	स्थानीय बालू
1	भ.नि.वि.	विशेष कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, राँची	राँची में नये उच्च न्यायालय भवन निर्माण	334.52	2366.00	0	1503.34	0	414.47
2			झारखण्ड न्यायिक एकेडमी का निर्माण	1460.96	7142.48	1290.35	8394.91	0	3919.51
कुल (ए)				1795.48	9508.48	1290.35	9898.25	0	4333.98

क्रम संख्या	सामग्रीयों की दर (राशि ₹ में) प्रति एम ³						राशि (₹ में)						कुल (₹ में)
	मेटल	चिप्स	बोल्डर	बालू	ईंट प्रति नग	स्थानीय बालू	मेटल	चिप्स	बोल्डर	बालू	ईंट	स्थानीय बालू	
1	352.58	719.96	352.58	209.13	4.72	209.13	117945	1703425	0	314394	0	86677	2222441
2	352.58	719.96	352.58	209.13	4.72	209.13	515107	5142300	454952	1755628	0	819687	8687674
कुल							633052	6845725	454952	2070022	0	906364	10910115

परिशिष्ट-3.5.1 (ii)

(संदर्भित कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 175)

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सामग्री लागत की विवरणी जिसके लिए ओ. एवं पी. फार्म समर्पित नहीं किया गया

क्रम संख्या	विभाग	प्रमंडल	कार्य का नाम	मेटल	चिप्स	बोल्डर	बालू	मूरम
1	पथ निर्माण विभाग	लातेहार	लातेहार-सरयू काटम (गारु) पथ में 0 से 32 कि.मी. (एम.डी.आर. 249) का निर्माण	59511.91	2170.15	0	23923.24	0
2		राँची	मान्डर चौक (एन.एच-75) से बूरमू पथ (0 से 14.80 कि.मी.) तक पथ निर्माण	16725.93	52915.47	8398.34	6427.79	0
कुल (बी)				76237.84	55085.62	8398.34	30351.03	0

क्रम संख्या	सामग्री की दर प्रति एम ³ (राशि ₹ में)					(राशि ₹ में)					कुल (₹ में)
	मेटल	चिप्स	बोल्डर	बालू	मूरम	मेटल	चिप्स	बोल्डर	बालू	मूरम	
1	352.58	719.96	352.58	209.13	122.64	20982708	1562421	0	5003067	0	27548196
2	352.58	719.96	352.58	209.13	122.64	5897228	38097021	2961086	1344243	0	48299578
कुल						26879936	39659442	2961086	6347310	0	75847774

	राशि (₹ में)
कुल (ए)	10910112
कुल (बी)	75847774
कुल	96757886

परिशिष्ट-3.5.2

(संदर्भित कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 176)

मूल्य समायोजन पर परिहार्य भुगतान

क्रम संख्या	कार्य का नाम	एन.आई. टी. की तिथि	बी.ओ.क्यू. मूल्य (₹ करोड़ में)	करार की तिथि एवं पूर्ण होने की संभावित तिथि	करारित राशि (₹ करोड़ में)	पथ की लम्बाई (कि.मी. में)	मूल्य समायोजन भुगतित (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
1.	चन्दवा-महुवानिलन-मैकलुसकीगंज पथ (सी.एम.एम.) खण्ड 1 (0 से 8 कि मी) का चौड़ीकरण/मजबूती करण	27.12.13	12.37	01.02.2014 18 महीने	16.02	8	0.77	12.01.2016
2.	सी.एम.एम पथ भाग II (9 से 16 कि.मी.) का चौ./म.	29.11.12	9.19	03.03.2014 15 महीने	11.02	8	1.14	12.01.2016
3.	सी.एम.एम पथ भाग III (17 से 23.8 कि.मी.) का चौ./म.	09.02.13	8.78	03.03.2014 15 महीने	10.06	7.8	0.61	12.01.2016
कुल			30.34		37.10		2.52	

परिशिष्ट-3.5.3

(संदर्भित कंडिका 3.5.17; पृष्ठ 197)

टी.डी.एस. की कम कटौती

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	मीडिया	वर्ष	आबंटन	ब्यय	टी.डी.एस. का की जानेवाली कटौती का दर (2 प्रतिशत)	टी.डी.एस. का वास्तविक कटौती का दर (1.1 प्रतिशत)	मीडिया हाउस को अधिक भुगतान
1	प्रिन्ट मीडिया	2009-10 (09/09 से 31/03/10)	190000000	127074564	2541491	1397820	1143671
2		2010-11	140000000	139993734	2799875	1539931	1259944
3		2011-12	260000000	260000000	5200000	2860000	2340000
4		2012-13	260000000	260000000	5200000	2860000	2340000
5		2013-14	300000000	300000000	6000000	3300000	2700000
6	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	2009-10	50000000	7973772	159475	87711	71764
7		2010-11	30000000	12899374	257987	141893	116094
8		2011-12	50000000	49045753	980915	539503	441412
9		2012-13	60000000	52470862	1049417	577179	472238
10		2013-14	40000000	39963800	799276	439602	359674
	कुल		1380000000	1249421859	24988436	13743639	11244797

© भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in